नवम माला, खंड 9, अंक 15

गुरुवार, 30 अगस्त, 1990
8 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 30 अगस्त, 1990 /8 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
48	नीचे से पंक्ति 11	"19 4" के स्थान पर "1984" पढ़िये ।
109	12	"श्री जे. वेक्का राव" के स्थान पर "श्री जे. चोक्का राव" पढ़िये ।
156	नीचे से पंक्ति 7	प्रश्न संख्या "3609" के स्थान पर "3699" पढ़िये ।
298	2	"समित" के स्थान पर "समिति" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 15, गुरुवार, 30 अगस्त, 1990/8 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-18
* तारांकित प्रश्न संख्या : 304 से 308	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या 1	19-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-201
तारांकित प्रश्न संख्या : 309 से 324	21-33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3523 से 3630, 3632 से 3690, 3692 से 3730 और 3732 से 3756	34-201
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—जारी	202-294
विचार करने के लिए प्रस्ताव	202
खंडवार विचार	202-277
पारित करने के लिए प्रस्ताव	277-294
श्री पी० उपेन्द्र	277, 291-294
श्री ए० के० राय	277-279
श्री सन्तोष मोहन देव	279
श्री सोमनाथ चटर्जी	280-281
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	281-282
श्री वसंत साठे	282-283
श्री भोगेन्द्र झा	283-285

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

प्रो० पी० जे० कुरियन 285

श्री इन्द्र जीत 285-286

श्री पी० एम० सईद 286

श्री सैफुद्दीन चौधरी 287

डा० तम्बि दुरै 287-288

श्री के० एस० राव 288-289

श्री नानी भट्टाचार्य 289

श्री एस० कृष्ण कुमार 289-290

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 290

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा 290

श्री कपिल देव शास्त्री 290-291

सभा पटल पर रखे गए पत्र 295-297

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 297

तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . . . 298

दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत

मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में 298-304

नियम 377 के अधीन मामले 304-308

(एक) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के जिलों के लिए आवंटित धनराशि पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

श्री धर्म पाल शर्मा 304

(दो) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने और पश्चिम उड़ीसा में शिक्षा के चहुंमुखी विकास के लिए सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की मांग

श्री भवानी शंकर होटा 304-305

(तीन) हजारीबाग जिले के रजरप्पा क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा वहां पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की मांग

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय 305

पृष्ठ

(चार) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रेल सेवा के समग्र सुधार हेतु समुचित उपाय किए जाने की मांग

डा० राम चन्द्र डोम 306

(पांच) बिहार के धनबाद जिले मे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मूनीडीह परियोजना के कामगारों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग

श्री ए० के० राय 306-307

(छः) कोको उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री रमेश चेन्नीथाला 307

(सात) उत्तरी बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री मंजय लाल 307

(आठ) अयोध्या को रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़े जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव 307-308

[redacted]

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

गुरुवार, 30 अगस्त, 1990 / 8 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय सड़क निधि

[अनुवाद]

*304. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में केन्द्रीय सड़क निधि संकल्प के अनुसार नियमित रूप से धन जमा किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). मोटर स्प्रिट और डीजल तेल पर लगने वाले सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में से अलग रखी जाने वाली लेवी की राशि को बढ़ाकर और जमा रकम को केन्द्रीय सड़क निधि में अलग से रखकर, जिसे सड़क विकास हेतु इस्तेमाल किया जाना है, सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने हेतु एक संकल्प 13 मई, 1988 को लोक सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। राज्य सभा ने भी उसी संकल्प को पारित किया था परन्तु केन्द्रीय सड़क निधि में जमा राशियां, जैसा कि संकल्प में प्रावधान किया गया है, अभी तक वितरण के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारे जीवन की रेखाएं हैं। खेद का विषय है कि 43 वर्ष की आजादी के बाद भी 36 प्रतिशत गांव सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं और 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों की दशा दयनीय है। इसका मुख्य कारण धन अभाव है। 1926 में जयकार कमीशन की रिपोर्ट पर सैंट्रल रोड़ फण्ड की स्थापना की गयी थी······

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपके दो सवाल हैं। सारा सदन इंट्रस्टिड है। आप ब्रीफ सवाल पूछिए ताकि मंत्री जी भी ब्रीफ जवाब दे सकें।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 13 मई, 1988 को जैसा मंत्री जी ने कहा, निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल के बेसिक रेट पर 5% सैंट्रल रोड़ फण्ड में जमा होगा। जिसके मुताबिक 320 करोड़ रुपया जमा होना था, लेकिन आज तक यह इम्पलीमेंट नहीं हुआ। आज के समय में

[redacted]

अगर उस रेजोल्यूशन के मुताबिक पैसा जमा किया जाता तो 4 हजार करोड़ रुपया होता । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन कारणों से यह प्रस्ताव आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया, जबकि लोक सभा और राज्य सभा दोनों में पारित किया गया था ? क्या यह सदन की मानहानि नहीं है ? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्री महोदय के साथ इस मामले को टेक-अप करेंगे, ताकि इस प्रस्ताव को, जो 1988 में पारित किया गया था, कार्यान्वित किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सड़कों की स्थिति के बारे में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्हें मूल रूप से बाजार के साथ जोड़ती हैं और व्यक्तियों, सामान और अन्य आवश्यकताओं के लिए परिवहन की सुविधा जुटाती हैं, जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी इस चिन्ता में शामिल हूं । संसद ने इस विधेयक को, 13 मई, 1988 को पारित किया था । किन्तु दुर्भाग्य से वित्त मंत्रालय का यह विचार था कि उनके पास वे स्रोत नहीं हैं जैसी कि परिकल्पना के अनुसार उनके पास हैं । यहां तक कि मेरे पूर्वाधिकारी मुझसे पहले और स्वयं मैं कार्यभार सम्भालने के पश्चात् इस विषय को अपने माननीय साथी, वित्त मंत्री, के साथ उठाता रहा हूं, किन्तु अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है । यह अभी वहीं का वहीं है ।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, "बी" भाग का जवाब नहीं आया । यह प्रस्ताव क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया । हिमाचल प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां यातायात का मुख्य साधन सड़कें हैं इस वर्ष सेन्ट्रल रोड फण्ड में कुल नौ करोड़ रुपया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश को केवल 9 लाख 81 हजार रुपया दिया गया और पहाड़ों में एक किलोमीटर कच्ची सड़क बनाने के लिए एक लाख रुपया लगता है । ऐसा लगता है कि सेन्ट्रल रोड फण्ड के अन्दर केवल दस किलोमीटर कच्ची सड़क बन सकेगी । क्या हिमाचल प्रदेश को सेन्ट्रल रोड फंड के अंदर जो धन राशि दी गई उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे । क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्री महोदय से इस मामले को टेक-अप करेंगे ताकि यह रेजोल्यूशन इम्पलीमेंट हो सके ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा किए गए निवेदन और उनकी मांग से मुझे सहानुभूति है । हिमाचल प्रदेश में सड़कों की अवस्था के बारे में मुझे भी चिन्ता है । राज्यों के लिए कोई विशेष या नए आबंटन देने के लिए सेन्ट्रल रोड फंड में कोई वृद्धि नहीं की गई है । इस समय यह स्थिति है ।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, "बी" भाग का जवाब नहीं आया, क्या वित्त मंत्री महोदय इसे टेक-अप करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वे पहले बोल चुके हैं और आपने सुना नहीं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह सच नहीं है कि इस फंड में से 65 प्रतिशत रकम राज्यों को

राज मार्गों के विकास के लिए दी जानी थी। क्या यह भी सच नहीं है कि सदन के बीच यह सत्यनिष्ठ आश्वासन दिया गया था कि इस विधेयक को लागू किया जायेगा। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार द्वारा सदन के विशेषाधिकार का हनन है।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं!

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहूंगी कि इस पर आपकी और मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार इस आबंटन से हमारे राज्यों को और अधिक राशि मिलेगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : विधेयक के अनुसार प्राप्त धन का आधा प्रतिशत प्रशासकीय खर्च के लिए व्यय किया जायेगा, 35½ प्रतिशत रकम को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्र मार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उपयोग किया जायेगा और फंड के शेष 64 प्रतिशत भाग को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में पैट्रोल और डीजल के उपभोग के आधार पर राज मार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जायेगा।

इसलिए, वे ठीक कहती हैं कि विधेयक में इसी की परिकल्पना की गई थी।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : एक वरिष्ठ महिला सदस्य, माननीया श्रीमती गीता मुखर्जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट उठाया है कि यह सदन का अपमान है अथवा नहीं। मेरे विचार में, यह प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है क्योंकि यह अवश्य सदन का अपमान है। किन्तु बात यह उठती है कि यह एक सरल विषय नहीं है जहां कोई व्यर्थ का मुद्दा उठाया गया है या कोई गलती कर दी गई है या किसी ने इसे अनदेखा कर दिया है। यह और अधिक मूलभूत है।

दोनों सदनों ने इसे संकल्प द्वारा पारित कर दिया था। सरकार को इसे अवश्य लागू कर देना चाहिए। कार्यपालिका को इसे अवश्य लागू कर देना चाहिए। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वित्त मंत्रालय अधिक शक्तिशाली बन गया है और वित्त मंत्रालय के अफसर वास्तव में देश के शासक बन गए हैं। लोग प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है। हम देखते हैं कि इस स्थिति के लिए सबकी मिली जुली जिम्मेवारी है। प्रधान मंत्री उपस्थित हैं और यदि मैं उनका ध्यान इस ओर दिला सकता हूं तो मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि वे मेरी बात सुनेंगे या नहीं। मुद्दा यह है कि स्वयं पिछली सरकार—मैं नहीं समझता कि उन्हें इस उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जा सकता है। हमारी व्यवस्था में, संसद ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और लोग शासक हैं। जब संसद किसी विधेयक के द्वारा कोई निर्णय लेता है तो यह कैसे हो सकता है कि पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय अड़ जाये और न कर दे। क्या इसके लिए प्रावधान है? मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। किसी को भी इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता।

मैं विशेष रूप से माननीय भू-तल परिवहन मंत्री और प्रधान मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, से यह जानना चाहूंगा। क्योंकि मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, भूतल परिवहन मंत्री यह टिप्पणी करके बच नहीं सकते कि वे वित्त मंत्री से सम्पर्क बना रहे हैं और न ही प्रधान मंत्री यह कह सकते हैं कि 'यह मेरा विभाग नहीं है' क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सदन की प्रतिष्ठा, लोगों की प्रतिष्ठा और पूरी व्यवस्था की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा है। यह बेरोजगारी से भी सीधे सम्पर्क रखता है क्योंकि सड़कें बिछाना रोजगार उत्पन्न करने के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।.........**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप भी हमारा साथ दीजिए। आपको भी रोड्स की जरूरत है, ऐसा नहीं कि मेरे प्रदेश में जरूरत है।

[अनुवाद]

मैं विशेष रूप से वचनबद्धता के रूप में यह जानना चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कितना समय लेंगे कि संकल्प लागू किया जाये।

(ख) मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि वह हस्तक्षेप करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संकल्प को लागू किया जाए, कि फंड की 65 प्रतिशत रकम को बकाया राशि के साथ, बकाया राशि के साथ यह लगभग 2,000 रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक हो जाता है, आबंटित किया जाएगा। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस प्रकार के मामले में एक समय-सूची बनाना बहुत कठिन होता है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि मेरे पूर्वाधिकारी ने और मैंने इस प्रश्न को वित्त मंत्री के साथ उठाया है। मैंने उनसे बात की और उनसे निवेदन किया और इस विधेयक की ओर उनका ध्यान दिलाया और हमारे मंत्रालय का यह विचार है कि इसे लागू कर दिया जाना चाहिए और धनराशि उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : उन्हें सरकार की ओर से बोलना पड़ता है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : समय सूची बनाना बहुत कठिन है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जायेगा कि इस विधेयक को लागू किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदय।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : प्रधान मंत्री जी उत्तर दें। यह सभा की अवमानना का प्रश्न है।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब पूछने के लिए मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। मैं चाहता था कि प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करें और आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रधान मंत्री और मंत्री के कहने के बाद, अब कोई नई जानकारी नहीं मिलेगी।

श्री तरित बरण तोपदार : यह ऐसा प्रश्न है जो वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है। नियम 193 के अधीन एक चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : इस पर चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री राम नाईक : यह बात बहुत अच्छी है कि प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बात इतनी ही है कि जो यह आश्वासन है

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे। हम इसे आश्वासन के रूप में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजमंगल पांडे : इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी आश्वासन दें नहीं तो 193 के अन्तर्गत चर्चा हो।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री महोदय के यह कहने से कि "मैं इसे देखूंगा", इससे कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। प्रधान मंत्री को इसे कार्यान्वित करना चाहिए।

श्री राम नाईक : प्रधान मंत्री महोदय के इस आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए कि वे इसे देखेंगे, क्या सरकार इसे कम से कम इस वर्ष के अन्त तक निपटा देगी? **(व्यवधान)** मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाओ। मैं श्री उन्नीकृष्णन को बोलने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाण्डे जी, आप सदन का नियम जानते हैं। अभी तो उन्नीकृष्णन जी को सुनने दीजिए। यह तो बिजनैस एडवायजरी कमेटी में देखा जायेगा।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं। प्रधान मंत्री के इस आश्वासन के सन्दर्भ में, कि वे इसे देखेंगे, मेरा प्रश्न यह है : क्या इसका निर्णय कम से कम इस वर्ष के अन्त तक कर लिया जायेगा? **(व्यवधान)**

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है। सरकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाओ। हमें प्रधान मंत्री जी की बात सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री फिर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मामले को देखे बिना कोई आश्वासन देना सभा के लिए उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसका सम्बन्ध उस सर्वसम्मत संकल्प से है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया गया है। सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य है। यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें यह विचार किया जाए कि इसे कार्यान्वित करना है अथवा नहीं करना है। उन्हें कहना होगा कि इसे कार्यान्वित किया जायेगा। यह कोई सरकारी-हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है। यह संसद द्वारा पारित एक संकल्प है। उन्हें इसे कार्यान्वित करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह संकल्प के कार्यान्वयन का मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। कृपया आप बैठ जाओ।

श्री बसुदेव आचार्य : वे सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जरा मेरी बात सुनिए। मैं इस मामले में माननीय सदस्यों की भावनाओं के प्रति सचेत हूं। मैंने यह कहा था कि जल-भूतल परिवहन मंत्री ने इस बात का उल्लेख कर दिया था कि उन्होंने यह मामला वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। पिछली सरकार ने इसे पारित कर दिया था। 1988 में यह संकल्प पूरी ईमानदारी के साथ पारित कर दिया गया था। फिर उसमें कुछ कठिनाइयां रही होंगी। निश्चय ही, कुछ बड़े कारण रहे होंगे, जिनकी वजह से सरकार इसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर पाई। मुझे पिछली सरकार के इरादे पर शक नहीं है। अतः मुझे इस बात का पता लगाना है कि वित्त मंत्रालय के सामने क्या समस्याएं और कठिनाई थी। हमारा इरादा आपको केवल कठिनाई के बारे में ही बताना नहीं है। हमें पता लगाना है कि ये परिस्थितियां क्या हैं। और इसके बाद आपको सही स्थिति से अवगत कराते हुए यह बताना है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या-कुछ किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों मे गुजरने वाली सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

*305. **श्री छबिराम अर्गल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा भूमि अन्तरित न किए जाने के कारण वन क्षेत्रों, डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने मंजूरशुदा सड़कों का निर्माण तेजी से करने के लिए कौन से कदम उठाए है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) यह सच है कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली सड़कों के निर्माण में कुछ विलम्ब हो

रहा है क्योंकि गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है और वन भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(ख) भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को तैयार करने में मदद करने हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही करने हेतु आवश्यक सूचना मंगाने के लिए एक प्रोफार्मा भी तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने उन सड़कों के बारे में, जिनके लिए इस विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है, राज्य सरकार से उनके विशिष्ट प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित कराने में मदद करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरित न किये जाने के कारण वन क्षेत्रों और डाकूग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों एवं चम्बल के आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाली तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी जाने वाली सड़कों के निर्माण में समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में विलम्ब क्यों हो रहा है। आपने जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत जो नियंत्रण लगा रखा है कि वन भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है और मध्य प्रदेश सरकार ने एक हजार के लगभग आबादी वाले गांवों, डाकू प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिवासी इलाकों को सड़कों से जोड़ने के बारे में केन्द्र शासन के पास, वन विभाग से होकर जाने वाली सड़कों के लिये, भूमि की स्वीकृति हेतु, अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास पर्यावरण या अन्य कोई बहाना लेकर सालों ऐसे मामले लम्बित पड़े रहते हैं, इसे देखते हुए क्या आप वहां की राज्य सरकार को अधिकृत करेंगे कि ऐसे प्रकरणों में वह अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान कर दे ताकि उन सड़कों के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब न हो, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत आज तमाम निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। क्या आप ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऐसी सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत करेंगे ताकि निर्माण कार्य रुकने न पाये।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी इजाजत देने का कार्य वन विभाग के पर्यावरण विंग की ओर से किया जाता है। ऐसे मामलों में अनुमति देने के लिये वहां एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसकी बैठक प्रत्येक मास होती है। उस एडवाइजरी कमेटी में तीन नॉन-ऑफिशियल और चार ऑफिशियल मेम्बर हैं। उसके चेयरमैन आई०जी० फोरेस्ट होते हैं। जहां तक राज्य सरकारों को ऐसे प्रकरण में स्वीकृति देने के अधिकार का सम्बन्ध है, ग्रामीण विकास विभाग ऐसा नहीं कर सकता कि वह राज्य सरकारों को अपनी ओर से कोई इजाजत दे दे।

श्री छविराम अर्गल : अभी मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन विभाग से सम्बन्धित, डाकू प्रभावित क्षेत्रों में, चम्बल क्षेत्र में तथा उससे बाहर भी डाकू प्रभावित इलाकों में एवं आदिवासी इलाकों में सड़कें बनाने हेतु प्रोपोजल्स तैयार करके, सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र शासन के पास कितने ऐसे प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे हैं और आपने उनमें से कितने प्रस्तावों

को अब तक स्वीकृति प्रदान की कर दी है। जिन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है, इसके कारण क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग आदिवासी इलाका है। उस इलाके के विकास के लिये यद्यपि अनेक प्रकार की घोषणायें इस सरकार की ओर से की गयी हैं, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है। उस पिछड़े राज्य में आदिवासी इलाके, चम्बल क्षेत्र और डाकू प्रभावित इलाकों में सड़कें बनाने का कार्य वहां की सरकार करना चाहती है परन्तु केन्द्र शासन के पास सन् 1984 से अनेक प्रकरण लम्बित हैं। क्या भारत सरकार इस मामले में कोई ऐसी नीति अपनायेगी ताकि उन लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, बार-बार रिपीट करने से प्रश्न की महत्ता बढ़ नहीं जाती।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस एडवाइजरी कमेटी का मैंने जिक्र किया, उसके सामने मध्य प्रदेश से सम्बन्धित 11 ऐसे प्रस्ताव आये थे, जिनमें से सात को स्वीकृति अब तक दी जा चुकी है, दो रिजेक्ट कर दिये गये हैं और दो प्रस्ताव अभी पेन्डिंग हैं। जो दो प्रस्ताव पेन्डिंग हैं, आगामी 4-5 सितम्बर को होने वाली एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उन पर विचार किया जायेगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं ऐसे अधिकार राज्य सरकारों को नहीं दे सकता, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि हमारे ग्रामीण विकास विभाग को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य सरकार को वन संरक्षण विभाग से सम्बन्धित किसी मामले में कोई अधिकार प्रदान कर सके।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप भारत सरकार तो हैं। उमा भारती जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके दो सवाल हो चुके हैं, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो के जिला छतरपुर का एक हिस्सा ऐसा है जो मध्य प्रदेश में अपहरण, हत्या और डकैती की वारदातों में दूसरे नम्बर पर माना जाता है। माननीय मंत्री, वर्मा जी पिछले दिनों उस इलाके के दौरे पर गये थे, उस समय भी मैंने इनसे निवेदन किया था कि विशेष रूप से डकैतों से भरे इस क्षेत्र में केन नदी के किनारे बहुत बीहड़ हैं। इस कारण वहां हजारों लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जो अनुपयोगी है। यदि उस भूमि का समतलीकरण कर दिया जाये, अभी आपने चम्बल की जमीन के समतलीकरण के लिये कुछ मशीनें भेजी थीं, यदि उसी प्रकार से उस क्षेत्र में भी मशीनें भेजकर, उस भूमि को समतल बना दिया जाता है तो उससे जहां डकैती और दूसरे अपराधों में कमी आ सकती है, वहीं जमीन का उपयोग भी हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कितनी जल्दी आप वहां मशीनें भेज कर छतरपुर के बीहड़ भाग की भूमि समतल कराने का प्रयास करेंगे?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इनके प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है, इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, यह एक असन्तोषजनक उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : रंगाजी, वे कहते हैं कि उन्हें एक स्पष्ट नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, इस कानून से मध्य प्रदेश के विकास में बहुत बाधा आ रही है और सरकार ने यह कहा है कि आठवीं योजना में सारे के सारे गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे, तो मध्य प्रदेश तो अधिकतर फारेस्ट और ट्राइबल एरिया है जिनमें गांव हैं, यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं खासकर इनसे और माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, क्या वे कानून में ऐसा कोई परिवर्तन करेंगे जिससे सड़कें बन जाएं और मध्य प्रदेश सरकार का जो भी प्रपोजल आए वह स्वीकृत हो जाए। मंत्री जी ने अभी बताया कि 11 प्रपोजल आए थे उनमें से 7 स्वीकार किए गए, दो अस्वीकृत किए गए और अभी तक 2 लम्बित हैं, तो जो प्रपोजल इरीगेशन के तालाब, टेलीफोन की लाइनों और बिजली की लाइनों के सम्बन्ध में हैं जिनके कारण इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, ये सब काम रुके पड़े हैं, इनको क्लियर करने के लिए क्या नियमों में कुछ संशोधन करेंगे ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सीमित है। इसमें सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की बात नहीं है। यह तो सिर्फ मध्य प्रदेश से सम्बन्धित सड़कों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में ही उत्तर दें, सारे देश के बारे में नहीं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट उत्तर दिया है कि 11 ऐसे प्रपोजल एडवायजरी कमेटी के सामने आए थे जिनमें 7 स्वीकार कर लिए, 2 अस्वीकृत हो गए और 2 पैंडिंग हैं जो आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाएंगे।

श्री मानी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो एडवायजरी कमेटी बनाई गई है इसमें मामलों को क्लियरेंस देने के सिलसिले में अनेक सुझाव आए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में कई प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं—तीस्ता प्रोजेक्ट, सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट आदि, ये रुके पड़े हैं, तो इन रुके हुए प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ करे या ऐसा बन्दोबस्त हो जिससे ये प्रोजेक्ट क्लियर हों, क्योंकि अभी तो सब काम स्टाल्ड हो गया है। इनको जल्दी क्लीयर किया जा सके और इस बारे में सूचना प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था क्या केन्द्रीय सरकार करने जा रही है ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में है। पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों का जहां तक सवाल है, इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि झाबुआ मध्य प्रदेश में है आदिवासी क्षेत्र हैं। बस्तर और सीधी ये इलाके भी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र हैं, यहां पर चम्बल व आस पास का इलाका भी पिछड़ा है यह क्षेत्र भी डाकूग्रस्त क्षेत्र में है। जो 11 प्रोजैक्ट आपने बताए जिनमें से 7 को स्वीकृति प्रदान कर दी, 2 अस्वीकृत कर दिए और 2 पैंडिंग हैं, क्या सरकार केन्द्रीय सड़क अधिनियम में कोई ऐसा संशोधन कर रही है जिससे आदिवासी क्षेत्र का विकास हो सके ? डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र में लोगों को आने-जाने की सुविधा हो, उनका संरक्षण हो। इस दृष्टि से क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र के वन संरक्षण अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि राज्य सरकारें डाकूग्रस्त इलाकों में वन-

सामान्य को सुविधा देने के लिए सड़कें बनाने का कार्य करे व वन संरक्षण अधिनियमों में संशोधन कर राज्य सरकार को कुछ अधिकार दें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : यह बात सही है कि डाकू प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हैं और उन डाकू प्रभावित क्षेत्रों में जो सड़कें बनाने की बात है, इस सम्बन्ध में रामानाथन समिति की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार 1985 से लेकर 1990 तक यानि सप्तम पंचवर्षीय योजना में 279 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाने की बात आई है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि इसमें 100 करोड़ रुपये भारत सरकार दे और शेष राज्य सरकार। उसी के तहत उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण की स्कीम बन रही है।

अजंता गुफाओं के निकट टेलीफोन एक्सचेंज में एस०टी०डी० सुविधा

*306. **श्री पुंडलिक हरी दानवे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता गुफाओं के निकट स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के दौरान।

श्री पुंडलिक हरी दानवे : अध्यक्ष महोदय, अजन्ता केव्ज दुनिया भर में मशहूर हैं। अजन्ता नाम का एक गांव है। उस गांव में टेलीफोन तो है लेकिन सुबह डायल घुमाएं तो शाम को रिंग बजती है। अजन्ता और एलोरा दुनियाभर में मशहूर हैं। विदेशी पर्यटक वहां पर आते हैं। जब अजन्ता से औरंगाबाद फोन करना पड़ता है तो फोन जल्दी नहीं मिल पाता है, बात नहीं हो सकती, एमरजेंसी में बात नहीं हो सकती। इसलिए यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट सवाल है। पहले से तो प्रस्ताव है लेकिन मंत्री जी यह बताएं कि 1992-93 के दौरान वे क्या करने जा रहे हैं ? 1992-93 की आप स्टडी कर रहे हैं और हम एस०टी०डी० चाहते हैं। इसे तुरन्त लगाने की कोशिश मंत्री जी कब करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अजन्ता केव्ज और अजन्ता विलेज दोनों एक्सचेंज की लाइन केवल 20-20 की है। इतने छोटे एक्सचेंज में एस० टी० डी० की सुविधा व्यवहारिक रूप में नहीं दी जा सकती है। इसलिए यह तय किया गया है कि दोनों को बदला जाएगा। अजन्ता विलेज में 88 की लाइन और अजन्ता केव्ज में 60 की लाईन लगाई जाएगी। इसमें दो साल का समय लगेगा इसलिए मैंने कहा कि वह 1992-93 में होगा।

श्री पुंडलिक हरी दानवे : अजन्ता गांव में जो ग्राम पंचायत है वहां पर टेलीफोन है, वहां पर एस०टी०डी० होनी चाहिए। वहां पर एस०टी०डी० लगाने की कोशिश कब करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : टूरिस्ट आम तौर से औरंगाबाद में जाते हैं लेकिन फिर भी अजन्ता गांव के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो वहां जो नई लाईन लगेगी उसके बाद एस०टी०डी० की सुविधा हो जाएगी।

पारम्परिक मछुआरों की सुरक्षा

[अनुवाद]

*307. श्री राम नाईक :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों की मत्स्य-नौकाएं (ट्रालर) गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की बजाय पारम्परिक मछुआरों के लिए नियत क्षेत्र में मछली पकड़ती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या तट के निकट इन मत्स्य-नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के परिणामस्वरूप पारम्परिक मछुआरों की आजीविका खतरे में है और उनके मछली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख). समुद्र तटवर्ती जल क्षेत्र से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की सीमित गुंजाइश होने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया है तथा उन्हें गहरे समुद्र में मत्स्यन जिसमें काफी पूंजी लगती है, शुरू करने के लिए विगत कई वर्षों से अनुमति दी हुई है।

(ग) परम्परागत मछुआरों के लिए निर्धारित क्षेत्र मे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों से मछली पकड़ने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, गहरे समुद्र में डीप सी में ट्रालर्स में फिशिंग करनी चाहिए, वह नहीं करते हैं। इस प्रकार की शिकायत महाराष्ट्र, गोआ, केरल, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश सभी प्रदेशों की है। मेरे पास नेशनल फिशरमैन एक्शन फोरम का निवेदन है, जो सरकार के पास भी भेजा हुआ है, उसमें सभी प्रदेशों के लोग काम करते हैं। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार की शिकायत भेजी है। आपके उत्तर में ऐसा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि समुद्र के किनारे, तटवर्ती क्षेत्र में मछली नहीं मिलती है, इसके कारण मछुआरों को बड़ा नुकसान होता है और आपने तो इसमें पार्ट "सी" का रिप्लाई दिया है कि

[अनुवाद]

परम्परागत मछुआरों के लिए निर्धारित क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों से मछली पकड़ने की कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

तो प्रश्न यह है कि यह रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी किसकी है और उन्होंने आज तक रिपोर्ट नहीं भेजी है तो क्यों नहीं भेजी है ? इसके बारे में मंत्री महोदय जानकारी देंगे क्या ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, डीप सी फिशिंग वैसल्स आपरेट करने की एक सीमा है। डीप सी फिशिंग वैसल्स को आपरेट करने की इजाजत सरकार के द्वारा दी हुई लेकिन उनकी एक सीमा है। इन तमाम चीजों को रैगुलेट करने के लिए कुछ कानून भी बने हुए हैं। ट्रेडीशनल फिशरमैन का एरिया भी डिमार्केटेड है, उसके अन्दर कोई भी डीप सी फिशिंग वैसल एण्टर नहीं कर सकता है। इसको रोकने के लिए कई कानून बने हुए हैं, जहां तक इस कानून के वायलेट करने की बात है तो कई प्रकार की कार्यवाही की जाती है और विभिन्न राज्यों ने जो कानून बनाये हैं, भारत सरकार ने जो कहा था मैरिन फिशिंग रैगुलेशन एक्ट का, उसको कई राज्यों ने अपने यहां बना लिया है और उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है इसलिए डीप सी फिशिंग वैसल्स मछुआरों के ट्रेडीशनल एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं है, यह मैंने कहा।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, सरकार के पास रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि, रिपोर्ट भेजी नहीं गई। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के इसके बारे में कानून देखने वाले जो मंत्री होंगे, उस प्रकार के मछुआरों का जो प्रतिनिधिक संगठन है, ऐसे सबको इकट्ठा बुलाकर इसमें जो वायलेशन हो रहे हैं, उसके बारे में सरकार जानकारी लेकर आगे कुछ काम करेगी क्या ? क्योंकि, सवाल यह है कि बड़े फिशिंग ट्रालर्स में बहुत कम लोग काम करते हैं और छोटे-छोटे में मछुआरों को ज्यादा काम मिलता है, उसमें बहुत लोग काम करते हैं। अपनी नीति लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने की नीति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार की एक मीटिंग जरूरी है, राज्यों के फिशिंग के साथ सम्बन्धित मंत्री और फिशिंग के जो संगठन हैं, उनको बुलाकर इस विषय के बारे में कोई मीटिंग सरकार करेगी, बातचीत करेगी ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, डीप सी फिशिंग का कण्ट्रीब्यूशन, जितने भी मैरीन फिशिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मात्र एक परसेण्ट है और 49 परसेण्ट कण्ट्रीब्यूशन ट्रेडीशनल मछुआरों का है और 50 परसेण्ट कण्ट्रीब्यूशन मकेनाइज्ड बोट्स का है, यह स्थिति है। अभी तक उनका एक परसेन्ट ही कण्ट्रीब्यूशन है। डीप सी फिशिंग वैसल्स में तो किसी भी प्रकार से मछुआरों के हित की अवहेलना या उनकी उपेक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और इस प्रकार की कोई भी शिकायत अगर आयेगी तो जो एग्जिस्टिंग कानून हमारे पास हैं, वह सक्षम हैं। उसके तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो वह शिकायत देने पर हम लोग इसको सम्बन्धित राज्य सरकार से उठायेंगे, क्योंकि, स्टेट टैरीटरी 12 नोटिकल माइल्स है और जो मॉडल बिल हम लोगों ने बनाया था, एक्ट सर्कुलेट किया था, उसके आधार पर कई राज्य सरकारों ने अपने मैरीन फिशिंग रैगुलेशन एक्ट बनाये हुए हैं और उसके तहत वह कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हैं और राज्य सरकारों को इसके तहत सहायता देने के लिए भी केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है कि जो कैपीटल उसमें लगती है, जैसे वायरलैस सैट है, उसके लिए पैट्रोलिंग बोट्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए एक सैण्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम चलाने पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि स्टेट गवर्नमेण्ट्स के पास जो एजेन्सी हो, वह पुख्ता हो और

मजबूती के साथ इसको लागू कर सके। इसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को मदद देगी।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : महोदय, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं। उन्होंने यह बिल्कुल सही कहा है कि भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य से कुल मछलियों का केवल एक प्रतिशय भाग ही प्राप्त होता है। परन्तु गहरे समुद्र में मछलियों का भारी भंडार विद्यमान है। थाईलैंड जैसे छोटे देश और एशिया के इससे भी अधिक छोटे-छोटे देश भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य से सम्भवत: भारी मात्रा में मछली पकड़ लेते हैं। लेकिन हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए हैं। क्या मंत्री महोदय के पास गहरे समुद्र से बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने की कोई योजना है ?

दूसरी बात, जो मुम्बई के मेरे माननीय मित्र ने कही है, भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बात सही है कि ट्रालर्स और शक्तिचालित नौकाएं छोटी नौकाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों में अवैध रूप से घुस जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। वे गहरे समुद्र में नहीं जा सकते। वे इस क्षेत्र में अवैध रूप से घुसपैठ हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इस समस्या का एक समाधान यह है कि सरकार छोटी नौकाओं को शक्तिचालित नौकाओं में परिवर्तित कर दे, ताकि वे 15-20 किलोमीटर और आगे जा सकें। अब वे 4 अथवा 5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैरिन फिशिंग का अभी जो हमारा पोटेंशियल है, वह करीब 45 लाख टन का है। उसमें मात्र लगभग 20 लाख टन को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। जो तटवर्ती इलाके हैं, उसमें अधिक से अधिक एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि डीप सी-फिशिंग को प्रमोट किया जाए और उसमें उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, इसके लिए भी सरकार चार्टर्ड वैसल के लिए अनुमति देती है। इस प्रकार की कई योजनायें चल रही हैं, जिससे कि बीस किलोमीटर वाले बड़े वैसल्स को लाया जा सके, काम में लगाया जा सके। जहां तक ट्रैडिशनल फिशरमैन के इन्टरैस्ट को प्रोटैक्ट करने का सवाल है या उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए मोटराइजेशन का सवाल है, तो एक सैन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें केन्द्रीय सरकार मदद करती है। 25 परसेंट के तौर पर केन्द्रीय सरकार मदद करती है, 25 परसेंट सब्सिडी के तौर पर राज्य सरकार मदद करती है और 50 परसेंट मोटराइजेशन का उनको अपने आप वित्त का प्रबन्ध करना पड़ता है या बैंक से वे लोन ले सकते हैं। यह स्थिति है, ताकि वह अधिक से अधिक मोटराइजेशन कर सके।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : महोदय, पारम्परिक मछुआरों और यान्त्रिक बोट्स चलाने वाले मछुआरों के बीच एक प्रकार का भ्रम और टकराव-सा बना हुआ है। जैसा कि मंत्री महोदय ने भी अभी स्पष्ट किया है, यह एक अलग बात है और गहरे समुद्र में मछली पकड़ना दूसरी बात है। भारत सरकार ने थाईलैंड और मलेशिया जैसे विभिन्न देशों के छ: पोतों को देश की समुद्री सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अधिकृत कर रखा है। सरकार इस समुद्र सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले और अधिक पोत काम पर लगाने का प्रयास भी कर रही है

जिससे और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। इस कार्य में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में श्रम कार्पोरेशन विशेष रूप से लगा हुआ है। यह स्थिति, विशेषकर विशाखापटनम् के पूर्वी घाट, पारादीप और मद्रास में है। सभी ट्रालर्स पिछले एक वर्ष से तालाबन्दी में हैं। सरकार तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए अभी भी कुछ नहीं कर रही है। सारा काम रुका पड़ा है। क्या सरकार इस बारे में सचेत है; क्या सरकार इसके बारे में कोई कार्यवाही कर रही है; क्या श्रम विभाग अथवा कृषि विभाग इस बारे में कुछ कर रहा है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसका इससे सीधा संबंध नहीं है, जो उन्होंने बात कही है। इन्होंने सूचना दी है कि···(**व्यवधान**)·· पहले से पता है, सरकार क्या कर रही है। इसलिए इस संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा है, सरकार सचेष्ट है और कार्यवाही की जाएगी। उस संबंध में जो कुछ भी सरकार के पास जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुकूल कार्यवाही की जाएगी। जहां तक इनके सैकेंड हाफ सवाल का संबंध है, इसके बारे में मैंने यह कहा है। जहां तक मैकेनाइज्डबोट्स का सवाल है, इसके संबंध में मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार सरकार का उद्देश्य बढ़ावा देने का है, जो कि अभी डीप-सी-फिशिंग का कन्ट्रीब्यूशन एक परसेंट का है। उसमें ट्रेमेंडस पोटेनशियल है, इसलिये उसको एक्सप्लायट करने के लिए हम उसको चार्टर्ड वेसल्स के जरिये या दूसरे प्रकार से भी, हम चाहते हैं कि उसको एक्सप्लायट कर सकें ताकि फौरन एक्सचेंज अर्निंग हो सके। हम यह भी चाहते हैं, जहां तक सवाल है किसी की सीमा पर इंटरफीयर करने का, उसके लिये जो-जो कानून बने हुए हैं और हमारे पास कोस्टल गार्डस हैं वह यह देखते हैं कि फौरन वेसल्स हमारे यहां न घुसे और इस पर कार्यवाही होती है। अगर आप चाहेंगे कि कितने केसिस हुए हैं तो उसके सारे आंकड़े मैं आपको बता दूंगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : हड़तालों और तालाबन्दियों के बारे में क्या स्थिति है? इस उद्योग में पिछले डेढ़ वर्ष से तालाबन्दी है। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिनिस्ट्री आफ फूड प्रोसेसिंग से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : मेरे माननीय साथी ने पहले ही कहा है कि गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य का 90 प्रतिशत भाग विशाखापटनम् समुद्र तट से, विशेषकर नये ट्रालरों से किया जाता है। उस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा अरबों रुपया दिया जा चुका है; जैसा कि मेरे एक अन्य साथी ने कहा है, यह रुपया सम्पन्न अथवा समृद्धशाली व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है। जबकि वर्षों से समुद्र-तट पर रह रहे लाखों निर्धन मछुआरे अभी भी गरीब ही हैं। उन्हें इससे कुछ भी फायदा नहीं मिला है यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें राज-सहायता के रूप में कुछ यान्त्रिक नौकाएं दी गई हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में दी गयी राज-सहायता की तुलना में नगण्य सी है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन गरीब मछुआरों को, जो वहां रह रहे हैं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में भी दक्ष हैं, इन गहरे समुद्र संबंधी ट्रालरों को चलाने का प्रशिक्षण देने जैसे अवसर प्रदान करने का विचार करेगी ?

दूसरे, क्या सरकार इन गरीब मछुआरों द्वारा बनायी गयी समितियों के माध्यम से, उन्हें कुछ धनराशि मुहैया कराने पर विचार करेगी, ताकि ये लोग भी इन ट्रालरों को रखने की उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें, जो केवल धनी लोगों को ही प्राप्त हैं। बिना कुछ निवेश किये ये लोग करोड़ों रुपये के सरकारी धन का लाभ उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार का इरादा अलग-अलग क्षेत्र में सभी वर्गों को बढ़ावा देने का है, इस फिशिंग के ट्रेड में जो लगे हुए हैं। जहां तक ट्रेडिशनल फिशरमैन का सवाल है उनके लिये चार सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम चल रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप उन्हें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के ट्रालर न कि साधारण नौकाएं देने के लिए तैयार हैं ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ट्रेडिशनल फिशरमैन का जहां तक सवाल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए और उनके काम में मदद करने के लिए भी 4 सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई है और इम्पुवड फिश लैंडिंग क्राफ्ट की ये सेंट्रल स्पोसर्ड स्कीम है। जहां तक डीप फिशिंग के बारे में सवाल है, इसको प्रमोट करने का, इसमें चार्टर्ड नौकाओं को जो इजाजत दी गई है उसके सम्बन्ध में 85 चार्टर्ड नौकाओं को परमिट इशु किया गया है। इसमें अभी तक पब्लिक सेक्टर को एक, कोआपरेटिव सोसायटी को 5 और लार्ज और मीडियम कम्पनिज को 79 परमिट दिए गए हैं। हमारा इरादा जो अपेक्षाकृत कमजोर लोग हैं, उनको बढ़ावा देने का है। जहां तक उनके अंतिम खंड का सवाल है कि उनको डीप सी फिशिंग की ट्रेनिंग दी जाये या न दी जाये तो आप भी समझ सकते हैं कि इसमें काफी पूंजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार अपनी नीतियों के तहत जो मदद देना चाहती है, वह मदद देने को तैयार है लेकिन आप भी समझें कि इसका कमर्शियल एसपेक्ट्स है, डीप सी फिशिंग कम। इसमें ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होती है, ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत होती है। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। इसमें ज्यादा पूंजी का सवाल है, इसलिए माननीय सदस्य को भी इस सम्बन्ध में समझना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : महोदय, मैंने उनसे पूछा है कि क्या वे 'डीप-सी फिशिंग' ट्रालर्स खरीदने के लिए 'फिशरमैन को-आपरेटिव सोसायटीज' को कोई धनराशि देने को तैयार हैं। वह 'हां' या 'न' में उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। इसमें जो

प्राथमिकता तय की गई है वह इस प्रकार है, सबसे अधिक प्राथमिकता इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को है और दूसरे नम्बर पर जो माननीय सदस्य बता रहे हैं वह है मछुआरा सहकारी समितियों को, जो कोआपरेटिव सोसायटीज हैं उसको और उसके बाद पब्लिक सेक्टर और दूसरे ग्रुपस को प्रायरटी दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़े घरानों को लाइसेंस देने पर ऐसे लघु उद्यमी, जिन्हें जलपोत उधार दिए जाते हैं, प्रभावित होते हैं ? चूंकि बड़े घराने उस क्षेत्र में अनधिकार रूप से प्रवेश करते हैं, जहां लघु उद्यमी मछली पकड़ते हैं। इस कारण से लघु उद्यमी अपने ऋण अदा नहीं कर पाते हैं। **(व्यवधान)** क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। श्री चौधरी, कृपया अपनी बात पुनः कहिए, जिससे मंत्री जी आपकी बात सुन सकें।

श्री लोकनाथ चौधरी : कई लघु उद्यमियों ने जलपोत उधार लिए हैं। अब सरकार ने बड़े घरानों तथा एकाधिकार-घरानों को लाइसेंस जारी किए हैं। **(व्यवधान)** वे एकाधिकार-घराने उन क्षेत्रों में अनधिकार प्रवेश करते हैं जहां पर छोटे जल-पोत मछलियां पकड़ते हैं। परिणामस्वरूप स्थिति यह हो गई है कि जिन लोगों ने सरकार से जलपोत की खरीद हेतु ऋण लिया है वे लघु उद्यमी उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि प्रत्येक राज्य का मछली पकड़ने का क्षेत्र निर्धारित है ? लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। इसलिए टकराव की स्थिति पैदा हुई है। उन लोगों में आपस में मनमुटाव है। परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में तनाव व्याप्त है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? जो कानून उन्होंने बनाए हैं उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उन कानूनों को लागू करने के लिए निगरानी-पोतों की मांग की है। केन्द्र सरकार अपने वादे के अनुसार उन्हें कानून लागू करने के लिए ऐसे जलपोत क्यों नहीं सप्लाई करती, जिससे कि वहां तनाव समाप्त किया जा सके ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस परेशानी का उल्लेख किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरीन फिशिंग रेगूलेटिंग एक्ट का माडल बिल बनाकर राज्य सरकारों को सकुंलेट किया गया है और कई कोस्टल स्टेट्स ने अपने यहां कानून बना लिये हैं, कई कोस्टल स्टेट्स ने कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस स्टेट टेरीटरी में वैसल आपरेट करना चाहते हैं, उनको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कई सेफगार्डस भी लिए गए हैं। जहां तक एक्ट को एनफोर्स करने के लिए एजेंसी बनाने का सवाल है, उसके बारे में मैंने पूर्व में ही बताया है कि केन्द्र सरकार, एक सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम चलाकर एक्ट एनफोर्स करने में मदद करना चाहती है और इस पर विचार चल रहा है। जो बोट्स या वाटर शिप्स की जरूरत पड़ती है या कैपीटल-बनित सुविधाओं की जरूरत है, उनको देने के लिए सरकार तैयार है और इस पर विचार चल रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यदि मंत्री जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है, तो वह उत्तर न दें, वह यह कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जाएगी। परन्तु चूंकि मैंने प्रश्न

किया था अतः मैं एक निश्चित उत्तर चाहता हूं। (व्यवधान) यह एक गंभीर समस्या है। मैं इसका एक सुनिश्चित उत्तर चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है तथा मैंने अब श्री यमुना प्रसाद शास्त्री को अपनी बात कहने के लिए कहा है। अतः चौधरी जी, कृपया आप बैठ जाइये।

मध्य प्रदेश में रीवां में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

308. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवां शहर में दो हजार लाइनों के एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). वर्ष 1988-89 के लिए केवल बारह सौ लाइनों की क्षमता के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की योजना थी जिन्हें पहले ही संस्थापित किया जा चुका है और ये कार्य कर रही हैं। बहरहाल अब 2000 लाइनों के एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का प्रस्ताव है और इस एक्सचेंज के लिए एक भवन निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। भवन निर्माण का कार्य मार्च, 1993 तक पूरा किए जाने की योजना है। इस टेलीफोन एक्सचेंज को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित कर देने की योजना है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यह 2000 लाइनों का एक्सचेंज आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन श्रीमान—मुझे निवेदन यह करना है कि रीवां नगर की जनसंख्या इस समय ढाई लाख है। 1200 लाइनों का जो एक्सचेंज इस समय वहां पर है, वह उस समय का है जब वहां की जनसंख्या केवल 50000 थी, लेकिन इस समय रीवां की जनसंख्या ढाई लाख से भी अधिक है। बाण सागर बनने के कारण वहां बहुत अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी आ गए हैं। कुछ थोड़े से उद्योग-धंधे कायम हो गए हैं। वहां इस समय जो प्रतीक्षा सूची है वह करीब 1500 लोगों की है। इसको देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप 1995 तक प्रतीक्षा न करके 1992-93 तक जब भवन पूरा हो जाएगा, उसी समय 2000 लाइनों का एक्सचेंज भी लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, रीवां शहर में 1200 लाइनों के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज को पिछले साल 100 लाईन और बढ़ाया गया और 1300 लाइन किया गया इस समय प्रतीक्षा सूची जो सरकार की जानकारी में है, वह 426 है। हम समझते हैं कि जैसे ही भवन पूरा हो जाएगा, 2000 लाइन वाला इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज अलाट हो चुका है, उसको तत्काल लगाने की कोशिश की जाएगी।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मैंने आपके सामने समस्या रखी उसको ध्यान में रखते हुए 100 लाइन का एक्सचेंज आपने बढ़ा दिया उससे वहां की

समस्या का समाधान नहीं होता। क्योंकि जनसंख्या काफी बढ़ गई है और शहर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह भवन निर्माण भी 1992-93 तक न करके 1991 के अन्त तक पूरा किया जाए और 2000 लाइन का एक्सचेंज भी लगवा दिया जाए, इस संबंध में भी क्या ध्यान देंगे ? क्योंकि 426 की प्रतीक्षा सूची आप कह रहे हैं, यह आपको सही सूचना नहीं है। वहां पर 1500 से अधिक की प्रतीक्षा सूची है। बहुत लोग वहां आ गए हैं, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या 1991 तक यह लगवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, रीवां की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए 2000 लाइन का नया एक्सचेंज मंजूर किया गया है। कोशिश की जाएगी कि भवन निर्माण शीघ्र हो और भवन निर्माण जितना शीघ्र होगा, की वेटिंग लिस्ट जो बढ़ती जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज ई-10 बी, जो मध्य प्रदेश में लगने वाले हैं, इन्दौर और जबलपुर में स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार का आधुनिक एक्सचेंज मेरा आग्रह है कि 1992 में उज्जैन में कुम्भ सिंहस्थ पर्व का आयोजन है, वहां लगाने की कृपा करेंगे ? उज्जैन में अभी टेलीफोन की कार्य-क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां प्रतीक्षा सूची काफी बड़ी संख्या में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कुम्भ सिंहस्थ पर्व आ रहा है, एक करोड़ लोग आने वाले हैं, वहां टेलीफोन की कार्यक्षमता प्रोपर होनी चाहिए, इस दृष्टि से वहां पर आधुनिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज ई-10 बी आया हुआ है, उसको स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कुम्भ पर्व के मौके पर आम तौर पर टेलीफोन एक्सचेंज नया लगाया जाता है। उसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब भी हम लोग इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के बारे में लिखते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि सामान की कमी होने के कारण यह काम पूरा नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि टेलीफोन आमदनी देने वाला है, इससे सरकार को नुकसान नहीं होता है, तो क्यों नहीं जल्दी से जल्दी इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज खरीद कर जहां इसकी मांग है, उसको पूरा करते ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के उपकरण को बनाने में जितना विलम्ब होता है उसी हिसाब से अलाट करने में भी दिक्कत आती है। हालांकि टेलीफोन विभाग आमदनी का विभाग है। लेकिन जैसे-जैसे टेलीफन एक्सचेंज बनते जाते हैं, वैसे-वैसे अलाट किये जाते हैं। इसमें विलम्ब होता है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से सम्बन्धित मेरा सवाल नहीं है। मैंने सासाराम के सम्बन्ध में एक बार सवाल उठाया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार के सासाराम में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से सूचना देंगे तो विचार करेंगे।

12·00 मध्याह्न

अल्प सूचना प्रश्न

रेलवे के वाहनों में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती

[अनुवाद]

अ०सू०प्र० 1. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल की खपत में दस प्रतिशत कटौती करने के लिए 21 जून, 1990 को कोई आदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो 21 जून, 1990 से 15 अगस्त, 1990 तक की अवधि के बीच पेट्रोल और डीजल की बचत में की गई कटौती का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्रीजार्ज फर्नान्डीज) : (क) वित्त मंत्रालय ने अपने 27 जून, 1990 के पत्र द्वारा अनुदेश जारी किये हैं कि 1990-91 से स्टाफ कारों सहित सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत में वर्ष 1989-90 की तुलना में 20 प्रतिशत की कटौती की जाये। इस आशय के भी अनुदेश हैं कि चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सरकारी वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल की खपत इस तरह से विनियमित की जाये कि समग्र रूप से 20 प्रतिशत की कटौती परिलक्षित हो।

(ख) वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस दिशा निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में सरकार को तिमाही रिपोर्ट भेजी जाएं। सितम्बर, 1990 को समाप्त अवधि के लिए इस प्रकार की पहली रिपोर्ट अक्तूबर महीने में किसी समय उपलब्ध होगी।

प्रो० राम गणेश कापसे : 28 अगस्त 1990 को तारांकित प्रश्न सं० 268 के उत्तर में मंत्री महोदय ने खपत कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गये कदमों का जिक्र किया था जिनमें ये उपाय शामिल हैं कि लोकोमोटिव ड्राइवरों द्वारा लोकोमोटिव्ज की उचित देखभाल तथा डीजल तेल की खपत पर निगरानी की व्यवस्था की जाए। आपने पहले ही उनका उल्लेख किया है। क्या आपके विभाग में एक साप्ताहिक रजिस्टर की व्यवस्था है तथा यदि यह व्यवस्था नहीं है, तो क्या मंत्री महोदय उस सम्भावित प्रतिकूल प्रमाण की वजह से ऐसे एक साप्ताहिक रजिस्टर की व्यवस्था करेंगे, जो कुवैत मसले से उत्पन्न हुआ है तथा जिसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है ? क्या वह इस सुझाव को मानेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि डीजल इत्यादि का आबंटन उस स्थान पर किया जा रहा है जहां पर लोकोमोटिव चलते हैं, अत: विभाग में कोई साप्ताहिक रजिस्टर रखना संभव नहीं हो पाएगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : कम से कम एक मासिक रजिस्टर रखा जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अत: विभागीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी उन स्थानों में जहां डीजल दिया जाता है, वहां पर रिकार्ड रखा जाएगा तथा हमने त्रैमासिक रिपोर्टों की मांग की है तथा जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया था कि जैसे ही हमें त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, शायद अक्टूबर माह तक प्राप्त हो जाए तभी मैं आपको बचत के बारे बिल्कुल ठीक बता सकूंगा, जो इस सम्बन्ध में किया गया है।

12.03 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० राम गणेश कापसे : जुलाई 1990 में पेट्रोल खपत कम होने की बजाय आन्ध्र तथा कर्नाटक में इन उपायों के बाद खपत बढ़ी ही है। मैं आंकड़े बता सकता हूं। कर्नाटक में जुलाई 1989 में पेट्रोल की खपत 16591 टन थी, जबकि जुलाई 1990 में यह खपत 17363 टन थी। इसी प्रकार से जुलाई 1989 में आंध्र प्रदेश में यह खपत 15681 टन थी, जबकि जुलाई 1990 में यह 18000 टन हो गई। अतः उपायों का उपयुक्त असर नहीं हुआ है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, यदि प्रधान मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे तो वह देश के लिए काफी लाभदायक होगा। सुझाव यह है कि सभी सरकारी विभागों में विषम संख्या वाली कारों को एक दिन चलाया जाए और सम संख्या वाली कारों को दूसरे दिन चलाया जाए। नई स्थिति में समाधान का केवल यही एक मार्ग है। क्या माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाए, तो जिस विभाग-विशेष में सभी कारें विषम संख्या वाली हैं, तो उस विभाग में कार्य नहीं हो सकेगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : सौभाग्य से प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री सन्तोष मोहन देव : खपत कम करने के पीछे मूल विचार अपव्यय से बचना है तथा इसलिए मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी सवारी गाड़ियों की संख्या कम करने के दृष्टिकोण से ऐसा सोच रहे हैं। कारखाने इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों में बचत की जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप ऐसी गाड़ियों की संख्या में कमी आई है, जो देश के विभिन्न मार्गों में चल रही हैं तथा यदि ऐसा है तब डीजल की खपत पर लगे इस प्रतिबन्ध के कारण कितनी रेलगाड़ियों का चलना अस्त-व्यस्त हो गया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने किसी भी रेलगाड़ी का चलना बन्द नहीं किया है। परन्तु हमने निश्चितरूप से ऐसा विचार अवश्य किया है। किसी बड़ी आकस्मिक घटना की आशंका में, जहां पर डीजल की उपलब्धता में कोई कमी हो सकती है क्योंकि सभी वाहनों में डीजल का प्रयोग होता है, हम अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं तथा यह देखेंगे कि ऐसी कौन सी सेवाएं हैं, जिनमें कटौती की जा सकती है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, रेलवे में अधिकांशतः डीजल की खपत डीजल-रेलवे-इंजनों में होती है, चूंकि रेलवे ने यह निर्णय ले रखा है कि भाप के इंजनों के स्थान पर विद्युत तथा डीजल के इंजनों से काम लिया जाएगा। लेकिन विद्युतीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से नहीं हो रही है, अतः भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डीजल की खपत में इस कमी से, बहुत पुराने भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन बदलने की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस प्रकार की किसी भी आकस्मिक स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्री सन्तोष मोहन देव तथा श्री बसुदेव आचार्य दोनों ने जो कुछ पूछताछ की है, उसी में मेरा प्रश्न शामिल है। इस बात की सम्भावना से इन्कार करने के स्थान पर क्या कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है कि डीजल-इंजन के स्थान पर किसी ऐसे नये प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाए जो अधिक कार्यसक्षम हो, या जैसा कि कोयले के प्रयोग से चलने वाला इंजन आदि हो। दूसरे, डीजल में दस प्रतिशत की कटौती के कारण यात्री गाड़ियों तथा इसके साथ साथ वैगनों के संचालन में यातायात में कटौती करने का क्या परिणाम होगा? क्या इस बात का पता लगाया गया है कि इनका आपस में कुछ सम्बन्ध है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, मैं डीजल में दस प्रतिशत कटौती की कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां तक अधिकारियों अथवा कर्मियों द्वारा किसी अन्य प्रशासनिक उद्देश्य हेतु वाहनों के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, हमने यथासंभव सीमा तक सरकारी निदेशों का अनुपालन किया है। परन्तु जहां तक यात्री गाड़ियों तथा विशेषकर मालगाड़ियों तथा माल की ढुलाई का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास नहीं है कि और अधिक कटौती करने की दिशा में सोचना हमारे लिए सम्भव हो सकेगा, क्योंकि उसका अन्त में अभिप्राय यह होगा कि जो यात्री रेल से जाते हैं तथा जो माल रेलगाड़ी द्वारा भेजा जाता है उन सबको बस अथवा ट्रक द्वारा भेजा जायेगा, जो रेलवे की अपेक्षा पेट्रोल तथा डीजल की खपत के हिसाब से अधिक खर्चीली साबित होगी। अतएव, इस मामले में पूरा ध्यान दिया जाये तथा मुझे पक्का विश्वास है सरकार इस मामले में कार्रवाई करना आरम्भ कर चुकी है।

[हिन्दी]

श्री संजय लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रेल द्वारा सफर करने में और बस द्वारा सफर करने में डीजल का क्या कंजम्प्शन पड़ता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि बस में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है वह रेल में फी व्यक्ति के पीछे जो औसतन तालिका है उससे 6 से 7 गुना अधिक है। मेरी यह मान्यता है कि जो कटौती वाली बात है वह कटौती अगर बस और ट्रक में ज्यादा करें और रेल पर कुछ कम नजर डालें तो यह हर दृष्टि से अच्छा होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आंध्र प्रदेश में जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा जोड़ना

[अनुवाद]

*309. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91 के दौरान हैदराबाद से किन-किन जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत "दस लाख कुएं" योजना

*310. **श्री श्रीकांत दत्तनरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत "दस लाख कुएं" खोदने सम्बन्धी योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्यवार, इस योजना के अन्तर्गत राज्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) वर्ष 1989-90 में और 1990-91 के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों में कितने कुएं खोदे गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). दस लाख कुओं की योजना 1.4.1988 को तत्कालीन मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) की एक उप-योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। यह जवाहर रोजगार योजना जिसे तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का विलय करके 1.4.1989 से आरम्भ किया गया था, की एक उप-योजना के रूप में भी जारी रही।

2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित केन्द्रीय/राज्य अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण—1 में दिया गया है।

3. प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1989-90 के दौरान योजना के अन्तर्गत अब तक खोदे/बनाए गये कुओं की संख्या संलग्न विवरण—2 में दी गई है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चालू वर्ष के दौरान खोदे गये कुओं के आंकड़ों के बारे में सूचना अभी तक नहीं दी गई है।

विवरण—1

1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दस लाख कुओं की योजना के लिए आबंटन

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय	राज्य (लाख रुपये)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3066.59	766.65	3833.24

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.91	13.23	66.14
3.	असम	818.33	204.58	1022.92
4.	बिहार	6154.68	1538.67	7693.36
5.	गोआ	57.16	14.29	71.46
6.	गुजरात	1294.51	323.63	1618.14
7.	हरियाणा	308.29	77.07	385.37
8.	हिमाचल प्रदेश	181.64	45.49	227.06
9.	जम्मू और कश्मीर	257.84	64.46	322.30
10.	कर्नाटक	1929.55	482.39	2411.94
11.	केरल	1023.39	255.85	1279.24
12.	मध्य प्रदेश	4224.40	1056.10	5280.50
13.	महाराष्ट्र	3267.97	816.99	4084.97
14.	मणिपुर	67.81	16.95	84.77
15.	मेघालय	79.35	19.84	99.18
16.	मिजोरम	33.42	8.36	41.78
17.	नागालैंड	85.05	21.26	106.32
18.	उड़ीसा	2095 19	523.80	2618.99
19.	पंजाब	268.10	67.03	335.13
20.	राजस्थान	2048.84	512.21	2561.06
21.	सिक्किम	30.97	7.74	38.71
22.	तमिलनाडु	2755.79	688.95	3444.73
23.	त्रिपुरा	88.08	22.02	111.10
24.	उत्तर प्रदेश	8174.92	2043.73	1021.66
25.	पश्चिम बंगाल	3485.91	871.48	4357.39
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31.31	0.00	31.31
27.	चंडीगढ़	7.76	0.00	7.76
28.	दादरा और नागर हवेली	17.00	0.00	17.00
29.	दमन और दीव	10.01	0.00	10.01
30.	दिल्ली	36.84	0.00	36.84
31.	लक्षद्वीप	15.70	0.00	15.70
32.	पांडिचेरी	30.65	0.00	30.65
		42000.00	10462.68	52462.68

विवरण—2

1989-90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दस लाख कुओं की योजना के तहत निर्मित कुओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मित कुओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9954
2.	अरुणाचल प्रदेश	आरम्भ नहीं किया गया
3.	असम	लागू नहीं कर रहे हैं
4.	बिहार	27883
5.	गोआ	6
6.	गुजरात	4900
7.	हरियाणा	लागू नहीं कर रहे हैं
8.	हिमाचल प्रदेश	37
9.	जम्मू व कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	1742
11.	केरल	29
12.	मध्य प्रदेश	3794
13.	महाराष्ट्र	12287
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय	लागू नहीं कर रहे हैं
16.	मिजोरम	लागू नहीं कर रहे हैं
17.	नागालैंड	सूचना नहीं दी है
18.	उड़ीसा	9287
19.	पंजाब	लागू नहीं कर रहे हैं
20.	राजस्थान	7805
21.	सिक्किम	लागू नहीं कर रहे हैं

1	2	3
22.	तमिलनाडु	1712
23.	त्रिपुरा	लागू नहीं कर रहे हैं
24.	उत्तर प्रदेश	सूचना नहीं दी है
25.	पश्चिम बंगाल	3624
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	लागू नहीं कर रहे हैं
27.	चंडीगढ़	सूचना नहीं दी है
28.	दादरा व नगर हवेली	57
29.	दिल्ली	लागू नहीं कर रहे हैं
30.	दमन व दीव	शून्य
31.	लक्षद्वीप	लागू नहीं कर रहे हैं
32.	पांडिचेरी	लागू नहीं कर रहे हैं
	योग :	83180

न्यायिकेतर स्टाम्प पत्रों की कमी

*311. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प पत्र विक्रेताओं के पास, विशेषकर पटियाला हाऊस, नई दिल्ली में एक, दो, तीन, पांच रुपये आदि के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्रों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टाम्प पत्रों और डाक टिकटों को डाकखानों के माध्यम से बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने तथा स्टाम्प पत्रों को आसानी से सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख). हाल ही में 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों में अचानक कमी ध्यान में आई है। तथापि 5 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर की कोई कमी नहीं रही है।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में पहले ही 152 स्टाम्प विक्रेता हैं, जो पूरे दिल्ली में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर बेच रहे हैं।

(ङ) दिल्ली कोषागार/स्टाम्प कलेक्टर, दिल्ली ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

ईसाई समुदाय कल्याण परिषद द्वारा ज्ञापन

*312. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ईसाई समुदाय कल्याण परिषद के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में उनसे भेंट की थी और अपनी मांगों के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) यह ज्ञापन 26 जुलाई, 1990 को प्राप्त हुआ ।

(ख) की गई मांगों में एक क्रिस्चियन विश्व विद्यालय की स्थापना, सेवाओं में आरक्षण, राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण, परामर्शदात्री और सलाहकार बोर्डों में ईसाई समुदाय के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व, न्यायिक और राजनयिक सेवाओं में मेधावी ईसाई उम्मीदवारों की नियुक्ति, ईसाई धर्म की प्रथाओं और परम्पराओं का संरक्षण, आदि शामिल हैं ।

(ग) ज्ञापन की प्रतियां उचित कारंवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई हैं ।

दालों के उत्पादन संबंधी योजना

[हिन्दी]

*313. श्री संजय लाल :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनको उत्पादन टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दालों के उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के लिये, वर्षवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, कृषक सेवा आदान, फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और मण्डी में हस्तक्षेप की एक समेकित नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) 1990-91 के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।

(घ) राष्ट्रीय दलहन परियोजना के अन्तर्गत 1990-91 का लक्ष्य 150 लाख मीटरी टन है । बाद के वर्षों के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

डाक विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति

[अनुवाद]

*314. श्री उदयसिंह राव नानासाहिब गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने वर्ष 1983 के दौरान तथा उसके बाद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश मंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के श्रेणी-II के पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की थी;

(ख) उत्तर प्रदेश मंडल में वर्ष 1986-87 और 1989-90 में कितने कर्मचारियों को श्रेणी-II में तदर्थ पदोन्नतियां दी गईं और उसी अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश मंडल श्रेणी-II के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल में 1986-87 और 1989-90 के बीच पी० एस० एस० ग्रुप "बी" में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

1986-87	:	6 तदर्थ पदोन्नतियां दी गईं; एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का था ।
1987-88	:	16 कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी; एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का था ।
1988-89	:	8 कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी; अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नहीं था ।
1989-90	:	4 कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी; अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नहीं था ।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश सर्किल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पी० एस० एस० ग्रुप "बी" में तदर्थ पदोन्नति देने के बारे में पत्र प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की गई थी । यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश सर्किल में अनुसूचित जाति के पात्र कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार पी० एस० एस० ग्रुप "बी" में तदर्थ पदोन्नति दी गई और सर्किल में पी० एस० एस० ग्रुप "बी" में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की कुल संख्या सामान्यतः आरक्षण प्रतिशत के अनुसार थी । अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियो को वरिष्ठता के अभाव में पदोन्नत नहीं किया जा सका । इस संबंध में उचित अनुदेश जारी किए गए और यह सुनिश्चित करने के लिए दोहराए भी गए कि सभी स्तरों पर तदर्थ नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

विदेश यात्राओं का श्रव्य चलचित्र तैयार करना

[हिन्दी]

*315. श्री राम अवध : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी विदेश यात्राओं को दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए श्रव्य चलचित्र तैयार करने का काम गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के पास गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा किए जा रहे उक्त कार्य को करने के लिए अपेक्षित संसाधन तथा कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

[अनुवाद]

*316. श्री कमल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में डाकघरों के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितने भवनों का निर्माण किया गया और वर्ष 1990-91 के दौरान कितने भवनों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) तत्संबंधी, जिलावार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब में, विशेष रूप से होशियारपुर जिले में डाकघरों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1989-90 के दौरान फगवाड़ा और मोगा प्रधान डाक घरों के लिए दो भवनों का निर्माण किया गया था पंजाब के विभिन्न जिलों में, 1990-91 के दौरान 18 डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिलावार परियोजनाएं इस प्रकार हैं :—

होशियारपुर	4
गुरुदासपुर	2
भटिंडा	2
अमृतसर	2
जालंधर	3
लुधियाना	1
कपूरथला	1

पटियाला	1
संगरूर	2

(ग) पंजाब डाक सर्किल के लिए 1990-91 के दौरान रु० 145 लाख की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें से रु० 8.5 लाख होशियारपुर के लिए रखे गये हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा विदेशी और भारतीय शिपयार्डों से खरीदे गये जहाज

*317. **डा० सुधीर राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा वर्ष 1973-85 की अवधि के दौरान विदेशों में निर्मित और भारत में निर्मित कितने-कितने जहाज खरीदे गए;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा विदेशी शिपयार्डों को और हिन्दुस्तान शिपयार्ड को कितने-कितने जहाजों के क्रयादेश दिए गए; और

(ग) भारतीय शिपयार्डों को पर्याप्त क्रयादेश न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने 1973 से 1985 तक की अवधि के दौरान विदेशों में निर्मित 96 जहाज और भारत में निर्मित 9 जहाज प्राप्त किये हैं।

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा विदेशी शिपयार्डों और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को आदेश दिए गए जहाजों की संख्या वर्ष 1985-86 के दौरान क्रमशः 17 और 5 थी।

(ग) भारतीय नौवहन निगम भारतीय शिपयार्डों को, भिन्न-भिन्न आकार और प्रकार के जहाजों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिपयार्डों की क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए आदेश (आर्डर) देता रहा है। भारतीय नौवहन निगम ने इस समय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 3 क्रूड टैंकरों जिनमें प्रत्येक की क्षमता 86000 डी डब्ल्यू टी है, और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 2 बल्क कैरियर्स जिनमें प्रत्येक की क्षमता 42750 डी डब्ल्यू टी है और 26000 डी डब्ल्यू टी के 1 बल्क कैरियर का आर्डर दिया हुआ है।

मनीआर्डरों पर कमीशन की दरें

*318. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

श्री बी० राजरवि वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग द्वारा अन्तर्देशीय मनीआर्डर और टेलीग्राफिक मनीआर्डर की राशि की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मनीआर्डर पर लगने वाले कमीशन की दर को घटाने का विचार है; क्योंकि अधिकतर गरीब लोग ही मनीआर्डर के माध्यम से रुपये भेजते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 7 अप्रैल, 1990 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा देश में डाक द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डर और तार द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डर की धनराशि की अधिकतम सीमा 1000/रु० से बढ़ाकर 2000/-रु० कर दी गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उक्त (ग) में दिये गये उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पहली जनवरी, 1986 से कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने और वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता देने और इसके अलावा रेलों, हवाई जहाजों तथा अन्य निजी वाहनों से डाक भेजने के शुल्क में भी वृद्धि होने से प्रचालन लागत में वृद्धि के कारण डाक विभाग प्रति वर्ष घाटा वहन कर रहा है। इस घाटे को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए जून, 1990 के दौरान हाल में कुछ सेवाओं की दरों में भी संशोधन करना पड़ा है।

मनीआर्डर सेवा एक ऐसी सेवा है जिसकी लागत की काफी हद तक प्रतिपूर्ति की जाती है। कमीशन की मौजूदा दरों में कमी करने से इस सेवा के कारण होने वाले घाटे में और भी अधिक वृद्धि होगी।

मध्य प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

[हिन्दी]

*319. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्वतन्त्रता सेनानियों की जिले-वार संख्या कितनी है, जिन्हें स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है; और

(ख) बालाघाट जिले से ऐसे कितने आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के बारे में जिला-वार रिकार्ड नहीं रखे जा रहे हैं। 31 जुलाई, 1990 तक मध्य प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के 3275 मामलों में पेंशन मंजूर की जा चुकी है।

(ख) निर्धारित तिथि, अर्थात 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र पेंशन की मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिशनरियों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता

*320. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान विदेशी मिशनरियों ने कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की;

(ख) क्या विदेशी सरकारों अथवा संस्थाओं के लिए जो ऐसी सहायता प्रदान करती है सहायता की धनराशि के बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों को इस बारे में सूचना देना अनिवार्य है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार प्राप्त सहायता राशि का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) मध्य प्रदेश में विदेशी मिशनरियों द्वारा निम्नलिखित राशि प्राप्त की गई :

प्राप्त की गई राशि		
1988	1989	1990 (जुलाई तक)
1,22,64,070	1,63,94,512	78,94,040

राजस्थान में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई।

(आंकड़े कलैण्डर वर्ष के आधार पर तैयार किये जाते हैं)

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर-भुसावल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

*321. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर-भुसावल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग करने घोषित का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो खरगोन से भुसावल तक इस सड़क का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं। जयपुर पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, 3 और 6 के खण्डों द्वारा बरास्ता धूले भुसावल से जुड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना

[अनुवाद]

*322. **श्री शंकर सिंह वघेला** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, जम्मू और कश्मीर में प्रति माह कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने आतंकवादियों को बिना मुकदमा चलाये रिहा किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय द्वारा उन्हें सजा दी गई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग). 1987, 1988 और 1989 के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या क्रमशः शून्य, 50 और 124 है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों, रिहा किए गए व्यक्तियों तथा जिनके खिलाफ मुकदमें चलाए गए उन व्यक्तियों की माहवार संख्या

(1) गिरफ्तार किए गए

माह	1988 के दौरान	1989 के दौरान
जनवरी	2	10
फरवरी	शून्य	13
मार्च	शून्य	9
अप्रैल	शून्य	1
मई	2	6
जून	16	14
जुलाई	4	9
अगस्त	1	11
सितम्बर	3	13
अक्तूबर	11	11
नवम्बर	5	4
दिसम्बर	6	23
कुल	50	124

(2) रिहा किए गए तथा अभियोजित व्यक्ति

1989 के दौरान 68 व्यक्तियों को पैरोल पर रिहा किया गया। इन 68 व्यक्तियों में से 64 व्यक्ति टी०ए०डी०ए० अधिनियम के मामलों में फंसे थे और 4 व्यक्ति अन्य मामलों में फंसे थे। 1989 के दौरान 2 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा रिहा किया गया। वे भी टी०ए०डी०ए० मामलों में फंसे थे। 2 को छोड़कर शेष सभी को पैरोल पर छोड़ दिया गया। इन 2 व्यक्तियों के नजरबंदी आदेश न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए। 1988-89 के दौरान टी०ए०डी०ए० के अधीन किसी भी व्यक्ति को सिद्ध दोषी करार नहीं किया गया।

आदिवासी क्षेत्र के किसानों को विपणन सुविधाएं

*323. **श्री करिया मुण्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार तथा अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को विशेष विपणन सुविधाएं प्रदान करने का विचार है, ताकि वहां के किसानों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). इस संबंध में कोई विशेष योजना नहीं है । राज्य सरकारों और राज्य विपणन बोर्डों से भारत सरकार की बाजार विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करके आदिवासी क्षेत्रों में बाजारों के विकास को वरीयता देने का अनुरोध किया गया है ।

जूनियर इंजीनियरों (दूर-संचार) की मांगें

*324. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1990 में दूर-संचार आयोग तथा टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स एसोसियेशन के बीच बेहतर सेवा सुविधाओं के लिए उनकी मांग के संबंध में कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य मांगें क्या थीं तथा क्या इस समझौते को कार्यान्वित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इस समझौते को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूर-संचार विभाग द्वारा इस समझौते को कार्यान्वित न किये जाने के कारण जूनियर इंजीनियरों ने "सीधी कार्रवाई" की धमकी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां । 31 मई, 1990 को कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संघ (जे०टी०ओ०ए०) और दूरसंचार इंजीनियर सेवा संघ (टी०ई० एस०ए०) के संयुक्त मांग पत्र पर एक करार हुआ था ।

(ख) मुख्य मांगें, विभाग में सेवा के बेहतर अवसर और पदोन्नति के अवसरों के बारे में थी । करार की नौ मदें हैं । एक को छोड़कर सभी मदों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं । शेष मद के संबंध में आदेश जारी करने के काम को प्राथमिकता दी गई है ।

(ग) करार को संबंधित प्राधिकारियों की औपचारिक मंजूरी से लागू किया जा रहा है ।

(घ) जी हां । 28.8.90 को शुरू होने वाला आंदोलन 30.9.90 तक मुल्तवी कर दिया गया है ।

(ङ) सेवाओं को यथासंभव बेहतर बनाने के लिए सभी संभव और आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं/किए गए हैं ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन जारी करना

3523. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च-अप्रैल में दिल्ली के लिए मंजूर किए गए कुछ टेलीफोन कनेक्शन अभी तक नहीं लगाये गए हैं;

(ख) क्या वह देरी के ऐसे सभी मामलों की जांच करायेंगे;

(ग) क्या ऐसे सभी कनेक्शनों को अविलम्ब जारी कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। कुछ टेलीफोन कनेक्शन, जो तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थे, संस्थापित नहीं किये जा सके।

(ख) से (घ). जिन स्थानों पर ये टेलीफोन लगाये जाने हैं वहां पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य पूरा होते ही सभी बकाया कनेक्शन खोल दिए जाएंगे।

गैर-सरकारी भू-केन्द्र

3524. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी ग्राहकों को "इंटेलसैट बिजनैस सर्विस" खरीदने और आई०बी०एस० भू-केन्द्रों को ग्राहकों द्वारा खरीदे गए उपकरण घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण नीति के कार्यान्वयन का क्या औचित्य है;

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन गैर-सरकारी भू-केन्द्रों पर सरकार किस प्रकार का नियंत्रण रखेगी;

(ङ) क्या ये केन्द्र स्वदेशी उपकरणों से स्थापित करने की अनुमति होगी अथवा इसके लिए उपकरणों का आयात करना होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर अनुमानतः कितना पूंजी परिव्यय किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए।

(ग) प्रस्ताव पर अन्तर्विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(घ) भू-केन्द्र उपस्कर सरकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(ङ) और (च). तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्वदेशी उपस्कर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल आई० बी० एस० के लिए स्वदेशी उपस्कर उपलब्ध नहीं है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ

3525. **श्री पी०सी० थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन डिवीजन के

कारखाने से, अपशिष्ट पदार्थों को चित्तैरा बूभा नदी में बहाए जाने के कारण बहुत बड़ा भू-क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि को फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिए अधिगृहीत करने का है;

(ग) क्या जिला कलक्टर एरनाकुलम ने इस संबंध में कम्पनी और प्रभावित व्यक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) प्लांट से अपशिष्ट पदार्थों की निकासी केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से की जा रही है और भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त निकासी भी स्वीकार्य सीमाओं के अन्तर्गत है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). जी हां। जिला कलेक्टर, एरनाकुलम ने 10.8.90 को सभी सम्बन्धितों के साथ बैठक की और उसमें सभी अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा और आगे ब्यौरे एकत्र करने/अध्ययन किए जाने के पश्चात भविष्य की किसी तारीख में अन्य बैठक आयोजित की जाएगी।

गुजरात में मूंगफली की खेती

3526. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को मूंगफली की फसल उगाने के लिए लगातार दूसरे वर्ष भी प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या प्रतिकूल मौसम के कारण सौराष्ट्र में अनेक फसल उत्पादकों को बुआई स्थगित करनी पड़ी है और इनमें से कुछ उत्पादकों को बुआई के लिये रखे गये बीज को सामान्य मूंगफली के रूप में बेचने पर मजबूर होना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) दिनांक 11.7.90 से 15.8.90 तक गुजरात मौसम विज्ञान संबंधी उप-प्रभाग में कम वर्षा हुई, लेकिन दिनांक 22.8.90 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान सामान्य वर्षा हुई। तथापि, दिनांक 13.6.90 से राज्य के सौराष्ट्र तथा कच्छ मौसम विज्ञान संबंधी उप-प्रभाग में कम वर्षा हो रही है, जिससे इस क्षेत्र में मूंगफली की बुवाई प्रभावित हो रही है। वर्ष 1989 के दौरान, इन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा हुई।

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र में, कम वर्षा होने के कारण नष्ट हुए क्षेत्र को कवर करने के लिए किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे मूंगफली की बुवाई न हो सकने वाले क्षेत्र में आकस्मिक फसल के रूप में तिल की बुवाई करें।

बुवाई के लिए रखे गए मूंगफली के बीज को सामान्य मूंगफली के रूप में बेचने की कोई रिपोर्ट गुजरात सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का उपयोग

3527. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को किस प्रकार लागू किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित दो योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने का विचार किया गया है :

(1) कम खपत वाले वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग की विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना,

(2) उर्वरकों का संतुलित उपयोग।

इन योजनाओं के जरिए उर्वरक उपयोग के प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रदर्शन भी शामिल हैं। मुख्य पोषक तत्वों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों दोनों के लिए मृदा परीक्षण की सुविधाओं को मजबूत बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत खुदरा विक्रय केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि उर्वरकों की सप्लाई दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा सके।

(ग) इन योजनाओं को उर्वरक उद्योग के सहयोग से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि व्यय के एक भाग को शेयर किया जा सके। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए स्थानों का चयन करेंगी।

डाक सेवाओं में सुधार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

3528. **श्री शांताराम पोटदुखे** :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समग्र डाक सेवाओं के बारे में गठित डाक सेवा सुधार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का इस बीच अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में ऐसी क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं जिनसे इन सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा और उपभोक्ताओं की संतुष्टि हो सकेगी; और

(ग) इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और उपरोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार डाक सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां । डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर विशेषज्ञ समिति ने उपभोक्ता संतोष बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत सहित डाक सेवाओं में हर दृष्टि से सुधार लाने के लिए कुल 125 सिफारिशें की हैं ।

(ख) समिति ने निम्नलिखित आठ क्षेत्रों में सुधार करने की सिफारिशें की थी :

(1) वित्तीय उपबंध

(2) डाक सेवाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत

(3) डाक प्रबंधन

(4) अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन

(5) कार्मिक नीति

(6) डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण

(7) कर्मचारी संबंध

(8) संगठनात्मक संरचना ।

(ग) विभाग ने 125 सिफारिशों में से 49 सिफारिशों पर निर्णय लिया है । डाक सेवाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सुझाव देने के प्रयोजन से एक तकनीकी समिति भी गठित की गई है ।

डाकेजनी से ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

3529. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त क्षेत्र में बहुत कम सड़कें होने के कारण शाहबाद क्षेत्र में डाकुओं की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डाकेजनी से ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों/पुलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राजस्थान के डाकेजनी से ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट में शामिल किए गये कार्यों में से डाकेजनी से ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रशासनिक अनुमोदन देने तथा निधियों के प्रावधान के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं । भारत सरकार को राज्य सरकार से शाहबाद क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अब तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3530. **श्री एम० एस० पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) में दो वर्ष से भी अधिक अवधि से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मृतकों के कानूनी रूप से आश्रितों को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, भारतीय पशु अनुसधान संस्थान, इज्जतनगर में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का कोई भी मामला दो वर्ष से अधिक समय से लंबित नही पड़ा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्षों का उगाया जाना

[अनुवाद]

3531. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष उगाने की योजना बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस योजना को पुन: आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वृक्षारोपण कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं । वृक्षारोपण एक सतत् प्रक्रिया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार प्रणाली का विकास

3532. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवी योजना के दौरान अडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार प्रणाली के विकास हेतु कोई नई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के भुवनेश्वर खंड को चौड़ा करना

3533. श्री डी० अमात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यातायात (भीड़भाड़) को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 में कटक से भुवनेश्वर तक के भाग को चौड़ा करके चार लाइनों वाला बनाने का कार्य कब से आरम्भ किया गया और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, कटक से भुवनेश्वर तक 24.6 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 2.80 कि०मी० में पहले से ही चार लेन का है। शेष लम्बाई को चार लेन का बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन उस पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। इसलिए चार लेन का काम पूरा होने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है। इसके अलावा, चार लेन का बनाने के लिए अपेक्षित समस्त भूमि अभी कब्जे में नहीं ली गई है जिसके लिए 381.63 लाख रु० की राशि के दो प्राक्कलन मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग). विश्व बैंक को भेजी गई चार लेन बनाने की परियोजना की अनुमानित लागत 113.20 करोड़ रु० है। वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 में इस परियोजना के लिए 30 लाख रु० का बजट आवंटन किया गया है लेकिन अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है। जैसा कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है। ऊपर उल्लिखित भूमि अधिग्रहण प्राक्कलनों में से 263.58 लाख रु० खर्च किए गए हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज, टेलेक्स एक्सचेंज और तारघर

3534. श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज, टेलेक्स एक्सचेंज तथा तारघर हैं और प्रत्येक जिले में टेलीफोन/टेलेक्स उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों, टेलेक्स एक्सचेंजों और उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पदों का भरा जाना

3535. श्री जनार्दन पुजारी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत किन सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद खाली पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं; और

(ग) इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद रिक्त पड़े हैं, पद-रिक्ति की तारीख सहित, नीचे दिए गए हैं—

उपक्रम का नाम	जिस तारीख से रिक्त हैं
1. भारतीय सड़क निर्माण निगम	10.3.89
2. कोचीन शिपयार्ड लि०	12.8.89
3. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	21.12.89
4. दिल्ली परिवहन निगम	28.6.90

(ग) इन पदों को भरने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन की नियुक्ति

3536. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिपयार्ड के चेयरमैन की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पूर्ण कालिक अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक अभी नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). पी० ई० एस० बो० द्वारा सिफारिश किए गए नामों की सूची अभी विचाराधीन है और उक्त पद के लिए शीघ्र ही चयन किए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

3537. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले आठ महीनों के दौरान हुई सड़क-दुर्घटनाओं की संख्या का महीने वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई तथा इन दुर्घटनाओं में दिल्ली परिवहन निगम व इसके बेड़े के अन्तर्गत चलने वाली अन्य कितनी बसें शामिल थीं; और

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विस्तृत विवरण, जैसा कि दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भेजा गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों में, दुर्घटनाप्रवण (प्रोन) क्षेत्रों में नए लाइट सिगनल प्वाइंट, साइन बोर्ड और ब्लिंकर्स लगाना, समुचित स्थानों पर एक तरफा प्रणाली लागू करना, विपरीत दिशाओं वाले यातायात को अलग करने के लिए सड़कों पर किनारों का निर्माण करना, मोबाइल गश्त, विशेष रात्रि-जांच तथा ड्राइवरों और आम जनता को सड़क सुरक्षा संबंधी मामलों के बारे में रेडियो कार्यक्रमों, दूरदर्शन फिल्मों और समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षित करना और सड़क प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट स्थानों पर सड़क सुरक्षा साहित्य का वितरण करना शामिल है। पुलिस प्राधिकारी अधिक तेज रफ्तार अथवा टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग करने पर अभियोजन की कार्यवाही भी करते रहे हैं। दिल्ली पुलिस प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले टेस्ट की सख्त प्रक्रिया भी अपना रहे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम ड्राइवरों को ड्यूटी पर भेजने से पहले उन्हें प्रशिक्षित करने, पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने, बसों में गति नियंत्रक का प्रावधान करके गति सीमाएं लागू करने, ड्राइवरों के दुर्घटना रहित रिकार्ड के लिए पुरस्कारों और सम्मान के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं भी कदम उठा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस बात की जांच करने के लिए कि ड्राइवर यातायात के नियमों का पालन करते हैं और बसों को सुरक्षित चलाते हैं, रूटों पर विशेष स्क्वाड भी तैनात किए जाते हैं।

विवरण

1.12.89 से 31.7.90 तक दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन के अधीन अन्य बसों से हुई दुर्घटनाओं की महीना-वार संख्या

क्रम संख्या	महीना	घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या	दि०प०नि० की बसों से हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या	दि०प०नि० के अधीन प्राइवेट प्रचालकों की बसों से हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या	दि०प०नि० की बसों से हुई गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या	दि०प०नि० के अधीन प्राइवेट प्रचालकों की बसों से हुई गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटनाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दिसम्बर, 1989	114	13	4	381	32	5	495
2.	जनवरी, 1990	111	18	7	411	38	5	522
3.	फरवरी, 1990	114	9	2	373	41	6	487
4.	मार्च, 1990	143	17	7	495	28	9	638
5.	अप्रैल, 1990	125	16	1	457	23	4	582
6.	मई, 1990	123	7	2	547	43	5	670
7.	जून, 1990	113	20	2	552	39	4	665
8.	जुलाई, 1990	143	12	3	507	40	6	650
	कुल	986	112	28	3723	284	44	4709

केबल निर्माण में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश

3538. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के केबल निर्माताओं के पास "जेली-फिल" और "ड्राई पेपर-कोटेड केबल्स" का भारी स्टॉक पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में समूचे दूर-संचार उद्योग में कुल कितना और केबल, टर्मिनल उपकरण संघटकों और स्विचिंग उपकरण के क्षेत्र में पृथक-पृथक रूप से वास्तव में कितना निवेश किया गया; और

(घ) देश में टेलीफोन लाइनों के और स्विचिंग के क्षेत्र में कितनी कमी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

छोटा नागपुर में स्पीड पोस्ट सेवा

[हिन्दी]

3539. **श्री साइमन मरांडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटा नागपुर-सथाल परगना क्षेत्र में किन स्थानों पर **"स्पीड पोस्ट"** सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान इसी क्षेत्र में कुछ और स्थानों पर ऐसी सेवा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) स्पीड पोस्ट सेवा रांची, जमशेदपुर और धनबाद में उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नांदेड़ में मैक्स-एक की स्थापना

[अनुवाद]

3540. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में महाराष्ट्र में नांदेड़ में मैक्स एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) नांदेड़ में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1990 तक टेलीफोन एक्सचेंज को संस्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची में से लगभग 70% तक का निपटान मार्च, 1991 तक कर देने का प्रस्ताव है। शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान बाद में किया जाएगा।

कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंजों का रख-रखाव

3541. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या संचार मंत्री कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंजों के रख-रखाव के बारे में, 3 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसमें उल्लिखित क्षेत्रों में टेलीफोन खराब होने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या अनेक प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन किराये में छूट देने के लिए पिछले एक वर्ष से दावे कर रखें हैं परन्तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या टेलीफोन खराबी की शिकायत को "अटेन्ड" नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। बरसात शुरू होने के कारण खराबियों में वृद्धि हुई है।

(ख) कई उपभोक्ताओं ने किराए में छूट देने के लिए अपने दावे पेश किए हैं और उन्हें नियमानुसार छूट दी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। खराबियों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में केबिल खराब हो जाने के कारण इसमें देरी होती है

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मांगते ही टेलेक्स कनेक्शन

3542. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मांगने पर तत्काल टेलेक्स कनेक्शन उपलब्ध करने की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां।

टेलेक्स कनेक्शनों की वास्तव में मांग होने पर प्रदान करने सम्बन्धी नीति को जारी कर रखने की दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 37300 नई टेलेक्स लाइनों की परिकल्पना की गयी है। योजना में इलेक्ट्रो मैकेनिक टाइप के सभी टेलेक्स एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों से बदलने का प्रावधान भी किया गया है।

राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन

3543. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए राजस्थान को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले से ही क्रियान्वित किए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का तथा कदन्न

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं, तथा

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन सहित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

(ख) और (ग). ऊपर उल्लिखित विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 1990-91 के दौरान राज्य को केन्द्रीय सहायता के तौर पर 724 लाख रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

पाठ्य पुस्तकों के लिए डाक प्रभार कम करना

3544. श्री जे०पी० अग्रवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के लिए डाक प्रभार कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक विभाग के कार्यचालन व्यय में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए प्रयोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी डाक सेवाओं की दरों में वृद्धि के लिए संशोधन करना पड़ा था। मुद्रित सामग्री वाले बुक पैकटों की दरों में भी मामूली सी वृद्धि की गई थी। बहरहाल 50/-रु० मूल्य तक की मुद्रित सामग्री वाले बुक पैकटों को भेजने के लिए निर्धारित 1.25 रु० की वर्तमान रियायती रजिस्ट्रेशन फीस को पाठ्य पुस्तकों के प्रसार के लिए एक रियायत के रूप में जारी रखा गया है।

डाक दरों में वृद्धि

3545. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान डाक दरों में कितनी बार वृद्धि की गई और डाक दरों में इस वृद्धि के कारण सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) जून, 1990 में डाक दरों में वृद्धि के क्या कारण थे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुछ अंतर्देशीय डाक सेवाओं की दरें 1.1.87, 1.4.88 और 11.6.90 से संशोधित की गई हैं। इन डाक दरों के संशोधनों के फलस्वरूप कुल अनुमानित राजस्व प्रति वर्ष रु० 438 करोड़ का है।

(ख) डाक विभाग के कार्यचालन व्यय में विशेषकर 1.1.1986 से वेतनमानों में संशोधन के बाद पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। विभाग के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के भुगतान पर प्रति वर्ष 60 करोड़ रु० का व्यय होता है। रेलवे, इंडियन एयरलाइन्स और अन्य प्राईवेट आपरेटरों जैसी विभिन्न डाक कैरियरों के प्रभारों में भी काफी वृद्धि हुई है। राजस्व और व्यय के बीच का अन्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि वर्ष 1990-91 में 265 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जून, 1990 में डाक दरों में संशोधन करना अनिवार्य बन गया था।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देना

3546. **श्री ए०के० राय** :
श्री जनार्दन यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंदरी उर्वरक कारखाने में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए आंदोलन चल रहा था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस कारखाने के प्रबंध मंडल और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में इस कारखाने के प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच कोई करार नहीं हुआ है। तथापि, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को भी यह स्पष्ट किया गया था कि केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर निगम की गम्भीर वित्तीय स्थिति तथा फालतू स्टाफ के कारण बाहरी भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध की वजह से प्रबंध ऐसे मामलों में रोजगार प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

राजस्थान में मुर्गी पालन

[हिन्दी]

3547. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान में मत्स्य पालन, भेड़ पालन और मुर्गी पालन के विकास के लिए दी गई सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सहायता के रूप में दी गई कितनी धनराशि का प्रयोग कर लिया गया है तथा अब तक प्राप्त उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु राजस्थान को वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी सहायता धनराशि दिये जाने का विचार है; और

(घ) राजस्थान में मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु के तंजावूर जिले में वैथीस्वरन कोइल में एस०डी०डी० सुविधा

[अनुवाद]

3548. **श्री एस० तिरुनावुक्करसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सुविधा अच्छी न होने के कारण तमिलनाडु के तंजावूर जिले में वैथीस्वरण कोइल जो एक लोकप्रिय हिन्दू तीर्थ स्थल है, में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का वहां पर बेहतर एस०टी०डी० टेलीफ़ोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वैथीस्वरन कोइल में एक स्वचालित एक्सचेंज काम कर रहा है।

(ख) (i) वर्ष 1990-91 के दौरान वैथीस्वरन कोइल के मौजूद एक्सचेंज को एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

(ii) चालू योजना अवधि के दौरान वैथीस्वरन कोइल में एस०टी०डी० सुविधा का विस्तार करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना में धान की फसल को शामिल करना

3549. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत धान की फसल को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस समय गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन तथा दलहन फसलें व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आती हैं। चूंकि इस समय बीमा के अन्तर्गत आने वाली फसलों के सम्बन्ध में व्यापक फसल बीमा योजना को चलाने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए फिलहाल पान के पत्तों को व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का विचार है कि व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाली वर्तमान फसलों के सम्बन्ध में कुछ और अनुभव प्राप्त किया जाये।

अडूर टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3550. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अडूर टेलीफोन एक्सचेंज में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इस एक्सचेंज से कितने व्यक्तियों को नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का विचार है;

(ग) क्या एझम-कुलम टेलीफोन एक्सचेंज को अडूर टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अडूर टेलीफोन एक्सचेंज में 30-6-90 की स्थिति के अनुसार नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 343 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ख) 1990-91 के दौरान इस एक्सचेंज में लगभग 250 नये कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

(ग) एजबाम कुलम नाम का कोई एक्सचेंज नहीं है और वास्तव में इसका सम्बन्ध एज्हाम कुलम से है। एज्हाम कुलम टेलीफोन एक्सचेंज अडूर ट्रंक एक्सचेंज से जुड़ा है। एज्हाम कुलम में अडूर के साथ पहले से ही ग्रुप डायलिंग सुविधा उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

19 4 के दंगों के शिकार लोगों की विधवाओं को आवास-इकाइयों का आवंटन

3551. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के 1984 में दंगों के शिकार लोगों की विधवाओं को कितनी आवास-इकाइयां आवंटित की गई हैं; और

(ख) दंगों के शिकार लोगों की विधवाओं को आवंटित आवास-इकाइयों की मूल और वर्तमान लागत क्या है और उसकी अदायगी के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना

[हिन्दी]

3552. **डा० संघासी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार, कितने डाकघर और टेली-फोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सरकार ने कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

(क) **डाकघर**

डाक विभाग की आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंज

मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार और नये एक्सचेंजों को खोलकर लगभग 2.90 लाख लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नए एक्सचेंजों की संख्या और उनके लिए स्थान विभिन्न स्थानों से प्राप्त मांग पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग). जी हां, सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए विदेशी उपस्करों, प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य अवसूचना जैसी आवश्यक सामग्री की, प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जा रही है। आठवीं योजना के अंत तक इस स्कीम को क्रियान्वित कर देने की आशा है।

विदेशी सहायता से उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण

3553. **श्री हरीश रावत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में सड़कों के विस्तार और सुधार के लिए विश्व बैंक सहित कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के अधीन शुरू किये जाने के लिए निम्नलिखित राज्यीय सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है—

कार्यक्रम :

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	मुजफ्फर नगर-देवबन्द-सहारनपुर रोड	17.50
2.	आगरा-ऐटा-कासगंज-बरेली	50,40

1	2	3
3.	मोनगांव-मैनपुरी-शिकोहाबाद	15.50
4.	टनकपुर-पीलीभीत-लखीमपुर-खीरी-बहराइच-बलरामपुर-बस्ती	135.00
5.	गाजियाबाद-कानपुर (राज्य राजमार्ग)	255.00
6.	नेपालगंज-रायबरेली-फतेहपुर	325.00

इसके अतिरिक्त राज्य ने एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) द्वारा ऋण सहायता हेतु निम्नलिखित सड़कों का प्रस्ताव किया था :

क०सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	शाहदरा-सहारनपुर रोड	24.12
2.	पानीपत-खटीमा रोड	50.00
3.	दिल्ली-कानपुर (चरण I तथा II)	394.30
4.	आगरा-बरेली रोड	50.40
5.	मोनगांव-शिकोहाबाद रोड	7.00
6.	वाराणसी-शक्तिनगर रोड	54.76

इनमें से एशियाई विकास बैंक ने सम्भावित ऋण सहायता के लिए क्रम सं० 6 पर उल्लिखित सड़क को स्वीकार किया है।

पश्चिम दिल्ली के दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा

[अनुवाद]

3554. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम दिल्ली में रह रहे लोगों को परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए नया सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में, विशेषकर यात्रियों की अधिकतम भीड़ के समय दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें चलती हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का दैनिक यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, पश्चिमी दिल्ली में नई निर्मित बाहरी रिंग रोड पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (छ). बढ़ते हुए यातायात के सन्दर्भ में पश्चिमी दिल्ली समेत दिल्ली के सभी भागों से सेवाओं में और बढ़ोतरी करने के लिए एक सामान्य मांग की जा रही है। हालांकि केवल पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन रूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए और किसी रूट विशेष पर अथवा किसी विशिष्ट बोर्डिंग प्वाइंट पर अपर्याप्तता की खास शिकायतें मिलने पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मार्ग-वार यातायात सर्वेक्षण किये जाते हैं।

2. 23-8-90 की स्थिति के अनुसार सुबह के समय पश्चिमी दिल्ली के बिन्दुओं से दि०प०नि० की और दि०प०नि० के अधीन निजी प्रचालकों की 1236 बसें और शाम के समय 1165 बसें निकाली जाती हैं। तथापि किसी निश्चित समय पर पश्चिमी दिल्ली में चल रही बसों की सही संख्या का अनुमान लगा पाना कठिन है क्योंकि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से भी पश्चिमी दिल्ली में विभिन्न गन्तव्यों तक बसें आती हैं। इसी प्रकार पश्चिमी दिल्ली के स्थानों से अनेक बसें पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के रूटों पर भी प्रचालित होती हैं।

पश्चिमी दिल्ली में नए बने बाहरी रिंग रोड पर दि०प०नि० रूट सं० आर०एल० 71, 153, 761, 883, 888 चला रहा है और इन पर प्रचालन के लिए 27 बसें लगाई हैं। इसमें और वृद्धि, यातायात की आवश्यकता को देखते हुए और संसाधन उपलब्ध होने पर की जाएगी।

दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी को हिन्दी में छापना

[हिन्दी]

3555. **कुमारी उमा भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी पहली बार हिन्दी में कब छापी गई थी;

(ख) इस डायरेक्टरी के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों का प्रकाशन किस-किस वर्ष किया गया;

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों को साथ-साथ न छापे जाने तथा हिन्दी संस्करण का अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के काफी देर बाद वितरण किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य किन-किन शहरों में हिन्दी टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली की हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका सर्वप्रथम 1968 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली की हिन्दी और अंग्रेजी टेलीफोन निर्देशिका के संस्करणों को प्रकाशित करने

के समय में अन्तर होता है क्योंकि हिन्दी संस्करण के डाटा डाटाबेस से लिए जाते हैं जो अंग्रेजी में होता है। कम्प्यूटरों की मदद से, अंग्रेजी के डाटा का अनुवाद/लिप्यंतरण करके इस समय अंतराल को कम करने के प्रयास किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर की समस्याओं को अब हल कर लिया गया है और दिल्ली की अगली हिन्दी टेलीफोन डायरेक्टरी लगभग 3 महीने में प्रकाशित हो जाने की आशा है।

(घ) बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई नगरों में टेलीफोन निर्देशिकायें हिन्दी में प्रकाशित की जा रही हैं।

विवरण

1968 से अब तक हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई टेलीफोन डायरेक्टरियों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	हिन्दी डायरेक्टरी	अंग्रेजी डायरेक्टरी
1.	1968	......
2.	......	1969
3.	1970	1970
4.	1971	1971
5.	1972	1972
6.	1974	1974
7.	1976	1976
8.	1977	1977
9.	1978	1978
10.	1980	1980
11.	....	1982
12.	1983	......
13.	......	1984
14.	......	1986
15.	1988	1988
16.	......	1989

स्मृति डाक टिकट जारी करना

3556. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभूतियों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी स्मृति में वर्ष 1990 के दौरान अब तक डाक टिकट जारी किए गये हैं;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान जारी किए जाने वाले और स्मृति डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जिन विभूतियों की स्मृति में 1990 के दौरान अब तक स्मारक डाक टिकट जारी किये गये हैं उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) 1990 के दौरान जारी किये जाने वाले अस्थायी तौर पर प्रस्तावित स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 दिया गया है।

(ग) इस उद्देश्य से निर्धारित मार्गनिर्देशों में सरकार की नीति विस्तारपूर्वक दी गई है। (प्रतिलिपि संलग्न विवरण-3 में दी गई है) डाक टिकटों को जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के समय फिलेटली सलाहकार समिति जो इस सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती है, की सिफारिशें और अन्य विभिन्न बातें भी ध्यान में रखी जाती हैं।

विवरण—1

उन विभूतियों की सूची जिनकी स्मृति में 1990 के दौरान अब तक स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं

क्रम सं०	विभूति का नाम	जारी करने की तारीख
1.	डा० एम० जी० रामचन्द्रन	17.2.90
2.	हो ची मिन्ह	17.5.90
3.	चौ० चरण सिंह	29.5.90
4.	खुदीराम बोस	11.8.90
5.	के० केलप्पन	24.8.90

विवरण—2

1990 के दौरान जारी की जाने वाली अस्थायी तौर पर प्रस्तावित स्मारक डाक टिकटों की सूची

क्रम सं०	विषय	जारी करने की तारीख
1	2	3
1.	खुशहाल बालिका भविष्य देश का	5.9.90

1	2	3
2.	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष	8.9.90
3.	स्वच्छ पेय जल	10.9.90
4.	सुन्दरलाल शर्मा	28.9.90
5-8.	एशियाई खेल	29.9.90
9-10.	कलकत्ता शहर की त्रिशताब्दी	9.90
11.	ए०के० गोपालन	1.10.90
12-13.	वन्य जीव	6.10.90
14.	सूर्यमल मिश्रण	19.10.90
15.	कमला देवी चट्टोपाध्याय	29.10.90
16.	भक्त कनकदास	10.90
17-18.	बधाई/उत्सव	10.90
19.	बाल दिन	16.11.90
20.	ज्ञानेश्वरी	15.11.90
21.	दवाओं से हानि	
22-25.	जनजातीय लोक नृत्य	11.90
26-27.	इनपेक्स-90	12.90
28-30.	भारत के शहर	12.90
31.	जी०एन बारदोलाई	12.90

विवरण—3

मार्गनिर्देशक सिद्धांत

1. वर्ष के दौरान जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों की संख्या सीमित की जाए ताकि यह 40 से अधिक न हो।
2. डाक टिकटों को विशेष रूप से सेटों/श्रृंखलाओं में जारी किया जाए।
3. डाक टिकट जारी करने की रूपरेखा डाक टिकट जारी करने से लगभग 1 से 2 वर्ष पहले तैयार की जानी चाहिए।
4. ख्याति प्राप्त व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले डाक टिकटों की संख्या घटा दी जानी चाहिए ताकि यह कुल जारी किये जाने वाले डाक टिकटों के 25% से अधिक न हो।
5. जीवित व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी न किया जाए।

6. जहां तक ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का सम्बन्ध है, वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हों। ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो यद्यपि देश भर में नहीं जाने जाते हैं लेकिन जो योग्य थे और जिनके बारे में देश में लोगों को जानना चाहिए।

7. प्रमुख रजत जयन्तियां और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के उत्सव सामान्त: विशेष विरूपण/आवरण जारी कर मनाये जाएं।

उज्जैन में ई-10 बी किस्म की टेलीफोन व्यवस्था स्थापित करना

3557. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन (मध्य प्रदेश) में ई-10 बी किस्म की टेलीफोन व्यवस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में डाक सुविधाएं

[अनुवाद]

3558. **श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कई गांवों में दैनिक वितरण जैसी डाक सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में यह सुविधा किन-किन गांवों में उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) दिनांक 31 जुलाई, 1990 को गुजरात के प्रत्येक जिले में डाकघरों और उप-डाकघरों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य के सभी गांवों में दैनिक वितरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिन 10,630 गांवों में डाकघर नहीं हैं उनमें से 5051 गांवों में लेटर बाक्स सुलभ करा दिए गए हैं।

(ख) डाक नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भांति गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोले गए हैं। हाल ही में जिन गांवों के लिए डाकघर मंजूर किए गए हैं उन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

गुजरात

31.3.1990 को मंजूर किए गए ग्रामीण डाकघर

क्र०सं०	डाकघर का नाम	जिला
1.	खरवनी	पंचमहल
2.	ताखादियाहिमत	-वही-
3.	मिनाक्योर	-वही-
4.	बारपीपाड़ा	सूरत
5.	मनका	बडोदरा
6.	पटिया	पंचमहल
7.	सिंगेड़ी	-वही-
8.	मोजन	जामनगर
9.	पलासोमनाथ मंदिर	राजकोट
10.	बेह	जामनगर
11.	खजूरदी	राजकोट
12.	दलपुरा	बनासकांठा
13.	वाधतन	-वही-
14.	रामपुर मोता	राजकोट
15.	सवपुरा	बनासकांठा
16.	बरनोड़ा	-वही-
17.	छडमेर	-वही-
18.	नागफना	-वही-
19.	संवोसी	-वही-
20.	मिथड़ो	-वही-
21.	ईश्वरा	कच्छभुज
22.	मतगा	राजकोट
23.	लिम्बडोटिम्बा	पंचमहल
24.	मानपुर	-वही-
25.	बनासलाकुई	-वही-

सौराष्ट्र क्षेत्र में पेयजल समस्या

3559. **श्री बलवन्त मनवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में इस समय कितने ग्रामों में भारी पेयजल समस्या का संकट बना हुआ है;

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण लगभग सूखे की स्थिति है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 1-4-90 को गुजरात में बिना स्वच्छ पेयजल सुविधा वाले "जल स्त्रोत विहीन" 99 गांव थे जिनमें से 60 गांव सौराष्ट्र क्षेत्र में थे।

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र के 60 गांवों सहित सभी 99 समस्याग्रस्त गांवों में 31.3.91 तक पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव

3560. **श्री जगपाल सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

समेकित मत्स्यन परियोजना, कोचीन का स्थानांतरण

3561. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित समेकित मत्स्यन परियोजना को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त संगठन/संस्थायें

3562. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए राज्यवार—कितने संगठनों और संस्थाओं को अनुमति दी गई है;

(ख) इस समय राज्य-वार, ऐसे कितने संगठन और संस्थायें हैं, जो पंजीकृत तो हैं लेकिन उन्हें प्रत्येक प्रेषण के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती है;

(ग) इस समय उन संगठनों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है;

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, किन-किन संगठनों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति नही दी गई है; और

(ङ) गत तीन वर्ष में, राज्य-वार, प्रत्येक वर्ष, उद्देश्यवार एवम् समुदाय-वार कुल कितना विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ). सूचना क, ख, ग, घ तथा ङ अनुलग्नकों में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गये/देखिए संख्या एल०टी० 1519/90**] वर्ष 1989 के किए आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। संगठनों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने के समुदायवार रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को बांग्लादेश से सहायता

[हिन्दी]

3563. **श्री मंजय लाल** :
श्री आर०एन० राकेश :
श्री प्रकाश बी० पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "बांग्लादेश एडिंग रेबल्स इन नार्थ-ईस्ट इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई और जानकारी प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के समक्ष उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ). तीन उग्रवादी बंगलादेश के सिलहट जिले में आने का प्रयास कर रहे थे। इस बारे में, पर्याप्त ब्यौरों के उपलब्ध न होने के कारण इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ नहीं उठाया गया।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

3564. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से 30 जून, 1990 तक मंत्रियों और संसद सदस्यों की सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए;

(ख) क्या संसद सदस्यों की सिफारिशों पर, प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाने के क्या मानदंड हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के बारे में संसद सदस्यों की सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया जाता है और गुणावगुण के आधार पर टेलीफोन मंजूर किए जाते हैं। यद्यपि संसद सदस्यों की सिफारिशों पर अग्रता के आधार पर जारी किये जाने वाले टेलीफोनों की संख्या निर्धारित करने का अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तथापि, ऐसी सिफारिशों पर विधिवत् विचार किया जाता है और उनके गुणदोषों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन मंजूर किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में होम गार्डों की संख्या

[हिन्दी]

3565. **श्री एस०सी० वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में होम गार्डों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में होम गार्डों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) होम गार्डों की संख्या में वर्तमान प्राधिकृत संख्या के 10% के बराबर बढ़ोतरी करने के प्रथम प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जो 1700 बनती है। इस स्वीकृति के बारे में 16 अगस्त, 1990 को राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ग) होम गार्डों की संख्या में और बढ़ोतरी करने के बारे में राज्य सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

मिजोरम और नागालैंड के लोगों को पासपोर्ट जारी करना

3566. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने के लिए मिजोरम और नागालैंड के लोगों से प्राप्त अनुरोधों का राज्य सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस से सत्यापन कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संगत नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों के लोगों से प्राप्त आवेदनों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो मिजोरम और नागालैंड के आवेदकों के मामले में अलग प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का सभी नागरिकों के लिए समान रूप से पुलिस द्वारा सत्यापन किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो यह कब से शुरू कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होने के बाद पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 और 6 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों से सत्यापन कराया जाता है।

(ग) और (घ). ऐसे सत्यापन की प्रथा और प्रक्रिया मौजूदा सुरक्षा वातावरण पर आधारित होती है।

(ङ) और (च). जी नहीं। सुरक्षा वातावरण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

"धारा" तेल की बिक्री

3567. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और उसके निजी वितरकों के माध्यम से अत्यधिक कमीशन पर "धारा" तेल की बिक्री करता है और यदि हां, तो जी० सी० एम० एम० एफ० लिमिटेड द्वारा इस उत्पाद पर क्या कमीशन दर वसूल की जाती है;

(ख) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फल और सब्जी बिक्री-केन्द्रों द्वारा इसे मामूली कमीशन पर बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले की कोई जांच कराई जायेगी; और

(घ) क्या धारा और दूसरे उत्पादों की देश भर में बिक्री केवल सहकारी संस्थाओं/उचित दर दुकानों/सुपर बाजारों के माध्यम की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) धारा तेल का विपणन जी०सी०एम०एम०एफ० लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। जी० सी० एम० एम० एफ० को 2 प्रतिशत कमीशन अदा किया जाता है

ताकि वह इसी मार्जिन से वितरण के खर्चे, स्थानीय परिवहन तथा अपने वितरण/विपणन स्टाफ के वेतन को पूरा कर सके।

(ख) दिल्ली में फल तथा सब्जियों के विक्रय केन्द्र राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के हैं तथा उनकी परिचालन लागत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को फल तथा सब्जी परियोजना द्वारा वहन की जा रही है। चूंकि सभी प्रकार की परिचालन लागतें फल तथा सब्जी परियोजना द्वारा वहन की जाती हैं, इसलिए इन विक्रय केन्द्रों के संचालकों को दिया जाने वाला कमीशन नाममात्र का है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यद्यपि धारा तेल सहकारी स्टोरों के माध्यम से भी बेचा जा रहा है, परन्तु धारा तेल की बिक्री को सहकारी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सुपर बाजार के विक्रय केन्द्रों के माध्यम से ही सीमित करना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को उचित दामों पर शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराना है। इसलिए धारा का विपणन दूसरे खुदरा विक्रय केन्द्रों से भी जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

बैंक अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में "टेलेक्स संदेश"

3568. **श्री वासुदेव दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय में उप प्रधान मंत्री के नाम कुछ बैंक अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में एक "टेलेक्स संदेश" प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या यह संदेश झूठा पाया गया और यदि हां; तो कब;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत-जापान राजनैतिक सहयोग

3569. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत के अपने दौरे में ऐसा कोई प्रयास किया है जिसे जापान के राजदूत ने भारत और जापान के बीच "राजनीतिक सहयोग" की संज्ञा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार ने भारत और जापान के बीच "राजनैतिक सहयोग" के बारे में जापानी राजदूत की कथित टिप्पणी के संबंध में एक खबर अखबार में देखी है। बताया जाता है कि जापान के राजदूत ने यह कहा था कि "इस प्रकार के सहयोग की परिधि अभी तय होनी है।"

राजनैतिक मसलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श के अतिरिक्त सरकार को भारत और जापान के बीच किसी राजनैतिक सहयोग के किन्हीं विशिष्ट सुझावों की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, जब कभी संभव हो सरकार इस प्रकार के सहयोग का स्वागत करेगी।

भारत और जापान के बीच संबंध सद्भावपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हैं। मई, 1990 में प्रधानमंत्री काइफू की यात्रा से एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझने में मदद मिली तथा इससे दोनों देशों के बीच विद्यमान संबंध और सुदृढ़ हुए। सरकार आपसी हित के सभी मामलों पर जापान के साथ भारत की बातचीत का सिलसिला जारी रखने को बहुत महत्व देती है।

फूलों की खेती

3570 **श्री रवि नारायण पाणि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्र में मुख्यतः फूल उगाए जाते हैं; और

(ख) सरकार द्वारा फूलों की खेती में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं अथवा दी जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर फूल उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं।

(ख) फूलों की खेती में सुधार करने के लिए अच्छी रोपण सामग्री का प्रचार तथा वितरण करने, फूल उगाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करने, किसानों को अद्यतन जानकारी का अंतरण करने तथा सिंचाई, विपणन, परिवहन आदि के लिए सहायता देने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। किसानों को अच्छी रोपण सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आदि मुहैया कराने के लिए फूलों की खेती के एकीकृत विकास पर वर्ष 1990-91 के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पंचायत स्तर से संसद तक सीट आरक्षित करने की मांग

[हिन्दी]

3571. **श्री हरीश पाल :**

श्री बालेश्वर यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने अपने लिए पंचायत स्तर से संसद तक सीट आरक्षित करने और अपने लिए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-चीन सीमा विवाद की स्थिति

[अनुवाद]

3572. प्रो० के० वी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।

उत्तरी दिल्ली में वाहन जांच एकक

[हिन्दी]

3573. श्री रामेश्वर यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी दिल्ली में एक आधुनिक वाहन-जांच एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह एकक कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है और इस पर कितना व्यय किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उत्तरी दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर बुराड़ी में एक मोटर वाहन जांच इकाई का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 22 एकड़ का एक प्लाट पहले ही खरीदा जा चुका है। जांच के मौजूदा अल्प विकसित ढांचे को आधुनिक ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना में ट्रकों की जांच के लिए 10 कक्ष और आटो-रिक्शाओं के लिए 6 कक्षों का निर्माण तथा पार्किंग कक्षों और सहायक सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रु० है इस आधुनिकीकृत इकाई के 1991 के मध्य से कार्य शुरू करने की संभावना है।

भारत पाक सीमा पर कंटीले तार लगाना

3574. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाक सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए कितने क्षेत्र में कंटीले तार लगाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) सीमा पर अभी कितने क्षेत्र में कंटीले तार लगाये जाने हैं; और

(घ) कंटीले तार लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). पंजाब और

राजस्थान क्षेत्र में सीमा पर चुनिन्दा क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है । जिन क्षेत्रों में बाड़ लगायी गई है उनकी लम्बाई निम्न प्रकार है :

(1) पंजाब क्षेत्र	120.00 कि० मीटर
(2) राजस्थान क्षेत्र	58.8 कि० मीटर

30.7.1990 तक बाड़ लगाने के कार्य पर 27.57 करोड़ रुपये व्यय हुए ।

(ग) और (घ). पंजाब में कुल 236 कि० मीटर अतिरिक्त क्षेत्र में बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी दे दी गयी है । यह कार्य प्रारम्भ होने के बाद 9 महीने के भीतर पूरा कर लिये जाने की आशा है । भारत पाक सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"सेल्फोस" (एल्यूमिनियम फॉसफाइड) पर प्रतिबंध

3575. **श्री सूरजभान सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "सेल्फोस" (एल्यूमिनियम फॉसफाइड) नामक एक जहरीली गोली पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस जहरीले रसायन पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख). कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के तहत गठित केन्द्रीय कीटनाशी दवा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की बिक्री तथा प्रयोग को सीमित कर दिया गया है । इसे भारत सरकार के पौध रक्षण सलाहकार द्वारा अभिस्वीकृत विशेषज्ञता वाले कीट नियंत्रण आपरेटरों द्वारा केवल इन्हें ही बेचा जा सकता है—(1) सरकारी विभागों को; (2) सरकारी उपक्रमों को; (3) भंडागार निगम; भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठनों को । चूंकि, सरकार द्वारा एल्यूमिनियम फासफाइड के प्रयोग को पहले ही सीमित किया गया है, इसलिए इस समय इस पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में टैक्सी और आटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूल किया जाना

[अनुवाद]

3576. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले** :
श्री भवानी शंकर होटा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनेक टैक्सी और आटो-रिक्शा चालक मीटर से किराया लेने की बात पर चलने से मना कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे नियमों का पालन कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस और परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार अधिक किराया वसूलने वाले चालकों के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान इनमें से कितने चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) परिवहन निदेशालय, दिल्ली तथा दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) प्रवर्तन प्राधिकारी, गल्ती करने वाले चालकों के खिलाफ विनियमों के अनुरूप जुर्माना लगाकर परमिटों को निलंबित करके तथा न्यायालय में मुकदमा चलाकर कार्रवाई करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालयों में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है जो चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु शिकायतें प्राप्त करने के लिए फोन नं० 3319334 पर दिन-रात कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने के लिए जनता को प्री-पेड शिकायत पत्र बांटे गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे (आई० एस० बी०टी०) तथा हवाई-अड्डे पर टैक्सियों और आटो-रिक्शा की प्री-पेड सेवा की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ). गत तीन वर्षों के दौरान परिवहन निदेशालय को टैक्सियों और आटो-रिक्शाओं के चालकों के खिलाफ 398 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 49 मामलों में जुर्माना किया गया, 93 मामलों में परमिट निलम्बित किए गए और 95 मामले न्यायालय के सुपुर्द किए गए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों को टैक्सियों एवं आटो रिक्शा चालकों के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे, चलने से मना करने, अधिक किराया वसूलने तथा दुर्व्यवहार से संबंधित हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उनके द्वारा शुरू किए अभियोजनों की संख्या इस प्रकार है—

	1987	1988	1989	1990 (31.7.90 तक)
टी०एस०आर० के खिलाफ प्राप्त कुल शिकायतें	4480	5147	4425	2552
टैक्सियों के खिलाफ शिकायतें	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	225	185
शिकायतों पर तथा मौके पर जांच करने के बाद टी० एस० आर० पर अभियोजन	7375	11092	10489	12197
टैक्सियों पर अभियोजन	878	718	412	333

केरल में ताड़ तेल अनुसंधान केन्द्र

3577. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय ताड़ तेल अनुसंधान केन्द्र का दर्जा क्या होगा;

(ख) क्या केरल सरकार ने इसके लिए त्रिवेन्द्रम जिले में उपयुक्त स्थान का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र को केरल के बजाय किसी दूसरे राज्य में स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, भारत सरकार ने केरल में तेल-ताड़ पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

मिनी पेयजल मिशन और जल संसाधन प्राधिकरण के बीच समन्वय

3578. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी पेयजल मिशन का जल संसाधन प्राधिकरण के साथ समन्वय है; और

(ख) यदि हां, तो सलेम जिले में ऐसे कितने गांव है, जिन्हें पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के सामान्य योजना कार्यक्रम के साथ समन्वय से मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित तथा अन्तर अनुशासित नीति अपनायी जाती है। प्रत्येक राज्य में "स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांवों में वैज्ञानिक ढंग से स्रोतों का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक स्रोत अन्वेषी समिति (जिसमें केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों का एक प्रतिनिधि शामिल है) का गठन किया गया है।

(ख) सलेम जिले के सभी 617 गांवों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधायें मुहैया करा दी गई हैं। 725 बसावटों में से 285 को 1.6.88 से पूर्व पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गयी थी तथा शेष 440 बसावटों को मिनी मिशन के अन्तर्गत लिया गया है। 397 बसावटों में स्रोतों का पता लगाने के कार्य पूरे हो चुके हैं।

धारा तेल को अन्य सस्ते खाद्य तेलों में मिलाना

3579. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बेचने हेतु सप्लाई किये जा रहे "धारा" तेल पैकटों को व्यापारियों द्वारा खोल दिया जाता है और उनमें अन्य घटिया किस्म के तेल मिला दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें की जा रही मिलावट को रोकने और धारा तेल की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी समितियों के माध्यम से करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) धारा के व्यापारियों द्वारा धारा तेल में दूसरा घटिया किस्म का तेल मिलाने के प्रयोजनार्थ धारा के डिब्बों/पैकों को खोले जाने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, इस आधार पर मिलावट की जांच किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल आयातित खाद्य तेल ही बेचा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा उपभोक्ताओं तक पहुंचे, उसको पर्याप्त मात्रा में सहकारी स्टोरों तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के फल तथा सब्जी विक्रय केन्द्रों के माध्यम से बेचा जा रहा है।

पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

3580. श्री ए० चार्ल्स :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री टी० बशीर :
श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का विचार है;

(ख) किन-किन जलमार्गों के संबंध में जलसर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन किए गए और यह अध्ययन किस-किस तारीख को किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक प्रस्तावित जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग कब तक घोषित कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पश्चिमी तट नहर, उद्योग मण्डल नहर और चम्पाकरा नहर।

(ख) और (ग). विभिन्न खण्डों में किए गए जलीय सर्वेक्षणों और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :—

खंड	शुरू किए जाने की तारीख	पूरा होने की तारीख
(1) पश्चिमी तट नहर		
(i) कोचीन-क्विलान	फरवरी, 1987	मार्च, 1988
(ii) त्रिवेन्द्रम-क्विालन कोचीन-कोट्टापुरम	मई, 1989	अप्रैल, 1990
(iii) कोट्टापुरम-बाडागरा	जनवरी, 1990	अप्रैल, 1990
(iv) बाडागरा-कासगोडा	जून, 1990	दिसम्बर, 90 तक पूरा होने का शिड्यूल है।

(2) चम्पाकरा नहर
(3) उद्योग मण्डल नहर

} अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है बल्कि कोचीन-क्विलान अध्ययन में शामिल है।

यह व्यवहार्य हुआ तो कोवलम से त्रिवेन्द्रम तक के खंड को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जैसे ही अध्ययन पूरे हो जाएंगे, प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए यथा अपेक्षित केन्द्रीय कानून शीघ्र ही बनाये जाने की आशा है।

"सन एयर होटल" के निर्माण हेतु भूमि सौदे की जांच

3581. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सन एयर होटल प्रोब अर्जड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच के आदेश दिये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ). नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंदिर मार्ग पर 4063 वर्ग मीटर की भूमि का प्लाट, मैसर्स सन एयर होटल लि० को, सबसे अधिक ऊंचा टैंडर होने के कारण, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आबंटित किया गया था। पार्टी ने उक्त प्लाट पर एक होटल का निर्माण करना आरम्भ कर दिया। कुछ विभागों द्वारा इस स्थान पर एक होटल का निर्माण करने पर कुछ आपत्तियां करने पर, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गोल मार्किट उप जिला केन्द्र में, एफ०ए०आर० 125, के साथ, 64,000 वर्ग फुट का एक वैकल्पिक प्लाट 1982 में पार्टी को आवंटित किया था। पार्टी ने पहले वाले स्थान पर निर्माण रद्द करने के एवज में मुआवजे के लिए दावा करने को प्राथमिकता दी। नई दिल्ली नगर पालिका ने संकल्प संख्या 45 दिनांक 4.10.83 के द्वारा 29,00,000/-रु० के मुआवजे, पूरे और अन्तिम रूप में, भुगतान करने पर विचार किया।

मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

पार्टी द्वारा दायर की गई 13.12.85 की अर्जी के जवाब में, नई दिल्ली नगर पालिका ने पहले आबंटित किए गए, एफ०ए०आर० 125 के साथ, 64,000 वर्ग फुट के मुकाबले में उसी क्षेत्र में होटल निर्माण हेतु, एफ०ए०आर०-150 के साथ, प्लाट को 80,000 वर्ग फुट तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। तदनुसार, पार्टी को आवंटन की अन्य शर्तों का अनुपालन करने तथा पूरक समझौते को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। इसका अनुपालन किए जाने पर, पार्टी को दिनांक

2.2.88 को 79,077.82 वर्ग फुट के प्लाट का कब्जा दे दिया गया। क्योंकि कुल आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र का 98.89% (लगभग) क्षेत्र का कब्जा पहले ही दिया जा चुका था, अतः दिनांक 2.2.88 से आवंटित किए गए क्षेत्र की लाईसेंस फीस का भुगतान करने का पार्टी से अनुरोध किया गया था। परन्तु पार्टी ने पूरे क्षेत्र के कब्जे के आवंटन की मांग करते हुए, लाईसेंस फीस के भुगतान किए जाने की तारीख पर विवाद किया। क्योंकि पार्टी को 30.4.90 को दिए गए कारण बताओ नोटिस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप लाईसेंस फीस का भुगतान करने की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया और उसके वांछित परिणाम नहीं निकले, तो दिनांक 3.7.90 को लाईसेंस रद्द कर दिया गया तथापि, लाईसेंस रद्द करने के खिलाफ उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है तथा मामला न्यायाधीन है।

डा० नेल्सन मण्डेला की भारत यात्रा

3582. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता डा० नैल्सन मण्डेला की भारत यात्रा के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों की यात्रा करेंगे; और

(ग) क्या इस अवसर पर सरकार का विचार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को कूटनीतिक मान्यता देने का है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं। कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने नई दिल्ली स्थिति अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि कार्यालय को वे सभी राजनयिक सुविधाएं देने का पहले ही फैसला कर लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दी जाती हैं।

स्विट्जरलैंड की सहायता से राज्यों में डेरी परियोजना स्थापित करना

[हिन्दी]

3583. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्विट्जरलैंड की सहायता से राज्यों में डेरी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) स्विट्जरलैंड की सहायता से उड़ीसा के गंजम जिले में पशुपालन परियोजना चलाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना के संघटकों में से डेरी विकास संबंधी कार्यकलाप एक है।

(ख) और (ग). स्विट्जरलैण्ड की सहायता से बिहार में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साउथ अरकाट, जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[अनुवाद]

3584. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूर-संचार के राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत साउथ अरकट, जिला-कुड्डालोर, तमिलनाडु में एस०टी०डी० सुविधाओं से युक्त एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : साउथ अरकाट जिले में कुड्डालोर में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है। इस एक्सचेंज के 1991-92 के मध्य तक एस०टी०डी० सुविधा के साथ चालू हो जाने की संभावना है।

सोयाबीन का उत्पादन

3585. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कौन-कौन से राज्य सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र इस समय देश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य हैं। इनमें से केवल मध्य प्रदेश में ही वर्ष 1988-89 में देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 84 प्रतिशत उत्पादन हुआ।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

3586. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न जिलों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या कितनी है और इसमें उनके नाम कब से दर्ज हैं;

(ख) सरकार इन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में टेलीफोन और तहसील में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विस्तार कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है ताकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5000 लाइनों से कम की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना तथा 5000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा की अवधि को औसतन एक वर्ष तक सीमित कर पाना संभव हो सके।

(ग) प्रत्येक पंचायत में एक टेलीफोन तथा प्रत्येक उप मंडलीय मुख्यालय अथवा इसके समकक्ष ब्लॉक मुख्यालय अथवा तहसील में एस०टी०डी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

राजस्थान में 31.7.1990 को स्थिति के अनुसार जिलावार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतिक्षा सूची में आवेदकों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	कुल प्रतीक्षा सूची	प्रतीक्षा सूची में सबसे पुराने आवेदक
1	2	3	4
1.	अजमेर	3929	15 नवम्बर, 1984
2.	अलवर	1528	3 मार्च, 1986
3.	बांसवाड़ा	518	17 दिसम्बर, 1987
4.	बारमेड	1381	23 मार्च, 1982
5.	भीलवाड़ा	3050	19 दिसम्बर, 1985
6.	भरतपुर	990	3 फरवरी, 1986
7.	बीकानेर	3207	7 जुलाई, 1983
8.	बूंदी	209	21 जनवरी, 1988
9.	चित्तौड़गढ़	965	27 मई, 1986
10.	चुरू	107	31 मार्च, 1990
11.	धोलपुर	59	18 जून, 1989
12.	डूंगरपुर	163	12 नवम्बर, 1986
13.	जयपुर	42129	26 नवम्बर, 1981
14.	जैसलमेर	108	18 जनवरी, 1989
15.	जालोर	298	3 फरवरी, 1888
16.	झालावार	52	28 दिसम्बर, 1989
17.	झुनझुनू	298	20 अक्तूबर, 1987
18.	जोधपुर	10153	8 अप्रैल, 1983
19.	कोटा	5366	21 दिसम्बर, 1983
20.	नागौर	1648	12 जून, 1986
21.	पाली	952	18 जुलाई, 1987
22.	सवाई माधोपुर	421	22 अगस्त, 1988

1	2	3	4
23.	सीकर	766	6 फरवरी, 1985
24.	सिरोही	532	1 मई, 1986
25.	श्रीगंगानगर	2592	22 अक्तूबर, 1986
26.	टोंक	215	11 जनवरी, 1988
27.	उदयपुर	8951	16 फरवरी, 1982

कीटों का जैविकी नियंत्रण

[अनुवाद]

3587. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नीम जैसे बहुत से पौधों में कीड़ों को मारने के गुण विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से पौधे में कौन-कौन से कीटों को मारने की क्षमता है;

(ग) क्या नीम आदि पौधों से बने उत्पादों को प्रभावी पाया गया है और यदि हां, तो इन्हें आसानी से कहां से प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी उत्पादों की इस दृष्टि से जांच करने का विचार है जिससे पता लग सके कि वे जन स्वास्थ्य और कृषि के लिए हानिकर कीटों के लिए कितने प्रभावी हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) महोदय, ऐसा समझा जाता है कि भारत में 125 से अधिक पौधों में कीटनाशी गुण पाए जाते हैं। जिन प्रमुख पौधों में विभिन्न नाशी-कीटों के प्रति जैविक क्रिया होती है उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कुछ पौधों जैसे गुलदाउदी (क्राइसेंथिमम), तम्बाकू और नीम से मिले उत्पादों को नाशी कीटों के प्रबन्ध के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी पाया गया है। क्राइसेंथिमम से निकले पाइरेथ्रम, तम्बाकू से निकले निकोटीन और नीम का तेल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

(घ) अलग-अलग फसलों के प्रमुख नाशी कीटों और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कीट नाशकों की जैविक क्रिया से सम्बन्धित काम और कुछ आशावान पौध उत्पादों की जांच और छंटाई का कार्य विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पहले से ही चल रहा है।

विवरण

उन प्रमुख पौधों की सूची जिनमें प्रमुख नाशी कीटों को खत्म करने का गुणधर्म होता है

क्रम सं०	पौधे	नाशी कीट उनके विरुद्ध कारगर पाया गया
1	2	3
1.	क्राइसेंथिमम	सभी खेत पर खड़ी फसलों, भण्डारण और घरों में पाये जाने वाले सभी कीट नाशी।
2.	तम्बाकू (निकोटियाना टबेकम)	खेत की फसलों के कई नाशी कीट।
3.	डेरिस प्रजाति	खेत की फसलों के कई नाशी कीट।
4.	नीम (एजाडिरेक्टा इंडिका)	लगभग 250 नाशी कीट प्रजातियां जिनमें घरेलू मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा (कोक्रोच), भण्डार के कीट, टिड्डी, सफेद सूंडी और खेतों के कई नाशी कीट।
5.	धरेक (मेलिया ऐजेडेरेक)	टिड्डी, एपीलेकना, माहूं (एफिड), गोभी की तितली और भण्डारित अनाज के नाशी कीट।
6.	स्वीटफ्लेग (एकोरस कैलेमस)	माहूं, एपीलेकना, भण्डार के नाशीकीट, मच्छर, मक्खी, पक्षियों की चीचड़ी (लाइस), खटमल व कपड़ों के पतंगे आदि।
7.	एडेटोडा वैसिका	भण्डारण के नाशी कीट, ईरिया विट्टेल्ला
8.	कनेर (नेरियम ओडोरम)	मच्छर, मक्खी, एपीलेकना
	वेबाटिया मेरीकोलिया	मीलीबग, एपीलेकना
9.	शरीफा (कस्टर्ड एपिल) एनोना जाति	दालों के भृंग, मीलीबग, पत्ती फुदका, मक्खी, तिलचट्टे, माहूं और धान के नाशी कीट।
10.	लेंटाना (लेंटाना कैमेरा)	भण्डारण के कीट, सरसों की आरा-मक्खी (सॉ फ्लाई)
11.	लहसुन	दालों के भृंग, मच्छर, मक्खी, कपास के नाशी-कीट, तिलचट्टा, सफेद मक्खी।
12.	पोंगेमिया (पोंगेमिया ग्लेबरा)	दालों में भृंग, हेलियोथिस, आलू का कन्द पतंग, भण्डारण के नाशीकीट, स्पोडोप्टेरा, सफेद सूंडी।

1	2	3
13.	**मधुका ब्यूटिरेसी**	मच्छर, मक्खी, चेंपा (जेसिड), आलू के कन्द का पतंगा ।
14.	**डेफरोसिया परप्यूरा**	तम्बाकू की सूंडी ।
15.	**लेवेंडूला गिब्लोमी**	मक्खी, मच्छर, कपास का लाल बग, भण्डारण के नाशीकीट ।
16.	तुलसी (**ओसिमम सेंक्टम**)	बालों वाली सूंडी, पत्ती फुदका, कुम्मी की बरुथी (माइट) ।
17.	**आइपोमिया केमोरा**	दालों के भृंग ।
18.	**पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस**	दालों के भृंग, कपास के लाल भृंग, अरण्डी की बालों वाली सूंडिया, भण्डारण के नाशीकीट ।
19.	**ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस**	**हेलियोथिस**, तम्बाकू की सूंडिया ।
20.	**साइट्रोनेल्ला** जाति	तिलचट्टे, मच्छर, भण्डारण के कीट ।

पंजाब में दुग्ध उत्पादन

3588. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है;

(ख) किसानों से दूध किस दर पर खरीदा जाता है;

(ग) चन्डीगढ़ और पंजाब के बाहर दूध कितनी मात्रा में तथा किस बिक्री दर पर सप्लाई की जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि करने और किसानों को शीघ्र भुगतान करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में दूध का प्रत्याशित उत्पादन 49·00 लाख मीटरी टन आंका गया है।

(ख) हालांकि भैंस के दूध का मौजूदा औसत खरीद मूल्य 66 रुपये प्रति किलोग्राम फैट है, गाय के दूध के लिए 34·70 रु० प्रति किलोग्राम फैट है और सालिड-नाट-फैट (एस. एन. एफ) के लिए 23·10 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(ग) नीचे की सारणी में जुलाई, 1990 के दौरान पंजाब से बाहर भेजे गये दूध की मात्रा तथा उसकी दर का ब्यौरा दिया गया है :

		मात्रा (लाख लीटर)	प्रति लीटर दर (रुपये)
1.	चन्डीगढ़	18·01	मानकीकृत दूध—6·20 टौंड दूध —5·50 डबल टौंड दूध—5·00

2.	पंजाब से बाहर	14·41	मिश्रित दूध —6·45 गाय का दूध —4·85

(घ) पंजाब में दुग्ध सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि इसके वित्तीय विष्पादन को सुधारा जा सके जिसके फलस्वरूप किसानों को नियमित तथा समय पर अदायगी और अच्छी आय सुनिश्चित हो सकेगी।

महाराष्ट्र में वाट्‌रशेड परियोजनाओं के लिए धनराशि

[हिन्दी]

3589. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में वाट्‌रशेड परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक चालू हो जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य को 10·85 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

(ख) परियोजनावार ब्योरा निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपये में)
(1)	वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम	10·00
(2)	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	0·85
		10·85

(ग) ये परियोजनाएं पहले से ही कार्यरत हैं।

राजधनवार टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना तथा वहां से एस०टी०डी० की सुविधा प्रदान करना

3590. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह जिले में राजधनवार टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने तथा वहां से एस०टी०डी० और आई०एस०डी० सुविधायें प्रदान करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये सभी सुविधायें वहां कब तक प्रदान की जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। गिरिडीह जिले के राजधनवार टेलीफोन एक्सचेंज को आठवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने तथा उसमें एस०टी०डी० और आई०एस०डी० की सुविधाएं प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर एवं उपयुक्त संचारण माध्यम उपलब्ध हों।

दालों और तिलहनों की खरीद

3591. **श्री राघवजी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1989 से 31 जुलाई, 1990 तक सरकारी समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में दालों और तिलहनों की, अलग-अलग, खरीद की गई; और

(ख) 31 जुलाई, 1990 को सरकार अथवा इसकी एजेंसियों के पास इन मदों का कितना भंडार था ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जो भारत सरकार की केन्द्रीय नोडल एजेन्सी है, ने 1 नवम्बर 1989 से 31 जुलाई 1990 तक मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 7 मीटरी टन सूरजमुखी के बीज और 25,655 मीटरी टन खोपरा की खरीद की थी। चूंकि, दालों के मूल्य, घोषित समर्थन मूल्य से अधिक थे, अतः इस योजना के अन्तर्गत नेफेड द्वारा कोई खरीद नहीं की गई।

(ख) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार नेफेड के पास मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीदा गया खोपरा 22,511 मीटरी टन था।

जम्मू और कश्मीर के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयां

[अनुवाद]

3592. **श्री धर्मपाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीनगर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को दिल्ली में स्थानान्तरित किए जाने के कारण जम्मू और कश्मीर के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जम्मू में पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) श्रीनगर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में आग लग जाने के बाद यह फैसला किया गया था कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को पासपोर्ट सेवायें पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली से दी जाएं। इस पासपोर्ट कार्यालय को जम्मा दिए जाने की वजह से उत्पन्न कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का इस कार्यालय को यथाशीघ्र खोलने का विचार है।

(घ) लागू नहीं होता।

आस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार मन्त्री की भारत यात्रा

3593. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आर. एन. राकेश :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार मंत्री ने जुलाई, 1990 के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान कोई समझौता भी हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य एवं व्यापार मंत्री सीनेटर गैरेथ ईवांस ने 1-2 अगस्त, 1990 को भारत की यात्रा की थी।

(ख) बातचीत में द्विपक्षीय राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का तथा आर्थिक आदान-प्रदान की गति बढ़ाने और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया।

आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 50 मिराज जैट बेचने के अपने निर्णय पर भारत के खेद और निराशा की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया और हमारी चिंता को समझा। आस्ट्रेलिया ने हमें यह विश्वास दिलाया कि अगर लड़ाई छिड़ जाती है या लड़ाई छिड़ने लगती है तो वह इस बिक्री के बारे में पुनर्विचार करेगा। आस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि इनकी सुपुर्दगी अगले वर्ष से पहले होने की संभावना नहीं है।

क्षेत्रीय मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें फीजी की घटनाएं भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने फीजी में एक जातिवादी और अलोकतंत्रीय संविधान के लागू किए जाने पर चिंता व्यक्त की। सीनेटर ईवांस ने विदेश मंत्री को आस्ट्रेलिया आने का निमन्त्रण दिया। यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

[हिन्दी]

3594. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

8वीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदली जाने वाली स्थानीय स्विचिंग क्षमता

क्र. सं	दूरसंचार सर्किल	लाइनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,22,800
2.	असम	17,100
3.	बिहार	31,900
4.	दादर, नगर, हवेली, दमण और दीव सहित गुजरात	1,24,900
5.	हरियाणा	36,300
6.	जम्मू एवं कश्मीर	7,600
7.	कर्नाटक	1,04,200
8.	केरल	81,700
9.	मध्य प्रदेश	68,800
10.	गोआ सहित महाराष्ट्र	2,15,200
11.	अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड आदि सहित उत्तर पूर्व	18,600
12.	उड़ीसा	25,100
13.	पंजाब	74,300
14.	राजस्थान	63,100
15.	पांडिचेरी सहित तमिलनाडु	1,25,400

1	2	3
16.	उत्तर प्रदेश	1,10,200
17.	सिक्किम, अंडमान और निकोबार सहित पश्चिम बंगाल	1,05,000
18.	हिमाचल प्रदेश	16,500
19.	दिल्ली	17,7000
	योग	13,66,400

इलेक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों के लिए दूर संचार की विभेदक दरें लागू करना

[अनुवाद]

3595. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक प्राईवेट आटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंजों को प्रोत्साहन देने के लिए दूरसंचार की विभेदक दरें लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). ईपीबीएक्स/ईपीएबीएक्स के लिए निम्नानुसार अलग-अलग किराए हैं :—

इलेक्ट्रानिक प्राईवेट आटोमेटिक एक्सचेंज तथा प्राइवेट आटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज	वार्षिक किराया
(1) 25 लाइनों वाले पीएबीएक्स	40,000/-रु०
(2) 50 लाइनों वाले पीएबीएक्स	65,000/-रु०
(3) 100 लाइनों वाले पीएबीएक्स (गैर-विस्तारणीय)	1,80,000/-रु०

निम्नलिखित क्षमता वाले विस्तार की जाने वाली किस्म के पी०बी०एक्स० तथा पी०ए०बी०एक्स०	इलेक्ट्रानिक्स साधारण (लाख रुपए)	होटल
1. 100 लाइनें	1·8	2·25
2. 200 लाइनें	2·9	3·55
3. 300 लाइनें	4·0	4·85

4.	400 लाइनें	5·1	6·15
5.	500 लाइनें	6·2	7·45
6.	600 लाइनें	7·3	8·75
7.	700 लाइनें	8·4	10·05
8.	800 लाइनें	9·5	11·35
9.	9C0 लाइनें	10·6	12·65
10.	1000 लाइनें	12·5	15·00
11.	1100 लाइनें	13·6	16·30
12.	1200 लाइनें	14·7	17·60
	1200 लाइनों से अधिक की क्षमता वालों के मामले में उपयुंक्त मद (12) में ऊपर प्रत्येक 100 लाइनों के लिए किराए में वृद्धि।		

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोंडिया टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[हिन्दी]

3596. **डा० कुशाल परशराम बोपचे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोंडिया टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी नहीं। वर्तमान एक्सचेंज आठवीं योजना अवधि के दौरान आई सी पी क्रासबार टाइम मेन आटोमेटिक एक्सचेंज से बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) इस टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर का आर्डर पहले ही दिया जा चुका है और इस प्रकार की एक्सचेंज के लिए भवन निर्माणाधीन है। इस समय इसे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने से मेन आटोमेटिक एक्सचेंज सम्बन्धी परियोजना में विलम्ब होगा।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

3597. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उलसूर टेलीफोन एक्सचेंज, बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

3598. **श्री जौस फर्नान्डीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उलसूर टेलीफोन एक्सचेंज, बंगलोर में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) किस वर्ग तक की प्रतीक्षा सूची पूरी कर दी गई है;

(ग) वर्ष 1990 के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है; और

(घ) गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणियों को और अधिक नये कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). अलसूर टेलीफोन एक्सचेंज के अधीन 31-7-90 के अनुसार प्रतीक्षा सूची और जिस तारीख तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1990 की शेष अवधि (सितम्बर, 90 से दिसम्बर, 90 तक) के दौरान लगभग 600 टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने की आशा है।

(घ) सरकार द्वारा नान ओ. वाई. टी. वर्गों के व्यक्तियों को नये कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

अलसूर में एक 2000 लाइनों के ई-10 बी एक्सचेन्ज (आर०एल०यू) का प्रस्ताव है। साथ ही मौजूदा 4000 लाइनों के सी-डाट एक्सचेन्ज के बदले में 10000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक (सी-डॉट) एक्सचेन्ज का आबंटन किया गया है। इन दो एक्सचेन्जों के संस्थापित किए जाने से इन एक्सचेन्जों के चालू किए जाने के बाद लगभग 7000 कनेक्शन क्रमिक रूप से जारी किए जाने की आशा है।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	वर्गवार प्रतीक्षा सूची	जिस तारीक से टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं
1	2	3
अलसूर 1 और 2	गैर-ओ वाई टी सामान्य—9342	19.4.84
	गैर-ओ वाई टी विशेष — 331	28.2.89

1	2	3
	गैर-ओ वाई टी एस एस— 37	9.3.90
	ओ वाई टी सामान्य — 747	29.5.89
	ओ वाई टी विशेष — 100	2.2.90
	तत्काल — 51	19.12.89
अलसूर(सी-डॉट)	गैर-ओ वाई टी सामान्य— 380	30.9.86
	गैर-ओ वाई टी विशेष — 2	9.11.89
	गैर-ओ वाई टी एस एस— 4	5.6.90
	ओ वाई टी सामान्य — 10	15.11.89
	ओ वाई टी विशेष — 4	6.3.90
	तत्काल — 2	21.2.89

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु सहायता

3599. **श्री बी० एम० रेड्डी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बाढ़ और वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी०उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). बाढ़ और तूफान से हुई क्षति के लिए चालू वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर 50·00 लाख रु० की राशि जारी की गई है, जिसका अभी पूर्णत: प्रयोग नहीं किया गया है ।

टेलीफोनों को सही करने के लिए समय सीमा

[हिन्दी]

3600. **श्री हरीश रावत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हर महीने औसतन कितने टेलीफोन खराब अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं;

(ख) क्या इन टेलीफोनों के बारे में शिकायतें प्राप्त होने के बाद इन्हें ठीक करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अधिकतम समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या ऐसे सभी टेलीफोन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सही कर दिए गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समय-सीमा के भीतर ठीक न दिए गये टेलीफोनों की प्रतिशतता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली में प्रतिमास खराब होने वाले टेलीफोनों की औसत संख्या लगभग 1,20,000 है जो प्रति 100 चालू टेलीफोनों का 25 8 प्रतिशत है ।

(ख) से (घ). कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है । तथापि दोष को यथाशीघ्र सुधारने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है । बुक किए गए लगभग 75% दोष उसी दिन दूर किए जाते हैं तथा शेष में से अधिकांश अगले दिन निपटाए जाते हैं । क्षतिग्रस्त होने के कारण भूमिगत केबिलों में जो खराबी आ जाती है उसे दूर करने में कुछ अधिक समय लगता है, इनमें अधिकांश का निपटान तीन दिन के भीतर कर दिया जाता है ।

(ङ) दोषपूर्ण जिन टेलीफोनों की मरम्मत तीन दिनों के भीतर नहीं कर दी जाती है उनकी प्रतिशतता वर्षा ऋतु में 3% होती है ।

जहाज मरम्मत की सुविधाएं

[अनुवाद]

3601. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में जहाजों की मरम्मत का कार्य विदेशों में कराया जा रहा है जब कि जहाजों की मरम्मत की सुविधाएं हमारे देश में भी उपलब्ध हैं;

(ख) विदेशों में कराई गई जहाजों की मरम्मत पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(ग) क्या सरकार का देश में जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां । यद्यपि देश में सीमित जहाज मरम्मत सुविधायें उपलब्ध हैं, फिर भी निम्नलिखित कारणों से बड़ी संख्या में जहाजों को मरम्मत के लिए विदेश जाने दिया जाता है :

(1) बेड़े की जहाज-मरम्मत हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं;

(2) जो जहाज विदेश व्यापार में लगे हैं और भारतीय तट का स्पर्श भी नहीं करते, उन्हें विदेशी शिपयार्डों से मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है;

(3) भारतीय मरम्मत यार्डों में जिन जहाजों की मरम्मत की जा सकती है उनकी अधिकतम आकार सीमा लम्बाई में 250 मीटर और चौड़ाई में 40 मीटर है तथा इस आकार से बड़े जहाजों को मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है; और

(4) जो जहाज विदेशी ट्रिप पर होते हैं और उन्हें आपात् मरम्मत की जरूरत होती है तो उन्हें विदेशी शिपयार्डों से मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है ।

तथापि, देश में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए नौवहन महानिदेशक विभिन्न जहाज मरम्मत यार्डों/शुष्क गोदियों में स्लाट्स आवंटित करने के लिए नौवहन कम्पनियों और मरम्मत यार्डों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठक करते हैं। नौवहन महानिदेशक विदेशों से जहाजों की मरम्मत कराने की अनुमति केवल ऐसे मामलों में ही देते हैं जहां देश में अपेक्षित स्लाट्स उपलब्ध नहीं होते।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशों से जहाजों की मरम्मत पर निम्नलिखित विदेशी मुद्रा खर्च हुई :

वर्ष	जहाजों की संख्या	किया गया खर्च (करोड़ रु०)
1985-86	171	49·47
1986-87	225	42·68
1987-88	260	54·76
1988-89	288	102·65
1989-90	283	114·10

(ग) और (घ). भारी बजटगत कठिनाइयों को देखते हुए सरकार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में किसी नई जहाज मरम्मत सुविधा का सृजन करना संभव नहीं होगा। तथापि, निधियां उपलब्ध होने पर देश में जहाज-मरम्मत सुविधाओं को आधुनिक बनाने और कुछेक जहाज मरम्मत सुविधाओं में थोड़ी बहुत वृद्धि करने की कुछ स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाओं के सृजन के लिए निजी उद्यमियों को इस सेक्टर में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जहाज मरम्मत उद्योग को कई रियायतें और प्रोत्साहन भी दिए हैं। हाल ही में मद्रास पत्तन में निजी क्षेत्र में दो फ्लोटिंग शुष्क गोदियों सहित एक आधुनिक जहाज मरम्मत यूनिट की स्थापना की गई है।

नागालैंड में किसानों को प्रोत्साहन

3602. **श्री शिकिहो सेमा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गये हैं; और

(ख) राज्य में बारानी खेती, वाटर-शैड प्रबन्ध एवं कमान भूमि सहित क्षेत्र पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से नागालैण्ड में कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कई योजनायें शुरू की हैं। इन योजनाओं में झूम खेती का नियंत्रण, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, मछली पालक विकास एजेन्सियां, पशुधन विकास योजनायें आदि शामिल हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नागालैण्ड में वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना और कमान क्षेत्र विकास की योजनायें शुरू नहीं की गई हैं।

तमिलनाडु में दूरसंचार प्रणाली का विकास

3603. **श्री इरा अन्बारासु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान तमिलनाडु में दूरसंचार प्रणाली के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में निम्नलिखित प्रमुख बातों की व्यवस्था है :

(1) लगभग 4.1 लाख लाइनों की अतिरिक्त स्थानीय स्विचन क्षमता।

(2) सभी मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण।

(3) सेवा के लिए अयोग्य बेकार पड़े सभी एक्सचेंजों को बदलना।

(4) लगभग 3950 लाइनों को उपभोक्ता डायलिंग टैलेक्स क्षमता में वृद्धि।

(5) जिला मुख्यालयों/उप मण्डलीय मुख्यालयों और तीर्थस्थान तथा पर्यटक केन्द्रों के सभी एक्सचेंजों में उपभोक्ता डायलिंग सुविधा की व्यवस्था।

(6) सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा।

"इंडिका" चावल का विकास

[हिन्दी]

3604. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने "इंडिका" नामक चावल की एक किस्म विकसित की है;

(ख) क्या इससे निर्यात बाजार में "बासमती" चावल के लिए चुनौती पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, जापान ने इंडिका धान के विकास पर कार्य शुरू किया है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा तमिल शरणार्थियों का वापस लिया जाना

[अनुवाद]

3605. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार थोड़े समय पहले भारत आए सभी तमिल शरणार्थियों को वापस लेने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने शरणार्थी वापस चले गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं कि श्रीलंका के रक्षा राज्यमंत्री ने 20 जुलाई को श्रीलंका की संसद में यह कहा है कि श्रीलंका की सरकार इस समय तमिलनाडु में रहने वाले तमिल शरणार्थियों को वापस लेने और पर्याप्त सुरक्षा के साथ उनकी देखभाल करने के लिए तैयार है।

(ग) जुलाई, 1983 से अक्तूबर, 1987 तक श्रीलंका के 19,581 शरणार्थी स्वेच्छा से श्रीलंका लौट गये थे। 24 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 1989 के बीच 25,585 शरणार्थी भारत सरकार द्वारा किए गये प्रबन्धों के तहत श्रीलंका लौटे थे। इस प्रकार अब तक 45,166 शरणार्थी श्रीलंका लौट चुके हैं।

बस्तर जिले में नये डाकघर खोलना

[हिन्दी]

3606. श्री मानकूराम सोढी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों पर अनुमानतः कितना वार्षिक खर्चा आता है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस राशि में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). विभाग में इस समय इस्तेमाल में लाये जा रहे बजट सम्बन्धी शीर्ष, मौजूदा डाकघरों के व्यय को बुक करने में "शहरी" और "ग्रामीण" के व्यय में अन्तर नहीं रखा जाता, तथापि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने पर होने वाले व्यय को अलग से दिखाया जाता है। जानकारी इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

नए डाकघर खोलने पर हुआ व्यय	वास्तविक 1988-89	संशोधित प्राक्कलन 1989-90	बजट प्राक्कलन 1990-91
(1) ग्रामीण क्षेत्र	55·71	260	100
(2) जन-जातीय क्षेत्र	5·10	28	25

(ग) 1990-91 के दौरान नए डाकघर खोलने के प्रस्तावों को, आठवीं योजना में अपनाये जाने वाले मानदण्डों को अन्तिम रूप देते ही तैयार किया जाना है ।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3607. **श्री छीतू भाई देवजी भाई गामित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सूरत जिले के वलोद, ब्यारा, बारदोली, मन्दावी, सोंगर में नये इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां । ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की किस्म
1.	वलोद	512 पोर्ट आई००एल०टी०
2.	ब्यारा	2048 पोर्ट आई०एल०टी०
3.	बारदोली	2500 लाइनें सी-डॉट 'मैक्स'
4.	मन्दावी	512 पोर्ट सी-डाट
5.	सोंगर	512 पोर्ट सी-डॉट

(ख) 1991-92 के दौरान बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो ।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गये पत्रकारों के आश्रितों को राहत

[अनुवाद]

3608. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 के बाद पंजाब में आतंकवादियों द्वारा हिंसा के दौरान कितने पत्रकार मारे गये;

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मृतकों के परिवारों को क्या सहायता/रियायतें प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी विधवाओं तथा अवयस्क बच्चों को पेंशन देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग). आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली राहत के बारे में पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, शोक संतप्त परिवारों को 50,000/- रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाती है । हिंसा में शिकार हुए ऐसे व्यक्तियों की विधवाओं या पात्र आश्रितों को भी 1000/- रु० प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना और टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

3609. **श्री तारीफ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां डाकघर और टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और सरकार का दिल्ली के सभी ग्रामों में ये सुविधायें कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : **डाकघर सुविधाएं** : दिल्ली संघ शासित राज्य में 116 ऐसे गांव हैं, जहां स्थानीय डाकघर नहीं है तथापि, इन गांवों को लेटर बाक्स सुविधा प्रदान की गई और उन गांवों में डाक वितरण का कार्य प्रतिदिन होता है । जबकि सभी गांवों में डाकघर खोलने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं, लेकिन जो निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं, वहां पर डाकघर खोलने के मामले पर विचार किया जाता है ।

टेलीफोन सुविधा : नांगलोई, नजफगढ़, अलीपुर, नरेला, बादली और छतरपुर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं ।

तथापि 214 में से 59 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध हैं । शेष स्थानों में भी आठवीं योजना के अंत तक उत्तरोत्तर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के प्रस्ताव हैं।

बिहार में दूरसंचार सेवायें

3610. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में बिगड़ती हुई दूरसंचार सेवाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन सेवाओं में सुधार के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में दूरसंचार सेवाओं में बल्कि धीरे-धीरे सुधार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, निम्नलिखित कार्रवाईयां की गयी हैं :

(1) पटना तथा रांची में उच्च क्षमता वाले ई-10 बी किस्म के इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं।

(2) पिछले 4 महीनों के दौरान पांच जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा सहित इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं।

(3) सभी मैनुअल तथा पुराने स्ट्रोजर एक्सचेंजों को धीरे-धीरे इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से बदला जा रहा है।

(4) उपभोक्ता के लूपों में जेली भरी केबिलों, केबिल डक्टों, ड्राप वायरों का इस्तेमाल करके केबिल दाबानुकूलन द्वारा उपभोक्ता परिसरों में उचित फिटिंग द्वारा पुराने टेलीफोनों आदि को बदल करके बाहरी नेटवर्क को अपग्रेड किया जा रहा है।

मुम्बई और न्यू मुम्बई के बीच सीधी डायल सेवा

3611. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और न्यू मुम्बई के बीच सीधी स्थानीय डायल सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ग) महानगर टेलीफोन निगम द्वारा टेलीफोन प्रयोक्ताओं से इस सुविधा के लिए किस दर से शुल्क वसूल किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। बम्बई और नई बंबई के लिए संयुक्त नंबरिंग योजना चलाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). इस मामले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कालों के लिए टेरिफ, चार्जिंग एरिया के आधार पर विभाग के नियमानुसार होगा।

सरसों का उत्पादन

3612. **चौधरी मुल्तान सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरसों के उत्पादन में गिरावट के कारण इसके मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सरसों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले कुछ वर्षों से रेपसीड/सरसों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही है और उत्पादन 1985-86 के 26·8 लाख मीटरी टन के स्तर से बढ़कर 1988-89 में 44 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया। क्योंकि अभी भी तिलहनों के सम्पूर्ण उत्पादन में कमी रह गयी है तथा खाद्य तेलों की मांग एवं उसकी आपूर्ति में अन्तराल बना हुआ है, इसलिए मूंगफली जैसे अन्य तिलहनों के साथ-साथ सरसों की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 17 प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों के 180 जनपदों को कवर करते हुए सातवीं योजना के पूरे समय तक जारी रही। तिलहन उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया जिसमें राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना वाले 151 जनपदों सहित 17 राज्यों के 250 जनपदों को कवर किया गया था। दोनों योजनाओं में रेपसीड/सरसों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तिलहन के रूप में सम्मिलित किया है।

अब दोनों योजनाओं को मिलाकर एक नयी योजना अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम बना दी गई है। रेपसीड/सरसों सहित नौ तिलहनों के विकास के लिए तिलहन विकास कार्यक्रम को 18 राज्यों के 282 जनपदों में क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) और (घ). जी, हां। 1990-91 के लिए नौ तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य निम्न प्रकार है :

उत्पादन लाख मीटरी टन में

फसल	खरीफ	रबी	कुल
मूंगफली	66.5	22.0	88.5
रेपसीड-सरसों	—	44.0	44·0
सोयाबीन	18.0	—	18.0
तिल	4.7	1.0	5.7
सूरजमुखी	3.3	3.0	6.3
कुसुम	—	5.5	5.5
रामतिल	2.0	—	2·0
अलसी	—	4.5	4.5
अरण्डी	5·5	—	5·5
	100·0	80·0	180·0

(ङ) और (च). खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आयातित तेलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता को पूरा करने के लिए तथा उनकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अधिप्राप्त किए गये आयातित एवं देशी तेलों को बाजार हस्तक्षेप प्रचालन के अन्तर्गत खुले बाजार में निर्मुक्त किया जा रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखे जाने से घरेलू तिलहनों के मूल्य भी नियंत्रित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, जमाखोरी और अनुचित लाभ पाने की प्रवृति को रोकने के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों दोनों के लिए भंडारण सीमा को कम कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें

[अनुवाद]

3613. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी वर्ष 1990-91 के विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस राज्य में इन सुविधाओं का विस्तार अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

उड़ीसा में डाकघर भवनों का निर्माण

3614. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में डाकघरों के लिए कितने भवनों का निर्माण किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) जाजपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र में विशेषकर जाजपुर प्रधान डाकघर और जाजपुर रोड प्रधान डाकघर के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इस वर्ष दसरथपुर, मंगलपुर, सिघंपुर, प्रीतिपुर, बनी-कुट्टेयर, रसूलपुर और बदराचाना उप-डाकघर भवनों का भी निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उड़ीसा में डाकघरों के लिए 14 भवनों के निर्माण का कार्य 1990-91 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है। इस राज्य में चालू निर्माण कार्यों को मिलाकर सभी भवन परियोजनाओं के लिए 125 लाख रुपए का कुल आबंटन किया गया है।

(ख) लगभग 5 लाख रुपए।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस समय, इन डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा मुद्रित मानचित्र में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को न दर्शाया जाना

3615. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमनेस्टी इण्टरनेशनल द्वारा मुद्रित एक मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को नहीं दर्शाया गया है और यह भारत में परिचालित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1990 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का एक छोटा-सा सादा नक्शा भी छपा है । इस नक्शे में भारत को जिस तरह चित्रित किया गया है, वह स्पष्ट रूप से गलत है, हालांकि इसका विवरण साफ नहीं दिखाई देता ।

(ख) सरकार इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

कर्नाटक में जापानी सहायता प्राप्त फार्म विकास परियोजना

3616. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में जापानी सहायता प्राप्त फार्म विकास परियोजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई धन-राशि मंजूर की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों में नए डाकघर खोलना

[हिन्दी]

3617. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों के उन गांवों के क्या-क्या नाम हैं, जहां नए डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) ये डाकघर कब से अपना कार्य शुरू करेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वार्षिक योजना, 1990-91 में डाक नेटवर्क के विस्तार का एक कार्यक्रम है।

(ख) और (ग). सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का काम हाथ में लिया गया है जिसके आधार पर आठवीं योजना में डाकघर खोलने के मापदण्ड बनाये जाने हैं। अन्य राज्यों के समान, गुजरात में खोले जाने वाले नये ग्रामीण डाकघरों को संशोधित मापदण्ड तय होते ही निर्धारित किया जाना है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के मुजफ्फरपुर पिपराकोठी-रक्सौल खंड का सुधार

3618. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के मुजफ्फरपुर पिपराकोठी-रक्सौल खंड की हालत सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के०पी०उन्नीकृष्णन) : बिहार में मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी-रक्सौल खंड, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28-ए और रा०रा०मार्ग 28 का एक भाग आता है, सामान्य तौर से यातायात लायक स्थिति में हैं। सामान्य रख-रखाव और मरम्मत कार्यों के अतिरिक्त, इस खंड के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 510.27 लाख रु० के सुधार कार्य स्वीकृत किए गये थे और इनमें से अधिकांश प्रगति पर हैं। इसके अलावा, इस खंड के लिए गत दो वर्षों में बाढ़ क्षति मरम्मत कार्यों हेतु 20.29 लाख रु० का अनुमोदन किया गया था।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा डेरी उत्पादों का निर्यात

[अनुवाद]

3619. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने डेरी उत्पादों के निर्यात और निर्यात के बदले में खाद्य तेलों के आयात के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग). सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है जिससे भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा निर्यात किए गये डेरी उत्पादों से कमाई गई विदेशी मुद्रा में से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लिए एक लाख मीटरी टन पामोलीन का आयात करना है।

दिल्ली प्रशासन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

3620. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु भारी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब से लम्बित पड़े हैं और विभाग-वार इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्तनों के विकास हेतु धनराशि का आबंटन

3621. **श्री नकुल नायक** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पत्तनों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने तथा कार्गो आवागमन सुविधा का विस्तार करने के लिए वर्ष 1990-91 में कुल कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ छोटे पत्तनों को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ बड़े पत्तनों को सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन बड़े पत्तनों को यह निर्देश दिए गये हैं, किन-किन छोटे पत्तनों को ऋण दिया जाना है तथा किस प्रयोजन हेतु ऋण दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के०पी०उन्नीकृष्णन) : (क) महापत्तनों के लिए वर्ष 1990-91 हेतु कुल अनुमोदित परिव्यय 472.04 करोड़ रु० है जिसमें से 372.38 करोड़ रु० जारी स्कीमों के लिए हैं और 99.66 करोड़ रु० पत्तन की मौजूदा आधार भूसंरचना में सुधार तथा सुविधाओं के विस्तार की नई स्कीमों के लिए है।

(ख) आबंटन के पत्तन वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राशि (करोड़ रु०)

क्र०सं०	पत्तन का नाम	जारी स्कीमें	नई स्कीमें	योग
1	2	3	4	5
1.	कलकत्ता	83.06	4.65	87.70
2.	हल्दिया गोदी परिसर	35.92	2.82	38.74
3.	बम्बई	35.11	8.07	43.18
4.	मद्रास	25.03	16.85	41.88

1	2	3	4	5
5.	विशाखापत्तनम	18.19	21.81	40.00
6.	कोचीन	41.41	8.59	50 00
7.	मुरगांव	2.30	3.46	5.76
8.	कांडला	22.39	9.10	31.49
9.	पादादीप	3.16	6.45	9.61
10.	तूतीकोरिन	3·65	2.45	6.10
11.	न्यू मंगलूर	1·17	4.31	5.48
12.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	101·00	11·10	112·10
		372·38	99·66	472·04

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर फैजाबाद बाई-पास

[हिन्दी]

3622. **श्री मित्रसेन यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर फैजाबाद बाई-पास का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां तो इस मार्ग का समय पर निर्माण कार्य पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार, निर्माण कार्य की धीमी गति के परिणामस्वरूप होने वाली यातायात की भीड़-भाड़ तथा दिन प्रतिदिन की सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). फैजाबाद बाईपास का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से शुरू किया गया है। अर्थवर्क्स और कलवर्ट्स (चरण-1) पूरे होने ही वाले हैं। सड़क पैदलपथ और 3 रोड ओवर ब्रिजों (चरण-2) के बाकी कार्य के लिए 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में 500·00 लाख रु० का प्रावधान है।

(घ) यह बता पाना समयपूर्व होगा कि बाईपास कब तक पूरा हो जायेगा, क्योंकि चरण-2 के निर्माण कार्यों को अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है।

गन्ने की उत्पादन लागत

[अनुवाद]

3623. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार गन्ने की उत्पादन लागत कितनी-कितनी थी और वर्ष 1990-91 में यह लागत कितनी-कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : कृषि फसलों की उत्पादन लागत के अनुमान, विभिन्न राज्यों में स्थित फील्ड एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों को रिकार्ड करके तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष का समय लग जाता है। तथापि, विभिन्न राज्यों में गन्ने की उत्पादन लागत पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में गन्ने की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	नवीनतम वर्ष	उत्पादन लागत
आन्ध्र प्रदेश	1987-88	23.24
बिहार	1983-84	13.25
हरियाणा	1986-87	12.12
कर्नाटक	1986-87	11.52
महाराष्ट्र	1987-88	17.13
तमिलनाडु	1987-88	15.18
उत्तर प्रदेश	1986-87	12.99

शाहबाद मरकन्डा में एस०टी०डी० सुविधा

[हिन्दी]

3624. **श्री जय प्रकाश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शाहबाद, मरकन्डा में शीघ्र ही एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) शाहबाद, मरकन्डा में चालू अवधि के दौरान ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) शाहबाद की मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को 1992-93 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से बदलने की योजना बनायी गयी है।

(ग) मार्च, 1993 तक, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करना

[अनुवाद]

3625. **श्री बी० एस० बासवराज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या यूरोपीय और जापानी बैंक ऋण देने के लिए ऊंची ब्याज दर और कम अवधि में उसकी अदायगी की शर्तें रख रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर इन देशों से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ). भारतीय नौवहन निगम ने दिसम्बर, 1988 से किसी विदेशी वाणिज्यिक ऋण के लिए समझौता नहीं किया है। अतः इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है कि निगम को वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई पेश आ रही है अथवा नहीं।

कृषि पदार्थों का समर्थन मूल्य

3626. **श्री विद्याधर गोखले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कृषि पदार्थों की सूची क्या है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सरकार ने 1990-91 विपणन वर्ष के लिए निम्नलिखित कृषि जिंसों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं :

धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, तुर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली (छिलके वाली), सोयाबीन (काली), सोयाबीन (पीली), सूरजमुखी के बीज, रेपसीड और सरसों, तोरिया, कुसुम, कपास (एफ-414/एच-777), कपास (एच-4), पटसन (असम में टी०डी० 5), गन्ना, खोपरा वर्ष 1990 के लिए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

3627. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में नये इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) इन एक्सचेंजों में कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) ऐसे प्रत्येक एक्सचेंज के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) उपस्कर प्राप्त होने पर मार्च 91 तक।

(ग) छोटे एक्सचेंज के लिए बड़ी मात्रा में आबंटन किया गया है। अन्य एक्सचेंजों के लिए 1990-91 में आबंटन किया गया है। ऐसे एक्सचेंजों के लिए प्रत्येक जिले में किया जाने वाला अनुमानित व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम	संस्थापित किए जाने वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	प्रत्येक जिले के लिए अपेक्षित धन राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
इलाहाबाद	12	370
बलिया	9	267
बहराईच	4	65
आजमगढ़	5	431
बस्ती	9	155
देवरिया	3	37
फतेहपुर	8	248
फैजाबाद	3	56
गाजीपुर	3	267
गोंडा	5	202
गोरखपुर	3	130
जौनपुर	5	41
मिर्जापुर	4	41
बाराबंकी	4	56

1	2	3
प्रतापगढ़	3	37
रायबरेली	4	313
सिद्धार्थनगर	1	83
सोनभद्र	1	83
सुल्तानपुर	2	97
वाराणसी	9	2156

बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में नये डाकघर खोलना

3628. **श्री छेदी पासवान :**
श्री कड़िया मुण्डा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में नये डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वार्षिक योजना 1990-91 में डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए एक मंजूरशुदा कार्यक्रम है। इसमें बिहार भी शामिल है।

(ख) और (ग). सातवीं योजना के कार्यक्रम का पहले से किए गये मूल्यांकन के आधार पर आठवीं योजना में डाकघर खोलने के लिए नये मापदंड बनाने का प्रस्ताव है। जैसे ही, नये मापदण्डों को अन्तिम रूप दिया जाएगा, वैसे ही अन्य राज्यों की तरह बिहार के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के प्रस्ताव हैं।

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

3629. **श्री वाई० रामकृष्ण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में बंगलौर नगर और अन्य नगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कर्नाटक में सभी जिला मुख्यालयों/नगरों में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बंगलौर शहर और अन्य शहरों के लिए सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 8वीं योजना का उद्देश्य है, 8वीं योजना के अंत तक 5000 लाइनों से कम की क्षमताओं के एक्सचेंजों में मांगने पर टेलीफोन प्रदान करना और 5000 लाइनों या इससे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक सीमित करना। यह वर्तमान मांग प्रक्षेपण के आधार पर है। इस उद्देश्य से 8वीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) 8वीं योजना के अंत तक यह आशा की जाती है कि 19 जिला मुख्यालयों में से 6 जिला मुख्यालयों में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और 4 में इलैक्ट्रॉनिक और अन्य एक्सचेंजों का मिश्रण होगा। अन्य जिला मुख्यालयों/शहरों में विभाग की नीति अनुसार इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज मौजूदा एक्सचेंजों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके बदले के तौर पर इस्तेमाल किए जायेंगे।

विवरण

क्र०सं०	शहर का नाम	31-7-90 के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बंगलूर	50700
2.	हुबली	4195
3.	मैसूर	3252
4.	बांगलकोट	85
5.	बेलगांव	954
6.	बेल्लारी	720
7.	भद्रवती	558
8.	बीदार	136
9.	बीजापुर	194
10.	चन्नापतना	124
11.	चिकमगलूर	153
12.	चित्रदुर्ग	186
13.	दवानगिरे	1190
14.	गदागबेतगिरि	212
15.	गंगावती	98

1	2	3
16.	गुलबर्गा	1612
17.	हरिहर	74
18.	हसन	463
19.	होसपेट	149
20.	कोलार	105
21.	के०जी०एफ०	72
22.	मंदया	251
23.	मंगलूर	3942
24.	रबकवि	19
25.	रायचूर	408
26.	रनबेनूर	82
27.	सिमोगा	1306
28.	तुमकुर	1492
29.	करवार	186
30.	मादीकेरी	80

दिल्ली में लक्जरी बसें चलाना

3630. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

डा० सी० सिलवेरा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के अधिक व्यस्त मार्ग पर "लक्जरी बसें" चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). दिल्ली में चुनिंदा रूटों पर स्पेशल स्टेज कैरिज सेवाएं शुरू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है इन सेवाओं के किराये दिल्ली परिवहन निगम के किरायों से अधिक होंगे इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को, जो सामान्यत: निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग की ओर आकर्षित करना है। इस स्कीम के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

3632. श्री सी० एम० नेगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में पौड़ी अथवा कोटद्वार में से किसी एक स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एक्सचेन्ज कब खोला जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पौड़ी और कोटद्वार में टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहे हैं।

(ख) से (ग). उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाना

3633. श्री के० चोक्का राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में राज्यवार चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दक्षिणी राज्यों में म्युनिसिपल सीमाओं के बाहर चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई निम्नलिखित है :

राज्य का नाम	चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई
1. आंध्र प्रदेश	9 कि०मी०
2. कर्नाटक	14 कि०मी०
3. तमिलनाडु	शून्य
4. पांडिचेरी	शून्य
5. केरल	शून्य
जोड़	23 कि. मी.

(ख) और (ग). आठवीं योजना के अन्तर्गत, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, आंध्र प्रदेश में से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि 123·4 कि. मी. की लम्बाई में निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है :

(1) एशियाई विकास बैंक सहायता के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर अनाकापल्ली और विशाखापत्तनम के बीच 40·6 कि. मी. की लम्बाई में 52 करोड़ रु० की लागत से चार लेन बनाने के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) वार्षिक योजना 1990-91 में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चिलाकालूरीपेट से विजयवाड़ा तक 82·80 कि. मी. लम्बाई में चार लेन बनाने के लिए बजट में 24·00 लाख रु० का बजट प्रावधान है।

मध्य प्रदेश के मुरैना में चम्बल नदी के बीहड़ों को समतल करना

[हिन्दी]

3634. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में डाकुओं की समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से चम्बल नदी के बीहड़ों को समतल करने के लिए कोई योजना बनाई गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है;

(ग) बीहड़ों को समतल करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) कितने एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध होगी और इससे कितने परिवारों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। डकैती की समस्या से निपटने के लिए 1987-88 से केन्द्रीय सहायता से बीहड़ भूमि में कृषि, वनरोपण आदि करके उसमें सुधार करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के घटकों में से एक घटक बीहड़ क्षेत्रों को समतल करना है।

(ख) से (घ). परिव्यय और वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है। 1989-90 तक, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें मुरैना जिला भी शामिल है, में 713·211 लाख रुपये व्यय किए गये हैं और उत्पादक प्रयोजनों के लिए 17222·763 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है। 1990-91 के लिए, 400 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सुधार की गई भूमि का निपटान कर लिये जाने के बाद ही लाभानुभोगी परिवारों का अनुमान लगाना संभव होगा।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की टेट्रापक/टेट्राब्रिक मशीनों का उपयोग

[अनुवाद]

3635. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों के दौरान, महीनेवार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एककवार दूध और अन्य वस्तुओं की पैकिंग

के लिए टेट्रापैक/टेट्राब्रिक मशीनों का अपनी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में औसतन कितना उपयोग किया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : सप्लाई की गई पैकेजिंग सामग्री पर आधारित, जनवरी, 1990 से छः महीने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पट्टे पर ली गई मशीनों की अधिष्ठापित क्षमता का माहवार प्रतिशत उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की टेट्रापैक/टेट्राब्रिक मशीनों की क्षमता का उपयोग

	1990 में अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत उपयोग					
एकक	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
दूध						
सूरत दुग्ध यूनियम	50.89	34.92	56.50	39.25	41.94	52.40
इन्दौर दुग्ध यूनियन	28.57	31.75	63.49	0.00	31.75	23.02
जयपुर दुग्ध यूनियन	0.00	12.70	0.00	7.62	0.00	14.92
*गुनट्टुर दुग्ध यूनियन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेलम दुग्ध यूनियन	10.40	32.05	49.60	0.00	10.00	0.00
अल्लेपे दुग्ध यूनियन	0.00	29.18	0.00	28.0[illegible]	17.51	0.00
विजयवाड़ा दुग्ध यूनियन	10.40	10.40	41.06	0.00	7[illegible].9	0.00
तेल						
आनन्द	72.73	63.64	100.00	18.18	90.91	90.91
जगुदन	68.18	47.73	27.27	95.45	0.00	41.25
दिल्ली	54.55	27.27	54.55	27.27	0.00	27.27
रस						
अताश, दिल्ली	43.83	154.22	186.69	32.47	97.40	146.10
अरिहंत, हैदराबाद	18.40	97.40	104.71	0.00	0.00	0.00
वेंकटेश, भोपाल	40.58	154.22	154.22	0.00	81.17	81.17

* गुनटुर : कोई सप्लाई नहीं की गई क्योंकि प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं के कारण संयंत्र बन्द कर दिया गया।

बिहार के झंझारपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र

[हिन्दी]

3636. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वित्तीय कठिनाईयों के कारण।

संसद के भूतपूर्व सदस्यों की सुरक्षा

3637. प्रो० मधुनाथ पाण्डेय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के कितने भूतपूर्व सदस्यों को उनके दिल्ली स्थित निवास-स्थान पर और उनके स्थानीय निवास स्थान पर अंग रक्षक प्रदान किए गये हैं; और

(ख) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा अपने-अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए अंग रक्षकों की मांग की गई है और उनमें से कितने सदस्यों को उनके परिवारों के लिए अब तक अंग रक्षक प्रदान नहीं किए जा सके हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). 21 भूतपूर्व सांसदों को दिल्ली में उनके निवास पर सुरक्षा प्रदान की गई है। व्यक्तियों और उनके परिवारों के सम्बन्ध उनके स्थानीय निवासों पर संबन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन्हें होने वाले खतरे का मूल्यांकन करने के बाद सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इस संबंध में हमारे पास विस्तृत सूचना उपलब्ध नही है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग के एकक

3638. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय टेलीफोन उद्योग आई० टी० आई० के विभिन्न एककों को स्वायत्त और स्वतन्त्र कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। तथापि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आई० टी० आई० की विभिन्न यूनिटों को व्यापक वित्तीय और प्रबन्धकीय शक्तियां दी जाएं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सेतु समुद्रम परियोजना

[अनुवाद]

3639. **श्री एन० डेनिस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सेतु समुद्रम" परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के ०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार को परियोजना की गहन जांच किए जाने की आवश्यकता की जानकारी है।

बिहार के गोड्डा जिले में मंडलीय डाकघर खोलना

[हिन्दी]

3640. **श्री जनार्दन यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने जिला मुख्यालयों में मंडलीय डाकघर नहीं है;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक मंडलीय डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) बिहार के गोड्डा जिले में मंडलीय डाकघर कब तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आठ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिहार के गोडा जिले में प्रधान डाकघर खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वर्ण मन्दिर के चारों ओर गलियारा योजना

3641. **स० अतिन्दर पाल सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा कारणों से अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर के चारों ओर गलियारा योजना लागू करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह योजना कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) गलियारा योजना के नक्शे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). स्वर्ण मन्दिर परिसर के इर्द-गिर्द 30 मीटर की परिधि के भीतर पड़ने वाली सभी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया है। सुरक्षा और पुरातत्व/ऐतिहासिक महत्व की सम्पत्तियों को छोड़कर इस प्रकार से अधिगृहीत की गई अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति को गिरा दिया गया है और मलबा हटाकर उस क्षेत्र को साफ कर

दिया गया है क्षेत्र के सौन्दर्यंकरण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और क्षेत्र में खूबसूरत पेड़ लगाये गये हैं। ट्यूबवेल, स्टोर्म वाटर ड्रेन्स, विद्युत उप-स्टेशन, ओवर हेड जलाशय, शौचालय सुविधायें इत्यादि के निर्माण के लिए कारंवाई शुरू की गई है। राज्य सरकार प्रारूप इत्यादि के लिए प्रत्ययात्मक योजना को अन्तिम रूप दे रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

[अनुवाद]

3642. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्डों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का उन डाकघरों को, जो पहले खोले गये थे और जिन्हें बाद में बन्द कर दिया गया था, पुन: खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं योजना के कार्यक्रम के मूल्यांकन के आधार पर आठवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डाकघर खोलने के नये मानदण्डों को तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं। सामान्य उपाय के रूप में नहीं। तथापि कुछ एक मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया है।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

3643. **श्री टी०बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कोई नये कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). भूमि राज्य का विषय होने के कारण भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, जून, 1990 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भूमि सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी थी। सम्मेलन की आम राय यह थी कि भूमि कानूनों में और संशोधन करने की बजाए मौजूदा कानूनों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जाए।

प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सम्बोधित अपने उद्‌घाटन भाषण में अधिकतम कृषि उत्पादकता की पूर्व-शर्त के रूप में भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन पर अत्यधिक बल दिया। इस पर अनुवर्ती कारंवाई करते हुए उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमन्त्रियों को भूमि के बेनामी लेन-देन का पता लगाने, आबंटितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा देने एवं ऐसी भूमि पर कब्जा करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा भूमि और गरीबों को इसके वितरण से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए भूमि न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) की स्थापना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में पत्र लिखा है।

सरकार ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए पहले ही संविधान की नवीं अनुसूची में 55 भूमि सुधार कानूनों को रखा है।

महाराष्ट्र में नये डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3644. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : *क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में कितने नये डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य पूरा हुआ ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) **डाकघर** : आठवीं योजना के दौरान अपनाये जाने वाले मानकों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्तावित नये डाकघर खोलने के वर्षवार लक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

तार घर : 1990-91 के लिए 45 तार घर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंज : (गोवा सहित) महाराष्ट्र सर्किल में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का लक्ष्य 1,28,869 लाइनों का है।

(ख) डाक घर : 1989-90 के लिए 180 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर और 8 विभागीय उप डाक घर खोलने का अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में 69 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर और 6 विभागीय उप डाक घर वास्तव में मंजूर किए गये।

तारघर : 1989-90 के लिए 100 तार घर खोलने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक रूप से 103 तार घर खोले गये।

टेलीफोन एक्सचेंज : वर्ष 1989-90 के लिए (गोवा सहित) महाराष्ट्र सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का लक्ष्य 82,249 लाइनों का रखा गया था जिनमें से कुल 78,325 लाइनों के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

दालों और तिलहनों का उत्पादन

3645. **श्री ललित विजय सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता के लिए "थ्रस्ट प्रोग्राम" अपनाया है;

(ख) बिहार के खेती योग्य बड़े भूक्षेत्र जिसे "मोकामसबारबिया ताल" कहा जाता है, में दालों और तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में दालों और तिलहनों के उत्पादन में कृषि के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मोकामा-बरहिया ताल क्षेत्र पटना, नालन्दा और मुंगेर जिलों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र तिलहनों के विकास के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल हैं। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) मूल रूप से इन क्षेत्रों के पौध रक्षण सम्बन्धी पहलुओं का ध्यान रखता है, जो दलहनों का उत्पादन बढ़ाने में एक प्रमुख समस्या है। राज्य सरकार को वर्ष 1990-91 के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 187·01 लाख रुपए और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) के अन्तर्गत 32·00 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, 1990-91 के अंतर्गत बिहार राज्य को 92·12 लाख रुपए की राशि भी मुहैया की गई है।

तूफान प्रभावित राज्य

3646. श्री के० एस० राव :

श्री जे० चोक्का राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के तूफान से प्रभावित आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने इस तूफान से हुई जान और माल को हानि का अन्तिम रूप से जांच/मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इन दो राज्यों में इससे जिला-वार लगभग कितने परिवार और कितने व्यक्ति प्रभावित हुए;

(घ) जिला-वार हुए जान और माल की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा 30 जून, 1990 तक प्रभावित राज्यों में तूफान-पीड़ितों के लिए किए गये राहत उपायों और राहत उपायों पर खर्च की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) मई, 1990 में तूफान से प्रभावित आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिले निम्न प्रकार हैं :

आन्ध्र प्रदेश : (1) श्रीकाकुलम (2) विजियानगरम (3) विशाखापट्टनम (4) पूर्वी गोदावरी (5) पश्चिमी गोदावरी (6) कृष्णा (7) गुन्तूर (8) प्रकासम (9) नेल्लोर (10) खम्माम

तमिलनाडु : (1) रामानाथपुरम (2) चेंगाई अन्ना (3) थन्जावूर (4) पुडिकोट्टाई (5) मद्रास (6) दक्षिण आरकोट

(ख) से (घ). भारत सरकार ने, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जान-माल को हुए नुकसान की सीमा का स्वतन्त्र रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने

सूचित किया है कि 77·81 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए और 928 जानें गयीं। जिला-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सम्पत्ति आदि के 2247·76 करोड़ रुपये के नुकसान की सूचना दी है। नुकसान का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि चेंगाई अन्ना और मद्रास जिलों में क्रमश: 12,142 और 149 परिवार प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के रामानाथपुरम (1), थंजावुर (2) चेंगाई अन्ना (6) और मद्रास (4) जिलों में 13 व्यक्तियों के मरने की सूचना दी गई है।

(ङ) प्राथमिक रूप से यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है, कि वह प्राकृतिक आपदाओं, जब तक कि वह आपदा "गम्भीर" न हो, से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराये। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाये हैं कि राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सभी सम्भव सहायता उन्हें दे दी जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-4 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा किए गये राहत उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-5 में दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत/पुन: स्थापना कार्यों के लिए 19 जुलाई 1990 तक 116·39 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में किए गये राहत कार्यों पर 37·92 लाख रुपये का खर्च किया है।

विवरण-1

आन्ध्र प्रदेश में मई, 1990 में आए समुद्री तूफान से प्रभावित जिलावार व्यक्तियों की संख्या

	जिला का नाम	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1.	श्रीकाकुलम	2·00
2.	विजियानगरम	3·00
3.	विशाखापत्तनम	6·75
4.	पूर्वी गोदावरी	12·32
5.	पश्चिमी गोदावरी	3·26
6.	कृष्णा	20·29
7.	गुन्टूर	23·65
8.	प्रकासम	3·00
9.	नेल्लोर	3·00
10.	खम्माम	0·55
		77·81

विवरण-2

आन्ध्र प्रदेश में मई, 1990 में आये समुद्री तूफान से मरे व्यक्तियों की संख्या

	जिलों के नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	7
2.	विजियानगरम	10
3.	विशाखापत्तनम	158
4.	पूर्वी गोदावरी	99
5.	पश्चिमी गोदावरी	25
6.	कृष्णा	218
7.	गुन्तूर	342
8.	प्रकासम	38
9.	नेल्लोर	5
10.	खम्माम	20
11.	अन्य जिले-नालगोण्डा, वारंगल, महबूबनगर और चित्तूर	6
		928

विवरण-3

आन्ध्र प्रदेश में मई, 1990 में आये समुद्री तूफान से हुई क्षति

	विभाग का नाम/मद	क्षति की मात्रा (करोड़ रुपये)
1.	निजी रिहायशी इकाई	550·00
2.	खाद्य और कृषि विभाग	
	(क) कृषि	289·34
	(ख) बागबानी	530·35
	(ग) विपणन	1·86
	(घ) मात्स्यकी	20·34
	(ङ) नागरिक आपूर्ति	7·41
	(च) पशुपालन	45·60
	(छ) भांडागार	8·06

1	2
3. सिंचाई विभाग	173·85
4. पंचायती राज	246·00
5. परिवहन सड़कें और भवन	
(क) सड़कें और भवन	123·00
(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	15·50
6. वन ऊर्जा और पर्यावरण विभाग	
(क) वन	24·98
(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	93·33
7. उद्योग विभाग	
(क) साधारण उद्योग	41·87
(ख) हथकरघा तथा वस्त्र	6·44
(ग) चीनी फैक्ट्रियाँ	3·82
(घ) रेशम उत्पादन	0·33
8. समाज कल्याण विभाग	
(क) समाज कल्याण	20·15
(ख) एस० सी० वित्त निगम	1·27
(ग) आवास निगम	7·40
9. शिक्षा विभाग	0·45
10. अग्निशमन सेवाएं	0·05
11. आवास नगर-पालिका प्रशासन	75·00
12. चिकित्सा और स्वास्थ्य	3·23
	2247·76

विवरण-4

केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

1. आन्ध्र प्रदेश :

1. 64·50 करोड़ रुपये की आपदा राहत निधि की सम्पूर्ण केन्द्रीय हिस्सेदारी निर्मुक्त कर दी गई है;

2. प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष मे 2 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है;

3. मृतकों के निकट सम्बन्धी को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए इण्डियन पीपल्स नेशनल कालामिटी ट्रस्ट से 78 लाख रुपये निर्मुक्त किए गये हैं;

4. जलप्लावित क्षेत्रों में असहाय लोगों के बचाव के लिए आवश्यक सहायता सेना द्वारा की गई और भोजन के पैकेट, दवा और पीने का पानी आदि विमान से गिराया गया;

5. रेलवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री के तीव्र आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई;

6. क्षतिग्रस्त दूर संचार प्रतिष्ठानों, सड़कों, और विद्युत और पुलों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए विशेष कृतक बल तैनात किए गये;

7. बीमा एजेंसियों को निर्देश दिए गये कि वे सभी बीमा दावों को तेजी से निपटाये;

8. दवाओं की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध करायी गयी;

9. भारतीय खाद्य निगम ने वर्षा से भीगे/रंगहीन धान और चावल खरीदा है जिसके लिए शर्तों में छूट दी गयी;

10. बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गयी;

11. बैंकों को निर्देश दिए गये कि वे बैंक ऋणों को स्थगित/निलम्बित/समय परिवर्तन करें और किसानों को नये उपभोग ऋण भी प्रदान करें;

12. कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए खरीफ 1990 के लिए 3.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अल्पावधि ऋण आवंटित किया गया;

13. आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा आवंटित की गई जैसे कि राज्य को आवश्यकता थी;

14. भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम ने बीजों की उपलब्ध किस्में प्रदान की हैं;

15. आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) 99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक लाख पक्के मकानों का निर्माण शुरू करेगा यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश द्वारा आवास और शहरी विकास निगम के सहयोग से तैयार की जा रही है;

16. केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने क्षेत्रों/गांवों/शहरों को अपनाया है।

2. **तमिलनाडु :**

इन्डियन पीपल्स नेचुरल कालामिटी ट्रस्ट द्वारा मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 3,25 लाख रुपये निर्मुक्त किए गये हैं।

विवरण-5

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा किए गये राहत उपाय

1. आन्ध्र प्रदेश

1. लगभग 6·5 लाख लोगों को बचाया गया और उन्हें 1749 राहत शिविरों में शरण दी गयी। बचाव कार्य में 766 सरकारी दल और 1100 वाहन लगाये गये थे। राहत आयुक्त सम्बन्धित जिला कलक्टरों से लगातार सम्पर्क साधे हुए थे, आवश्यक सहायता प्रदान की गयी और रक्षा सेनाओं द्वारा भी सहायता दी गयी।

2. प्रति क्षतिग्रस्त मकान 20 किलोग्राम चावल वितरित किया गया। कपड़े और बरतन भी वितरित किए गये।

3. राज्य सरकार के पैमाने के अनुसार मृतक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

2. तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने राहत कार्यों पर 37·92 लाख रुपए खर्च किए हैं।

रविवार और छुट्टी के दिनों में डाकघरों को खोलना

3647. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डाकघर रविवार तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों के दिनों में भी खुलते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या का राज्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू और आगामी वर्ष के दौरान ऐसे और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हाँ। चुनिन्दे महत्वपूर्ण डाकघरों को कार्य के सामान्य घण्टों और रविवार सहित अवकाश के दिनों में खुला रखा जाता है। देश में ऐसे 174 डाक घर हैं। उन्हें रात्रि डाक घर कहा जाता है।

(ख) उनकी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और अधिक रात्रि डाक घर खोलने की कोई योजना नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	रात्रि डाकघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	36
2.	असम	2

1	2	3
3.	बिहार	9
4.	गुजरात	11
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू व कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	7
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	महाराष्ट्र	14
12.	मेघालय	1
13.	उड़ीसा	7
14.	तमिलनाडु	13
15.	उत्तर प्रदेश	15
16.	पश्चिम बंगाल	10
17.	त्रिपुरा	1
18.	राजस्थान	6
19.	पंजाब	3
संघ राज्य क्षेत्र		
20.	चण्डीगढ	1
21.	दिल्ली	17
22.	पाण्डिचेरी	1
	योग :	174

राम मन्दिर निर्माण के लिए विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति दिए जाने के बारे में विश्व हिन्दु परिषद का आवेदन

3648. श्री चित्त बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हिन्दू परिषद ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण के लिए विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति दिए जाने के बारे में आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) राम मन्दिर के निर्माण का प्रस्तावित स्थान विवादास्पद होने और मामला न्यायाधीन होने के कारण यह विचार किया गया कि अनुमति देना उपयुक्त नहीं होगा ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत टेलीफोन निगम

[हिन्दी]

3649. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टेलीफोन निगमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) क्या उपभोक्ता मंचों द्वारा भी इस आशय की मांग की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार विभाग, महानगर टेलीफोन निगम लि० सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पहले से शामिल है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) में दिए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अपंग व्यक्तियों की जनगणना

[अनुवाद]

3650 **श्री वामनराव महाडीक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपंग व्यक्तियों की जनगणना पहले कब की गई थी;

(ख) देश की कुल जनसंख्या में सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है; और

(ग) अपंग, मूक एवं बधिर, मानसिक रूप से अल्पविकसित और मन्दबुद्धि व्यक्तियों की राज्यवार प्रतिशतता/संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). 1981 की जनगणना के अंग के रूप में वर्ष 1980 में मकान सूचीकरण कार्य के दौरान पूर्णतः अन्धे, पूर्णतः अपाहिज और पूर्णतः गूंगे व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई थी। 1980 के मकान सूचीकरण कार्य के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में ऐसे अपंग व्यक्तियों का प्रतिशत, असम को छोड़कर, 0·17 था ।

(ग) 1980 के मकान सूचीकरण कार्य से बहरे, मानसिक रूप से अल्पविकसित और मन्दबुद्धि वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि पूर्णतः अन्धे, पूर्णतः अपाहिज और पूर्णतः गूंगे व्यक्तियों का कुल जनसंख्या की तुलना में राज्यवार प्रतिशत (असम को छोड़कर) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुल जनसंख्या की तुलना में पूर्णतः अंधे, पूर्णतः अपाहिज और पूर्णतः गूंगे व्यक्तियों का प्रतिशत

	भारत/राज्य संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिशत		
		पूर्णतः अंधे	पूर्णतः अपाहिज	पूर्णतः गूंगे
	1	2	3	4
	भारत	0.07	0.06	0.04
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.07	0.06	0.06
2.	असम	*	*	*
3.	बिहार	0.06	0.05	0.03
4.	गुजरात	0.07	0.10	.04
5.	हरियाणा	0.06	0.04	0.03
6.	हिमाचल प्रदेश	0.09	0.06	0.10
7.	जम्मू व कश्मीर	0.06	0.08	0.08
8.	कर्नाटक	0.05	0.05	0.05
9.	केरल	0.03	0.05	0.04
10.	मध्य प्रदेश	0.10	0.07	0.03
11.	महाराष्ट्र	0.06	0.04	0.03
12.	मणिपुर	0.04	0.05	0.06
13.	मेघालय	0.08	0.06	0.06
14.	नागालैंड	0.07	0.07	0.22
15.	उड़ीसा	0.11	0.08	0.05
16.	पंजाब	0.05	0.04	0.02
17.	राजस्थान	0.14	0.06	0.04

18.	सिक्किम	0.06	0.11	0.61
19.	तमिलनाडु	0.06	0.06	0.06
20.	त्रिपुरा	0.07	0.07	0.05
21.	उत्तर प्रदेश	0.08	0.04	0.03
22.	पश्चिम बंगाल	0.05	0.06	0.07
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.06	0.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.06	0.24
3.	चण्डीगढ़	0.02	0.04	0.02
4.	दादरा और नागर हवेली	0.09	0.06	0.07
5.	दिल्ली	0.03	0.03	0.02
6.	गोवा, दमन और दीव	0.04	0.06	0.05
7.	लक्षद्वीप	0.19	0.09	0.11
8.	मिजोरम	0.07	0.09	0.15
9.	पाण्डिचेरी	0.08	0.05	0.05

* अशान्त वातावरण होने के कारण 1981 में जनगणना नहीं की गई। अतः असम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में पारादीप में मर्चेन्ट नेवी प्रशिक्षण केन्द्र

3651. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में एक मर्चेन्ट नेवी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). सीमेन्स (रेटिंग्स) प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित अथवा उसके स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूर-संचार सुविधाएं

[हिन्दी]

3652. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है और कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज और डाक घर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : डाक सुविधाएं : 1991 की वार्षिक योजना में, डाक नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राशि रु० 3 करोड़ है । 1000 नये शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

दूरसंचार सुविधायें :

जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

विदर्भ में नये डाकघर खोलना

[अनुवाद]

3653. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदर्भ में चालू वर्ष के दौरान कितने नये डाकघर खोले जायेंगे और कितने डाक घरों का दर्जा बढ़ाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विदर्भ क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंजों और तार घरों की स्थापना

3654. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र में उन विभिन्न शहरों/कस्बों के नाम क्या है जहां चालू वर्ष के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे, वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाया जायेगा और किन-किन में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ख) विदर्भ क्षेत्र में जिन स्थानों पर नये तार घर खोले जाएगे उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) किन-किन शहरों/कस्बों में 'रेक्स' एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान विदर्भ में जिन शहरों/कस्बों में नये टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है वे है:—

(i) नागपुर नेरी—1500 लाइनें

(ii) अकोला एम०आई०डी०सी०—ई०एस०ए०एक्स०(पी०ए०एम०) 200 लाइनें

वर्ष 1990-91 के दौरान जिन मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन/विस्तार करने की योजना है उनके नाम संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं ।

वर्ष 1990-91 के दौरान जिन मौजूदा एक्सचेंजों का एस०टी०डी० सेवा के साथ उन्नयन किये जाने की योजना है, वे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) विदर्भ में जिन नये तार घरों को खोलने की योजना है, वे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

(ग) जिन शहरों/कस्बों में आर०ए०एक्स० एक्सचेंज लगाने की योजना है, वे संलग्न विवरण-4 में दिए गये हैं।

उपर्युक्त सभी योजनाएं उपस्कर तथा संचारण माध्यम की उपलब्धता के अध्यधीन हैं।

विवरण-1

जिन मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके उन्नयन किए जाने की योजना है, उनकी सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज की किस्म	विस्तार की जाने वाली प्रस्तावित लाइनों की संख्या
1.	नागपुर	नागपुर	ई-10 (बी)	3000 लाइनें
2.	अमरावती	अमरावती	एम०ए०एक्स०-1	400 लाइनें
3.	एम०आई०डी०सी० हिंगोरा	नागपुर	एम-11	600 लाइनें
4.	कमपथी	नागपुर	एम-11	500 लाइनें
5.	बल्लारपुर	चांदा	एम-11	100 लाइनें
6.	बुलडाणा	बुलडाणा	वही	200 लाइनें
7.	चांदा एम०आई०डी०सी०	चांदा	वही	100 लाइनें
8.	खामगांव	बुलडाणा	वही	200 लाइनें
9.	गोंदिया	भंडारा	वही	200 लाइनें
10.	यवतमाल	यवतमाल	वही	200 लाइनें
11.	तुमसार	भंडारा	वही	100 लाइनें

विवरण-2

जिन मौजूदा एक्सचेंजों का एस०टी०डी० सुविधा के साथ उन्नयन किए जाने की योजना है, उनकी सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज की किस्म	एस०टी०डी/एन०एस०डी/ एम०एस०टी०डी०
1.	खामगांव	बुलडाणा	एम०ए०एक्स-II	एन०एस०डी०
2.	तुमसार	भंडारा	—वही—	—वही—
3.	कमलेश्वर	नागपुर	—वही—	—वही—
4.	मलकापुर	बुलडाणा	सी०बी०एम०	एम०एस०टी०डी०
5.	पांढर क्वाडा	यवतमाल	—वही—	—वही—
6.	बुलडाणा	बुलडाणा	एम०ए०एक्स-II	एन०एस०डी०
7.	बल्लारपुर	चन्द्रापुर	—वही—	—वही—

विवरण-3

वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले विभागीय तारघरों की सूची

क्र०सं०	विभागीय तारघर का नाम	जिला
1.	खामगांव	बुलडाणा
2.	गढ़चिरोली	गढ़चिरोली
3.	नागपुर सीतावर्दी	नागपुर
4.	नागपुर विवेकानंद नगर	नागपुर

उपर्युक्त के अलावा विदर्भ में 1990-91 के दौरान 45 तारघर (संयुक्त डाक व तारघर) खोलने की योजना है, बशर्ते कि तकनीकी व्यावहार्यता हो।

विवरण-4

आर०ए०एक्स० एक्सचेंज लगाने के लिए प्रस्तावित शहर/कस्बे

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	जिला	मौजूदा एक्सचेंज की किस्म	प्रस्तावित एक्सचेंज की किस्म
1	2	3	4	5
1.	कल्लम	यवतमाल	सी०बी०एन०	128 सी० डॉट
2.	अरमोरी	गढ़चिरोली	—वही—	सी-डॉट 128 पी०
3.	चमोरसी	—वही—	—वही—	128 सी० डाट

1	2	3	4	5
4.	अल्लापाली	गढ़ चिरौली	सी०बी०एन०	128 सी० डॉट
5.	सिरोंचा	—वही—	—वही—	64पी०एम०आई०एल०टी०
6.	महागांव	यवतमाल	—वही—	—वही—
7.	उमरेर	नागपुर	—वही—	512 पी०आई०एल०टी
8.	बालापुर	अकोला	—वही—	128 पी०सी० डाट
9.	धर्मी	अमरावती	—वही—	—वही—
10.	अर्जुनी मोरे गांव	भंडारा	—वही—	—वही—
11.	चिमूर	चांदा	—वही—	64 पी०एम०आई०एल०टी०
12.	कटोल	नागपुर	—वही—	512 पी०आई०एल०टी०
13.	अरवी	वर्धा	—वही—	—वही—
14.	फूल गांव	—वही—	—वही—	--वही—
15.	मूर्तिजापुर	अकोला	—वही—	—वही—
16.	शे-गांव	बुलडाणा	—वही—	—वही—
17.	करंजा	अकोला	—वही—	—वही—
18.	वरोरा	चांदा	—वही—	—वही—
19.	वराड़	अमरावती	—वही—	—वही—
20.	चिखली	बुलडाणा	—वही—	—वही—
21.	धमनगांव रेलवे	अमरावती	—वही—	—वही—
22.	नन्दूरा	बुलडाणा	—वही—	—वही—
23.	धाड़	बुलडाणा	एम०ए०एक्स०-III	128सी-डाट
24.	कलोधी बैलापुर	चांदा	—वही—	64 पीएमआईएलटी
25.	केलजार	वर्धा	—वही—	—वही—
26.	मनोरा	अकोला	—वही—	128 सी-डाट
27.	मन्द गांव केजी	अमरावती	—वही—	—वही—
28.	खेन्दूरजेनाघाट	—वही—	—वही—	—वही—
29.	मोहाधी	भंडारा	—वही—	128 पी०सी-डाट
30.	गोरे गांव	—वही—	—वही—	—वही—
31.	खोनी	भंडारा	एम०ए०एक्स०-III	—वही—

1	2	3	4	5
32.	बारवी	भंडारा	एम०ए०एक्स० III	128 पी०सी०डॉट
33.	सखरखेरा	बुलडाणा	—वही—	—वही—
34.	संग्रामपुर	—वही—	—वही—	—वही—
35.	अहिरी	गढ़चिरोली	—वही—	—वही—
36.	बूटीबूरी	नागपुर	—वही—	—वही—
37.	कोनढाली	—वही—	—वही—	—वही—
38.	मंसूर	--वही—	—वही—	—वही—
39.	रालेगांव	यवतमाल	—वही—	—वही—
40.	बरशीताकाली	अकोला	—वही—	64 पीएमआईएलटी
41.	भंडारा एम०आई०डी०सी०	भंडारा	—वही—	—वही—
42.	ब्रह्मणवड़ाथल	अमरावती	—वही—	—वही—
43.	बोरिया गांव	बुलडाणा	—वही—	—वही—
44.	कामरगांव	अकोला	—वही—	—वही—
45.	नंदगांव पेट	अमरावती	—वही—	—वही—
46.	केलवाड़	बुलडाणा	—वही—	—वही—
47.	नांमखेरा	नागपुर	—वही—	—वही—
48.	अकोला बाजार	यवतमाल	—वही—	—वही—
49.	पाटमस्वांगी	नागपुर	—वही—	—वही—
50.	सेवाग्राम	वर्धा	—वही—	200ई.एस.ए.एक्स पी.ए.एम.
51.	बोरगांव मंजू	अकोला	—वही—	128 पी०सी-डाट
52.	हेवारखेड़	—वही—	—वही—	—वही—
53.	तिवासा	अमरावती	—वही—	—वही—
54.	गोंदिया एम०आई०डी०सी	भंडारा	—वही—	—वही—
55.	सौनछाड़	—वही—	—वही—	—वही—
56.	मोटाला	बुलडाणा	—वही—	—वही—
57.	राजूर	यवतमाल	—वही—	—वही—
58.	छोटा बाजार	अकोला	—वही—	64 पीएमआईएलटी

1	2	3	4	5
59.	अरोही	नागपुर	एम०ए०एक्स० III	64 पी०एम०आई०एल०टी०
60.	कुही	—वही—	—वही—	—वही—
61.	कोकरदा	अमरावती	—वही —	—वही—
62.	शाहपुर	भंडारा	--वही—	—वही—
63.	डोंगगांव	बुलडाणा	—वही—	—वही –
64.	आशति	गढ़चिरौली	—वही—	—वही—
65.	दियोलगांवमाली	बुलडाणा	—वही—	—वही—
66.	अंदलगांव	—वही—	—वही—	—वही—
67.	हिवारखेड़	अमरावती	—वही—	—वही—
68.	जानेफल	बुलडाणा	—वही —	—वही—
69.	मुकुटबन	यवतमाल	— वही—	—वही—
70.	कमलेश्वर	नागपुर	एम०ए०एक्स०-II	512पी.आई.एल.टी.
71.	आर्नसिंग	अकोला	एम०ए०एक्स०-III	128 पी० सी-डाट
72.	पट्टूर	—वही—	—वही—	—वही—
73.	चिखलदारा	अमरावती	—वही—	—वही—
74.	लखनदूर	भंडारा	—वही—	—वही—
75.	बीबी	बुलडाणा	—वही—	—वही—
76.	ओबरवाही	भंडारा	—वही—	—वही—
77.	बोरियाराव	यवतमाल	—वही—	—वही—
78.	पिंजर	अकोला	—वही—	64 पीएमआईएलटी
79.	पुसादा	अमरावती	—वही—	—वही—
80.	आसे गांव	—वही —	—वही—	—वही—
81.	सालेकासा	भंडारा	—वही—	—वही—
82.	आमदापुर	बुलडाणा	—वही —	—वही—
83.	भाटेरगांव	—वही—	—वही—	—वही—
84.	सिंधकेदराजा	—वही—	—वही—	—वही—
85.	मोहाबा	नागपुर	—वही—	—वही—
86.	पन्नी (ए०एम०)	—वही—	—वही—	—वही—
87.	अबारापुर	चांदा	—वही—	—वही—
88.	मारेगांव	यवतमाल	—वही—	—वही—

व्यापक फसल बीमा योजना में खामियां

3655. **श्री शांताराम पोटदुखे :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक फसल बीमा योजना के कार्यकरण में पाई गई खामियों के बारे में ऋणदाता संस्थाओं—यथा सामान्य बीमा निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए इन सभी संस्थाओं में आपस में बेहतर सहयोग के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जिला स्तरीय ढांचा उपलब्ध कराकर, बृहत फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में लगी एजेंसियों के बीच उचित समन्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, ऋण संस्थाओं और साधारण बीमा निगम को उपयुक्त मार्ग निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

अफगानिस्तान के साथ हुआ समझौता

3656. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान ने जून 1990 में आर्थिक, वाणिज्यिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच नये क्षेत्रों के तकनीकी सहयोग शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). भारत-अफगान संयुक्त आयोग की नौवीं बैठक के समापन पर 13 जून, 1990 को एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें कृषि क्षेत्र से लेकर पण्यगत सहायता और दूर संचार तक के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। इस प्रोतोकोल में मानचित्रकला, दूर संचार, पर्यटन, मौसम विज्ञान तथा जल और विद्युत के नए क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। इन समझौतों में दूसरी बातों के अलावा, द्विपक्षीय व्यापार के स्तर को और औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, प्रौद्योगिक सम्पदा तथा कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने के लिए व्यवहार्य अध्ययन करने के भारत के वार्षिक अनुदान के स्तर को दुगना करना, अफगान तकनीकी कार्मिकों के लिए भारत में प्रशिक्षण सीटों की संख्या बढ़ाने तथा 35 भारतीय कार्मिकों की अफगान में प्रतिनियुक्ति शामिल है।

उड़ीसा में पुलों का निर्माण

3657. श्री डी०अमात : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित और चालू किए गये पुलों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : पुलों का ब्यौरा निम्न है :

क्र०सं०	रा०रा०सं०	पुल-कार्य का नाम
1	2	3
1.	6	348/0 कि०मी० पर आर्दई पर पुल
2.	6	488/0 कि०मी० पर पाथा गढ़ नाले पर पुल
3.	23	बोनाईगढ़ के समीप ब्राह्मणी पुल के दाईं ओर पहुंचमार्गों पर छोटा पुल।
4.	6	268 कि०मी० पर खारीचोई नाले पर छोटा पुल
5.	6	256/300 कि०मी० पर माट चक्र नाले पर पुल
6.	6	267/0 कि०मी० पर अंधारी नाले पर पुल
7.	42	59/3-4 माईल पर लिग्रा नदी पर पुल
8.	5	317 कि०मी० पर छोटा पुल
9.	23	मिसिंग लिंग के चेनेज .21680 मी० पर गोंमारिया नाले पर पुल
10.	5	263/90 कि०मी० पर छोटा पुल
11.	23	चेनेज 28490 पर नहर पर पुल
12.	5	खालीकोटे आस्का रोड पर आर ओ बी
13.	43	383/0-2 कि०मी० पर मालीगुडा-I पर छोटा पुल
14.	5	270/500 कि०मी० पर छोटा पुल
15.	42	173 कि०मी० पर गुनुखंग नाले पर पुल
16.	42	80/3 माईल पर मटालिया नाले पर छोटा पुल
17.	23	271/825 कि०मी० पर कुराधी नाले पर पुल
18.	23	ब्राह्मणी पुल की दाईं ओर के पहुंच मार्ग पर 292/530 कि० मी० पर छोटा पुल
19.	42	चेनेज 126/1-2 पर छोटा पुल

1		2	3
20.	23	मिसिंग लिंकों पर चेनेज 31497 पर छोटा पुल	
21.	23	चेनेज 36835 पर छोटा पुल	
22.	5	322·8 कि०मी० पर पहुंचमार्गों सहित छोटा पुल	
23.	23	धुमकाला घाट के समीप ब्राह्मणी नदी पर पुल	

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3658. **श्री डी०अमात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के विभिन्न जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में एक्सचेंज-वार कितने-कितने आवेदकों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क) 30.6.1990 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के विभिन्न जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार दी गई है :

क्र०सं०	जिला	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा-सूची	जिला के लिए कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	बालासोर	बालासोर	135	
		भद्रक	103	
		चांदीपुर	62	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	15	
		कुल	315	315
2.	बोलनगीर	बोलनगीर	7	
		कांटाबांजी	12	
		तितलागढ़	2	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	12	
		कुल	33	33

1	2	3	4	5
3.	कटक	कटक	1407	
		जाजपुर रोड	12	
		जाजपुर रोड शहर	6	
		कुंदरापाड़ा	10	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	42	
		कुल	1477	1477
4.	धेनकनाल	अंगुल	26	
		धेनकनाल	8	
		तलचेर	78	
		विक्रमपुर	3	
		नालकोनगर	8	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	15	
		कुल	138	138
5.	गंजम	बेरहामपुर	382	
		छतरापुर	2	
		असका	3	
		भंजानगर	1	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	15	
		कुल	403	403
6.	कालहामांडी	भवानीपटना	33	
		केसिंगा	1	
		कुल	34	34
7.	क्योंझर	बारबिल	28	
		क्योंझर	35	
		आनन्दपुर	3	
		जोडा	13	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	10	
		कुल	89	89

1	2	3	4	5
8.	कोरापुट	दामनजोडी	2	
		जेपुर	3	
		नौरंगपुर	2	
		रायगादा	67	
		सूनबेडा	24	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	9	
		कुल	107	107
9.	मयूरभंज	बारोपाड़ा	79	
		रायरंगपुर	3	
		करमजिया	1	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	10	
		कुल	93	93
10.	फूलबनी	फूलबनी	2	2
11.	पुरी	भुवनेश्वर	2073	
		बालूगांव	16	
		जातनी	41	
		मंचेश्वर	88	
		नीमापारा	2	
		पुरी	45	
		नयागढ़	5	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	27	
		कुल	2297	2297
12.	संबलपुर	बजराजनगर	12	
		संबलपुर	198	
		बारगढ़	26	
		बूरला	14	

1	2	3	4	5
		हीराकुण्ड	6	
		झरसूगुडा	25	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	10	
		कुल	291	291
13.	सुन्दरगढ़	राउरकेला	157	
		सुन्दरगढ़	11	
		राजगंगपुर	24	
		अन्य छोटे एक्सचेंज	5	
		कुल	197	197
				5476

भाग (क) आठवीं योजना के उद्देश्य ये हैं कि 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में, मांग होने पर, टेलीफोन प्रदान किए जायें तथा वर्तमान मांग प्रयोजनाओं के आधार पर आठवीं योजना के अन्त तक 5000 लाइनों तथा उससे अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक सीमित रखा जाए। इस उद्देश्य के साथ, वर्तमान प्रतीक्षा सूची का आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर निपटान करने के लिए विस्तार योजनायें तैयार की जा रही हैं।

कृषि सेवा केन्द्र

3659. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने-कितने कृषि सेवा केन्द्र बन्द किये गये हैं;

(ख) इन्हें बन्द करने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि सेवा केन्द्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ). भारत सरकार ने 1971 में कृषि सेवा केन्द्रों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी। इंजीनियरी में स्नातक और डिप्लोमा धारक तथा कृषि स्नातक बेरोजगार जिनके पास उद्योग/कृषि का पर्याप्त अनुभव है, कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के पात्र थे। इस योजना के अंतर्गत, उद्यमियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की गई तथा राजसहायता प्राप्त ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये गये। यह योजना 17 राज्य कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से क्रियान्वित की गई।

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई। उस समय तक 17 राज्यों में 3036 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए थे। 1 अप्रैल, 1979 से राज्य सरकारों द्वारा यह योजना कार्यान्वित की गई।

कुछ उद्यमियों ने अपने ऋणों की वसूली किए जाने के खिलाफ याचिकाएं दायर कीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर, 1985 के अपने अन्तरिम निर्णय में यह कहा कि यद्यपि हम इन मामलों को लम्बित रखते हैं तथापि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, सभी संबंधित पार्टियों से परामर्श करके योजना को दुबारा तैयार करे।

12 मई, 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्वास योजना दायर की गई थी। न्यायालय में कई बार सुनवाई हुई, परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है। इस प्रकार पुनः तैयार की गई योजना और उससे संबंधित मुद्दे अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं।

केरल में दूरसंचार केन्द्र

3660. **श्री पी०सी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिलावार कितने दूरसंचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वहां कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार एर्णाकुलम और कोट्टायम जिलों में कोई दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अब तक केरल में स्थापित दूरसंचार केन्द्रों की जिलावार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

सभी दूरसंचार केन्द्र तारों को बुक करने तथा स्थानीय, ट्रंक, एस०टी०डी० एवं आई०एस०डी० कालों के लिए दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करते हैं। 'फैक्स' और टेलैक्स कार्यों पर कागजात को पारेषित करने की सुविधाएं चुने हुए केन्द्रों पर ही प्रदान की जाती हैं।

(ख) जी, हां। इन दोनों जिलों में मौजूदा दूरसंचार केन्द्रों के अलावा और अधिक दूरसंचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

केरल में जिलावार दूरसंचार केन्द्रों की सूची

क्र०सं०	जिले का नाम	दूरसंचार केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	4
2.	क्विलोन	2
3.	पट्टनमथिट्टा	1

1	2	3
4.	कोट्टायम	3
5.	एर्नाकुलम	6
6.	अल्लेप्पी	1
7.	त्रिचुर	3
8.	पालघाट	2
9.	कालीकट	3
10.	इदुक्की	1
11.	कन्नानोर	2
12.	कासरगोड	1
13.	लक्षद्वीप	1

झारखंड का मामला

[हिन्दी]

3661. **श्री साइमन मरांडी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड के मामले से संबंधित समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी;

(ग) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) झारखंड के मामले से संबंधित समिति की कितनी बैठकें हुई और प्रत्येक बैठक पर कितनी धन राशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). बिहार सरकार की टिप्पणियां जानने के बाद रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा।

(घ) झारखण्ड मामलों की समिति ने दिल्ली में चार बार बैठकें कीं, जो कई दिनों तक चली। इसके विशेषज्ञ ग्रुप ने भी दिल्ली में कई बार बैठकें की। इसके अतिरिक्त, राज्य में क्षेत्रीय दौरा करने के अलावा, समिति ने पटना में बिहार राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया। समिति ने कलकत्ता तथा भुवनेश्वर में क्रमशः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें की। बैठक-वार व्यय के बारे में सूचना बिहार सरकार से मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा के लिए हेलीकाप्टर

[अनुवाद]

3662. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या गृह मंत्री दिल्ली अग्नि शमन सेवा के लिए हेलीकाप्टर के बारे में 10 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी अब एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग लगने के खतरों से इमारतों को बचाने के लिए शहर में बहुमंजिली इमारतों में अग्नि सुरक्षा द्वारों तथा खिड़कियों के उपयोग के संबंध में निरीक्षण करने के लिए दिल्ली अग्नि शमन सेवा को कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 10.5.1990 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8168 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की कार्यान्वयन रिपोर्ट का एक विवरण 24.8.1990 को संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय को सदन के पटल पर रखने के लिए भेजी गई है । इसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) और (घ). दिल्ली अग्नि शमन सेवाओं द्वारा किए जा रहे सामान्य निरीक्षणों के दौरान "कम्पार्टमेंटेशन" के अधीन इस पहलू पर ध्यान दिया जाता है ।

विवरण

नवीं लोक सभा का दूसरा सत्र, 1990

गृह मंत्रालय

प्रश्न संख्या और दिनांक	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूर्ति की गई	टिप्पणी
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति और श्री बनवारी लाल पुरोहित द्वारा दिनांक 10.5.1990 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 8168.	**दिल्ली अग्नि शमन सेवा के लिए हेलीकाप्टर** पूछा गया कि : (क) क्या दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा, बहुमंजिली इमारतों में आग लगने के दौरान फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने का कई बार अनुरोध किया जा चुका है; (ख) क्या बम्बई में ओबेराय होटल में हाल ही में लगी आग के दौरान इस भवन से सैकड़ों मेहमानों और अन्य कर्मचारियों को बाहर निकालने में नौसेना के हेलीकाप्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी;	(क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।	(क) जी नहीं, श्रीमान्। (ख) बम्बई के ओबेराय होटल में लगी आग को बुझाने के लिए अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों और अग्नि शमन उपकरणों को उतारने हेतु नौसेना के हेलीकाप्टरों की तीन उड़ानें उपलब्ध कराई गईं। नौसेना के हेलीकाप्टरों द्वारा निकास कार्य नहीं किया गया।	जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगा।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में, जहां बहुमंजिली इमारतें बहुतायत में हैं; अग्नि शमन सेवा के लिए हेली-काप्टर उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) तथा (घ). अग्नि शमन सेवाएं राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। अग्नि शमन सेवाओं में सुधार लाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए उपाय करने का काम प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है। दिल्ली के बारे में ऐसा कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चम्बल नदी पर पुलों का निर्माण

3663. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री चम्बल नदी पर उपरि-पुलों के निर्माण के बारे में 12 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4800 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल नदी पर दो स्थानों, पालीघाट और पिनहाटघाट पर निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित पुलों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन दो पुलों के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) संबंधित राज्य सरकारों का इसमें कितना योगदान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पालीघाट में चम्बल नदी पर पुल पहले ही निर्माणाधीन है और संस्वीकृति के समय 1981 में इसकी अनुमानित लागत 293.89 लाख रु० थी और पिनहाटघाट के पुल की लागत 532.70 लाख रु० है।

(ख) अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य-सड़कों से लिए स्कीम के अंतर्गत ऋण सहायता के रूप में पालीघाट पुल के लिए किया गया केन्द्रीय आबंटन 280 00 लाख रु० का है। पिनहाटघाट पुल के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा, लागत का 50% अर्थात् 266.35 लाख रु० है।

(ग) दोनों पुलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों का हिस्सा इस प्रकार है :—

	राजस्थान सरकार	**मध्य प्रदेश सरकार**
	(लाख रु०)	
पालीघाट पुल	147.50	132.50
	उत्तर प्रदेश सरकार	**मध्य प्रदेश सरकार**
पिनहाटघाट पुल	133.175	133.175

भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा माइक्रोवेव चिप्स का निर्माण

3664. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग का विचार एक अमरीकी फर्म के सहयोग से माइक्रोन-चिप्स का निर्माण करने का है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर क्या लागत आयेगी तथा इसके अमरीकी भागीदार और भारतीय टेलीफोन उद्योग की कितनी-कितनी भागीदारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विस्तार

3665. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के अन्त तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) आठवीं योजना में सम्मिलित की गई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की अन्य विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5.50 लाख नए कनेक्शन दिए जाने की आशा है।

(ग) म०टे०नि०लि० की बंबई में भी 6 लाख लाइनें प्रदान करने की योजना है, इसके अलावा दिल्ली और बंबई में क्रमश: 3900 और 2000 टेलेक्स लाइनें प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

वीडियोटेक्स, इलेक्ट्रोनिक मेल आदि जैसी नई सेवाएं भी शुरू करने की योजना है।

तार योजना

[हिन्दी]

3666. **कुमारी उमा भारती :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तार घर एस० एफ० टी० पद्धति से जुड़े हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने तार घर हैं जहां तार केवल अंग्रेजी में ही भेजे जा सकते हैं और ऐसे तार घर कितने हैं जहां तार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में भेजे जा सकते हैं; और

(ग) इस समय जिन तार घरों में एस० एफ० टी० पद्धति उपलब्ध नहीं है उनमें हिन्दी में तार भेजने के लिए यह पद्धति कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 423 तार घर एस० एफ० टी० प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

(ख) इस समय एस० एफ० टी० प्रणाली के द्वारा केवल अंग्रेजी में ही तार भेजे जा सकते हैं।

(ग) एस० एफ० टी० प्रणाली से हिन्दी तार भेजने के लिए और विकासात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रणाली में प्रोसेसर प्रचुरता की व्यवस्था करने के लिए एस० एफ० टी० प्रणालियों को उन्नत किया जा रहा है। देवनागरी लिपि में सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए कोई खास निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

दून घाटी के लिए एकीकृत जल विभाजक प्रबंध परियोजना

3667. **श्री एम० एस० पाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दून घाटी के लिए 1853.86 वर्ग किलोमीटर में वानिकी, फल उद्योग भू-संरक्षण, कृषि लघु उद्योग, क्षेत्र पशुपालन और पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के लिए एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना (इंटीग्रेटिड रेजरवायर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट) के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख). जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार से दून घाटी में पारिस्थितिकी के पुनः स्थापन संबंधी समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना हेतु विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव जून, 1990 मे प्राप्त हुआ है।

इस परियोजना का कुल परिव्यय 42.98 करोड़ रुपए है और इसके घटकों में वानिकी, बागवानी, कृषि, मृदा संरक्षण, पशु पालन, लघु सिंचाई, ऊर्जा संरक्षण आदि शामिल हैं।

विदेशी सहायता के लिए यह परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्रस्तुत की गई है, जिसने 26 जुलाई से 22 अगस्त, 1990 तक एक मिशन यहां भेजा था। परियोजना के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

योग और धर्म का उपदेश देने के लिए विदेश जाने वाले लोगों को पासपोर्ट जारी करना

3668. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग और धर्म का उपदेश देने के लिए भारत से विदेश जाने वाले लोगों को पासपोर्ट जारी करने में कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

मुम्बई में महिम से चर्च गेट तक "फ्रीवे" का निर्माण

[अनुवाद]

3669. **श्री राम नाईक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुम्बई में महिम से चर्च गेट तक "फ्रीवे" के निर्माण को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्रदान की गई। है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने के मामले में कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(घ) यह हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को यदि कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). यह परियोजना बम्बई शहर के भीतर ही है और केन्द्र सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार के अनुसार इस परियोजना के लिए उनके द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान बम्बई बचाओ समिति बम्बई पर्यावरण एक्शन दल, बान्द्रा बचाव समिति तथा दूसरों के, पर्यावरण की दृष्टि से, विचार सुने तथा वेस्ट आइलैंड फ्रीवे के चौपाटी से हाजी अली वाया मालाबार हिल टनल तक के भाग की, एक अल्पावधिक उपाय के रूप में सिफारिश की जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान लिया गया है।

(ङ) इस परियोजना को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्र को बन्द करना

3670. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के कार्यों की समीक्षा करने के लिए गठित किये गए विशेषज्ञों के एक दल ने पालमपुर स्थित क्षेत्रीय स्टेशन को बन्द करने की इस आधार पर सिफारिश की है कि इनके कार्यों में दोहराव है। इस क्षेत्रीय स्टेशन में किए अनुसंधानों जैसे ही अनुसंधान राज्य कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा किए जाते हैं।

"दक्षेस" संगठन के सदस्य देशों का साझा बाजार

3671. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में "राइजिंग नेपाल" को दिए गए अपने साक्षात्कार में यह कहा था कि "दक्षेस" संगठन के सदस्य देशों का एक साझा बाजार, यूरोपीय साझा बाजार के पैटर्न पर विकसित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार "दक्षेस" संगठन के सदस्य देशों के साझा बाजार के विचार को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). "दि राइजिंग नेपाल" को दी गई अपनी हाल ही की भेंटवार्ता में, दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के भावी विकास की अपनी विचार दृष्टि के एक अंग के रूप में प्रधान मंत्री ने सार्क क्षेत्र में साझा बाजार के विचार का जिक्र किया था। सरकार इस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगी। तथापि, सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनमें व्यापार को शामिल करने के सम्बन्ध में सार्क में फिलहाल मतैक्य नहीं है। इसलिए, इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अभी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई हैं। सार्क चार्टर के प्रावधानों के अनुसार सार्क के सभी निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं।

पाकिस्तान में सिंध प्रान्त में हिन्दुओं को उत्पीड़ित किया जाना

3672. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के सिन्ध प्राप्त में हिन्दुओं को उत्पीडित किए जाने और उन्हें जबरन भारत भेजे जाने के मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

"उल्फा" की गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य योजना

3673. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "उल्फा" की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए असम के मुख्य मन्त्री से एक कार्य योजना तैयार करने के बारे में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो किए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा "उल्फा" की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए असम सरकार को क्या सहायता देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) केन्द्रीय सरकार और असम सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें उल्फा की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने उल्फा की गतिविधियों को रोकने के विचार से एक कार्रवाई योजना तैयार की है। केन्द्र ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां उपलब्ध करा दी हैं और हथियार और यातायात वाहनों और संचार उपकरणों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी है।

यादा पोखरन, महाराष्ट्र में झींगा मछली का बीज कृत्रिम तरीके से तैयार करने का स्थान

3674. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ठाणे जिले में यादा पोखरन में झींगा मछली का बीज कृत्रिम तरीके से तैयार करने के स्थान का निर्माण करने एवं इसके संचालन पर अब तक कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वहां अब तक झींगा मछली का कोई बीज तैयार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में वादा पोखरन में झींगा मछली बीज हैचरी के निर्माण और संचालय के लिए 61.48 लाख रुपये का व्यय वहन किया है।

(ख) और (ग). 1985 के दौरान राज्य सरकार ने परीक्षण के आधार पर इस हैचरी से लगभग 6.93 लाख झींगा मछली बीज का उत्पादन किया। तत्पश्चात निम्न कारणों से इस हैचरी ने कार्य नहीं किया है :—

(1) रोजाना जल के आदान-प्रदान के लिए गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में समुद्री जल की अपर्याप्त आपूर्ति;

(2) नवम्बर-मई के महीनों के दौरान समुद्री जल की उच्च लवणता, जो प्रति हजार 38 और 48 भाग के बीच है।

(3) समुद्री जल के अवमिश्रण के लिए उपयुक्त ताजे जल की अपर्याप्त उपलब्धि;

(4) हैचरी में शैवाल-पालन और अंडजशावक स्टाक प्रबन्धक आदि के लिए सुविधाओं का प्रावधान न होना।

(5) झींगा मछली बीज पालन आदि के लिए बढ़िया किस्म के लारवा आहार की कमी।

राज्य/केन्द्रीय सरकार इस हैचरी की संरचनात्मक मरम्मत/संशोधन करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है ताकि इसे क्रियाशील बनाया जा सके।

अमरीका द्वारा सुपर कम्प्यूटर की सप्लाई

3675. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को दूसरा सुपर कम्प्यूटर सप्लाई करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (ग). भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में दूसरा सुपर कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव अभी अमरीकी सरकार के विचाराधीन ही है।

पंजाब में भूमि अधिग्रहण के लिए पर्यावरण सम्बन्धी मापदण्ड

3676. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए जिन पर्यावरण सम्बन्धी मानदंडों का प्रस्ताव किया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मयूर विहार, दिल्ली में ऊपरी पुल

[हिन्दी]

3677. **श्री राम अवध** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार, दिल्ली, फेज-1 को नोएडा रोड से जोड़ने के लिए ऊपरी-पुल का निर्माण-कार्य रोक दिया गया है, और ऊपरी-पुल के पूरा न होने के कारण, इस क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य स्थगित करने के क्या कारण हैं और ऊपरी पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). संघ सरकार का इस कार्य से सम्बन्ध नहीं है। तथापि दिल्ली प्रशासन के सम्बन्धित विभाग (बाढ़ नियंत्रण विभाग) और दिल्ली विकास प्राधिकरण से एकत्र की गई सूचना के अनुसार मयूर विहार फेज I, नोएडा के साथ एक सबवे तथा शाहदरा लिंक ड्रेन पर एक पुल के माध्यम से जुड़ता है। ड्रेन पर पुल से सम्बन्धित सिविल कार्य, दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पूरे कर दिए गए हैं। मयूर विहार से पहुंचमार्ग और सबवे के निर्माण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किये जाने हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्ग और सबवे के निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और उनके कार्यक्रम के अनुसार इन कार्यों के दिसम्बर, 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की पेयजल योजनाएं

[अनुवाद]

3678. **श्री उदयसिंह राव नानासाहेब गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की पेयजल योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 27 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 185.63 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली

24 पेयजल सप्लाई योजनाएं तकनीकी अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ख) और (ग). इन योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है तथा इनको 15.9.90 तक मंजूरी दे दी जायेगी।

सीकर में कृषि का विकास

[हिन्दी]

3679. **श्री गिरधारीलाल भार्गव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सीकर में कृषि के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने सीकर जिले के समेकित विकास के लिए मूंगफली की खेती, पशु पालन, बागवानी आदि के विकास हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है और योजनाओं के लिए अनुमति मांगने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इनको क्रियान्वित किया जाएगा।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

3680. **श्री रवि नारायण पाणि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्रामीण विकास के लिए कोई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उड़ीसा में ग्रामीण विकास के लिए कोई नई योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

सिन्दरी में कैप्रोलेक्टम संयंत्र

3681. **श्री ए०के० राय :** क्या कृषि मंत्री सिन्दरी में कैप्रोलेक्टम संयंत्र के बारे में 3 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7366 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कैप्रोलेक्टम का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) इसकी कुल आवश्यकता कितनी है और कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है;

(ग) क्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कैप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना के लिए इस परियोजना के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सिंदरी में भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत इस संयंत्र को स्थापित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). देश में कैप्रोलेक्टम की वर्तमान स्थापित क्षमता 20,000 टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 1990-91 के लिए अनुमानित मांग 97,000 टन प्रति वर्ष है। अन्तर की पूर्ति कैप्रोलेक्टम के आयातों से की जायेगी जो कि प्रतिबन्धित स्वीकार्य सूची पर है। तथापि, फेक्ट को 50,000 टन प्रति वर्ष कैप्रोलेक्टम परियोजना के इस वर्ष के अंत तक चालू होने की सम्भावना है और उस स्थिति में आयात तदनुरूप घट जायेंगे।

(ग) और (घ). मैसर्स बी०एस०आई०डी०सी० ने दिसम्बर 1989 में इस परियोजना के स्थान को बरौनी से बोकारो परिवर्तित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है। ऐसी परियोजनाओं के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर लिया जाता है।

(ङ) एफ०सी०आई० के अधीन सिंदरी में कैप्रोलेक्टम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाएं

[हिन्दी]

3682. **श्री छविराम अर्गल** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय को वर्ष 1989-90 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 92.83 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर कार्यवाही की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). जी, हां। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने, जिसके प्रति प्रस्ताव आमंत्रित किए गये थे, के तुरन्त बाद कार्रवाई की जाएगी।

मत्स्य गोदी

[अनुवाद]

3683. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से, राज्यवार कितनी मत्स्य गोदियों का निर्माण किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक गोदी पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कोई मत्स्य गोदी नहीं है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से मत्स्य गोदियों के निर्माण के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता से विकसित राज्यवार मात्स्यिकी बन्दरगाह और उनमें से प्रत्येक पर हुआ खर्च निम्न प्रकार है :

	व्यय (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	
विशाखापटनम	666.85
काकीनाडा	973.17
निजामपटनम	157.66
गुजरात	
वारावल	1628.80
मंगराल	312.30
कुल :	3738.78

(ग) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से विकसित कोई बन्दरगाह नहीं है।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने अगरदण्डा स्थित मात्स्यिकी बन्दरगाह के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया। अद्यतन व्यवहार्यता रिपोर्ट समय पर न मिलने के कारण, इस प्रस्ताव पर और विचार नही किया गया। विश्व बैंक की सहायता से मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जाली वीसा रखने वाले विदेशी व्यक्ति

3684. **श्री राम नाईक :**
श्री उत्तम राठौड़ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पुणे के पुलिस आयुक्त ने जुलाई, 1990 में बहुत से विदेशियों को भारत छोड़ने के आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके पास वीसा और अन्य कागजात जाली थे;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). पुणे के पुलिस आयुक्त द्वारा यह जांच करने के लिए एक अभियान चलाया गया कि क्या शहर में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के पास वैध कागजात हैं अथवा नहीं ? बहुत से विदेशी व्यक्ति ठहरने की वैध तिथि समाप्त होने के बाद भी ठहरते हुए अथवा जाली कागजात रखे हुए पाए गए। इस सम्बन्ध में भारत छोड़ने के लिग 63 नोटिस जारी किए गए । भा० दं० सं० और विदेशी व्यक्ति अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए । 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमें चार विदेशी व्यक्ति, छः ट्रेवल एजेन्ट तथा तीन मध्य प्रदेश पुलिस के अधीनस्थ पुलिस कार्मिक थे ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए दीर्घावधिक योजना

[हिन्दी]

3685. **श्री संजय लाल :**
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों की असंतोषजनक स्थिति होने के कारण देश को प्रति वर्ष 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सड़कों की, विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में आने वाली सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए कोई दीर्घावधिक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी भागीदारी होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के

लिए सड़क संबंधी कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण अर्थ-व्यवस्था को प्रति वर्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपए की हानि होती है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों से संबंधित हानि को भिन्न-भिन्न योजना अवधियों में उपलब्ध निधियों की सीमा के भीतर राइडिंग क्वालिटी में सुधार करके, ज्यामितीय कमियां दूर करके और पैदल पथों को सुदृढ़ करके न्यूनतम किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और सभी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में सरकार को अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना

[अनुवाद]

3686. **श्री एस० कृष्ण मूर्ति :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने हाल ही में मिस्र में आयोजित इस्लामिक देशों के संगठन के सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). इस्लामी विदेश मंत्रियों के 19वें सम्मेलन के उद्घाटन अधिवेशन में 30 जुलाई, 1990 को सऊदी विदेश मंत्री के भाषण का संगत अंश नीचे लिखे अनुसार है :

"जनवरी, 1990 से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपना संघर्ष शुरू किया है और आत्म निर्णय के अपने अधिकार की घोषणा की है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बहुत से संकल्पों में पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विवादग्रस्त क्षेत्र मानता है जिसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत-संग्रह के माध्यम से लोगों की इच्छा के अनुसार तय किया जाता है। प्रेजीडेंसी ने अत्यन्त गंभीर चिन्ता से कश्मीर की मौजूदा घटनाओं को और उनके परिणामों को देखा है जिसमें वहां की बिगड़ती हुई स्थिति, दमन की कार्रवाईयों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या भी शामिल है। यह भारत और इस्लामी देशों के संगठन के एक सदस्य देश अर्थात् पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण ही हुआ जिसकी वजह से क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।

इसलिए हम यह आशा करते हैं कि आप इस मसले पर इस तरह विचार करेंगे कि जिससे इस क्षेत्र में तनाव दूर करने में सहायता मिले और संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों की रूपरेखा में तथा संयुक्त राष्ट्र और इस्लामी देश संगठन के चार्टरों में शामिल सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके।"

(ग) सरकार का कहना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की जड़ भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान की ओर से किया जाने वाला हस्तक्षेप है जिसमें सीमा के पार से होने वाली आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों का आयोजन और प्रोत्साहन शामिल है। हमें इस बात का पक्का विश्वास है कि तनाव को सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा ही सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है और इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के प्रयासों से कोई मदद नहीं मिलेगी। वास्तव में इस्लामी देशों के संगठन में कश्मीर के मसले का उठाया जाना ही शिमला समझौते का उल्लंघन है जिसमें यह व्यवस्था है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। हमने सभी मित्र देशों को अपनी स्थिति बता दी है जिनमें इस्लामी देशों के संगठन के सदस्य राज्य भी शामिल हैं और उन्हें अब इस ओर से कोई शक-सुबह नहीं रह गया है कि कश्मीर का मामला धार्मिक मामला नहीं है और चूंकि धार्मिक मामला नहीं है, इसलिए इस्लामी मामला नहीं है और इसे किसी भी तरह अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने से उस द्विपक्षीय प्रक्रिया में कोई मदद नहीं मिलेगी जो इस समय चल रही है।

जलपोतों की खरीद हेतु स्वीकृति

3687. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम को जलपोतों के खरीद हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में सामान्य रूप से कितना समय लगता है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम को गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वे भारतीय नौवहन निगम की तुलना में अपने प्रस्ताव जल्दी पारित करा लेते हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 1990 तक कितने जलपोतों की खरीद की अनुमति दी गई है; और

(घ) अभी तक कितने जलपोत खरीदे जा चुके हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) अभी हाल ही तक भारतीय नौवहन निगम को, जहाज खरीदने के लिए स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा एतदर्थ निर्धारित सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरना होता था जिन्हें पूरा करने में भारतीय नौवहन निगम से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद 9 से 10 महीने तक का समय लग जाता है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहाजों के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं और इस प्रकार भारतीय नौवहन निगम की स्थिति निजी कम्पनियो की तुलना में अलाभकार हो गई है क्योंकि निजी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों के लिए स्वीकृति देने में 2 महीने से अधिक समय नही लगता है।

(ग) जनवरी, 1990 से अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान निजी नौवहन कम्पनियों को 10 जहाजों की खरीद के संबंध में अनुमति दी गई थी।

(घ) इन 10 जहाजों में से अभी तक एक भी प्राप्त नहीं किया गया है।

जहाजों के मूल्यों में वृद्धि

3688. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहाजों के मूल्य लगभग दुगने हो गए हैं;

(ख) क्या इससे भारतीय नौवहन निगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पिछले एक वर्ष में जहाजों के मूल्यों में 10 से 27% के बीच वृद्धि हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मंत्रालय ने भारतीय नौवहन निगम के लिए जहाज-खरीद की एक संशोधित कार्यविधि आरम्भ की है ताकि प्रक्रिया में विलम्ब के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि से बचा जा सके।

नौवहन टन-भार

3689. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए आरम्भ में 7.5 मिलियन टन का नौवहन टन-भार निर्धारित किया गया था;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह टन-भार कितना था;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल पंजीकृत टन-भार में कमी हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 7.5 मिलियन ग्रॉस रजिस्टर्ड टन (जी० आर० टी०) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) 7वीं योजना के अन्त में टनेज, 5.97 मिलियन जी० आर० टी० था।

(ग) जी, हां।

(घ) टनेज में गिरावट के कारण, अन्य के अलावा, इस प्रकार है —वर्ष 1987 तक नौवहन उद्योग में मौजूद मन्दी की स्थिति और भारतीय बेड़े से अनेक अप्रचलित और पुराने जहाजों को हटाना।

"इनर लाइन" परमिट व्यवस्था

3690. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जाने के इच्छुक व्यक्तियों को "इनर लाइन परमिट" लेना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो "इनर लाइन परमिट" लेने की शर्त किस वर्ष से लागू की गई है;

(ग) किन-किन वर्गों के व्यक्तियों को ऐसे परमिट लेने की आवश्यकता होती है तथा किन व्यक्तियों को ऐसा परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है;

(घ) क्या वे परिस्थितियां अब भी वहां विद्यमान हैं जिनमें ऐसे परमिट जारी किए जाना आवश्यक बनाया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का "इनर लाइन" परमिट व्यवस्था संबंधी वर्तमान आदेशों पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अधीन मिजोरम और नागालैंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है विदेशी नागरिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन मेघालय को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। भूटान के नागरिकों को छोड़कर, सभी विदेशियों के पास इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए परमिट होना अपेक्षित है। बंगाल ईस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेशन, 1873 के अधीन नागालैण्ड और मिजोरम के कुछ भागों में सामान्यतया निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों के लिए भी इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अनुमति लेनी अपेक्षित है।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

दिल्ली परिवहन निगम को नई बसों के साथ प्राप्त सामान

3692. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को बस निर्माताओं से नई बसों की खरीद करते समय स्टेपनी, टूल-बाक्स आदि सामान मुफ्त प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, क्या इसका दिल्ली परिवहन निगम के भंडारों में लेखा-जोखा रखा जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को उक्त सामान प्राप्त न होने से पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि स्टेपनी, टूल बाक्स इत्यादि जैसे सहायक उपकरण (एसेसरीज) जब चैस्सी के साथ खरीदे जाते हैं तो ये समूल्य मदें होती हैं और जब भी चैस्सी के साथ ये सहायक उपकरण खरीदे जाते हैं तो इनके लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जब कभी इन सहायक उपकरणों को चैस्सी के साथ नहीं खरीदा जाता है तो चैस्सी निर्माताओं से आवश्यक रिबेट ली जाती है।

खरीदे गए सहायक उपकरणों का दि० प० नि० के स्टोर विभाग द्वारा उचित रूप से लेखा रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों का सुधार

3693. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं योजना अवधि के दौरान सड़कों के सुधार कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस योजना अवधि के दौरान राज्यवार कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या कुछ निर्माणाधीन एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 1990-91 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आरम्भ की जाने वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 7वीं योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 1481.18 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसी अवधि में रा० रा० के विकास के लिए किया गया राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रत्येक राज्य के लिए 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की संख्या, उनके लिए किया गया प्रावधान तथा 50 लाख रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए किए गये एक मुश्त प्रावधान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण 1

7वीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार संघशासित क्षेत्रवार निधि आवंटन

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8231.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	237.00
3.	असम	4760.21
4.	बिहार	6392.59

1	2	3
5.	चंडीगढ़	68.00
6.	दिल्ली	1395.50
7.	गोआ	3130.03
8.	गुजरात	12475.20
9.	हरियाणा	3741.92
10.	हिमाचल प्रदेश	3745.00
11.	जम्मू और कश्मीर	2840.32
12.	कर्नाटक	7337.46
13.	केरल	5511.43
14.	मध्य प्रदेश	8364.00
15.	महाराष्ट्र	9984.00
16.	मणिपुर	1442.00
17.	मेघालय	2980.00
18.	नागालैंड	487.50
19.	उड़ीसा	5408.45
20.	पांडीचेरी	231.00
21.	पंजाब	7949.08
22.	राजस्थान	7256.41
23.	तमिलनाडु	8347.40
24.	उत्तर प्रदेश	17445.40
25.	पश्चिम बंगाल	4688.00
26.	बी० आर० डी० बी०	11306.00
27.	सी० आर० आर० आई०	256.96
28.	जोगीघोपा पुल (मंत्रालय का हिस्सा)	3400.00
	कुल	149412.68

विवरण 2

वर्ष 1990-91 के दौरान रा० रा० मार्गों के (मूल) निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के लिए रखा गया प्रावधान, 50 लाख रुपये से कम लागत के निर्माण कार्यों के लिए एक मुश्त प्रावधान तथा कुल आबंटन

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य का नाम	चालू तथा नए निर्माण कार्यों की संख्या	50 लाख रु० से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के लिए रखा गया प्रावधान	50 लाख रुपये से कम लागत के निर्माण कार्यों के लिए एक मुश्त प्रावधान	कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	62	2134.80	365.20	2500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	2.60	17.40	20.00
3.	असम	74	761.48	538.52	1300.00
4.	बिहार	76	775.88	324.12	1100.00
5.	चंडीगढ़	2	24.08	5.92	30.00
6.	दिल्ली	20	350.50	49.50	400.00
7.	गोआ	32	994.73	205.27	1200.00
8.	गुजरात	108	2791.50	208.50	3000.00
9.	हरियाणा	30	919.50	80.50	1000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	39	984.00	116.00	1100.00
11.	जम्मू और कश्मीर	9	163.00	87.00	250.00
12.	कर्नाटक	63	1085.21	364.79	1450.00
13.	केरल	70	1387.59	262.41	1650.00
14.	मध्य प्रदेश	97	1266.56	833.44	2100.00
15.	महाराष्ट्र	102	1891.91	308.09	2200.00
16.	मणिपुर	21	182.70	167.30	350.00
17.	मेघालय	46	203.50	346.50	550.00
18.	नागालैंड	1	41.15	8.85	50.00

1	2	3	4	5	6
19.	उड़ीसा	101	812.86	287.14	1100.00
20.	पांडीचेरी	6	95.00	55.00	150.00
21.	पंजाब	45	2644.50	155.50	2800.00
22.	राजस्थान	82	1715.00	285.00	2000.00
23.	तमिलनाडु	53	2065.48	534.52	2600.00
24.	उत्तर प्रदेश	121	5250.00	250.00	5500.00
25.	पश्चिम बंगाल	117	983.67	216.33	1000.00
26.	असम में जोगी घोपा तुल	1	2000.00	—	2000.00
		1386	31527.20	6072.80	37600.00
	बी० आर० डी० बी०				3450.00
	आरक्षित				300.00
				कुल योग	41350.00

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाना

3694. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता ले जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, जो घाटे में जाने वाली कम्पनी है, के मुख्यालय को स्थानान्तरित करने का प्रश्न इसके पुनर्गठन/पुनर्वास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में मुख्य केन्द्रीय सड़क में सुधार के लिए सहायता

3695. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में त्रिवेन्द्रम से अंगामाली तक मुख्य केन्द्रीय सड़क में सुधार करने के लिए ऋण सहायता मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अब तक कितनी धन राशि दे दी गई है; और

(ग) निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है, तथा इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). जी, हां। अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने चुनिंदा खंडों में (लम्बाई 15.31 कि०मी०) 160.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से (जिसमें 75.00 लाख केन्द्रीय सरकार का हिस्सा है) मुख्य केन्द्रीय सड़क के विकास कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और ऋण सहायता की समस्त राशि केरल सरकार को जारी कर दी गई है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 65% पूरा हो चुका है। मार्च, 1991 तक सारा कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में किलोमीटर योजना समाप्त किया जाना

[हिन्दी]

3696. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1988 में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान किलोमीटर योजना को, जिसे दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में लागू किया गया था, तदर्थ आधार पर समाप्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था तथा किस प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया था; और

(ग) क्या तदर्थ आधार पर लिया गया यह निर्णय अभी भी लागू है और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चित नीति तैयार क्यों नहीं की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन निगम के अधीन प्राइवेट बसों के प्रचालन के लिए किलोमीटर स्कीम में दिल्ली परिवहन निगम के संवाहकों का प्रावधान निहित था। मार्च, 1988 में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप यह स्कीम इस संदर्भ में, स्वत: ही बन्द हो गई। अत: दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंधकों द्वारा प्राइवेट बसों के प्रचालन के लिए व्यवस्था को संशोधित किया गया जिसके अन्तर्गत प्राइवेट प्रचालकों को दिल्ली परिवहन निगम का किराया प्रभारित करके और ट्रैफिक-आय अपने पास रख कर बसें चलाने की अनुमति दी गई थी। यह संशोधित व्यवस्था जारी है और प्राइवेट प्रचालक दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिए गए रूटों पर निर्धारित शिड्यूल के अनुसार और दिल्ली परिवहन निगम के पर्यवेक्षण में बसें चलाते हैं। मौजूदा व्यवस्था को बदलने का अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में डेयरी परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

3697. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने तमिलनाडु में डेयरी परियोजना हेतु ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का ब्यौरा और औचित्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख). विश्व बैंक तमिलनाडु में डेरी परियोजना के लिए कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दे रहा है। तथापि राष्ट्रीय डेरी-2 (आपरेशन फ्लड-3) जिसे विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है, के तहत राज्य में डेरी विकास क्रियाकलापों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार में उपजाऊ और बंजर भूमि

3698. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी उपजाऊ तथा कितनी बंजर भूमि है;

(ख) क्या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) बिहार में 163.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न उत्पादक उपयोगों के अन्तर्गत है तथा 10.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऊसर है।

(ख) और (ग). ऊसर भू-खंडों के अन्तर्गत खुले खड़े पर्वतीय ढलान, हिम आवरण तथा अत्यधिक बंजर शुष्क प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिन्हें मितव्ययी लागत पर खेती के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। तथापि, नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना द्वारा चुनिंदे पनधाराओं में ऊसर भू-खंडों के उपचार की व्यवस्था की जाती है।

गुड्डालोर टेलीफोन एक्सचेंज में एम०एस०टी०डी० सुविधा के बारे में शिकायतें

3609. **श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड्डालोर टेलीफोन एक्सचेंज में एम०एस०टी०डी० सुविधा के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस एक्सचेंज में एम०एस०टी०डी० सुविधा में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। कुड्डालोर टेलीफोन एक्सचेंज में एम०एस०टी०डी० सुविधा के कार्यकरण के बारे में ज्यादा शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3700. **श्री पी०आर०एस० वेंकटेसन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने, केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को पक्का बनाने तथा चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). जी हां। 1990-91 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में, 3045 लाख रु० की अनुमानित लागत से तमिलनाडु में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने/मजबूत बनाने के लिए सोलह निर्माण कार्यों की व्यवस्था की गई है। इनमें से सात तकनीकी प्रस्ताव (विवरण संलग्न है) राज्य सरकार से प्राप्त हो चुके हैं। इनमें छः को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और हाल ही में प्राप्त शेष एक पर कार्यवाही की जा रही है। छः अनुमोदित तकनीकी प्रस्तावों के मुकाबले राज्य से केवल एक परियोजना हेतु विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए, राज्य के लोक निर्माण विभाग से अभी तक प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र०सं०	रा०रा०सं०	कार्य का नाम	वार्षिक योजना के अनुसार अनुमानित लागत (लाख रु० में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	4	कि०मी० 70.0 से* 133.4 तक दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना (कांचीपुरम और चित्तूर के निकट)	670.00	तकनीकी प्रस्ताव अनुमोदित
2.	45	कि०मी० 22.4 से 24.0 तक चौड़ा करना और मजबूत बनाना (तम्बारन के निकट)	50.00	—तदैव—

* विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त हो गया है और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
3.	45	कि०मी० 3270 से 3333.6 तक दो लेन बनाकर चौड़ा और मजबूत करना (त्रिचिरापल्ली के निकट)	120.00	तकनीकी प्रस्ताव अनुमोदित
4.	7	कि०मी० 254.8 से 260.तक दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना। (नामाकल के निकट)	75.00	—तदैव—
5.	7	कि०मी० 51.0 से 60.0 तक दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत करना (विरुदू नगर सत्तूर के निकट)	135.00	—तदैव—
6.	7	कि०मी० 103.0 से 120.0 तक दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत करना (कोइलपट्टी के निकट)	260.00	—तदैव—
7.	47	कि०मी० 30.0 से 40.0 तक दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत करना (भावानी के निकट)	150.00	तकनीकी प्रस्ताव 7.8.90 को प्राप्त हुआ है।

तमिलनाडु में पोन्नियार नदी पर पुल का निर्माण

3701. **श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले में, कुड्डालोर में पोन्नियार नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुल का निर्माण किस तिथि तक शुरू कर दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

निजामुद्दीन, दिल्ली में एक भूखंड के स्वामित्व के बारे में गुजराल समिति

3702. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजराल समिति ने केन्द्रीय सरकार से निजामुद्दीन, दिल्ली में एक भूखंड के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिसके बारे में मार्च, 1990 में दंगा भड़क उठा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कैपार्ट द्वारा जड़ी-बूटी औषध परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि दिया जाना

3703. **श्रीमती सुभाषिनी अली :**
श्री पी०आर० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "काउंसिल फ़ार एडवांसमैंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूलर टैक्नोलाजी" (कैपार्ट) जड़ी-बूटी औषध परियोजनाओं को शुरू करने हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को काफी धनराशि दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या यह धनराशि इस क्षेत्र के सक्षम विशेषज्ञों के मूल्यांकन और जांच के बाद जारी की जाती है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं पर निगरानी रखने तथा इनका मूल्यांकन करने हेतु कोई प्रभावी तंत्र है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने जड़ी-बूटी औषध की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। परियोजनाओं के उद्देश्य है : आयुर्वेदिक पौधे उगाने के लिए केन्द्रीय औषधीय बगीचा बनाना, जड़ी-बूटी के उपयोग हेतु ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण कैंपों के आयोजन आदि द्वारा स्थानीय परम्परागत स्वास्थ्य व्यवसायियों के साथ नियमित रूप से चर्चा करना जिससे कि जड़ी-बूटी से बनी औषधि के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। गत 3 वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा कुल रिलीज की गई राशि लगभग 42 लाख रुपये है।

(ग) और (घ). जी हां। परियोजना धारकों को अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है और प्रगति रिपोर्ट के सन्तोषजनक पाये जाने पर ही निधियां रिलीज की जाती हैं। कापार्ट द्वारा विशेषज्ञों और परियोजना क्षेत्रों का हिसाब रखने वालों की प्रतिनियुक्ति करके परियोजनों की निगरानी की जाती है।

राजदूतों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड

[हिन्दी]

3704. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं; और

(ख) विदेशी मिशनों में कितने प्रतिशत भारतीय तथा स्थानीय लोग नियुक्त किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत सरकार मिशन प्रमुखों की नियुक्ति मुख्यत: भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में से करती है। भारत सरकार अपने विवेक से अन्य प्रख्यात व्यक्तियों को भी मिशन प्रमुख नियुक्त कर सकती है।

(ख) भारत आस्थानी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा स्थानीय कर्मचारियों के बीच का अनुपात प्रत्येक मिशन की आवश्यकतानुसार अलग अलग होता है।

भारतीय लेखक शिष्ट मंडलों की विदेशी यात्रा

3705. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय लेखक शिष्ट मंडलों में कितने मराठी लेखक विदेश गये थे ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 1989-90 में भारतीय लेखकों के जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे थे उनमें एक मराठी लेखक थे जो सुविख्यात मराठी नाटककार श्री विजय तेंदुलकर हैं।

महाराष्ट्र में गलत बिल बनाये जाने की शिकायतें

3706. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोन विभाग के विरुद्ध गलत बिल बनाने, अधिक राशि के बिल बनाने, बिल बनाने में पक्षपात, महीनों तक टेलीफोन ठीक न करने इत्यादि के बारे में निरन्तर शिकायतें मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या इन खामियों के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनके विरुद्ध कब कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). यूनिटों से सूचना मंगवाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चौड़ा करना

3707. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को 414 से 418 किलोमीटर (नासिक बाई-पास) पर चौड़ा करके चार लाइनों का बनाने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और इसे कितने समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को 414 कि०मी० से 418 कि०मी० तक चौड़ा कर चार लेन का बनाने का प्रस्ताव 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल है और राज्य सरकार से परामर्श करके उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पूरा होने की लक्षित तिथि के बारे में बता पाना अभी समय-पूर्व है।

बिहार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलना

3708. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरिडीह जिले के जमुआ, बेंगाबाद, देवारी, गडेया, बिरानी, बागाडोर, तिसारी, मनवा, गिरीडीह, धनावर खंडों में और हजारीबाग जिले के सतगौवा, मरकाछू, कोडरमा, बरकाणा, जयनगर, इचक खंडों में ऐसी पंचायतों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार की नीति के अनुसार एक डाकघर खोला गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। तथापि, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक डाकघर खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा

[अनुवाद]

3709. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :
श्री आर०एन० राकेश :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अगस्त, 1990 के दौरान हाल ही के भारत-नेपाल समझौते के कार्यान्वयन पर बातचीत करने के लिए नेपाल की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा नेपाल के मंत्रियों के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। 5 से 7 अगस्त, 1990 तक की मेरी हाल ही की नेपाल यात्रा से भारत-नेपाल संबंधों की गति को बनाए रखने में मदद मिली है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मेरी जो बातचीत हुई उसमें भारत-नेपाल संयुक्त विज्ञप्ति

के प्रावधानों के क्रियान्वयन का प्रश्न शामिल था। भारत ने अपनी सभी वचनबद्धताएं 1 जुलाई, 1990 से पहले ही पूरी कर ली थी। नेपाली पक्ष को कुछ मामलों पर अभी अमल करना है और हमें आशा है कि इसे शीघ्र कर लिया जाएगा। भारत-नेपाल सहयोग को व्यापक बनाने की नई संभावनाओं का पता लगाया गया।

विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग महानगर टेलीफोन निगम

3710. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री आर०गुंडू राव :
श्री हरीश रावत :
श्री आर०एम० राकेश :
श्री डी०एम० पुट्टे गौड़ा :
श्री हरीश पाल :
डा० बंगाली सिंह :
श्री आर०एम० भोये :
श्री छेदी पासवान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों के लिए अलग-अलग महानगर टेलीफोन निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इसे स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में दूर संचार प्रणालियों को अलग से महानगर टेलीफोन निगमों में परिवर्तित करने का फिलहाल कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली और बम्बई के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० के कार्यचालन के अनुभव और अन्य सम्बन्धित कारकों के आलोक में दूरसंचार विभाग अपने विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की पुनसरचना के गुण दोष की जांच कर रहा है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में एस०टी०डी० सुविधा

[हिन्दी]

3711. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी कुछ राज्यों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को कब तक एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सभी राज्यों की राजधानियों में एस०टी०डी सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न राज्यों में कई जिला मुख्यालयों में भी एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है, शेष जिला मुख्यालयों में 8वीं योजना अवधि के दौरान अग्रता के आधार पर एस०टी०डी० सुविधा आरम्भ करने की योजना है। इस योजना अवधि के दौरान उप मंडल मुख्यालयों में भी एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

डाक लेखन-सामग्री का मुद्रण

3712. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री हरीश पाल :
श्री खेमी पासवान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक लेखन-सामग्री का मुद्रण किन स्थानों पर किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का इस लेखन-सामग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए इस प्रकार के और मुद्रणालयों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये कहां स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाक संबंधी लेखन सामग्री इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में मुद्रित की जाती है।

(ख) फिलहाल इस प्रकार की और अधिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) में दिए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान करना

3713. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। मांग तथा तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर।

(ख) यद्यपि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि, विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर कुछ झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये गये हैं।

(ग) और (घ). लम्बित पड़े उन सभी 12 मामलों में जिनके बारे में विभिन्न प्राधिकारियों से सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं, 1990-91 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिए जाने की संभावना है। तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर अतिरिक्त अनुरोधों पर भी विचार किया जाएगा।

सिक्किम में रह रहे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता

3714. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम में रह रहे 75 हजार व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की जायेगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सिक्किम नागरिक (संशोधन) आदेश, 1989 के अनुसरण में गृह मंत्रालय और सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो उन व्यक्तियों के वास्तविक मामलों की जांच करेगी, जो 1946 से सिक्किम में रह रहे हैं परन्तु उन्हें सिक्किम नागरिक आदेश, 1975 के तहत भारतीय नागरिक घोषित नहीं किया गया था। समिति द्वारा तैयार किये गए विस्तृत मार्गनिर्देशों के अनुरूप की गई सिफारिशों के अनुसार, 7 अगस्त, 1990 को सिक्किम (नागरिक) आदेश 1975 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया गया जिसमें 40,083 व्यक्तियों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया। शेष 35,000 व्यक्तियों के बारे में सितम्बर, 1990 में आदेश जारी किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ). मार्ग-निर्देशों के अनुसार, सिक्किम के पात्र व्यक्तियों से 31 मई, 1989 तक आवेदन मांगे गए थे। यदि अभी भी कुछ वास्तविक मामले रह जाते हैं तो संयुक्त समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा उन पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा, सिक्किम में रहने वाला कोई विदेशी यदि भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसके आवेदन पर नागरिक अधिनियम, 1955 के संबंधित उपबंधों के तहत विचार किया जायेगा।

कोचीन शिपयार्ड पर तेल टैंकरों का निर्माण

[अनुवाद]

3715. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित 'मोतीलाल नेहरू' नामक प्रथम तेल टैंकर से इस शिपयार्ड को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे तेल टैंकर का निर्माण कार्य मूल रूप से निर्धारित गति और लागत के अनुसार किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है;

(ङ) क्या कोचीन शिपयार्ड का विचार तीसरे तेल टैंकर का कार्य रोक देने का है;

(च) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(छ) कोचीन शिपयार्ड में निर्मित किये जा रहे टैंकर के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राज सहायता दी गई है और यह कुल लागत का कितने प्रतिशत होती है; और

(ज) क्या सरकार का विचार राज सहायता बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं—

		(करोड़ रु०)
सितम्बर के अंत तक निर्माण पूरा होने पर अनुमानित लागत (अवमूल्यन तथा सरकार को ब्याज के भुगतान सहित)		101.33
मूल्य	40.31	
एक्सचेंज वैरिएशन (भा०नौ०नि० द्वारा स्वीकृत)	3.82	
वृद्धि	2.56	
	46.69	
घटाएं : भा०नौ०नि० द्वारा दावा की गई एल०डी०	2.42	
निवल मूल्य	44.27	
भारत सरकार से सबसिडी	7.33	
सबसिडी सहित वसूली योग्य मूल्य	51.60	51.60
घाटा		49.73

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूसरे टैंकर के निर्माण की मूल अनुमानित लागत 72.27 करोड़ रु० थी जिसे बाद में संशोधित करके 95.05 करोड़ रु० कर दिया गया। इसकी वर्तमान अनुमानित लागत 121.73 करोड़ रु० है। इस जहाज पर लगभग 27% कार्य पूरा हो चुका है।

(ङ) और (च). कोचीन शिपयार्ड को पहले ही 145 करोड़ रु० का संचित घाटा हो चुका है। तीसरे टैंकर के लिए निर्धारित मूल्य 44.42 करोड़ रु० है जो इस टैंकर के लिए अपेक्षित सामग्री की लागत के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। स्टेज भुगतानों की वर्तमान प्रणाली भी इस प्रकार की है कि कम्पनी को चालू कार्यों पर भुगतान देय होने से पूर्व ही बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इसलिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को मजबूरन ओवर ड्राफ्ट से पूरा करना पड़ता है। इस कम्पनी के पास जहाज 009 के लिए सामग्री खरीदने के लिए कोई धन नहीं है और इस जहाज पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(छ) कोचीन शिपयार्ड में बनाये जा रहे तेल टैंकरों पर केन्द्र सरकार द्वारा देय की की गई सबसिडी इस प्रकार है :—

पहला टैंकर	7.33 करोड़ रु०
दूसरा टैंकर	7.69 करोड़ रु०
तीसरा टैंकर	8.08 करोड़ रु०

यह प्रत्येक जहाज के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य (आई०पी०पी०) के 20% के बराबर है। निर्माणाधीन तीन टैंकरों के लिए निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत के संदर्भ में प्रतिशतता क्रमश: 7.25%, 6.3% और 6.45% बनती है।

(ज) भारत सरकार द्वारा देय मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य की 20% सबसिडी को बढ़ाकर 30% करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नौ-संचालन की संभावना का पता लगाने के लिए सोवियत संघ से सहायता

3716. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने देश में नौ-संचालन की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) क्या सोवियत संघ ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया था;

(ग) यदि हां, तो जिन स्थानों पर यह अध्ययन किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या केरल, गोआ और पश्चिम बंगाल के जलमार्गों के लिए सोवियत संघ के जलपोत प्राप्त किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ङ). भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के एक दल ने अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सितम्बर, 1988 में सोवियत संघ का दौरा

किया था। इस शिष्ट मंडल ने नदी परिवहन के प्रभारी सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। उन्होंने भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करने में रुचि दिखाई थी और कहा था कि भारतीय जलमार्गों की नौचालन स्थिति का अध्ययन करने और उनके विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा जायेगा। विचार-विमर्श के दौरान हुई सहमति के अनुसार मार्च, 1989 में एक सोवियत शिष्ट मंडल ने भारत का दौरा किया था। शिष्ट मंडल द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया लेकिन उसने कलकत्ता, कोचीन और गोवा का दौरा किया और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता और संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

दौरे पर आये सोवियत शिष्टमंडल ने कुछ अंतर्देशीय जल परिवहन जहाज भारत लाने और उनका प्रदर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तदनन्तर सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल यह कहता रहा है कि इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जहाज का प्रदर्शन अभी होना है।

पश्चिम बंगाल में दूर संचार स्विचिंग फैक्ट्री की स्थापना

3717. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दूर संचार स्विचिंग फैक्ट्री की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसे शीघ्र चालू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग प्रणालियां बनाने के लिए आई०टी०आई० और डब्ल्यू०बी०ई०आई०डी०सी० कलकत्ता के साथ एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया है। बनाये जाने वाले प्रस्तावित उपस्कर, तथा इसकी प्रौद्योगिकी का पता चला लिया गया है।

(ख) संयुक्त उपक्रम को इस कंपनी के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

सेल्युलर टेलीफोन

3718. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व बम्बई में सेल्युलर टेलीफोन की एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी;

(ख) क्या इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की सेल्युलर टेलीफोन के बारे में वर्तमान नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सेल्युलर सचल टेलीफोन की उपयोगिता पर संदेह नहीं हो सकता है परन्तु इसको अपनाने से पहले इसकी बारीकी से जांच आवश्यक है।

बंगलौर टेलीफोन की नई टेलीफोन डाइरेक्टरी

3719. **श्री जौस फर्नाण्डीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर टेलीफोन की नई टेलीफोन डाइरेक्ट्री कब जारी की गई थी;

(ख) क्या नई डाइरेक्ट्री के वितरण में देरी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) बेंगलौर की अद्यतन टेलीफोन निर्देशिका फरवरी, 1990 में जारी की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में टेलीफोन प्रयोक्ता सेवा केन्द्र

3720. **श्री जौस फर्नाण्डीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में टेलीफोन प्रयोक्ता सेवा केन्द्रों की संख्या और इनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सेवा केन्द्रों को रविवार को भी खोला जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए इन केन्द्रों को रविवार को कम से कम आधे दिन के लिए खोलने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बंगलौर शहर में निम्नलिखित स्थानों पर सात ग्राहक सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं :

(1) महावीर कॉम्प्लेक्स, केम्पागौडा रोड, बंगलौर-560009

(2) नं० 1-ए, प्लेटफार्म रोड, स्वाति कॉम्प्लेक्स, बंगलौर-5600020

(3) नं० 9/1 विक्रम कॉम्पलेक्स, १0 फीट रोड, नवरंग पार्क के सामने राजाजी नगर, बंगलौर-560010

(4) 46-ई, लालबाग रोड, बंगलौर-560027

(5) 219, बी०डी०ए० काम्पलेक्स के पीछे, इंदिरा नगर, दूसरा चरण, बंगलौर-560028

(6) 80/7, अशोक प्लाजा, प्रथम मंजिल, कामराज रोड, बंगलौर-560001

(7) ऐलीकैट रोक रोड, 111 ब्लाक, जयनगर, बंगलौर-560011

(ख) जी नहीं,

(ग) कई व्यावहारिक समस्याओं और सीमाओं के कारण इन केन्द्रों को रविवार के दिन खुला रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा एवं उप डाकघर खोलने के लिए मानदंडों में छूट

[हिन्दी]

3721. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई नई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा एवं उप-डाकघर खोलने के लिए वर्तमान मानदंडों में छूट देने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सातवीं योजना के दौरान लागू कार्यक्रम के पहले से किए गए मूल्यांकन के आधार पर आठवीं योजना में डाकघर खोलने के लिए नए मापदंड तैयार करने के प्रस्ताव हैं।

(ख) और (ग). सातवीं योजना के दौरान अपनाए गए मापदण्डों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें दी गई थीं। आठवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिए जाने की आशा है। इसके ब्यौरे तभी ज्ञात हो सकेंगे, जब मूल्यांकन पूरा होगा और संशोधित मापदंड बना लिए जाएंगे।

आतंकवादी गतिविधियां

3722. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न गिरोह आपस में सम्पर्क स्थापित करने और सामूहिक रूप से साजिश करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी गिरोहों को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के बारे में जांच करा ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि देश के विभिन्न भागों में सक्रिय कुछ आतंकवादी ग्रुपों के बीच आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध है। देश के उत्तर-पूर्वी भागों के विभिन्न उग्रवादी दलों, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड से संबंधित भूमिगत नागा मैतेई तथा मणीपुर की यू०एन०एल० एफ० और असम के यू०एल०एफ०ए० के बीच घनिष्ठ गठबन्धन है। जम्मू और कश्मीर में 70 से अधिक अनेक आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं। इन आतंकवादियों के देश के अन्य आतंकवादी ग्रुपों के साथ सीधे संबंध होने तथा संयुक्त रूप से कारंवाई किए जाने के बारे में कोई समाचार नहीं है। पंजाब में आतंकवादी आपस में तथा देश के विभिन्न भागों में सक्रिय आतंकवादी ग्रुपों के बीच आपसी संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

पंजाब और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी तत्वों को सीमा पार से सक्रिय रूप से नैतिक समर्थन और सामग्री के रूप में सहायता मिलने के समाचार हैं।

सरकार स्थिति से भलीभांति अवगत है। संबंधित राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग और तालमेल से, आतंकवादी हिंसा और गतिविधियों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें, आसूचना तन्त्र को सक्रिय करना सीमाओं पर गहन गश्त लगाना, सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन अभियान चलाना तथा राज्य पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों और सेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, शामिल है।

जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के लिए राज्य सरकारों को सहायता

[अनुवाद]

3723. **श्री एस०सी० वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अन्य राज्यों में आए परिवारों की सहायता हेतु उन राज्य सरकारों को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों को सभी राज्यों में समान रूप से सहायता उपलब्ध कराई जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ). इनमें से अधिकांश प्रवासी जम्मू और दिल्ली में हैं। प्रवासी परिवारों को राहत सहायता पर खर्च के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को अब तक 5 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। अन्य राज्य सरकारें जिन्होंने दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क स्थापित किया है उन्हें जम्मू और दिल्ली में राहत उपायों के ब्यौरे दिये गये हैं क्योंकि राहत दरें स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में कुंचागढ़ जलाशय प्रबन्ध परियोजना

[हिन्दी]

3724. **श्री एम०एस० पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वानिकी, फल उद्योग, भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, पर्यावरणीय सुरक्षा के विकास तथा अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में 215.82 वर्ग किलोमीटर में स्थानीय लोगों के लिए ईंधन, चारा, लकड़ी, रोजगार आदि की व्यवस्था हेतु कुंचागढ़ जलाशय प्रबन्ध परियोजना के बारे में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं। कुंचागढ़ जलाशय प्रबंध परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में रांची और जमशेदपुर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[अनुवाद]

3725. **श्री साइमन मरांडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रांची और जमशेदपुर में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन दो नगरों में, श्रेणी-वार, प्रतीक्षा-सूची में शामिल आवेदकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन नगरों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दो शहरों में 31.3.90 को कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

रांची : 10687

जमशेदपुर : 9026

(ख) इन दो शहरों प्रतीक्षा सूची में दर्ज श्रेणीवार आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	31.3.90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	
	रांची	जमशेदपुर
ओ०वाई०टी०	407	411
गैर ओ०वाई०टी० विशेष	558	188
गैर ओ०वाई०टी० सामान्य	1707	1206
योग	2672	1805

(ग) से (ङ). रांची में 2000 लाइनों का एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जिसका इस वर्ष के दौरान 1000 लाइनों का और विस्तार किया जा रहा है। विस्तार करने के लिए वर्ष 1990-91 और 1992-93 के लिए क्रमशः 2000 और 1000 लाइनों के लिए और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिनकी उपस्करों के समय पर उपलब्ध हो जाने पर क्रमशः वर्ष 1992-93 और 1993-94 में चालू हो जाने की सम्भावना है। धुर्वा में 1300 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (आर०एल०यू०) है जिसके लिए वर्ष 1993-94 में विस्तार करने के लिए 500 लाइनों के उपस्कर आबंटित किए गए हैं।

जमशेदपुर के लिए वर्ष 1991-92 के लिए 4000 लाइनों को मुख्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपस्कर आबंटित है जिसके वर्ष 1993-94 में चालू हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वर्ष

1993-94 में 3000 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (आर०एल०यू०) के विस्तार के लिए उपस्कर आबंटित किए गए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में सचिवों के टेलीफोन बिल

3726. **मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य सचिव सहित सभी सचिवों के टेलीफोन बिलों की गत तीन वर्षों की कुल राशि क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मुख्य सचिव तथा सभी सचिवों के टेलीफोन बिलों की राशि 1.4.87 से 31.3.90 तक निम्नानुसार है :

	कार्यालय के रु०	घर के रु०	जोड़ रु०
(i) मुख्य सचिव	4,96,663	1,58,784	6,55,447
(ii) अन्य सचिव	4,20,987	55,364	4,76,351
जोड़	9,17,650	2,14,148	11,31,798

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मरीना एफ्लोट एण्ड वर्कशाप के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि

3727. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित मरीना एफ्लोट एण्ड वर्कशाप के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठक में इस संबंध में कई प्रश्नों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). द्वीप विकास प्राधिकरण की स्टीयरिंग समिति की दिनांक 12.4.1989 को हुए ग्यारहवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मैरीन तथा नौवहन विभाग के स्टाफ के वेतन ढांचे की समीक्षा हेतु अधिकारियों का एक दल गठित किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में केवल मैरीन स्टाफ के वेतन ढांचे की ही समीक्षा की है। दल द्वारा वर्कशाप वर्ग के वेतन ढांचे की समीक्षा नहीं की गई क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के अन्य विभागों में भी वर्कशाप वर्ग का स्टाफ मौजूद है इसलिए पृथक रूप से उनके मामले की समीक्षा नहीं की जा सकती। अधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा अभी विचार किया जाना है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3728. डा० वेंकटेश काबड़े : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और इन्हें चौड़ा करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत निर्माण कार्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से रा०रा० मार्गों के विकास के लिए, जिसमें उनको चौड़ा करना शामिल है, 32 प्राक्कलन (संलग्न विवरण-1) प्राप्त हुए हैं। इनमें से पहले 7 प्राक्कलन संस्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष के बारे में या तो राज्य के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है अथवा उनकी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना के शेष बचे कार्यों में से नौ और प्राक्कलनों की स्वीकृति दे दी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1
1990-91 में प्राप्त कार्यों की सूची

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु०)	बजटगत प्रावधान (लाख रु०)
1	2	3	4
	सड़क निर्माण कार्य		
1.	रा०रा० मार्ग 4 पर लोनावाला-खंडला डाईवर्सन का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल	1.16	1.16
2.	रा०रा०मार्ग 50-पुणे-नासिक सड़क पर संगमनेर कस्बे के बाहर बाईपास बनाने के लिए सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	1.32	0.10
3.	रा०रा० मार्ग 6 नागपुर-इदलाबाद पर 176/600 कि०मी० में छोटे पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	C.35	0.10
4.	रा०रा० मार्ग-6 के नागपुर-रायपुर खंड पर 69/5 मील पर चुलाबंद नदी पर पुल के पहुंच मार्गों में बाहरी विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करना	1.45	1.45
5.	भंडारा के अमरावती तक नागपुर बाईपास एफ०जी०एच०ए० लिंक का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल	3.91	0.50
6.	पुणे के बाहर ईस्टराली डाईवर्सन का सर्वेक्षण और जांच	2.42	2.42

1	2	3	4
पुल निर्माण कार्य			
7.	रा०रा० मार्ग 7 के नागपुर-इदलाबाद-हैदराबाद खंड के 36/200 कि०मी० में छोटा पुल	14.47	6.00
8.	रा०रा० मार्ग 4 पर बम्बई-पुणे सड़क को 43/0 कि०मी० से 61/600 कि०मी० तक चौड़ा करके चार लेनों का बनाना।		
9.	रा०रा०मार्ग-17 की पी०एम०पी० सड़क के अत्यधिक क्षतिग्रस्त सी०सी० पैदल पथ का पुन: निर्माण।		
10.	रा०रा० मार्ग 7 के नागपुर-हैदराबाद खंड 37/2 कि०मी० में आर०ओ०बी० हेतु पहुंच मार्गों का निर्माण।		
11.	रा०रा० मार्ग 4 के 115/800 कि०मी० से 104/500 कि०मी० तक के कालम्बोली से शेडुंग के बीच के पनवेल बाईपास का निर्माण।		
12.	रा०रा० मार्ग 6 की नागपुर इदलाबाद सड़क पर 99/900 कि०मी० में मोड़ के लिए ज्यामितिय सुधार की व्यवस्था करना।		
13.	रा०रा० मार्ग 50 पर पथ डाईवर्शन हेतु भू-अधिग्रहण के साथ-साथ वृक्षारोपण तथा शेड साईट गटर डालना।		
14.	रा०रा० मार्ग 4 की बम्बई पुणे सड़क पर कालम्बोली से रा०रा० मार्ग 4 पर कौसा खंड में 115/800 कि०मी० से 134 कि०मी० तक चार लेन का बनाना।		
15.	रा०रा० मार्ग 8 पर बासिन फिक ब्रिज पुल पर 497/200 कि०मी० से 499/940 कि०मी० तक के भाग को चार लेन का बनाना।		
16.	रा०रा० मार्ग 4 और रा०रा० मार्ग 9 के ईस्टर्ली पुणे डाईवर्शन के लिए भू-अधिग्रहण।		
17.	रा०रा० मार्ग 4 पर 6/120 कि०मी० से 9/480 कि०मी० तक के पुणे बाहर छोटे वेस्टर्ली डाईवर्शन को सुदृढ़ बनाना।		

1	2	3	4
18.	रा०रा० मार्ग 4 पर 94/500 कि०मी० से 104/500 तक की मौजूदा शेष चार लेन की सड़क को मजबूत बनाना।		
19.	रा०रा० मार्ग 17 पर पाताल गंगा के पुल के लिए पैन साईड पहुंच मार्ग का निर्माण।		
20.	रा०रा० मार्ग 7 पर नागपुर-जबलपुर खंड पर 679 से 690 तथा 696 से 701 कि०मी० तक के भाग को मजबूत बनाना।		
21.	रा०रा० मार्ग 3 पर थाजे-भिवंडी के संयुक्त बाईपास के लिए अंतिम एस्फाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना।		
22.	रा०रा० मार्ग 4 के वल्वन—कामथेड़ डाईवर्शन को चार लेन का बनाने हेतु भू-अधिग्रहण।		
23.	रा०रा० मार्ग 3 पर नासिक बाईपास के 414 कि०मी० से 418 कि०मी० तक को चार लेन का बनाना।		
24.	रा०रा० मार्ग 6 पर पहुंच मार्गों सहित, नागपुर इदलाबाद खंड के 316/600 कि०मी० में ध्यान गंगा पुल।		
25.	रा०रा० मार्ग 6 पर पहुंच मार्ग सहित, नागपुर-रायपुर खंड के 521/600 कि०मी० में कान्हा पर पुल।		
26.	रा०रा० मार्ग 6 के नागपुर-इदलाबाद खंड के 81/300 कि०मी० में छोटा पुल।		
27.	रा०रा० मार्ग 6 के नागपुर-इदलाबाद खंड के 85/900 कि०मी० में छोटा पुल।		
28.	रा०रा० मार्ग 6 के नागपुर-रायपुर खंड के 451/400 कि०मी० में छोटा पुल।		
29.	रा०रा० मार्ग 7 के नागपुर-जबलपुर खंड के 654/200 कि०मी० में छोटा पुल।		
30.	रा०रा० मार्ग 6 के नागपुर-इदलाबाद खंड के 88/600 कि०मी० में छोटा पुल।		
31.	रा०रा० मार्ग 7 के (नागपुर-हैदराबाद खंड) 48/600 कि०मी० में छोटा पुल।		
32.	रा०रा० मार्ग 6 (नागपुर-इदलाबाद खंड) 144/800 कि०मी० में छोटा पुल।		

विवरण—2

सातवीं योजना के शेष कार्य—1990-91 में स्वीकृत

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु०)	बजटगत प्रावधान (लाख रु०)
1	2	3	4
1.	रा०रा० मार्ग 9 के पुणे-शोलापुर-हैदराबाद के 273/0 कि०मी० से 278/0 कि०मी० तथा 285/0 कि०मी० के 288/0 कि०मी० के भाग मजबूत बनाना	95.51	0.50
2.	रा०रा० मार्ग 3 पर नासिक-धुले-खंड 362/0 कि०मी० से 377/50 कि०मी० के भाग को मजबूत बनाना	188.905	0.50
3.	रा०रा० मार्ग 4 पर लोनावाला-खंडाला डाइ-वर्शन के निर्माण हेतु भू-अधिग्रहण	456.31	10.00
4.	रा०रा० मार्ग 6 और 7 के नागपुर क्षेत्र में भू-योजना का सर्वेक्षण और जांच एवं सीमा पत्थर लगाना	47.44	1.00
5.	रा०रा० मार्ग 8 के 499/200 कि०मी० से 502/370 कि०मी० के चार लेन वाले पैदल पथ को मजबूत बनाना	115.84	0.50
6.	रा०रा० मार्ग 8 के 395 कि०मी० से 405 कि०मी० तक के भाग को मजबूत बनाना	150.71	0.50
7.	रा०रा० मार्ग 6 के 360/0 कि०मी० से 521/0 कि०मी० तक की भू-योजना के लिए सर्वेक्षण अनुमान	9.44	9.44
8.	रा०रा० मार्ग 50 के 95/0 कि०मी० से 96/650 कि०मी० तक के भाग को चौड़ा करना।	5.10	3.00
9.	रा०रा० मार्ग 7 एवं 6 पर नागपुर बाईपास के निर्माण के लिए उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करना	63.74	0.50

कोको रोपण को बढ़ावा

3729. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहायता से मिश्रित खेती के रूप में कोको तथा नारियल के पेड़ लगाने को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से कोको की खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग). कोको अधिकांशतः नारियल के बगीचों में अन्तः फसल के रूप में उगाया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनस्पति रक्षण, सिंचाई सुविधाओं और खाद डालना सहित खेती की वैज्ञानिक पद्धतियां को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोको की फलियों की अधिप्राप्ति और प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कोको और इसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए इस समय कोको-फलियों के निर्यात पर 10 प्रतिशत, कोको मास पर 12 प्रतिशत, कोको बटर एवं कोको केक/पाउडर के निर्यात पर 15 प्रतिशत की दर से नगद प्रतिपूर्ति सहायता देने की अनुमति दी जा रही है।

दिल्ली में बम विस्फोट

3730. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**
श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अगस्त, 1990 के दौरान आज तक हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बम विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए; और

(ग) उक्त मामलों की जांच में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 14/15 अगस्त, 1990 की रात को सी-4 ब्लाक केशवपुरम दिल्ली के नजदीक एक बम विस्फोट हुआ।

(ख) इस घटना में 5 व्यक्ति मारे गये और 18 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ग) मामले की जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गांवों का अभिग्रहण

3732. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गांवों के समेकित विकास के लिए उनका अभिग्रहण करने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार से मान्यता प्राप्त आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन हैं, उन्होंने किन-किन गांवों का अभिग्रहण किया है और उन्होंने इस सबंध में अब तक क्या प्रगति की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

3733. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों को कोई प्रोत्साहन देती है ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और ग्रामीण संसाधनों का दोहन किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार पैदा करने तथा संसाधन जुटाने के संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार किसानों की सहकारी समितयों के द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों की उन्नति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। सहकारी बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी ही सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं से निर्माण अवधि के दौरान 0.04 लाख मानव दिवसों के रोजगार का तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 8.93 लाख मानव वर्षों का प्रत्यक्ष नियमित रोजगार के रूप में सृजन हुआ।

खाद्यान्नों का भरपूर उत्पादन

3734. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों का भरपूर उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य और कृषि संगठन के इस तथाकथित पूर्वानुमान को देखते हुए कि विश्व में खाद्यान्नों की खपत में कमी होगी, सरकार का विचार हाल ही में प्राप्त की गई अपनी निर्यात क्षममाओं का उपयोग किस प्रकार करने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) यह सच है कि वर्ष 1989-90 में 172.7 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन के रिकार्ड स्तर का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) खाद्यान्नों के निर्यात पर सरकार एक व्यावहारिक नीति का अनुसरण करती है, जो कि उत्पादन के स्तरों और घरेलू खपत की जरूरतों, प्रचलित घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य बाजार की दशाओं सहित हमारे जिन्सों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को आबंटित धनराशि

3735. **प्रो० के०बी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान केरल को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : 1990-91 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में किया गया वित्तीय आवंटन निम्नलिखित है :

	(लाख रुपये में)
जवाहर रोजगार योजना	5116.95
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	935.56
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	19.94
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1076.00
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	73.95
ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना	14.14

केरल में टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

3736. प्रो० के०वी० थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान, केरल में टेलीफोन प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी शुरू की जाने वाली योजनाओं का जिले-वार, ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का 1990-91 के दौरान विस्तार करने/इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	14
2.	क्विलोन	16
3.	पट्नमकिट्टा	11
4.	अल्लेप्पी	11
5.	कोट्टायम	17
6.	इंडुक्की	23
7.	एर्नाकुलम	16
8.	त्रिचुर	13
9,	पालघाट	7

1	2	3
10.	मालापुरम	8
11.	कालीकट	18
12.	वैनाड	8
13.	कन्नानोर	8
14.	कासरगोड	10
	कुल	180

सरकारी क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक एकक

3737. **श्री छीतुभाई देवजीभाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से उर्वरक एकक रुग्ण हैं;

(ख) मार्च 1990 तक इन एककों से कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इन एककों की रुग्णता के क्या कारण हैं और इन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) इन एककों को फिर से चालू करने के लिए कितनी धनराशि व्यय होगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एफ०सी०आई०) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) सार्वजनिक क्षेत्र की दो रुग्ण उवर्रककम्पनियां हैं ।

(ख) 31 मार्च, 1990 तक, एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० की संचित हानियां क्रमशः 1235 करोड़ रु० और 949 करोड़ रु० है ।

(ग) एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० की रुग्णता मुख्यतः पावर की कमी, डिजाइन त्रुटियां, पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उपस्कर खराबियों निम्नकार्य संस्कृति और फालतू जनशक्ति के कारण निम्न क्षमता उपयोगिता है तथा इसलिए भी कि रामागुण्डम और तालचर स्थित एफ०सी०आई० के संयंत्रों के मामले में पहली बार कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था ।

एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० की लाभप्रदता में सुधार लाने की दृष्टि से पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण, कैपटिव पावर संयंत्रों की स्थापना आदि की अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं/तैयार की जा रही हैं ।

(घ) विचाराधीन/कार्यान्वयनाधीन विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावों के अनुसार, एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० के रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए लगभग 284.80 करोड़ रु० की राशि व्यय होने की सम्भावना है ।

गुजरात से प्याज की खरीद

[हिन्दी]

3738. **श्री छीतूभाई देवजीभाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से मई, 1990 की अवधि के दौरान "नाफेड" ने बाजार हस्तक्षेप योजना (मार्केट इन्टरवेन्शन स्कीम) के अन्तर्गत गुजरात से कुल कितनी मात्रा में प्याज खरीदी है;

(ख) यह खरीद किस दर पर की गई; और

(ग) प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 15.3.90 से मई 1990 के अन्त तक 18.794 मी० टन प्याज खरीदी।

(ख) 70 रुपए प्रति क्विंटल उचित औसत क्वालिटी।

(ग) प्याज के बम्पर उत्पादन के मामले में जब प्याज की कीमतों में गिरावट आने का डर होता है तो राज्य सरकार की सिफारिश पर बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्याज का निर्यात नेफेड के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों को सहायता

3739. **श्री छीतूभाई देवजीभाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन सहकारी समितियों ने ऋण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवेदन किया है;

(ख) इन समितियों ने कितने-कितने ऋण हेतु आवेदन किया है और ऋण किस प्रयोजन हेतु मांगा गया है;

(ग) इन समितियों को कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया है और उन्हें वास्तव में कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(घ) शेष सहकारी समितियों को कब तक ऋण प्रदान किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ). कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों जैसे कि मात्स्यिकी, कुक्कुट पालन, हस्तकरघा, जटा नारियल आदि को शामिल करने वाले कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर सहकारी समितियों के जरिये उत्पादन परिसंस्करण विपणन, संचयन कृषि उत्पाद का आयात और निर्यात, लघु वन उत्पाद, खाद्य सामग्री तथा अधिसूचित जिन्सों को नियोजन करने और कार्यक्रमों का संवर्धन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। निगम द्वारा उनसे प्रस्तावों के प्राप्त किए जाने और संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर मंजूरी देने पर विचार किए जाने के बाद, वित्तीय सहायता विभिन्न राज्य सरकारों के जरिए ऋणों तथा राजसहायता के रूप में दी जाती है। उपर्युक्त प्रक्रिया तथा यह तथ्य कि निगम प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सहकारी समितियों को सहायता की मंजूरी करता है, को ध्यान में रखते हुए अल्प सूचना पर समितिवार जानकारी एकत्र करना, संकलन करना और प्रस्तुत करना अव्यावहारिक जान पड़ता है। तथापि, गत तीन वर्षों के

दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता की मंजूरी और भुगतान की समग्र स्थिति निम्न प्रकार दी जाती है :

वर्ष	सहायता प्राप्त समितियों की संख्या	मंजूर की गई धनराशि	संवितरण की गई धनराशि* (करोड़ रुपए में)
1987-88	2795	197.76	170.96
1988-89	3560	437.81	205.65
1989-90	2264	167.66	221.66

* संवितरित की गई धनराशि में पूर्व की अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की तुलना में निर्मुक्त की गई धनराशि भी शामिल है।

डेरियों की स्थापना

3740. **श्री छीतूभाई देवजीभाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डेरियों की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं उन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन क्षेत्रों में डेरियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में सोनगढ़, धरमपुर और अहवादंग क्षेत्रों में डेरियां स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) डेरी संयंत्रों की स्थापना पर विचार ऑपरेशन-फ्लड के तहत विदेशों की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता के अलावा उस क्षेत्र की दुग्ध उत्पादन की क्षमता, विपणन योग्य अधिशेष दूध की उपलब्धता आहार एवं चारा तथा अन्य सबंधित बुनियादी सुविधाओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) डेरी विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों के बहुत सारे जिले ऑपरेशनफ्लड कार्यक्रम के तहत कवर किए गये हैं।

(ग) सोनगढ़ और धरमपुर क्षेत्र क्रमश: सूरत और वलसाद जिले में हैं। सूरत और वलसाद में पहले से ही डेरी संयंत्र मौजूद है। वलसार डेरी संयंत्र को और बढ़ाया जाएगा।

चण्डीगढ़ में स्थानीय परामर्श समितियां गठित करने का प्रस्ताव

3741. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक मामलों में मदद देने हेतु स्थानीय परामर्श समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). कुछ पब्लिक अभिमत नेताओं द्वारा की गई मांग के अनुसरण में संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक ने स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में एक स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया । तथापि, कुछ असहमति को ध्यान में रखते हुए प्रशासक को उक्त समिति को समाप्त करना पड़ा । इसके उपरान्त, प्रशासक द्वारा किसी अन्य स्थानीय समिति का गठन नहीं किया गया है ।

अमरीकी सदन की मानव अधिकार सम्बन्धी उप समिति द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की सुनवाई

[अनुवाद]

3742. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री कल्पनाथ राय :
श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सदन की मानव अधिकार संबंधी उप-समिति यू०एस० हाउस राइट्स सब कमेटी ने जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों को सुनने के लिए समय नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह हमारे देश के आन्तरिक मामलों में अमरीका का नितान्त हस्तक्षेप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने अमरीकी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाली और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना

[हिन्दी]

3743. **श्री बी० कृष्ण राव :**
श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :
डा० बंगाली सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कांदिविल्ली में टेलीफोन भवन के निर्माण में अनियमितताएं

[अनुवाद]

3744. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कांदिविल्ली टेलीफोन एक्सचेंज भवन आदि के निर्माण में कुछ गंभीर अनियमितताएं और कदाचार के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं और कदाचार का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या इस मामले को केन्द्रीय सतर्कता प्रयोग को जांच के लिए सौंपा गया था यदि हां, तो आयोग के क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई या करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). सी०वी०सी० के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा कांदिविल्ली में अस्थाई टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण कार्य की गहन जांच के दौरान, कुछ अनियमितताएं बताई गई थीं और मामले की आगे जांच करने के लिए सी० वी०सी० द्वारा कुछ ब्यौरे मंगवाए गए थे । ब्यौरेवार सूचना अभी एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सी०वी०सी० को भेज दी जाएगी । सी०वी०सी० की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात इस मामले की आगे कारंवाई की जा सकती है ।

केन्द्रीय सड़क कोष की सहायता से बिहार में बनाई गई सड़कें और पुल

[हिन्दी]

3745. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सड़क कोष की सहायता से बिहार के संथाल परगना उप-मंडल में कितनी सड़कें और पुलों का निर्माण किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : केवल एक सड़क अर्थात् त्रिमोहन-इकचरी-धनुरा-मेहगामा सड़क, जिसका कुछ भाग संथाल परगना जिले में पड़ता है, का निर्माण कार्य केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत संस्वीकृत किया गया था और राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब यह कार्य पूरा हो चुका है ।

श्रीलंका के उच्च आयुक्त को शरणार्थी कैंपों का दौरा करने की अनुमति

[अनुवाद]

3746. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त के "हिन्दू" में "श्रीलंकन एट्वई टु विजिट टी०एन० रेफ्यूजी कैंपस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका के उच्च आयुक्त ने तमिलनाडु में शरणार्थी कैंपों का दौरा करने की अनुमति का अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार ने अनुमति प्रदान की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन बातों को महत्व दिया गया है; और

(घ) श्रीलंका सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए गए अनैतिक प्रचार अभियान की रोक-थाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रीलंका के हाई कमिश्नर के अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) श्रीलंका की स्थिति से सम्बन्धित सभी मामले तथा भारत-श्रीलंका संबंधों पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है।

महाप्रबंधक, टेलीफोन, हिमाचल प्रदेश द्वारा खरीद

[हिन्दी]

3747. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाप्रबन्धक, टेलीफोन, हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई खरीदों पर मंत्रालय द्वारा किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान महाप्रबन्धक द्वारा की गई खरीदों में कुछ अनियमितताओं के बारे में सरकार को पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) (i) हिमाचल प्रदेश के मुख्य महा-प्रबन्धक द्वारा की गई खरीद, दूरसंचार आयोग द्वारा मंजूर वार्षिक अनुदानों से सीमित की जाती हैं और जिसके लिए निधियों की व्यवस्था की जाती है।

(ii) मुख्य महाप्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाने वाली सभी प्राप्तियों को आंतरिक वित्त द्वारा खरीद आदेश देने से पूर्व पुनरीक्षा और मंजूरी प्रदान की जाती हैं।

(iii) खरीद आदेशों पर स्थानीय लेखा परीक्षा द्वारा विचार किया जाता है।

(iv) किसी भी अनुचित प्राप्ति पर लेखा परीक्षा आपत्ति कर सकता है और जो गंभीर मामला होता है उसकी जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

(ख) इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में बटोते-किश्तवार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

[अनुवाद]

3748. **श्री धर्मपाल शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में बटोते-किश्तवार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कब आरम्भ हुआ था;

(ख) इस राजमार्ग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) बटोट-किश्तवार सड़क को मई, 1977 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था और 1978-79 में निर्माण कार्य शुरू हुआ।

(ख) मार्च, 1990 तक इस राजमार्ग पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :

(i)	निर्माण/सुधार	37.18 करोड़ रु०
(ii)	रख-रखाव	8.33 करोड़ रु०

(ग) इस सड़क के रख-रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन के सुपुर्द किए जाने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की विधवाओं को रोजगार

3749. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में मारे गये कितने सुरक्षा-कर्मियों की विधवाओं को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है; और

(ख) शेष विधवाओं को कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में की गई कारंवाई में अर्द्धसैनिक बलों के 48 सदस्य मारे गए। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल एक विधवा ने आवेदन किया। मामला विचाराधीन है।

वर्ष 1990 के दौरान मारे गए सुरक्षाकर्मियों के कल्याण के लिए उपाय

3750. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वर्ष 1990 के दौरान मारे गए और आशक्त हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के परिवारों को धनराशि उपलब्ध करा रही है और उनके कल्याण के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में मारे गए सभी सुरक्षाकर्मियों के लिए भी ऐसे ही कल्याणकारी उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन सभी के परिवारों को धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग). आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध कारंवाई के दौरान या आंदोलनों में मारे गए अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के परिवार सामान्य नियम के अन्तर्गत देय लाभों के अलावा उदार पेंशन तथा अनुग्रह-पूर्वक राशि की मंजूरी दिए जाने के पात्र हैं। ऐसे कार्मिक, जो इस प्रकार की कारंवाईयों के दौरान विकलांग हो गए है, वे विकलांगता-पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, इन्हें दी जाने वाली यह विकलांगता पेंशन सामान्य नियम के अन्तर्गत दी जाने वाले विकलांगता-पेंशन से अधिक है। इसके अलावा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कल्याण कोष से भी उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रभावित व्यक्तियों को ये सुविधाएं यथाशीघ्र दी जाती है।

राज्य पुलिस कमिकों के लिए इसी प्रकार के कल्याण उपाय तैयार करने का काम संबंधित राज्य सरकारों का है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में नागपुर रायपुर खंड में वेनगंगा नदी पर पुल

3751. **डा० खुशाल परशराम बोपचे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में नागपुर-रायपुर खंड में वेनगंगा नदी का पुल बहुत सकरा है और जिसके परिणामस्वरूप अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं;

(ख) क्या इस पुल को पुनः बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस पुल के पुनः निर्माण का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस कार्य के शुरू होने की तारीख के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

[हिन्दी]

3752. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद नई दिल्ली के कार्य क्या हैं;

(ख) इसकी प्रबन्ध समिति के वर्तमान सदस्यों और पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनका कार्यकाल कितना है;

(ग) सरकार द्वारा इस परिषद को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का अनुदान मंजूर किया गया गया; और

(घ) परिषद ने अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) विवरण। संलग्न है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) इसकी तीन मुख्य प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। इन समितियों का मौजूदा कार्यकाल तीन वर्ष का है जो 1 जून, 1990 से शुरू हुआ है।

(ग) परिषद को पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए :

1987-88	4,47,36,381.00 रुपये
1988-89	6,85,00,000.00 रुपये
1989-90	8,83,17,000.00 रुपये

(घ) परिषद ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। इसने एक हिन्दी एकक गठित किया है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं। परिषद अपने कार्मिकों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि में भी प्रशिक्षण दे रही है और उसने हिन्दी टाइपराइटर भी खरीदे हैं। परिषद द्वारा किये गए उपायों के फलस्वरूप सरकारी पत्राचार तथा दैनिक कागजात में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है।

विवरण—1

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद--इसके क्रियाकलाप

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की स्थापना 1950 में हुई थी। यह एक स्वायत्त निकाय है और सरकार का ही एक हिस्सा है जो सांस्कृतिक राजनय के क्षेत्र में काम करती है। यह विदेशों में भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों से संबद्ध नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में हिस्सा लेती है। इसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध और पारस्परिक सद्भाव विकसित और सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिषद विदेशों में मंचीय कलाकारों के शिष्टमण्डल भेजती है, विदेशों में प्रदर्शनियां लगाती है, प्रख्यात लेखकों, कवियों और शिक्षा शास्त्रियों को तथा सृजनात्मक व्यक्तियों को विदेश भेजती है और इसी तरह ऐसे लोगों को भारत बुलाती है।

यह परिषद जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार तथा भारत-अमरीका शिक्षा संस्कृति उपायोग के सचिवालय के रूप में भी काम करती है।

परिषद विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र चलाती है। परिषद विदेशों के विश्वविद्यालयों में प्राच्य विद्या के प्रोफेसरों को और भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर आदि को भी भेजती है।

परिषद भारत में रहने वाले विदेशी छात्रों और शोधकर्त्ताओं की भी देख-रेख करती है।

परिषद हिन्दी, अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं की पुस्तकों और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती है।

विवरण—2

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली की महा सभा, शासी निकाय और वित्तीय समिति के सदस्यों के नाम, जो कि परिषद के मुख्य प्राधिकरण हैं जैसा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संविधान में निर्धारित है, निम्नलिखित अनुबंधों में दिए गए हैं।

अनुबंध-1—महासभा

अनुबंध-2—शासी निकाय

अनुबंध-3—वित्त समिति

अनुबंध—1

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की महासभा के सदस्यों की सूची

1. डा० शंकर दयाल शर्मा,
   भारत के उप राष्ट्रपति/अध्यक्ष,
   भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
   6, मौलाना आजाद रोड,
   नई दिल्ली।

2. श्रीमती पुपुल जयकर,
   उपाध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
   11-सफदरजंग रोड,
   नई दिल्ली।

3. श्री एच०वाई० शारदा प्रसाद,
   उपाध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
   19, मैत्रीय अपार्टमेंट्स,
   सी०आई०एस० आफिसर्स, कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
   ए-3 पश्चिम विहार,
   नई दिल्ली।

4. डा० राजा रमन्ना,
   रक्षा राज्य मंत्री,
   रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लाक,
   नई दिल्ली।

5. डा० डी०पी० चट्टोपाध्याय,
   राजस्थान के राज्यपाल और अध्यक्ष,
   भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद,
   14-ए बी, मथुरा रोड,
   नई दिल्ली।

6. डा० नजमा हेपतुल्ला, संसद सदस्य,
   उपाध्यक्ष, राज्य सभा,
   4, अकबर रोड,
   नई दिल्ली।

7. श्रीमती के० जमुना, संसद सदस्य,
   29, मीना बाग,
   नई दिल्ली।

8. श्री पी० कौशिक, संसद सदस्य,
421, बी०पी० हाउस,
रफी मार्ग,
नई दिल्ली।

9. श्री सुनील दत्त, संसद सदस्य,
"सनराइज" 24वां रोड, बान्द्रा,
बम्बई।

10. श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह, संसद सदस्य,
80, लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली।

11. प्रो० असीमा चटर्जी, संसद सदस्य,
92, आचार्य प्रफुल्ल,
कलकत्ता-9

12. श्री एम०जे० अकबर, संसद सदस्य,
185, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

13. पं० रवि शंकर, संसद सदस्य,
95, लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली।

14. श्री एम० दूबे,
विदेश सचिव/उपाध्यक्ष,
भा०सां०सं० परिषद, विदेश मंत्रालय,
साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली।

15. श्री अनिल बोर्डिया,
सचिव (शिक्षा),

16. श्री भास्कर घोष,
सचिव (संस्कृति और कला),

17. श्री सुरेश माथुर,
सचिव (सूचना और प्रसारण)

18. डा०वी०आर० गावरिकर,
सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

19. श्री ए०के० बनर्जी,
सचिव (एफ०ए०),
विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली।

20. श्रीमती वीणा सीकरी,
महानिदेशक, भा०सां०सं०परिषद,
नई दिल्ली।

21. श्रीमती मीरा कुमार,
6, कृष्ण मेनन मार्ग,
नई दिल्ली।

22. श्री आबिद हुसैन,
भारत के राजदूत,
वाशिंगटन।

23. डा० कपिला वात्स्यान,
सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
जनपथ,
नई दिल्ली।

24. डा० लोकेश चन्द्र, निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति अकादमी,
जे-22, हौज खास एनक्लेव,
नई दिल्ली।

25. श्रीमती मल्लिका सारा भाई,
निदेशक, दर्पण कला अकादमी,
चिदम्बरम,
अहमदाबाद।

26. श्री एस० हिदायतुल्लाह,
ए-10, रोकसाइड,
112, वालकेश्वर रोड,
बम्बई-6।

27. श्रीमती अरुणा आसफ अली,
अध्यक्ष, पेट्रियट, 14/3, जमुना भवन,
आसफ अली रोड,
नई दिल्ली।

28. श्री भीमसैन जोशी,
बी-7/3, राम बाग कालोनी,
पुणे।

29. डा० पद्मा सुब्रहमण्यम,
6, फोर्थ मेन रोड,
गांधी नगर,
मद्रास।

30. श्री जेसुदास,
13, थर्ड स्ट्रीट, अभीरामपुरम,
मद्रास ।

31. श्री के०वी० कोचनियान,
अध्यक्ष, केरल कला मण्डल,
वलाथोल नगर,
चेरूथरूथी-679531 ।

32. श्री जयदेव बाघेल,
भेलवाबद्रपुर कोंहा गांव,
नारायणपुर, जिला-बस्तर,
मध्य प्रदेश ।

33. सुश्री मन्नू भण्डारी,
103, हौज खास (डी०डी०ए० फ्लैट्स),
नई दिल्ली ।

34. श्री अजय कुमार जैन,
भूतपूर्व संपादक, नव भारत टाम्स,
सी-47, गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली ।

35. कुंवर मोहिन्द्र सिंह बेदी,
डब्ल्यू-57, ग्रेटर कैलाश,
नई दिल्ली ।

36. श्री एस० रामाकृष्णन,
कार्यकारी सचिव,
भारतीय विद्या भवन,
मुन्शी सदन, कुलपति मुंशी मार्ग,
बम्बई-1

37. डा० असीम दास गुप्ता,
उप कुलपति, विश्व भारती विश्वविद्यालय,
शांति निकेतन,
पश्चिमी बंगाल ।

38. डा० यू०आर० अनन्त मूर्ति,
उप कुलपति, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय,
कोट्टायम,
केरल ।

39. डा० वी०सी० कुलंदस्वामी,
उप कुलपति, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय,
जय सिंह रोड,
नई दिल्ली।

40. श्री डी०के० ओझा,
उप कुलपति, गांधी ग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय,
गांधी ग्राम, जिला--दिंदिगुल,
तमिलनाडु-2

41. डा० के० वेंकटसुब्रह्मण्यम,
उप कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय,
पांडिचेरी।

42. डा० (सुश्री) एम०जे० बंगाली,
उप कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय,
बम्बई।

43. श्री विद्या निवास मिश्रा,
उप कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

44. डा० सईद जहूर कासिम,
उप कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर,
नई दिल्ली।

45. डा० पी०सी० जोशी, अध्यक्ष,
जन संचार संस्थान तथा प्रोफेसर आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

46. प्रो० कुमारी रोमिला थापर,
ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र,
जे०एन०यू०, नई दिल्ली।

47. प्रो० ए०एम० खुसरो,
अध्यक्ष, आगा खान फाउंडेशन (इंडिया)
सरोजिनी हाउस, 6 भगवानदास रोड,
नई दिल्ली।

48. श्री गुलाम मोह० शेख,
4, रेजीडेंसी बंगला,
यूनिवर्सिटी आफिस कम्पाउंड,
बड़ौदा विश्वविद्यालय,
बड़ौदा-2

49. श्री अनवर जमाल किदवई,
निदेशक, जन संचार संस्थान,
जामिया मिलिया, जामिया नगर,
नई दिल्ली।

50. प्रो० मृणाल मिरी,
दर्शन की प्रोफेसर,
उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय,
शिलांग।

51. डा० एम०एस० स्वामीनाथन,
अवैतनिक निदेशक,
धारणीय कृषि अनुसंधान केन्द्र ग्रामीण विकास,
11, रत्न नगर, तेनापेट,
मद्रास-18

52. श्री ओबिद सिद्दीकी,
प्रोफेसर, अणु जैव विज्ञान,
टाटा मौलिक अनुसंधान केन्द्र,
होमी भाभा रोड, नेवी नगर,
बम्बई-5

53. प्रो० ई०वी०, चिटनिस,
अन्तरिक्ष एप्लीकेशन केन्द्र,
जोधपुर, तेकरा,
अहमदाबाद।

54. प्रो० रवीन्द्र कुमार,
निदेशक, नेहरू स्मारक निधि,
तीन मूर्ति भवन,
नई दिल्ली।

55. डा० एल०पी० सहारे,
महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय,
जनपथ, नई दिल्ली।

56. श्री जे०जे० भाभा,
उपाध्यक्ष और न्यासी,
राष्ट्रीय मंचीय कला केन्द्र, चौथी मंजिल, होमी स्ट्रीट,
बम्बई।

57. श्री मार्तंड सिंह,
सचिव, आई०एन०टी०ए०सी०एच०,
71, लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली।

58. डा० शैल चोयल,
52, अरविंद नगर,
उदयपुर।

59. प्रो० इन्द्रनाथ चौधरी,
सचिव, साहित्य अकादमी,
नई दिल्ली।

60. श्री केशव कोठारी,
सचिव, संगीत नाटक अकादमी,
नई दिल्ली।

61. श्री प्रकाश सिंह,
निदेशक, जवाहर लाल मणीपुरी नृत्य अकादमी,
इम्फाल, मणिपुर।

62. श्री किरण सेठ,
उपाध्यक्ष, एस०पी०आई०सी०-एम०ए०सी०ए०वाई०,
41-42, लखनऊ रोड,
दिल्ली।

विशेष आमंत्रित

63. श्री विमल जालान,
वित्त सचिव, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

64. श्रीमती अमृता प्रीतम, संसद सदस्य,
के-25, हौज खास एन्क्लेव,
नई दिल्ली।

65. श्री टी०एन० कौल,
7, पूर्वी मार्ग, बसंत विहार,
नई दिल्ली।

66. श्री आनन्द देव, कार्यवाहक उपाध्यक्ष,
ललित कला अकादमी,
नई दिल्ली।

67. श्री गिरिश कर्नाड,
अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी,
नई दिल्ली।

68 डा० बी०के० भट्टाचार्य,
अध्यक्ष, साहित्य अकादमी,
नई दिल्ली।

69. श्री जीवन पाणी,
निदेशक, कथक केन्द्र, भवालपुर हाउस,
नई दिल्ली।

70. श्री कोमल कोठारी,
निदेशक, रूपायण, संस्थान,
जोधपुर, राजस्थान।

71. श्री बी०आर० नन्दा,
174, पंचशील पार्क,
नई दिल्ली।

अनुबन्ध-2

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

1. डा० शंकर दयाल शर्मा,
भारत के उप राष्ट्रपति,
अध्यक्ष, भा०सां०सं०प०

2. श्रीमती पुपुल जयकर,
उपाध्यक्ष, भा०सां०सं०प०,
11-सफदरजंग रोड,
नई दिल्ली।

3. श्री एच०वाई० शारदा प्रसाद,
उपाध्यक्ष, भा०सां०सं०प०,
19, मैत्रीय अपार्टमेंट्स,
सी०आई०एम० ओफिसर्स, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
ए-3, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली।

4. श्री मुचकुंद दूबे,
विदेश सचिव/उपाध्यक्ष,
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद,
नई दिल्ली ।

5. डा० डी०पी० चट्टोपाध्याय,
राजस्थान के राज्यपाल और अध्यक्ष, भारतीय दर्शन,
अनुसंधान परिषद, 14-एबी, मथुरा रोड,
नई दिल्ली ।

6. श्रीमती (डा०) नजमा हेपतुल्ला,
उपाध्यक्ष, राज्य सभा,
4, अकबर रोड, नई दिल्ली ।

7. श्री एम०जे० अकबर, संसद सदस्य,
185, साउथ एवन्यू,
नई दिल्ली ।

8. श्री अनिल बोर्डिया,
सचिव (शिक्षा), शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

9. श्री भास्कर घोष,
सचिव (संस्कृति एवं कला),
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

10. श्रीमती (डा०) कपिला वात्सयायन,
सचिव, इंदिरा गांधी कला केन्द्र,
जनपथ, नई दिल्ली ।

11. श्री ए०के० बनर्जी,
सचिव (एफ०ए०),
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ।

12. श्रीमती वीणा सीकरी,
महानिदेशक, भा०सां०सं० परिषद,
नई दिल्ली ।

13. डा० लोकेश चन्द्र,
निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति अकादमी,
नई दिल्ली ।

14. श्रीमती मीरा कुमार,
6, कृष्ण मेनन मार्ग,
नई दिल्ली ।

15. श्रीमती मल्लिका साराभाई,
निदेशक, दर्पण कला अकादमी, चिदम्बरम,
अहमदाबाद।

विशेष आमंत्रित

16. डा० राजा रमन्ना,
रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

17. श्री गिरीश कर्नाड,
अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी,
नई दिल्ली।

18. श्री आनन्द देव,
कार्यवाहक अध्यक्ष, ललित कला अकादमी,
नई दिल्ली।

19. डा० डी०के० भट्टाचार्य,
अध्यक्ष, साहित्य अकादमी,
नई दिल्ली।

अनुबन्ध-3

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की वित्त समिति के सदस्यों की सूची

1. डा० (श्रीमती) कपिला वात्सयायन सचिव, इंदिरा गांधी कला केन्द्र, नई दिल्ली।	—	अध्यक्ष
2. श्री ए०के० बनर्जी, सचिव (एफ०ए०), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।	—	वित्तीय सलाहकार
3. श्री आई०पी० खोसला, अपर सचिव (पोल), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।	—	सदस्य
4. डा० पी०सी० जोशी, अध्यक्ष, जन संचार संस्थान, नई दिल्ली।	—	सदस्य
5. डा० लोकेश चन्द्र, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय कला अकादमी नई दिल्ली।	—	सदस्य

6. श्रीमती वीणा सीकरी, — सदस्य
महानिदेशक,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
नई दिल्ली।

7. कार्यक्रम निदेशक (एफ० एंड ए०), — सचिव
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद,
नई दिल्ली।

अनिवासी भारतीयों के लिए पृथक मंत्रालय

[अनुवाद]

3753. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री बालेश्वर यादव :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में अनिवासी भारतीयों द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी में अनिवासी भारतीयों से सम्बन्धित सभी मामलों को निपटाने के लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो हाल में घोषित नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने फिलहाल विदेश मंत्रालय में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में एक अलग प्रभाग स्थापित करने का फैसला किया जो अन्य बातों के अलावा अनिवासी भारतीयों के हितों को भी देखेगा।

बाढ़ राहत के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय आवंटन

3754. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें बाढ़ राहत के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बाढ़ द्वारा उत्पन्न की गयी विभिन्न गम्भीर स्थितियों को देखते हुए शीघ्र ही कितनी धनराशि दी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग). राज्य सरकार से कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि, पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए जुलाई, 1990 को एक टेलेक्स संदेश भेजा।

आपदा राहत कोष के तहत पश्चिम बंगाल को वर्ष 1990-91 के लिए 40.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसके 75 प्रतिशत भाग का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा एक गैर-योजना अनुदान के रूप में चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा तथा शेष 25% का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा इसके निजी संसाधनों के जरिए किया जायेगा। तदनुसार, राज्य सरकार के आपदा राहत कोष 1990-91 को केन्द्रीय अंशदान की प्रथम तिमाही किस्त के रूप में खाते पर अदायगी हेतु भारत सरकार ने 16 जुलाई, 1990 को 7.50 करोड़ रु० की धनराशि निर्मुक्त कर दी है।

राजस्थान में भारी वर्षा के कारण क्षति

[हिन्दी]

3755. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा से कितनी जन धन की हानि हुई;

(ख) क्या इस प्राकृतिक विपदा के कारण हुई क्षति का मौके पर जाकर मूल्यांकन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल वहां भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राजस्थान को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(च) वित्तीय सहायता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1990 की मानसून वर्षा के कारण हुई जान-माल की हानि निम्न प्रकार है :

प्रभावित जिले	: 6
मरे मनुष्यों की संख्या	: 152
सम्पति की क्षति	: जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) से (च). नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप किसी भी प्राकृतिक आपदा के होने पर राहत व्यय हेतु वित्त प्रदान करने वाली स्कीम में अप्रैल, 1990 से संशोधन कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित इलाकों में केन्द्रीय दल भेजने की प्रक्रिया छोड़ दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित राशि से एक आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य के लिए 124 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि चार तिमाही किश्तों में गैर-योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी और शेप राशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने निजी स्रोतों से की जाएगी। राहत के मानदंडों सहित राहत व्यय से सम्बन्ध सभी मामलों पर निर्णय राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति लेगी। आपदा राहत कोष के सृजन के बाद अब यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की हो जाती है कि वह प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले सभी खर्चों को तब तक पूरा करे जब तक कि वह विशिष्ट आपदा असाधारण आपदा न हो और वह राष्ट्रीय स्तर पर संभालने की चेतावनी न देती हो।

भारत सरकार ने राज्य के भापदा राहत कोष के केन्द्रीय शेयर की पहली तिमाही किश्त के रूप में 4 जून, 1990 को राज्य सरकार के लिए 23.25 करोड़ रु० की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी है।

भारत के आसपास 'कांटिनेन्टल शैल्फ एण्ड ओसन जोन' की सीमा

[अनुवाद]

3756. **श्री के० चोक्का राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आसपास तीनों समुद्रों में कांटिनेन्टल शैल्फ एण्ड ओसन जोन सीमा क्या है;

(ख) क्या भारत प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए "शैल्फ एरिया" नियंत्रण रखता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) प्रादेशिक समुद्र महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 में भारत के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों अथवा महासागरीय क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार प्रादेशिक समुद्र का विस्तार 12 समुद्री मील तक और संलग्न क्षेत्र का विस्तार 24 समुद्री मील होगा। भारत के महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार उसके प्रादेशिक समुद्र की सीमाओं से आगे महाद्वीपीय सीमा के बाहरी किनारे तक के इसके भू-प्रदेश के प्राकृतिक फैलाव तक अथवा 200 समुद्री मील की दूरी तक है जबकि महाद्वीपीय शेल्फ का बाहरी किनारा उतनी दूर तक नहीं जाता। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक विस्तीर्ण है। इसमें से प्रत्येक समुद्री क्षेत्र की सीमा उसी आधार रेखा से नापी जाती है जिससे कि प्रादेशिक समुद्र के विस्तार को नापा जाता है। जहां ये समुद्री क्षेत्र किसी पड़ोसी देश के समुद्री क्षेत्र के रास्ते में आते हों वहां उन्हें संबद्ध देश के साथ पारस्परिक समझौते से अंकित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में भारत ने अब तक श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, थाईलैंड और इन्डोनेशिया के साथ समुद्री सीमा सम्बन्धी समझौते किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत गठित भारतीय तटरक्षक संगठन भारत के महाद्वीपीय शेल्फ तथा अन्य क्षेत्रों में भारत के समुद्री तथा अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार की रक्षा में कृत्रिम द्वीप समूह की सुरक्षा, संरचनाओं की रक्षा तथा भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और दूसरे समुद्री क्षेत्रों में तटवर्ती टर्मिनल प्रतिष्ठानों तथा अन्य संरचनाओं और युक्तियों की रक्षा भी शामिल है। भारतीय नौसेना भी भारत के समुद्री क्षेत्रों और उनके संसाधनों की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से हिफाजत करती है।

12.09 म०प०

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची में से मद संख्या 10 का लेंगे। मद संख्या 10 पर कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद मद संख्या 3 से 9 तक को कार्यवाही हेतु लेने के लिए मैं अब इस पर कार्यवाही स्थगित करता हूं।

डा० तम्बि दुरै(करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। इस विधेयक पर चर्चा हो जाने के बाद सदस्यों को कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम आपको पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

विचारार्थ प्रस्ताव पर कुछ संशोधन 22 अगस्त को प्रस्तुत किए गए थे। उन्हें निपटाने के लिए मैं एक-एक करके लेना चाहता हूं। संशोधन संख्या 1 का सुझाव श्री गिरधारी लाल भार्गव ने दिया है। क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मुझे दो मिनट का समय दें तो अपने विचार व्यक्त करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये जो अमेंडमेंट्स हैं.....

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले बिल कंसीडरेशन की स्टेज पर है, उसे पास होना चाहिए, उसके बाद क्लोज वाई क्लॉज पर होना चाहिए। तो पहले जो मंत्री जी का मोशन है, उस पर विचार किया जाये और उसके बाद में बाकी पर।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, जो अमेंडमेंट्स हैं, वे सलेक्ट कमेटी को रैफर करने के संबंध में हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। इसलिए जो अमेंडमेंट्स हैं वे क्लॉजस के अमेंडमेंट बाद में आयेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने तो जनमत जानने हेतु दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सर्कुलेशन और ज्वांयट सलेक्ट कमेटी में रैफर करने के जो अमेंडमेंट्स हैं, इस स्टेज पर लिये जाते हैं, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज्य सरकार जिस ढंग से इस पर अपना...।

उपाध्यक्ष महोदय : असल में जब हमने बिल कंसीडर किया था, तो सर्कुलेशन पर आपने अपने ख्यालात जाहिर किये थे, मैं उस समय बैठा हुआ था। तो फिर उसको दोहराने की आप जरूरत महसूस न करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसमें अलग-अलग जो बोर्ड आफ गवर्नर्स/एक्जीक्यूटिव गवर्नर्स बनाये गए हैं, कहीं कोई तालमेल नहीं है और जनता फ्रंट सरकार उस परपज को पूरा नहीं कर पायेगी और इसके बाद ही मैंने अमेंडमेंट मूव किया है। खैर, मैं सदन की आज्ञा से इसे वापिस ले रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए श्री गिरधारी लाल भार्गव को सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए श्री रासा सिंह रावत को सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 19, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति द्वारा प्रस्तुत दो संशोधन, संख्या 114 और 115 हैं। मैं इन दोनों संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

संशोधन संख्या 114 और 115 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अनन्तराव देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 220 सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

संशोधन संख्या 220 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रसारण निगम को, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबंध करने, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

खंड—2 परिभाषाएं

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एस० राव, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के०एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, चूंकि सरकार पदनाम को 'सदस्य' के रूप में बदलने के लिए पहले ही सहमत हो गई है इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसुम कृष्णमूर्ति—अनुपस्थित हैं। श्री एस० कृष्ण कुमार। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पदनाम 'संचालक' को बदलकर 'सदस्य' कर दिया गया है इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०आर० कुमारमंगलम। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, माननीय मंत्री, श्री पी० उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कापसे, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 24 और 25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

'(झ) "कार्यपालक निदेशक" से धारा 4 के अधीन नियुक्त कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है;' (327)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 26 का **लोप किया जाए**। (328)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 और 30 का **लोप किया जाए**। (329)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 और 4 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

'(फ) "पूर्णकालिक निदेशक" से कार्यपालक निदेशक, निदेशक (वित्त) या निदेशक (कार्मिक) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;' (330)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री हरीश रावत द्वारा रखे गए संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 327 से 330, सभा की अनुमति से, वापस लिये गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों को लूंगा । उपेन्द्र जी, क्या आप अपने संशोधनों पर कुछ कहेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, कुछ कहना आवश्यक नहीं है ।

संशोधन किए गए

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 7 से 12 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**—

"(ग) "प्रसारण" से चिह्नों, सिगनलों, लेखनों, चित्रों, आकृतियों और सभी प्रकार की ध्वनियों जैसे संचार के किसी भी स्वरूप का प्रसार अभिप्रेत है जो वैद्युत-चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा अंतरिक्ष से होकर या केबलों से होकर साधारण जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रिले स्टेशनों के माध्यम से प्राप्त किए जाने के लिए आशयित है और इसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा,

(घ) "**बोर्ड**' से प्रसार भारती **बोर्ड** अभिप्रेत है;" (349)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 22 में "महानिदेशक, दूरदर्शन" **के स्थान पर** "दूरदर्शन महानिदेशालय" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (359)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 24 से 26 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** ।

(झ) "निर्वाचित सदस्य" से धारा 3 के अधीन निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत हैं,

(ञ) "कार्यपालक सदस्य" से धारा 4 के अधीन नियुक्त कार्यपालक सदस्य अभिप्रेत हैं; (351)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 27 से 37 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

(ट) "केन्द्र" से स्टुडियो या ट्रांसमीटरों या दोनों के सहित कोई टेलीकास्टिंग केन्द्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत रिले स्टेशन भी हैं;

(ठ) "सदस्य" से **बोर्ड** का सदस्य अभिप्रेत है;

(ड) "सदस्य (वित्त)" से धारा 4 के अधीन नियुक्त सदस्य (वित्त) अभिप्रेत है;

(ढ) "सदस्य (कार्मिक)" से धारा 4 के अधीन नियुक्त सदस्य (कार्मिक) अभिप्रेत है;

(ण) "नामनिर्दिष्ट सदस्य" से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धारा 3 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है;' (352)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 35 में "(ण)" **के स्थान पर** "(त)" **प्रतिस्थापित किया जाए** (353)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 38 में, "(त)" **के स्थान पर** "(थ)" **प्रतिस्थापित किया जाए** (354)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 39 से 41 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(द) "अंशकालिक सदस्य" से धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत कोई पदेन सदस्य, नामनिर्दिष्ट सदस्य या निर्वाचित सदस्य नहीं है; (355)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 42 में, "(द)" **के स्थान पर** "(ध)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (356)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 44 में "(ध)" **के स्थान पर** "न" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (357)

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 46 में "(न)" **के स्थान पर** "(प)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (358)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 1 में, "(प)" **के स्थान पर** "(फ)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (359)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 3 और 4 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(ब) "पूर्णकालिक सदस्य" से कार्यपालक सदस्य, सदस्य (वित्त) या सदस्य (कार्मिक) अभिप्रेत है;' (360)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 5 में, "(ब)" **के स्थान पर** "(भ)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (361)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 2, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3—निगम की स्थापना और गठन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव। क्या आप खंड-3 के लिए अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी—क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री उत्तम राठौड—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री पी०सी० थामस—अनुपस्थित।

श्री के०एस० राव—क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के०एस०राव (मछलीपटनम) : मंत्री महोदय द्वारा किए गये परिवर्तनों को देखते हुए, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्णमूर्ति—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार—क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस०कृष्ण कुमार (क्विलोन) : मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक छोटी सी विसंगति लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस०कृष्ण कुमार : मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक छोटी सी विसंगति लाना चाहता हूं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के मुख्य अभियन्ता, अभियन्ताओं के संयुक्त संवर्ग के सर्वोच्च अधिकारी हैं और उनका पद महानिदेशक के समकक्ष है और इसलिए यदि अभियन्ताओं को बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया गया तो उनके मन में दुर्भावना पैदा हो सकती है। मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा हूं। किन्तु मैं यही जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किस प्रकार इस समस्या को सुलझायेंगे। मैं यह सुझाव देता हूं कि मुख्य अभियन्ता को वही पद दिया जाए जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक का है क्योंकि संयुक्त संगठन के 38 हजार कर्मचारियों में से अभियान्त्रिक खण्ड के 28 हजार कर्मचारी हैं। मैं इस मुद्दे के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। तब मैं निश्चय करूंगा कि मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्यारे लाल खंडेलवाल—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया – उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री मित्रसेन यादव—अनुपस्थित।

श्री जी०एम०बनातवाला—अनुपस्थित।

श्री वाई०एस०राजशेखर रेड्डी—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री पी०आर०कुमारमंगलम—संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अमर रायप्रधान—अनुपस्थित।

श्री गिरधारी लाल भार्गव—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, थोड़ी ही सही, लेकिन उपेन्द्र जी को समझदारी आई है और उन्होंने हम लोगों के सुझावों को माना है। इसलिए मैं अपने संशोधन को मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

पृष्ठ 3, पंक्ति 15 से 17,—

"भारत में अन्य स्थानों पर और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर कार्यालय, केन्द्र या स्टेशन स्थापित कर सकेगा।" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत और विदेश में केन्द्र और स्टेशन स्थापित कर सकेगा।" (283)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,—

"शासक बोर्ड" **के स्थान पर** "निदेशक बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये** (284)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 23 से 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये—**

"(5) निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) एक कार्यपालक निदेशक;

(ग) एक निदेशक (वित्त);

(घ) एक निदेशक (कार्मिक);

(ङ) महानिदेशक (दूरदर्शन);

(च) महानिदेशक (आकाशवाणी);

(छ) संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन
निदेशक—दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;

(ज) तीन अंशकालिक निदेशक; और

(झ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जिसका नामनिर्देशन उस मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।" (285)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र, क्या आप सरकार के संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी०उपेन्द्र : जी हां। मैं सरकार के संशोधन संख्या 362, 363, 364, 365 और 366 प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार, क्या अब आप अपने संशोधन संख्या 166, 167 और 168 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जी हां महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 15 से 17,—

"भारत में अन्य स्थानों पर और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर कार्यालय, केन्द्र या स्टेशन स्थापित कर सकेगा।" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत और विदेश में केन्द्र और स्टेशन स्थापित कर सकेगा।" (166)

पृष्ठ 3, पंक्ति 20,—

"शासक बोर्ड" **के स्थान पर** "निदेशक बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये** (167)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 23 से 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये—**

"(5) निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) एक कार्यपालक निदेशक;

(ग) एक निदेशक (वित्त);

(घ) एक निदेशक (कार्मिक);

(ङ) महानिदेशक (दूरदर्शन);

(च) महानिदेशक (आकाशवाणी);

(छ) संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक —दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;

(ज) तीन अंशकालिक निदेशक; और

(झ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जिसका नामनिर्देशन उस मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।" (168)

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

महोदय, मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के संयुक्त वर्ग के मुख्य अभियन्ता समकक्ष पद के हैं। वास्तव में, सम्भवतः उन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक से अधिक वेतन मिलता है। वे इस संगठन के सबसे बड़े संवर्ग के अध्यक्ष हैं। महोदय, यदि इन्जीनियरी बोर्ड में किसी अन्य संवर्ग के सदस्यों द्वारा इन का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता तो इन्जीनियरी संवर्ग में दुर्भावना हो सकती है। इन्जीनियरी विभाग की उपेक्षा की गई है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री पी०आर०कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सबसे पहले मुझे माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि वह हमारे सुझाव और संशोधन स्वीकार कर रहे हैं और वह स्वयं एक औपचारिक संशोधन ला रहे हैं। फिर भी जब निगम के कर्मचारियों के दो ऐसे प्रतिनिधियों की बात आती है जिनमें से एक का चुनाव इन्जीनियरी कर्मचारियों में से और दूसरे का अन्य कर्मचारियों में से किया जाए, तो इसमें थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसे मैं हम सबों के सामने यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अन्य कर्मचारियों में भी दो प्रकार के कर्मचारी हैं—एक हैं निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारी और दूसरे हैं प्रशासनिक कर्मचारी। क्या आप नियमों में ही बारी-बारी प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना चाहते हैं अथवा क्या अपने अनुभव के आधार पर आप नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस कानून के बाद वह ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। यह तो कानून के विरुद्ध होगा।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : यह थोड़ा कठिन होगा किन्तु परिभाषा देते समय वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री पी०उपेन्द्र : मैं श्री कृष्ण कुमार की बात से सहमत हूं। इस समय मुख्य अभियन्ता (इन्जीनियर-इन-चीफ) महानिदेशक के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, वह वास्तव में समकक्ष पद पर नहीं हैं, और मैं उनकी यह बात स्वीकार करता हूं कि वह वहां एक शाखा विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए हमने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति इंजीनियरी स्टाफ में से चुना जायेगा और हम नियमों में यह प्रावधान करेंगे अथवा प्रसार भारती बोर्ड स्वयं यह निश्चय कर सकता है कि मुख्य अभियन्ता प्रसार भारती बोर्ड के लिए एक स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति होंगे।

जहां तक श्री कुमारमंगलम द्वारा दिए गये सुझाव का सम्बन्ध है जब हमने कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा की थी तो हमने पहले ही कहा है कि एक इन्जीनियरिंग से सम्बद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनकी संख्या अधिक है क्योंकि अन्य में अनेक श्रेणियां सम्मिलित हैं। हम निर्माताओं अथवा समाचार वाचकों आदि के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अतः हम बहुमत द्वारा इसका निश्चय करेंगे। जब आप "बहुमत द्वारा" कहते हैं तो किसी का भी चुनाव किया जा सकता है।

श्री एस०कृष्ण कुमार : क्या अधिनियम में यह समाविष्ठ किया जाएगा कि वह स्थायी कर्मचारी है अथवा यह प्रशासनिक निर्णय होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा में दिया गया एक आश्वासन है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, फिर तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में आप से बाद में पूछूंगा।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 20,—

"शासक बोर्ड" के स्थान पर "प्रसार भारती बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाये। (362)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 23 से 30 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(5) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख) एक कार्यपालक सदस्य;

(ग) एक सदस्य (वित्त);

(घ) एक सदस्य (कार्मिक);

(ङ) छह अंशकालिक सदस्य;

(च) महानिदेशक (आकाशवाणी) पदेन;

(छ) महानिदेशक (दूरदर्शन) पदेन;

(ज) संघ के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसका नामनिर्देश उस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा; और

(झ) निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक इंजीनियरी कर्मचारिवृंद द्वारा स्वयं में से और एक अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित किया जाएगा। (363)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 34,—

"शासक" के स्थान पर "सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (364)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 35,—

"शासक" के स्थान पर "सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (365)

पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 41 में और पृष्ठ 4 पर पंक्ति 1 से पंक्ति 11 तक में,—

"शासक" शब्द जहां भी आता है, लोप करें और पंक्ति 8 में "शासक" के स्थान पर "सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (366)　　　　**(श्री पी० उपेन्द्र)**

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 166, 167 और 168, सभा की अनुमति से, वापस लिए गये।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 283, 284 और 285, सभा की अनुमति से, वापस लिए गये।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : क्या मैं आपके द्वारा आगे की कार्यवाही चलाने से पहले मंत्री महोदय से हुई अपनी बातचीत के आधार पर संक्षिप्त निवेदन कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इस प्रकार नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4—अध्यक्ष और अन्य शासकों की नियुक्ति

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 4 पर विचार करते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौड़—अनुपस्थित।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 और 20,—

"या उसके गठन में कोई त्रुटि है" का **लोप किया जाए।** (58)

श्री के०एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 12 से 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**,—

"4(1) अध्यक्ष और अन्य न्यासी ऐसी समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) राज्य सभा का सभापति;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष;

(ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता;

(घ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता;

(ङ) लोकपाल (अध्यक्ष);

(च) भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष; और

(छ) भारत के राष्ट्रपति का एक नाम निर्देशिती।" (101)

पृष्ठ 4, पंक्ति 18,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (102)

पृष्ठ 4, पंक्ति 21,—

"अंशकालिक शासक" के स्थान पर "अंशकालिक न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाये (103)

पृष्ठ 4, पंक्ति 21,—

"जीवन में" के पश्चात् "परिसिद्ध सत्यनिष्ठा और" अंतःस्थापित किया जाये (104)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाये (105)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाये (106)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाये (107)

पृष्ठ 4, पंक्ति 27,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये,—

"और न्यासी (कार्यक्रम) एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास व्यावसायिक ज्ञान तथा प्रसारण और टेलिकास्टिंग में अनुभव है।" (108)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसम कृष्ण मूर्ति—अनुपस्थित।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : वह चले गए हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 12 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"4(1) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य निदेशक ऐसी समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) सभा का नेता;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता;

(ग) सभा का नेता;

(घ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता;

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

(ङ) संसद द्वारा निर्वाचित पांच सदस्य—तीन लोक सभा से तथा दो राज्य सभा से; और

(च) तीन विशेषज्ञों को उपर्युक्त समिति द्वारा सहयोजित किया जाएगा।

(क) खण्ड 4(1) (च) के अधीन सहयोजित किए गए विशेषज्ञों को उपर्युक्त समिति के विनिश्चियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ख) समिति की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की जाएंगी और बोर्ड के अध्यक्ष तथा निदेशकों की नियुक्तियां तदनुसार की जाएंगी।" (169)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनन्तराव देशमुख—अनुपस्थित।

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी।

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए०एन० सिंह देव।

श्री ए०एन० सिंह देव (आस्का) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 286 संशोधन संख्या 169 के समान है जो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री अमर राय प्रधान, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गणेश कापसे, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, मैंने सुझाव दिया था कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए दो व्यक्ति अवश्य होने चाहिएं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे तो मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री ए०के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो संशोधन प्रस्तुत करने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन सूची में नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलने को अनुमति दूंगा।

श्री पी०सी० थामस : उपाध्यक्ष महोदय, उप-खंड 2 में गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था है। गवर्नर की एक समिति द्वारा की जानी है जिसमें राज्य सभा के सभापति आदि होंगे। इस उप-खंड 2 में कहा गया है :

> "किसी गवर्नर की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।"

इसमें बड़ा भारी दोष है क्योंकि यदि गवर्नर की नियुक्ति करने वाली समिति में कोई त्रुटि है तो नियुक्ति के सम्बन्ध में एतराज नहीं किया जायेगा। राज्य सभा के सभापति के बजाए, यदि कोई और गवर्नर की नियुक्ति करेगा तब भी कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। इसलिए मैंने अपने संशोधन में कहा है कि :

> "या उसके गठन में कोई त्रुटि है" का लोप किया जाए।

श्री के०एस० राव : महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि इस खंड में यह कहा गया है कि गवर्नरों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति, प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति के नामनिर्देशिती द्वारा ही की जाएगी। इसलिए मैंने 'विपक्ष के नेता' को भी इसमें सम्मिलित करना उचित समझा है। मेरी यही मंशा है। ऐसा विशेषत: अन्य लोगों द्वारा व्यक्त राय को देखते हुए भी किया गया है। मैं इसे मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं क्योंकि वह पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि ईमानदार व्यक्तियों को ही इसमें मनोनीत किया जाये।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैंने अपने संशोधन को दो बातें सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया था। इनमें से एक सिद्धांत तो यह है कि चयन की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा दलगत चयन को रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में विपक्ष को शामिल किया जाए। मैं सर्वसम्मति को देखते हुए संशोधन के उस भाग को वापिस ले रहा हूं। तथापि, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन लेना चाहता हूं कि चूंकि उपाध्यक्ष, चयन समिति का प्रमुख है, उसकी सिफारिश को तुरन्त ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यह खण्ड जिस रूप में बनाया गया है, इसमें खामी रह गई है जिससे सरकार इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या चयन समिति प्रत्येक पद के लिए एक पैनल अथवा केवल नाम का एक सैट देगी। कृपया वह यह स्पष्टीकरण दें।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : यद्यपि मैं वास्तव में मतैक्य की वजह से अपने संशोधन पर जोर नहीं दूंगा, मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अथवा सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अधिकारी नहीं होगा, बल्कि वह संस्कृति अथवा कला के क्षेत्र में कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा।

श्री ए०के० राय : मैं अपने अविद्यमान संशोधन पर जोर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री ए०के० राय : मैंने इस संशोधन के संबंध में जो पहले सुझाव दिया था, वह यही था। वे कहते हैं कि चेयरमैन और अन्य शासकों (गवर्नरों) की नियुक्ति राज्य सभा के चेयरमैन, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन तथा भारत के राष्ट्रपति के एक नामित व्यक्ति द्वारा की जायेगी। मेरे विचार में यह बात वर्गीज समिति द्वारा दिये गये सुझाव से ठीक उलट है। चन्दा समिति ने शासकों का चयन सरकार की इच्छाओं पर छोड़ दिया था। फिर वर्गीज समिति ने यह सुझाव दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोक पाल चयन करेंगे।

मेरा सुझाव है कि इससे भारत के उप-राष्ट्रपति, प्रेस काउन्सिल के चेयरमैन तथा लोक सभा के अध्यक्ष को सम्बद्ध कर लिया जाना चाहिये। मैं आपके हाथ मजबूत कर रहा हूं। यदि इन तीनों को चयन का अधिकार दिया जाये तो वह सन्तुलित चयन होगा। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति है। अध्यक्ष, इस सभा का पीठासीन पदाधिकारी है। इस प्रकार, इससे दोनों सदनों का सन्तुलन स्थापित हो जाएगा। इनके बीच में प्रेस काउन्सिल का चेयरमैन कार्य करेगा। वे चयन करेंगे और यह बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें युवावर्ग का, नौकरी पेशा वर्ग का और कृषक-वर्ग का एक एक प्रतिनिधि नामजद कर लिया जाना चाहिए, ताकि बोर्ड में जिन शासकों का चयन हो, वे सन्तुलित रूप से कार्य करें।

श्री पी० उपेन्द्र : प्रसार भारती भारत की संसद के प्रति जवाबदेह होगी। इस प्रकार, हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसे संसद के दोनों सदनों अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इस चयन समिति के प्रमुख के रूप में उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त होंगे। हमने चयन समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद से किसी अन्य कार्य करने वाले को नहीं भेजा है। इसमें न तो सभा का नेता और न ही विपक्ष का नेता है। जब इसमें सभा का नेता ही नहीं है तो इस समिति से विपक्ष के नेता को लेने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यह चयन समिति पर छोड़ दिया जायेगा कि बोर्ड के सदस्यों का चयन करते समय सभी महत्वपूर्ण लोगों से परामर्श किया जाए।

श्री राय ने एक मुद्दा उठाया है। 'रिक्ति' सामान्यत: कानूनी पारिभाषिक शब्द है। इस प्रकार चयन समिति में किसी रिक्ति से चयन में विवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन चयन सभी तीनों सदस्यों द्वारा तभी किया जायेगा, जब वे उपस्थित होंगे। यह बात चयन समिति पर छोड़ दी जायेगी। वे किस प्रकार का चयन करेंगे, क्या वे एक पैनल अथवा एक नाम अथवा केवल लोगों का एक सैट देंगे, यह चयन समिति पर छोड़ दिया जायेगा। हम चयन समिति को आदेश नहीं देना चाहते। मैं इस बात को इस समिति के विकल्प पर छोड़ता हूं। जहां तक राष्ट्रपति के नामजद व्यक्ति का संबंध है, इन समारा विचार यह है कि वह एक विशेषज्ञ और अधिमानत: प्रचार माध्यम से एक विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। मेरे विचार में हम उस पर अडिग रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 367, 368 और 369 को लेता हूं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 12 में "अन्य शासक" के **स्थान पर** "पदेन सदस्यों, नामनिर्दिष्ट सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों के सिवाय कोई अन्य सदस्य" **रखें**। (367)

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 4 में, "सभापति" शब्दों के पश्चात् "जो समिति का अध्यक्ष होगा" शब्द अंतःस्थापित करें। (368)

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 8 से 26 तक में "शासक" के स्थान पर जहां भी वह आता है, "सदस्य" रखें। (369)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०पी० थामस, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी०सी० थामस : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता था परन्तु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिये सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 58, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

श्री के०एस० राव : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री के०एस० राय को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 101 से 108 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० कृष्ण कुमार।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि क्या वह प्रत्येक पद के लिए एक ही नाम पर विचार करेंगे अथवा इसके लिए पैनल बनायेंगे। दूसरे, क्या उन्हें समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहने का अधिकार है। ये दो स्पष्टीकरण मंत्री महोदय द्वारा दिए जाने चाहिए।

श्री पी० उपेन्द्र : ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से गठित समिति पर हम अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। उन्हें अपनी प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भी रह जायेगा, उस सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत प्रावधान किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि नियमों में इसका प्रावधान किया जायेगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 169, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5—अध्यक्ष और कार्यपालक सदस्य की शक्तियां और कृत्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 5, श्री राव।

श्री के०एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

'शासक" **के स्थान पर** "न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाए** (109)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

"शासक" **के स्थान पर** "न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाए** (110)

पृष्ठ 4, पंक्ति 31—

"शासक" **के स्थान पर** "न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाए** (111)

मेरी एक मात्र शंका अवधि के सम्बन्ध में है जिसे मैंने अभिव्यक्त कर दिया है। परन्तु दोनों पक्षों की आपसी सहमति को सामने रखते हुए, मैं इसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या, 109, 110 तथा 111, सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन संख्या 370 है।

संशोधन किया गया :

कार्यपालक सदस्य की शक्तियां और कृत्य

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 18 से 32 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**—

"5 कार्यपालक सदस्य निगम का मुख्य कार्यपालक सदस्य होगा और, बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो वह उसे प्रत्यायोजित करें।"

(370)

(श्री पी०उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खण्ड 6—अध्यक्ष और अन्य शासकों की पदावधि, सेवा की शर्तें, आदि

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 6। श्री के०एस० राव, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री के०एस०राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,—

"शासकों का एक-तिहाई" के स्थान पर "शासकों के आधे शासक" प्रतिस्थापित किया जाए। (68)

पृष्ठ 4, पंक्ति 42,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाए। (69)

पृष्ठ 4, पंक्ति 43,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाए। (70)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1,—

"शासक" के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाए। (71)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

"शासक के स्थान पर "न्यासी" प्रतिस्थापित किया जाए। (72)

पृष्ठ 4,

पंक्ति 33 से 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"6(1). अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी, न्यासी (वित्त), न्यासी (कार्मिक) और न्यासी (कार्यक्रम) पूर्णकालिक न्यासी होंगे और ऐसा प्रत्येक न्यासी उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) अंशकालिक न्यासियों की पदावधि चार वर्ष होगी किन्तु ऐसे न्यासियों में से आधे प्रत्येक दूसरे वर्ष के अवसान पर सेवानिवृत्त हो जायेंगे।" (112)

पृष्ठ 4, पंक्ति 39,—

"शासकों" के स्थान पर "न्यासियों" प्रतिस्थापित किया जाये (113)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंतराव देशमुख—उपस्थित नहीं।

श्री पी०चिदम्बर—उपस्थित नहीं।

श्री के०एस०राव : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 6 वर्ष की कार्यविधि बहुत अधिक है। परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे उस पर पुनर्विचार करेंगे तथा उन्होंने फिर कहा कि यह उनका पहला अवसर है जब कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तथा जिस पर कि अनुभव के आधार पर संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते है। इसलिए मैं संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 371 से 377 भी हैं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 33 से 35 **के स्थान पर निम्नलिखित रखें** :

"6(1) अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होगा और उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है छह वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(1क) कार्यपालक सदस्य, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होंगे और ऐसा प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है छह वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।" (371)

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 36 में "शासकों" **के स्थान पर** "सदस्यों" रखें।

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 37 **के पश्चात** निम्नलिखित अंतःस्थापित करें। (372)

"(2क) निर्वाचित सदस्य की पदावधि दो वर्ष या तब तक जब तक वह निगम का कर्मचारी बना रहता है, जो भी पूर्वतर हो, होगी।" (373)

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 39 से 43 तक में "शासकों" और "शासक" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, क्रमशः "सदस्यों" और "सदस्य" **रखें**। (374)

पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 46 में, "नियुक्त किया गया" **के स्थान पर** "नियुक्त या निर्वाचित **रखें**। (375)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 10 में, निम्नलिखित रखें-"(5) पूर्णकालिक सदस्य निगम के कर्मचारी होंगे अतः वे ऐसे वेतनों और भत्तों के" (376)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 6 में, "अंशकालिक शासक" **के स्थान पर** "अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य" **रखें**। (377)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री के०एस०राव को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 68 से 72, 112 और 113 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड —7— अध्यक्ष और शासकों का हटाया जाना और विलम्बन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एस०राव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के०एस०राव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह केवल नाम का परिवंतन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस०कृष्ण कुमार क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस०कृष्ण कुमार : यह केवल नामावली के सम्बन्ध में है। मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा—प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख—अनुपस्थित।

श्री पी०आर०कुमारमंगलम—क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : नहीं। मंत्री को मुस्कराना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन 378 से 385 तक हैं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 8 में "अन्य शासक" **के स्थान पर** "पदेन सदस्य" नामनिर्दिष्ट सदस्य और निर्वाचित सदस्य के सिवाय अन्य सदस्य **रखें** (378)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 13 और 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें** :

(2) राष्ट्रपति पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य का नाम—निर्दिष्ट सदस्य के सिवाय, अध्यक्ष या अन्य सदस्य को, जिसके बारे में उपधारा (1) के (379)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 19 और 20 में, "अन्य" शब्द का लोप **करें**। (380)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 32 और 33 में "शासक" **के स्थान पर** "सदस्य" **रखें**। (381)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 23 **के पश्चात** निम्नलिखित **अंतः स्थापित करें** :

"(खक) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या" (382)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 26 और 27 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें** :

"परन्तु राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, किसी अंशकालिक सदस्य को पद से हटा सकेगा यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या जहां वह राष्ट्रपति" (383)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें** :

"(4) यदि पदेन सदस्य, नामनिर्दिष्ट सदस्य या किसी निर्वाचित सदस्य के सिवाए, अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य" (284)

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 38 से 45 तक "शासक" **के स्थान पर** जहां कहीं यह शब्द आया है, "सदस्य" शब्द **रखें**। (385)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-8—शासक बोर्ड की बैठकें

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एस० राव, क्या आप खण्ड 8 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के०एस०राव : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस०कृष्ण कुमार, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस०कृष्ण कुमार : मै संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०आर०कुमारमंगलम क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी०आर०कुमारमंगलम : मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हम तो चाहते थे कि कुछ समझदारी जो हमने इनको दी है, कुछ और भी हम से ले लेते तो बिल और ज्यादा अच्छा बन जाता, लेकिन मंत्री महोदय जिद्दी बच्चे की तरह अड़े हुए हैं, इस चीज को देखते हुए मैं अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

सरकारी संशोधन 386 और 387 हैं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 46, पृष्ठ 6 पंक्ति 3, 6, 10 में "शासक बोर्ड" के स्थान पर "बोर्ड" रखें। (386)

पृष्ठ 6 पर, पंक्ति 3, 4, 7, 11 में "शासक" और "शासकों" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "सदस्य" और "सदस्यों" शब्द रखें। (387)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खण्ड—9—निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 9 में एक सरकारी संशोधन संख्या 388 है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6 पर, पंक्ति 15 और 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"विहित की जाये, निगम भर्ती बोर्ड से परामर्श करके महानिदेशक (आकाशवाणी) महानिदेशक (दूरदर्शन) और ऐसे अन्य अधिकारियों को और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक हों। (388)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 9 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10—भर्ती बोर्डों की स्थापना

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 10, श्री राव।

श्री के०एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 6, पंक्ति 22,—

"लिए" **के पश्चात्** "प्रत्येक राज्य मुख्यालय में कम से कम" **अन्तःस्थापित किया जाये।** (45)

पृष्ठ 6, पंक्ति 23,—

"शासक" **के स्थान पर** "न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (46)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26,—

"शासक" **के स्थान पर** "न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (47)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26,—

"नाम निर्दिष्ट शासक" **के स्थान पर** "नाम निर्दिष्ट न्यासी" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (48)

खंड 10 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भर्ती बोर्डों के सम्बन्ध में प्रस्ताव करते समय मेरी यह इच्छा है कि प्रत्येक राज्य मुख्यालय में कम से एक नियुक्ति बोर्ड का गठन किया

[श्री के०एस० राव]

जाये ताकि स्थानीय लोगों, संस्कृति आदि के विभिन्न कार्यक्रमों में विशेषज्ञों आदि के साथ कोई अन्याय न हो। इसी उद्देश्य से मैंने ऐसा किया। यदि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि स्थानीय लोगों तथा स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा तो इस संशोधन को वापस ले सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी०एम० बनातवाला—उपस्थित नहीं हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु भर्ती बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।" (338)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझता हूं। खंड 10 के उपखंड 2 में आया है :

"भर्ती बोर्ड जिन सदस्यों से मिलकर बनता है उन सदस्यों की अर्हताएं और सेवा की अन्य शर्तें और वह अवधि, जिसके लिए वे पद धारण करेंगे ऐसी होंगी जो विहित की जाये।"

मेरी इच्छा है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन का उत्तर दें। यह निर्धारित करने में कोई बुराई नहीं है कि बशर्ते कि भर्ती बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। मैं यह संशोधन किसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ? या तो हमें आरक्षण हटाने का निर्णय लेना चाहिए और गुणों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और पिछड़े हुए समुदायों के सभी सदस्यों को प्रतियोगी क्षमता प्रदान करनी चाहिए अथवा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इन लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं। मैं यहां मण्डल आयोग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। हाल ही मे प्रधानमंत्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन दिया कि वह आर्थिक पहलू पर विचार करेंगे। किंतु इससे पूर्व भी उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों को लिया जायेगा। मैं मुसलमान समुदाय के संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं। मुसलमान समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। अत: प्रसार भारती नियुक्ति बोर्ड में इनके प्रतिनिधित्व का अधिक महत्व होगा। यह प्रश्न भी अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस पर भी मण्डल आयोग का प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सुझाव की ओर ध्यान दें कि भर्ती बोर्ड में भी, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी हों।

श्री पी० उपेन्द्र : जहां तक श्री के०एस० राव के मुद्दे का सम्बन्ध है हम नियमों के अनुसार क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड की भी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि उन सभी लोगों की एक केन्द्रीय स्थान पर नियुक्ति करना असम्भव है। इसका भी एक उपबन्ध है। निश्चय ही, अन्तिम निर्णय निगम के बोर्ड को ही लेना है कि कितने लोग होने चाहिएं—इस बात का निर्णय हम उन पर छोड़ते हैं कि क्या राज्यवार हों या क्षेत्रवार।

जहां तक भर्ती बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, सम्भवत: सरकार के लिए अभी से इसके गठन का निर्धारण उचित नहीं है। मेरे विचार से भर्ती किये जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में निर्णय लेना

प्रसार भारती बोर्ड पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। सामान्यतः नियमों में हम यही कहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम मार्गनिर्देशों में इसकी व्यवस्था करेंगे। मार्गनिर्देशों में यह बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि नियमों और मार्गनिर्देशों में इसकी व्यवस्था की जायेगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यदि उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि मार्गनिर्देशों में वह अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेंगे......

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह सभा में कहते हैं, इसको आश्वासन माना जाता है।

क्या श्री के०एस० राव को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 45 से 48, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रो० सैफुद्दीन सोज को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 338, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 389 से 391 है।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 6 पर, पंक्ति 23 में "शासक" के स्थान पर "सदस्य" रखें। (389)

पृष्ठ 6 पर, पंक्ति 24-26 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"परन्तु ऐसे वेतनमानों वाले पदों पर जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हों।" (390)

पृष्ठ 7, पंक्ति 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"अध्यक्ष, अन्य सदस्य, पदेन सदस्य, नामित सदस्य और निर्वाचित सदस्य" (391)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11—विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का निगम को अन्तरण

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड—11, अब श्रीमती भट्टाचार्य बोलें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 8,—

"पंक्ति 14 से 18 का लोप किया जाये" (180)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 19 से 23 का लोप किया जाये" (181)

मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण आने से पहले ही, हमने संशोधन संख्या 180 और 181 प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि यह एक अत्यधिक अनिष्टकारी खण्ड है तथा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और कर्मचारियों को पीड़ित किया जा सकता है। अब हम सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : उस प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियमों से कर्मचारियों को पर्याप्त संरक्षण मिले।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम अनुच्छेद 311 को ही हटाने का बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, जिसकी यहां नकल कर दी गयी है।

श्री पी० उपेन्द्र : उस पर एक विधेयक आने वाला है और हम तब उस पर विचार कर सकते हैं। यदि यह वहां समाप्त हो जाता है, तो यह सभी जगह समाप्त हो जायेगा।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : इसे संविधान से ही हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है और यह बात हमारी समझ से बाहर है कि कर्मचारियों को जांच के बिना ही नौकरी से क्यों बर्खास्त किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस खंड के खिलाफ हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : अनुच्छेद 311 को पुनर्विचार के लिए लाया जा रहा है। यदि यह समाप्त हो जाता है, तो यह सभी जगह समाप्त हो जायेगा। हम उस पर सरकार के निर्णय की ही प्रतीक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : वैसे इस समय कर्मचारियों के मन में नाना प्रकार की आशंकाएं हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त करे और सदन को भी आश्वस्त करे, मेजर परिवर्तन हो रहा है और इस समय जो सुझाव है, उस सुझाव का संबंध इनसे नहीं है बल्कि सब लोगों से है इसलिए इसमें हमको कसेंस के आधार पर चलना चाहिए कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। पूरी आश्वस्ति सब लोगों को नहीं होती और जब तक यह कारपोरेशन फाइनल कमीटमेंट न कर सके, यह इनके ऊपर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने पहले ही कह दिया है कि अनुच्छेद 311 पुनरीक्षाधीन है। सरकार उस पर निर्णय करने जा रही है। एक बार यह हट जाता है, तो यह सभी जगहों से हट जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम हमें इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि इस विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा के दौरान वे इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : हम उस पर विचार करेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह एक स्वायत्त निकाय है. यदि आपने एक बार इस खण्ड को शामिल करके इस विधेयक को पारित कर दिया, तो फिर आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पायेंगे। तब आप अपनी मजबूरी व्यक्त करेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसे किया जा सकता है। यदि अनुच्छेद को हटा दिया जाता है, तो यह सभी जगह हट जायेगा।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और वे इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि यह अब शर्त का एक हिस्सा बनने वाला है। यह एक अधिनियम बनने वाला है। आप अनुच्छेद 311 में संशोधन करके इसे हटा नहीं सकते। आपको इस अधिनियम में भी संशोधन करना होगा। फिर इसकी आवश्यकता क्या है ? श्री उपेन्द्र जी, कृपया मेरी बात को गलत न समझना। हम किसी चीज को करने के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। इसे एक नीतिगत मामला मत बनाइए। आप यह मत समझिए कि अनुच्छेद 311 2(ख) के प्रावधान, जिसके अन्तर्गत बिना जांच कराये बर्खास्त करने का प्रावधान है, इसी प्रकार जारी रहेंगे। जब यही आपका निर्णय है, जब पूरा सदन उस निर्णय के पक्ष में है, तो आप मार्क्सवादी वामपंथी दल के संशोधनों को स्वीकार क्यों नहीं करते। उससे समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस कानून को एक दिशा-दाता बनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन आप देखिए और जिस तरीके से उसका मिस-यूज ब्युरोक्रेट्स के द्वारा किया गया है और कुछ लोगों को निकाला है, यह एप्रीहेन्सन हमारे सबके दिमाग में है। इस आटोनोमस बाडी के अन्दर यह कानून रख दिया जायेगा तो इसका मिस-यूज कर्मचारियों के खिलाफ किया जायेगा। उपेन्द्र जी ने हमारे सुझाव को माना है कि एम्पलाइज बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में होंगे और दूसरी तरफ ब्लैक लॉ को रखकर के ठेस पहुंचाना चाहते हैं। अगर इसको निकाला तो सरकारी कर्मचारी इसका वेलकम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन लोगों में से हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में थे और उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। मालिनी जी का जो संशोधन है, उसको एक्सेप्ट करें।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल, इसे सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हो सकता है कि माननीय सदस्यों को इसकी प्रति प्राप्त न हुई हो। इसमें कहा गया है कि खण्ड (ख)

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अर्थात् पृष्ठ 8 पर उपखण्ड 6, लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आरोप-पत्र आदि का मौका देने के बाद और जांच कराने के बाद बर्खास्तगी कैसे हो सकती है। इसके बाद, एक उपबंध जोड़ दिया गया है। हम दोष-सिद्धि...एक अपराधिक भारोप सिद्ध हो जाने के आधार पर बर्खास्तगी के उस प्रस्तावित उपबंध के साथ छेड़-छाड़ नहीं कर रहे हैं। वह बरकरार रहेगा। मैं एक अन्य मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :—

"......खण्ड (ख) लागू नहीं होगा,—

*** ***

(दो) वहां लागू नहीं होगा, जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत करने या पद से हटाने या अवनत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, युक्तियुक्त रूप से यह साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाये।"

रेलवे में हड़ताल के दौरान यह बड़ा अनिष्टकारी सिद्ध हुआ था। यह रेलवे नियमों के उस नियम 14 (2) के अनुरूप है, जिसका प्रयोग हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त करने में बेहिचक किया गया और उन्हें अपने बचाव का कोई अवसर नहीं मिला।

इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण संशोधन, पृष्ठ 9 पर खण्ड 7 से सम्बद्ध है। यह भी किसी प्रकार से मददगार नहीं है। हम भी अत्यधिक चिन्तित हैं। यह प्राधिकार इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए कि यह ऐसा कार्य करे, जो जनहित अथवा कर्मचारियों की भलाई के विरुद्ध हो। इसीलिए हमें कुछ संरक्षण की जरूरत है। यह एक ऐसा खण्ड है जो हमारी सहायता नहीं करता। इसमें इसे एक दिशा-दाता बनने दीजिए। मैं श्री उपेन्द्र से अनुरोध करता हूं।

श्री बसन्त साठे : मैं समझता हूं कि जिस भावना से हम अब इस विधेयक को पारित कर रहे हैं, जो एक अत्यधिक असाधारण घटना है और जो एक अत्यधिक कुशल दिशा-दाता बनने जा रही है, मुझे यकीन है कि निगम के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच मधुर सम्बन्धों के हित में श्री उपेन्द्र इस सुझाव को स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। इस बात की तुरन्त आवश्यकता है। यह सभी स्वीकृत सिद्धांतों को कायम रखने के लिए है। हम सभी, जिन्होंने पूरे जीवन मजदूर संघों के लिए कार्य किया है, कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के संरक्षण और इस निरंकुश प्रावधान को हटाये जाने की मांग करते रहे हैं। अत: मैं श्री उपेन्द्र से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें। यदि आप समझते हैं कि आप इस सदन में विलम्ब नहीं करना चाहते, तो इसे राज्य सभा में ले आइए। हां, यदि आप ऐसा कर सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो इसमें कतई भी कोई नुकसान नहीं है। यह कोई प्रतिष्ठा का मामला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रम मंत्री भी अपना सिर हिलाकर सहमति व्यक्त कर रहे हैं।

श्री बसंत साठे : यह अब इस पूरी सभा का विधेयक है, न कि केवल सरकार का। अत : आप इसे स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अभी ध्यानपूर्वक पढ़ा है जो मालिनी जी का संशोधन है वह भी पढ़ा है। मैं समझता हूं नि:संकोचरूप से सरकार को इसे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना

चाहिए और एक बात हमको समझनी चाहिए कि हमने यह शब्दावली पूरी की पूरी गवर्नमेंट इम्प्लायज के सन्दर्भ में लिया है और यह सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे और इसीलिए परम आवश्यक है कि इस प्रकार का अधिकार जो गवर्नमेंट इम्प्लाइज के संदर्भ में भले ही सरकार के पास हो और जिसको संविधान संशोधन करके छोड़ दें, लेकिन इस एटोनोमस आर्गेनाइजेशन को यह अधिकार देना उचित नहीं होगा। इसलिए इसको निरस्त करें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, पहले ही व्यक्त कारणों के आधार पर, मैं भी पूरी तरह महसूस करती हूं कि मंत्री महोदय हमारे सभी विचारों पर ध्यान देंगे और इन्हें स्वीकार करेंगे। मैं समझती हूं कि उनके पास बैठे पासवान भी उन्हें प्रेरित कर रहे होंगे। **(व्यवधान)**

डा० तम्बि दुरै (करूर) : क्योंकि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने जा रहे हैं और हमारे दूसरे मित्र भी इसके लिए आग्रह कर रहे हैं, अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से आग्रह करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा यह संशोधन अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं मंत्री महोदय से इस संशोधन को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं विश्वास करता हूं कि निगम के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच मधुर सम्बन्धों के लिए मंत्री महोदय भी इच्छुक हैं। **(व्यवधान)** अतः मैं समझता हूं कि यह संविधान में एक खामी है जिसे संगठन (निगम) के लोकतंत्रीकरण के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वे इस बात से सहमत हो जायेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की पूरी तरह से कद्र करता हूं। हमारी सरकार श्रमिक वर्ग की समर्थक सरकार है। श्रमिक वर्ग के पक्ष में हमने अनेक निर्णय लिये हैं। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक तकनीकी कठिनाई है। अब यह मुद्दा मंत्रिमंडल के समक्ष है और हम शीघ्र ही इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही इसका निर्णय हो जाता है, प्रसार भारती विधेयक लागू होने से पूर्व मैं एक संशोधन लाऊंगा। इस सभा को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्य सभा में ?

श्री पी० उपेन्द्र : नहीं, इसी सभा में। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह आम सहमति के विरुद्ध है। यह नैसर्गिक न्याय का प्रश्न है। मंत्रिमंडल में निर्णय लिए जाने के लिए इसमें क्या है ? इस पर मंत्रिमंडल में निर्णय करने योग्य कुछ भी तो नहीं है ? **(व्यवधान)**

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : इससे गलत संकेत मिलता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : हाऊस की जब मर्जी है, और सभी लोगों की यही राय है तो मैं समझता हूं कि सारे सदन की भावनाओं को स्वीकार कर लेने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों को नैसर्गिक न्याय दिए जाने का प्रश्न है कि इसमें मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कुछ नहीं है। इस पर सभा को ही निर्णय करना है। यह सभा सर्वोच्च है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सभा सर्वोच्च है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : कैबिनेट को भी हाऊस की भावनाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बधाई हो !

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : लेकिन विधेयक तो पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां हम और क्या कर रहे हैं ?

अब मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 180 और 181 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 8—

पंक्ति 14 से 18 का लोप किया जाए (180)

पृष्ठ 8—

पंक्ति 19 से 23 का लोप किया जाए" (181)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : पहली बार इसका श्रेय किसी महिला सदस्य को लेने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह व्यवस्था देता हूं कि इसका श्रेय आपको भी मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, लेकिन इसकी बदनामी हमें नहीं मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका दुगना श्रेय प्रो० दण्डवते को मिलेगा। वे वहां बैठकर इसकी मंजूरी में सहयोग दे रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12—निगम के कृत्य और शक्तियां

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्लाज 12, श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, क्या आप अमेंडमेंट्स मूव करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 22—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"परन्तु दूरदर्शन के दूसरे चैनल, जहां कहीं भी यह विद्यमान हो, का पर्याप्त समय संबंधित राज्य सरकारों को, उपलब्ध कराया जायेगा जिससे उस क्षेत्र के लोगों के भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा हो सके। (10)

पृष्ठ 9, पंक्ति 50,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"परन्तु किसी भी दशा में विज्ञापनों का समय प्रसारण समय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" (11)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 50 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(7) वाणिज्यिक विज्ञापनों की सापेक्ष स्थिति निगम द्वारा विनिश्चित की जाएगी और मुख्य समय सदैव स्वयं निगम द्वारा स्वतन्त्र कार्यक्रमों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।" (12)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 50 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—
"(7) जब वाणिज्यिक गृहों की प्रायोजकता स्वीकार की जाती है, तब कार्यक्रम की विषय-वस्तु प्रायोजकता से असंबद्ध की जायेगी और विषयवस्तु का स्वरूप संविधान में दिए गये लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों की भावना के अनुरूप होगा।" (13)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एस० राव।

श्री के०एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 8,—

"और जनजाति समुदायों" के स्थान पर "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों" प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

[श्री के० एस० राव]

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 22 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित** किया जाए—

"(थ) धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिक एकता का संवर्धन करना

(द) सौहार्द्रपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्वशान्ति का संवर्धन करना

(ध) पर्यावरण का संरक्षण करना; और

(न) सामाजिक बुराइयों को प्रकाश में लाना और उनके उन्मूलन के उपाय करना।" (50)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी थामस।

श्री पी०सी० थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 38,—

"कृषि" **के पश्चात्** "उद्योग, रोजगार" **अन्त:स्थापित किया जाए**। (59)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 46 और 47 का **लोप किया जाए**। (60)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा—अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—अनुपस्थित।

श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 50 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए**—

"(7) जब वाणिज्यिक गृहों की प्रायोजकता स्वीकार कर ली जाती है तो तब कार्यक्रम की विषयवस्तु प्रायोजकता से असम्बद्ध की जाएगी और विषयवस्तु का स्वरूप संविधान में दिए गये लोकतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों की भावना के अनुरूप होगा।"

(8) निगम विभिन्न आकर्षक और रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारों को प्रस्तुत करने का सतत प्रयास करेगा। (151)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० कृष्ण कुमार।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 22 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए** —

"(थ) पर्यावरण का संरक्षण करना;

(द) धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिक एकता का संवर्धन करना; और

(ध) सौहार्द्रपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्वशान्ति का संवर्धन करना।" (173)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परन्तु विदेश सेवा के प्रसारण और अन्य देशों से प्रसारण का मानीटर करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहेगी।" (174)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य—अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा—अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला—अनुपस्थित।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल—अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—अनुपस्थित।

श्री मित्रसेन यादव—अनुपस्थित।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 22,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"परन्तु दूरदर्शन के दूसरे चैनल का पर्याप्त समय सम्बन्धित राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा जिससे उस क्षेत्र के लोगों के भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा हो सके।" (339)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, संशोधन की संख्या 392 के बजाए मैं संशोधन संख्या 413 प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध भारतीय तार अधिनियम, 1885 के उपबंधों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।" (413)

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 43 में, "सरकार की ओर से" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द अन्तःस्थापित करें। (393)

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें :

"4(क) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि इस धारा के अधीन निर्धारित उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उचित समय उपलब्ध किया जाए, केन्द्रीय सरकार को विज्ञापनों के बारे में प्रसार-समय की अधिकतम सीमा अवधारित करने की शक्ति होगी। (394)

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 50 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें :

"परन्तु इस उप-धारा के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत फीस तथा अन्य सेवा प्रभार ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। (395)

श्री लोकनाथ चौधरी : व्यावसायिक घरानों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है इस सम्बन्ध में सभा में सभी दलों द्वारा एक प्रकार की आशंका व्यक्त की गई थी। निःसंदेह मंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में दो संशोधन लाए गए हैं परन्तु मेरे विचार से वे उपयुक्त नहीं हैं बल्कि वे इसे और जटिल बना रहे हैं। इस समय स्वायत्तता के लिए हम केवल यह चाहते थे कि शासक बोर्ड व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए समय निर्धारित कर दे परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय करेगी। अतः इससे दो प्रश्न उठते हैं। एक निगम के बारे में है। सरकार व्यावसायिक विज्ञापनों पर और अधिक निर्भर हो जाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप इसका दुरुपयोग हो जाने की संभावना है। इस प्रकार से स्वायत्तता पर भी असर पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या हम केवल यह संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि प्रसार परिषद का प्रयोग व्यावसायिक घरानों से धनराशि प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा तथा कार्यक्रमों का प्रयोग व्यावसायिक घरानों के हित में नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

श्री के० एस० राव : महोदय, मेरा संशोधन है। मैं इसे पढ़ता हूं :

खंड 12(क) में :—

"देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में दिए गए सामाजिक मूल्यों का अक्षुण्य रखना।"

मैं समझता हूं कि मुख्य बात धर्मनिरपेक्षता का चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में जिक्र नहीं किया गया है। चूंकि हमारे देश में निरक्षरता काफी बड़े पैमाने पर व्याप्त है, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इस स्थिति को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अतः धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी के लिए मैंने खंड (प) को भी उसमें जोड़ दिया है। यदि इसे शामिल करना कठिन हो तब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह स्वयं इस मामले में आगे आएं तथा खड (क) में "लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा सामाजिक मान्यताएं" शब्दों को जोड़ें।

दूसरी बात सामाजिक मान्यताओं को उजागर करने के सम्बन्ध में है यही हमारा उद्देश्य है। मैंने यह भी उसमें कहा था कि सामाजिक बुराइयों को हम उजागर करें तथा उनको दूर करने के उपाय बतायें, एक उद्देश्य हमारा यह भी होना चाहिए।

इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा करना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए जिस विषय में हम रात-दिन विचार कर रहे हैं।

एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी जानते है वह है अनुसूचित जातियां, जो कुछ स्थानों में 16 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक है। खंड (ट) में उनका जिक्र नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने केवल "अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी सम्प्रदाओं" का उल्लेख किया है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों को स्वीकार करने में अथवा उन्हें अपने ही तरीके से सम्मिलित करने में उन्हें सकुचाना नही चाहिए।

श्री पी०सी० थामस : खंड 12 के लिए दो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो खंड 12 (2) (ग) के लिए है जिसमें "कृषि" "ग्रामीण विकास, पर्यावरण, उद्योग तथा रोजगार" के साथ-साथ उद्देश्यों में दो बातें शामिल करने के लिए है।

तत्पश्चात् मेरा अन्य संशोधन खंड 12 (5) के लिए है जिसे मैं काफी महत्वपूर्ण समझता हूं। क्योंकि यहां पर सिविल दायित्व के लिए निगम पर मुकदमा चलाने के अधिकार को भी ले लिया जाता है तथा उससे भी उन कर्त्तव्यों का निर्धारण नहीं हो सकता जिनका इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अतएव, मैं सोचता हूं कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी नागरिक को उसके नुकसान के लिए निगम के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। अत: खंड 12 के उपखंड 5 में उल्लेख किया गया है :

> "निगम किसी सिविल दायित्व के अधीन केवल इस कारण नहीं होगा कि वह इस धारा के किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहा है।"

इसका लोप किया जाना चाहिए। यही मेरा संशोधन है।

श्री रूपचन्द पाल : खंड 12 के सम्बन्ध में मैं चार संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक राज्य सरकारों की भूमिका के सम्बन्ध में है।

जैसा कि आप जानते है कि राज्य सरकारें यह मांग कर रहीं थीं कि दूसरा चैनल उन्हें दे दिया जाए। परन्तु अब किसी भी सरकार को इसे सुपुर्द करने से स्वायत्तता की अवधारणा पूरी नहीं हो जाती। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि कम से कम दूसरे चैनल का काफी समय राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा अनुभव भी यही है कि कुछ स्थानों में जो व्यक्ति समारोह का आयोजन करते हैं उनमें राज्य सरकारें विकास सम्बन्धी मामलों में भी अपने विचार व्यक्त करने से वंचित रह जाती हैं। राज्य सरकारें ही क्षेत्रों के भाषा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक हित को समृद्ध करने में सर्वाधिक उचित है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को कैसे पूरा कर सकेंगी, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि मुझे आश्वस्त किया जाए।

मैं व्यावसायिक विज्ञापनों के बारे में दो और बातें कहना चाहता हूं। मैं अधिक विस्तार में नही जा रहा हूं क्योंकि अपने वक्तव्य में मैंने उन सभी बातों को कह दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की भावना—लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मान्यताओं को परिपुष्ट किया जाना चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए इस प्रायोजित करने की प्रक्रिया को विषय वस्तु से अलग किया जाना चाहिए। हमारे हाल ही के अनुभव से महाभारत तथा रामायण के मामले में हमने यह सीखा है कि यदि हम ऐसा नहीं करते तब उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

[श्री रूपचन्द पाल]

दूसरे, वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील विचारों को प्रसारित किया जाना चाहिए तथा निगम का यही उद्देश्य होना चाहिए।

मेरे ये संशोधन हैं तथा मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में आश्वस्त होना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभी वक्तव्यों का एक साथ उत्तर देंगे।

श्री एस०कृष्ण कुमार : मैंने इस धारा में दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं। एक तो उद्देश्यों से संबंधित है तथा दूसरा संशोधन बाहरी प्रसारण के सम्बन्ध में है। यह एक गंभीर खामी है कि धारा 12 (1) के अन्तर्गत यद्यपि बारह उद्देश्यों का सूची में उल्लेख किया गया है परन्तु "धर्म-निरपेक्षता" शब्द का इन उद्देश्यों में कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह एक अत्यन्त गंभीर गलती है।

अत: मैंने कहा है कि "धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए", इसे अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरे, उद्देश्यों में "बाहरी पर्यावरण तथा विदेशी नीति" इत्यादि के बारे में बिल्कुल ही उल्लेख नहीं किया गया है।

अतएव मैं कहूंगा कि "सौहार्द्रपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा विश्व शान्ति को बढ़ावा", इसे भी जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, बाहरी प्रसारण के सम्बन्ध में, हमने चर्चा के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि हम बाहरी प्रसारण के नियंत्रण का कार्य तथा निगरानी इत्यादि कार्य को निगम को देने के खिलाफ हैं क्योंकि यह विदेशी नीति से जुडा है। यही वह क्षेत्र है जहां से विदेशी गुप्तचर एजेंसियां संगठन में हस्तक्षेप कर सकती हैं। मैं एक अत्यन्त निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि बाहरी प्रसारण की निगरानी, योजना तथा उसके नियंत्रण का कार्य हमारी सरकार का एक अनपहार्य कार्य रहेगा। मैं इन दो संशोधनों पर जोर डाल रहा हूं तथा मैं वामपंथी दलों, भारतीय जनता पार्टी तथा सत्ताधारी दल से भी अनुरोध करूंगा कि वे मुझे इस सम्बन्ध में अपना सहयोग दें। **(व्यवधान)**

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय मैं सोचता हूं कि दुर्भाग्यवश उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, तथा मैं इसे एक गलती नहीं कहूंगा, इसीलिए दुर्भाग्य-वश इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा :

> "देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में दिए गए सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।"

इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव, अन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा विश्व शांति, पर्यावरण तथा समाजवाद को छोड़ दिया गया है। अतएव संशोधन जो कुछ भी हों, मेरा प्रस्ताव है तथा मैं समझता हूं कि मुझे उन प्रो० मधु दण्डवते, से अनुरोध करना चाहिए जो अपने धर्मनिरपेक्ष विचारों के साथ-साथ, समाजवादी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं तथा मैं ये शब्द वापस लेता हूं क्योंकि जब मजदूरों की मांगें पूरी करने तथा उन्हें कुछ धनराशि देने का सवाल आता है तब हम उन्हें समाजवादी के रूप में नहीं देखते हैं। खैर, हम यह मानते हैं कि सरकार केवल एक संशोधन लाएगी जिसमें वह केवल इतना ही कह सकती है : "देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में लिए गए मूल्यों को

अक्षुण्ण रखना।" यदि आपने ऐसा किया तब इसमें हमारी सभी समस्याएं आ जाएंगी तथा मैं समझता हूं कि इससे सारी खामियों को दूर कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि श्री आडवाणी, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सदस्य भी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बसंत साठे : मेरा एक निवेदन है। इस पर चर्चा करते समय भी मैंने इस ओर संकेत किया है - इस पर नहीं, अपितु दूसरे भाग पर। पृष्ठ 10, उपखण्ड (4), के अनुसार :

"उपधारा (2) और उपधारा (3) की कोई बात निगम को केंद्रीय सरकार की ओर से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अन्दर जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं विदेश सेवा के प्रसारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए ठहरावों के आधार पर भारत के बाहर के संगठनों द्वारा बनाए गए प्रसारणों के अनुश्रवण का प्रबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

हम केवल यह निवेदन कर रहे हैं : कृपया यहां पर कुछ जोड़ लें, क्योंकि सरकार इसका भुगतान करेगी और एक निगम होगा जिसे आप विदेश सेवा के अनुश्रवण के सम्बन्ध में बहुत संवेदनशील बातें पूछेंगे जो रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि आप यह कह सकते हैं :

"परन्तु विदेश सेवा के प्रसारण और प्रसारणों के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के निर्देशन और नियन्त्रण में रहेगा।"

यह हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। इसलिए, केवल इस विधेयक में यही जोड़ लें। कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। स्वायत्तता या कुछ और इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि, वे इसे आपकी ओर से करेंगे। मेरे विचार में, हर व्यक्ति इसका समर्थन करेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, क्या आपने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने कर दिया है।

खण्ड 12 धारा 2(घ) में यह पहले से ही लिखा है कि प्रसारण सुविधाओं को अतिरिक्त चैनल स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन के अनुसार माननीय मन्त्री इसमें यह शामिल करें :

"दूरदर्शन के दूसरे चैनल को सम्बन्धित राज्य सरकारों को अधिक समय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा जिससे उस क्षेत्र के लोगों के भाषा सम्बन्धी और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके।"

धारा 2(क) में बिल्कुल सही कहा गया है कि "देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में दिए गए लोकतन्त्रात्मक और सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।" किन्तु मैं इस सम्माननीय सदन को याद दिलाना चाहता हूं जो जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्र के प्रति अपने निवेदन में कहा था कि भारत की एकता और अखण्डता इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

सभी संस्कृतियों और उप-राष्ट्रवाद की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसलिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया था कि यदि हम सांस्कृतिक विभिन्नता की सुरक्षा करते हैं, तभी हम वास्तविक एकता कायम कर सकते हैं।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

दूसरा चैनल राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं है। इसी चैनल पर बहुत से कार्यक्रम आ रहे हैं। हम रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन से अत्यन्त असन्तुष्ट हैं। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि इन केन्द्रों को सदा के लिए बन्द कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आप पहले ही कह चुके हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम से गम्भीरता से परामर्श नहीं किया गया था। क्या मैं आपको याद करा सकता हूं कि आपने हमसे वादा किया था—जिनके साथ मन्त्री महोदय द्वारा गम्भीरता से विमर्श नहीं किया गया—कि हमें इस विषय पर बात करने की अनुमति दी जायेगी। जम्मू-कश्मीर में हमारी संस्कृति की सुरक्षा की जानी चाहिए। अब तक इसकी सुरक्षा नहीं की गई है। इसलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि न केवल जम्मू-कश्मीर को बल्कि सभी राज्य सरकारों को दूसरा चैनल उपलब्ध कराना चाहिए जिससे हमारे देश की सांस्कृतिक विभिन्नता का संरक्षण हो सके, जो हमारे देश की एकता के लिए आवश्यक है। वहां के लोग दिल्ली में रहने वाले लोगों पर शक करते हैं। वे सोचते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग बिना किसी संस्कृति की ओर ध्यान दिए हुए, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और अन्य स्थानों में विकसित हुई है, एकता की बात करते हैं। इसलिए, किसी विशेष संस्कृति या भाषा के विकास के लिए, राज्य सरकारों को दूसरा चैनल अवश्य ही उपलब्ध कराया जाये, जो किया नहीं गया है। मुझे इसका दुख है।

व्यापारिक विज्ञापनों के लिए, एक अलग चैनल का उपयोग किया जा सकता है।

श्री पी० उपेन्द्र : श्री कुमारमंगलम और श्री के०एस० राव ने 12(2)(क) का उल्लेख किया था—देश की एकता और अखण्डता तथा लोकतान्त्रिक और सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन सब का उल्लेख करने की बजाय संविधान में दिए गए मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

दूसरे, श्री पाल और प्रो० सोज ने दूसरे चैनल का हवाला दिया है। यह स्वायत्तता की धारणा के पूर्णतया विपरीत है। एक ओर, हम इलैक्ट्रोनिक मीडिया को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करा रहे हैं और इसी के साथ एक चैनल राज्य सरकारों को देने की मांग हुई है। (**व्यवधान**) यह स्वायत्तता की परिभाषा के विरुद्ध है; इसे नहीं किया जा सकता। किन्तु हमने धारा 12(ड) के अधीन इसकी व्यवस्था की है,—ऐसे तरीके से प्रसारण करके जिससे भारतीय भाषाओं में सम्पर्क को बढ़ावा मिले और हर राज्य में उस राज्य की प्रादेशिक भाषा में प्रसारण सेवा बढ़ावा को देकर राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा दिया है। यह उपबन्ध किया जा चुका है। यदि कुछ और विनिर्दिष्ट करना है, तो हम इसे नियमों के अनुसार करेंगे जिससे प्रादेशिक सेवा को भी पर्याप्त महत्त्व मिले।

इसी तरह से, श्री साठे और श्री कृष्ण कुमार ने विदेशी सेवा सम्बन्धी एक प्रश्न उठाया है। शायद वे मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बारे में नहीं जानते हैं—संशोधन संख्या 393; शायद आप विदेशी सेवाओं सम्बन्धी मेरे संशोधन के बारे में नहीं जानते हैं। आपने जो शामिल किया है, वह है : "उपधारा 2 और 3 में निगम को केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रबन्ध कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता।" उसके पश्चात् मेरे संशोधन के अनुसार : "और जैसे नियम और शर्तों का सरकार द्वारा निर्धारण किया जायेगा उनका ध्यान रखा जायेगा।" आपने जो भी कहा है, इन सब का

ध्यान रखा जाना है, कि निगम द्वारा शुरू किए गए कार्य का क्या स्वरूप क्या होगा। सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा, अधिनियम में इन सब के बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। विदेश सेवा पर सरकार का नियन्त्रण होगा, यह पहले से ही यहां लिखा हुआ है। हम सभी आवश्यक पूर्वोपाय करेंगे।

श्री थामस ने नागरिक दायित्व का भी जिक्र किया है; अर्थात् केवल इन उद्देश्यों के सम्बन्ध में; यह स्वयं अधिनियम के अनुसार नहीं है। इसलिए हमने कहा था, "सन्तोष"। इसके अनुसार :

"निगम किसी सिविल दायित्व के अधीन केवल इस कारण नहीं होगा कि वह इस धारा के किसी उपबन्ध का पालन करने में असमर्थ रहा है।"

इसके लिए हमने एक प्रसारण परिषद और एक संसदीय समिति की व्यवस्था की है जो यहां पर उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम की जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेगी। यदि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई असफलता मिलती है तो प्रसारण परिषद और संसदीय समिति दोनों इस मामले को निबटाएंगी। इसलिए 'नागरिक दायित्व' आवश्यक नहीं है। अन्यथा, प्रतिदिन अनगिनत कानून बन जाएंगे कि वह कार्यक्रम लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, अन्य कार्यक्रम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते है इत्यादि और निगम कार्य नहीं कर सकता।

श्री के० एस० राव : उपखण्ड 12(ट) के सम्बन्ध में, क्या आप "अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय" के साथ "अनुसूचित जातियां" नही जोड़ सकते हैं ? उपखण्ड 12(ट) में केवल एक ही शब्द जोड़ा जाना है ताकि यह ऐसे पढ़ा जाए :

"अल्पसंख्यकों, जनजातियों और अनुसूचित जातियां की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित कार्यक्रम देना।"

श्री पी० उपेन्द्र : हम कह सकते हैं "कमजोर वर्ग।"

श्री रूपचन्द्र पाल : मैंने यह कभी नहीं कहा कि दूसरा चैनल राज्य सरकार को दे दिया जाना चाहिए। मैंने कहा है कि एक ऐसा प्रावधान हो जिसमें दूसरे चैनल का समय उचित रूप में राज्यों को दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री लोकनाथ चौधरी : उन्होंने मेरे मुद्दे को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा क्या था ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह व्यावसायिक विज्ञापनों के बारे में था।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने कहा था कि व्यावसायिक विज्ञापनों को सीमित कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन में इसका प्रावधान है।

श्री पी० उपेन्द्र : एक संशोधन बाद में आयेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे बारे में एक संशोधन अलग से है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मंत्री महोदय ने स्वागत योग्य स्पष्टीकरण दिया है। किन्तु एक कमी रह गई है। उन्होंने बिलकुल सही कहा था, "राज्य की भाषाएं"। हमारे पास भाषाओं की अधिकता है। वहां पर "क्षेत्रों की भाषाएं" होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां पर "प्रादेशिक भाषाएं" होना चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : "प्रादेशिक भाषाएं" ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री पी०उपेन्द्र ने कहा है कि वे श्री कुमारमंगलम द्वारा दिए गये संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मैंने इसे नया रूप दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे मुद्दे पर आइए। आपको इसे स्पष्ट करना चाहिए।

श्री पी०आर०कुमारमंगलम : मैंने विशेष रूप से एक संशोधन का सुझाव दिया है कि खण्ड 12 के उप खण्ड 2 के उप-खण्ड (क) में "लोकतान्त्रिक और सामाजिक" शब्दों का लोप किया जाये। "लोकतान्त्रिक और सामाजिक" शब्दों का लोप किए जाने के बाद खण्ड को ऐसे पढ़ा जायेगा।

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में दिए गए मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।"

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान में उल्लिखित सभी मान्यतायें बिना किसी विवाद, बिना किसी बाधा के इसमें शामिल की जाएं और इस निगम का कोई भी अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 31-32,—

"लोकतांत्रिक और सामाजिक" **शब्दों का लोप किया जाए।** (422)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 393, 394, 395 और 413 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 43 में, "सरकार की ओर से" शब्दों **के पश्चात** "और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द **अंतः स्थापित किये जाये।** (393)

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 45 **के पश्चात** निम्नलिखित **अंतः स्थापित किया जाए :**

"(4क) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि इस धारा के अधीन निर्धारित उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उचित समय उपलब्ध किया जाए, केन्द्रीय सरकार को विज्ञापनों के बारे में प्रसार-समय की अधिकतम सीमा अवधारित करने की शक्ति होगी।" (394)

पृष्ठ 9 पर, पंक्ति 50 **के पश्चात** निम्नलिखित **अंतः स्थापित किया जाए** :

"परन्तु इस धारा के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत फीस तथा अन्य सेवा प्रभार ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए। (395)

पृष्ठ 8, पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबन्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।" (413)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अब श्री कुमारमंगलम द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन है जिसको सभा में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उस संशोधन को मैं सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं और उस संशोधन को 422 नम्बर दिया गया है।

मैं दोहराता हूं कि इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसका आशय "लोकतांत्रिक और सामाजिक" शब्दों का स्थान लेना है और उन सभी बातों को, जिनका कि संविधान में सरकार के आशय के रूप में उल्लेख किया गया है, इसके माध्यम से लोगों को बताना है, मैंने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि यह संशोधन आखिर में लाया गया है। अब मैं इस संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 31-32,—

"लोकतांत्रिक और सामाजिक" शब्दों का लोप किया जाए। (422)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात केवल यह है कि उन्होंने इसे और अस्पष्ट बना दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री लोकनाथ चौधरी द्वारा रखे गए संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 10 से 13, सभा की अनुमति से, वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एम० राव, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री के०एस०राव : श्री कुमारमंगलम द्वारा दिए गए संशोधन को स्वीकार कर लिए जाने पर, मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री के०एस०राव द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 49 और 50 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० थामस, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी०सी०थामस : महोदय, मुझे केवल एक अन्य धारा के बारे में डर है। इसमें कहा गया है :

"कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही निगम के विरुद्ध न होगी..."

मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि इस निगम की नागरिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जा सकता है, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री पी०सी० थामस द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 59 और 60, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपना संशोधन संख्या 151 वापस ले रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : इस आश्वासन को देखते हुए कि मार्गनिर्देशों और नियमों को बनाते समय, मेरे संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री रूपचन्द पाल द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 15 , सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव तथा शांति की खोज जिसे मैंने जोड़ा है उसे भी ध्यान में रखा जाए। मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री कृष्ण कुमार द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 173 और 174, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे विभिन्न धर्मों के भाषायी और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा था कि वह नियमों में इनकी व्यवस्था करेंगे। क्या वह यह कहेंगे कि वह मार्गनिर्देशों में इनकी व्यवस्था करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम मार्गनिर्देशों से बेहतर और विधि से कम होते हैं। आपको उससे सन्तुष्ट होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 339, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड 12 क

उपाध्यक्ष महोदय : अब नया खंड 12 क शुरू करते हैं।

श्री चिदम्बरम—उपस्थित नहीं हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सरकारी संशोधन संख्या 420 शुरू करते हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

12क. कि निगम अपने कृत्यों का निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों और विशेष रूप से धारा 12 में उपवर्णित उसके उद्देश्यों के अनुसार करे और वह उस पर संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति ऐसे नियमों के अनुसार कृत्य करेगी जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा बनाये जाएं।"(420)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस नये खंड 12क को, जिसे इस संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है, सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 12क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खण्ड 12क विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : परिणामत: अन्य खंडों की क्रम संख्या में परिवर्तन किया जाये।

खण्ड 13—प्रसारण परिषद की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि और उनका हटाया जाना आदि

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 13 शुरू करते हैं। श्री के०एस० राव, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री के०एस० राव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 11,—

"तीन वर्ष" **के स्थान पर** "दो वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (51)

पृष्ठ 10—

पंक्ति 12 और 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

"(4) प्रसारण परिषद, प्रत्येक राज्य मुख्यालय में एक राज्य परिषद गठित कर सकेगी जो उसके कृत्यों के निवेदन में सहायता करेगी।" (52)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 7,—

"में से" **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये—**

" ,जो सरकार के या किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी नहीं होंगे किन्तु संस्कृति, खेल, शिक्षा, पत्रकारिता, स्वास्थ्य और विधि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ होंगे।" (61)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसम कृष्ण मूर्ति—अनुपस्थित

श्री एस० कृष्ण कुमार—अनुपस्थित

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 12,—

"कर सकेगी" **के स्थान पर** "करेगी" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (185)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(4क) प्रसारण परिषद भी एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् का गठन करेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं के सफलतापूर्वक सीधे प्रसारण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था करेगी जैसा कि बी०बी०सी० या वायस आफ अमेरिका द्वारा किया जा रहा है।" (190)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए०एन० सिंह देव।

श्री ए० एन० सिंह देव : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०आर० कुमारमंगलम – अनुपस्थित। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वर पाटीदार—अनुपस्थित

श्री हरीश रावत—अनुपस्थित

श्री पी० उपेन्द्र

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"(2) प्रसार परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—(1) एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य जो सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्तियों में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे; (2) संसद के चार सदस्य, जिनमें से लोकसभा के दो सदस्य जो उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे और राज्य सभा के दो सदस्य जो उसके सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।" (397)

(श्री पी० उपेन्द्र)

श्री के०एस० राव : महोदय, जैसे मंत्री महोदय ने क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों के बारे में आश्वासन दिया है वैसे ही इन क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में भी आश्वासन देना चाहिए कि यदि प्रत्येक राज्य मुख्यालय के लिए ऐसी एक परिषद बनाई जाए जिसमें स्थानीय लोग हों तो अच्छा रहेगा। उनसे इसके बारे में आश्वासन मिलने के बाद मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई जायेंगी उनमें केवल उस क्षेत्र के ही लोग होंगे। यह स्पष्ट है।

श्री के०एस० राव : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री के०एस० राव को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 51 और 52, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मेरा संशोधन केवल उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्हें प्रसारण परिषद में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वे श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए, उन्हें सरकारी और किसी राजनैतिक दल का अधिकारी नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वे संस्कृति, खेलकूद, शिक्षा, पत्रकारिता, स्वास्थ्य और कानून जैसे क्षेत्रों से होने चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, जहां तक मेरे संशोधन संख्या 185 का संबंध है, मैं चाहती हूं कि पंक्ति 19 में 'कर सकेगी' के स्थान पर 'करेगी' प्रतिस्थापित किया जाये क्योंकि हम समझते हैं कि केन्द्रीकृत निकाय के रूप में प्रसारण परिषद शिकायत सुनने वाली निकाय नहीं हो सकती। शिकायत सुनने वाली निकाय होने के कारण हम समझते हैं कि क्षेत्रीय प्रसारण परिषदों का अनिवार्य रूप से गठन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों और विचारों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया है। जैसे बी०बी०सी० या वायस आफ अमरीका द्वारा सारी दुनिया में किस तरह की व्यवस्था की है, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, उसी तरह से यहां भी एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद होनी चाहिए थी, जिसका प्रावधान इसमें नहीं किया गया है।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने रखा है, मेम्बर अपाइंट किये जायेंगे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकते हैं। मगर उसके लिए क्या कोई टाईम रखा है? वर्ना ये मामले तीन-चार-पांच साल चलते रहेंगे। क्या इसके लिए कोई टाईम सीमा रखी है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानवेन्द्र सिंह, आपने अपना संशोधन नहीं दिया है। आपको भ्रांतिमय चर्चा शुरू करने का अवसर प्राप्त नहीं है। यदि आपको कोई सन्देह है तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपको बुलायें और मामले के बारे में आपके साथ विचार-विमर्श करें।

डा० तम्बि दुरै : महोदय, यह बताया गया है कि प्रसारण परिषद में 4 संसद सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य लोक सभा के होंगे जिन्हें माननीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि 4 सांसदों की जगह हम 6 सांसद क्यों नहीं कर सकते ताकि लोकसभा के 4 सदस्य हो सकें?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 11 सदस्यों की परिषद में इतने सांसद नहीं हो सकते। महोदय, श्री थामस ने समिति में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का उल्लेख किया है। मैं इस सुझाव पर ध्यान देता हूं क्योंकि राष्ट्रपति सरकार की सिफारिशों से प्रसारण समिति का गठन करते हैं। इसलिए इस सुझाव पर ध्यान देना हमारी शक्तियों के अंतर्गत है। महोदय, जहां तक श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के संशोधन का सम्बन्ध है, इसमें कहा गया है कि प्रसारण समिति इतनी संख्या में क्षेत्रीय परिषदों का गठन करे। यह भी अस्पष्ट है क्योंकि हम इनकी निश्चित संख्या भी नहीं बता सकते। इसलिए इसका तात्पर्य "करेगी" से है। अतः मैं इस शब्द को बदलना आवश्यक नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"(2) प्रसार परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—(I) एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य जो सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्तियों में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(II) संसद के चार सदस्य, जिनमें से लोकसभा के दो सदस्य जो उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और राज्य सभा के दो सदस्य जो उसके सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। (397)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री पी०सी० थामस को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 61, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभा की अनुमति से, संशोधन संख्या 185 वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 190 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खण्ड 13क और खण्ड 13ख

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 13क और खण्ड 13ख अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन सुझाए गए हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं—वह संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। श्री रूप चन्द पाल, क्या आप संशोधन संख्या 152 प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : जी हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"13 क. (1) एक संसदीय समिति होगी जिसमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से होंगे जिन्हें संबंधित सभाओं द्वारा निर्वाचित किया जायेगा और यह देखेंगे कि निगम के उद्देश्य पूरे हों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन हो।

(2) संसदीय समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(3) संसदीय समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और उस पर चर्चा की जायेगी।

13ख. (1) निगम के सभी प्रादेशिक केन्द्रों के लिए सलाहकार परिषदें होंगी जिनमें 7 सदस्यों की एक कार्यपालक समिति होगी और ऐसे सदस्यों के नामनिर्देशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा।

(2) सलाहकार परिषदों को समग्र प्रादेशिक केन्द्रों के कार्यक्रमों और कार्यकरण में सुधार करने के लिए सिफारिश करने और सुझाव देने की शक्ति प्राप्त होगी। (152)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मित्रसेन यादव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं—वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तत्पश्चात्, श्रीमती गीता मुखर्जी—वह संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। तत्पश्चात्, श्री अमर राय प्रधान—वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

श्रीमती राजेन्द्र अग्निहोत्री—अनुपस्थित।

श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"13क. एक संसदीय समिति होगी जिसमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से होंगे जिन्हें सम्बन्धित सभाओं द्वारा निर्वाचित किया जायेगा और जो निगम के कार्यकरण का निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि निगम द्वारा लक्ष्य प्राप्त किये जायें "(340)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, खण्ड 13ख का यह संशोधन सलाहकार परिषद से सम्बन्धित है। इसे क्षेत्रीय प्रसारण परिषद के साथ न मिलाइये। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, इस समय कार्यक्रम सलाहकार समितियां प्रत्येक केन्द्र से जुड़ी हुई हैं और क्षेत्रीय परिषद प्रसारण परिषद से सम्बन्धित होगी जो श्रोताओं और दर्शकों के लिए प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखेगी और शिकायतों पर विचार करेगी। लेकिन यह सलाहकार परिषद, जिसकी मैंने इस संशोधन द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास किया है, एक निकाय है जो क्षेत्रीय केन्द्र को चलाने के लिए, प्रसार भारती निगम को सहायता देगी।

महोदय, मैंने यहां भी उल्लेख किया है कि इससे कार्यक्रमों और क्षेत्रीय केन्द्र के समूचे कार्यकरण के सुधार में सहायता मिलेगी। मैं मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं मंत्री जी का आभारी हूं। मैं उनमें से एक था जिसने संसदीय समिति के गठन की वकालत की थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं (**व्यवधान**)

वह पहले ही सहमत हो चुके हैं कि संसदीय समिति इस पर नजर रखेगी, लेकिन उन्होंने नीति के बारे कुछ भी शामिल नहीं किया है। उद्देश्य आदि बाद में लाये जाएंगे। इस संसदीय समिति को प्रसार भारती के कार्यकरण पर नजर रखनी चाहिए और नीति निर्धारित करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि संसदीय समिति प्रसार भारती को नीति सम्बन्धी मामलों में सलाह क्यों नहीं देगी। नीति बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस समिति को प्रसार भारती के लिए नीति बनानी चाहिए। और उसके कार्यकरण पर नजर रखनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : श्री सोज के प्रश्न का खण्ड 12क के उपबन्धों में पहले ही उत्तर मिल चुका है। इसमें निगम के उद्देश्यों का विवरण दिया गया है। कौन-कौन से उद्देश्यों के लिए कार्यवाही की जायेगी और यह भी मालूम किया जायेगा कि क्या निगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत है या नहीं। यह सब संसदीय समिति के संविधान में दिया जा चुका है। मेरे विचार में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नीति कौन बनायेगा ?

श्री पी० उपेन्द्र : प्रसार भारती बोर्ड सभी नीतियां निर्धारित करेगा। बोर्ड पहले ही गठित किया जा चुका है। अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार प्रसार बोर्ड नीतियां निर्धारित करेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर संसदीय समिति नजर रखेगी। अतः मेरे विचार से किसी और नीति की आवश्यकता नहीं है (**व्यवधान**)

महोदय, जहां तक कार्यक्रम सलाहकार समितियों का सम्बन्ध है, जैसा श्री पाल ने उल्लेख किया है वे पहले ही विद्यमान हैं। प्रसारण परिषद का गठन इन कार्यक्रम सलाहकार समितियों के स्थान पर नहीं किया गया है और निःसन्देह यह निगम पर निर्भर करेगा कि उनका स्वरूप क्या होगा, हम उन्हें आदेश देना नहीं चाहते। लेकिन मुझे आशा है कि निगम इन कार्यक्रम सलाहकार समितियों को जारी रखेगा क्योंकि वे रोजाना के कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं। इसलिए, मेरे विचार से वे उन्हें जारी रखेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 152, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, वह मेरे सुझाव पर बाद में विचार करेंगे, लेकिन इस समय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहूंगा ।

मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा से अनुमति मांगता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 340, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

खण्ड-14—प्रसारण परिषद की अधिकारिता और उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 14 लेंगे, श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री पी०सी० थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 35,—

"जो वह ठीक समझे" **के स्थान पर** "जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के द्वारा अधिकथित की जाए" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (62)

पृष्ठ 10, पंक्ति 43,—

"तदनुसार प्रसारण परिषद" **के स्थान पर** "यथास्थिति, प्रसारण परिषद और परिवादी या परिवादियों," **प्रतिस्थापित किया जाए** । (63)

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 41 से 43 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"(6) शासक बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्रसार परिषद विनिश्चय करेगी जो शासक बोर्ड पर बाध्यकारी होगी ।" (98)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—अनुपस्थित

श्री रूपचन्द पाल ।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

2.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : नहीं, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजशेखर रेड्डी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : नहीं, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह देव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ए०एन० सिंह देव : नहीं, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नही कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : नहीं, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 37 और 38 में "शासक" के स्थान पर "सदस्य" रखें। (398)

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 39 और 41 में "शासक" शब्द का लोप करें। (399)

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 43 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :

"(7) उपधारा (5) और उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए, जहां प्रसार परिषद यह समुचित समझे, वहां वह अभिलेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, निगम से किसी परिवाद के बारे में अपनी सिफारिशों का प्रसार करने की अपेक्षा ऐसी रीति में कर सकेगी जैसी परिषद ठीक समझे।" (400)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, यह संशोधन शिकायतों के निपटाने से सम्बन्धित प्रक्रिया के बारे में है। यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में वह प्रक्रिया अपनाई जायेगी 'जो कि निगम उचित समझेगा'। मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस सम्बन्ध में प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए 'जैसी कि निगम उचित समझे', परन्तु यह इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, श्री थामस की शंका तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह इस बात पर आधारित है कि वे इस प्रक्रिया को किस प्रकार अपनायेंगे। उन्हें इन शिकायतों पर विचार करना है। इसलिए मैं इसे आवश्यक नहीं मानता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, संशोधन संख्या 398, 399 तथा 400, जो कि श्री पी० उपेन्द्र ने प्रस्तुत किये हैं, सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 37 और 38 में "शासक" **के स्थान पर**, "सदस्य" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (398)

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 39 और 41 में "शासक" शब्द का **लोप किया जाए** । (399)

पृष्ठ 10 पर, पंक्ति 43 **के पश्चात**, निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाए** :

"(7) उपधारा (5) और उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए जहां प्रसार परिषद यह समुचित समझे, वहां वह अभिलेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, निगम से किसी परिवाद के बारे में अपनी सिफारिशों का प्रसार करने की अपेक्षा ऐसी रीति में कर सकेगी जैसी परिषद ठीक समझे।" (400)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री लोकनाथ चौधरी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 98, सभा की अनुमति, से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पी०सी० थामस : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री पी०सी० थामस को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 62 और 63, सभा की अनुमति से, वापस लिये गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 14 (क) जोड़ने के लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी का एक संशोधन है । क्या वे अपना सशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, चूंकि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन के द्वारा इसे पहले ही विधेयक में जोड़ दिया गया है, इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

खण्ड—15—केन्द्रीय सरकार की कुछ आस्तियों, दायित्वों आदि का निगम को अन्तरण

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 में संशोधन के लिए कुछ संशोधन श्री बसंत साठे द्वारा दिए गए हैं। क्या वह अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11, पंक्ति 7—

"निगम को अंतरित हो जायेंगी" **के स्थान पर** "सरकार में निहित रहेंगी और निगम के कृत्यों के प्रबंध के लिए पट्टे पर निगम को दी जायेंगी।" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (343)

पृष्ठ 11, पंक्ति 12—

"निगम" **के स्थान पर** "सरकार" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (344)

पृष्ठ 11, पंक्ति 16—

"निगम" **के स्थान पर** "सरकार" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (345)

श्री पी० उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11, पंक्ति 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"निगम को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, अंतरित हो जायेंगी और ऐसी सभी सम्पत्तियों और आस्तियों का बही मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को दी गई पूंजी समझा जायेगा।" (421)

कल, श्री बसंत साठे जी ने केन्द्रीय सरकार की कुछ आस्तियों के निगम को अन्तरण के सम्बन्ध में कुछ आशंकायें व्यक्त की थीं और मैंने उन शंकाओं के निवारण का प्रयत्न किया था। मैंने यह भी कहा था कि क्योंकि हमें निगम को कुछ गरिमा तथा महत्व प्रदान करना है, इसलिए हम आस्तियों को सरकार तक सीमित नहीं रख सकते। इसमें व्यावहारिक मुश्किलें भी आयेंगी, क्योंकि रखरखाव के लिए रखे गए हजारों कर्मचारी जिन्हें आमतौर पर निगम में जाना होगा, जाना नहीं चाहेंगे तथा ऐसी स्थिति में सरकार के लिए भी उन्हें वहां भेजना सम्भव नहीं होगा, यदि आस्तियां सरकार के पास रहती हैं।

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, आज मैंने इस खण्ड में एक छोटा-सा उपबन्ध जोड़ दिया है, जो इस प्रकार है :

"समस्त सम्पत्ति और आस्तियां (जिनके अन्तर्गत निधि भी है) जो आकाशवाणी या दूरदर्शन या दोनों के प्रयोजन के लिए उस दिन के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार में निहित थीं, निगम को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, अंतरित हो जाएंगी और ऐसी सभी सम्पत्तियों और आस्तियों का बही-मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को दी गई पूंजी समझा जायेगा।"

[श्री पी० उपेन्द्र]

ऐसी दशा में कोई भी बोर्ड निगम की स्थाई आस्तियों का सरकार की अनुमति के बिना निपटान नहीं कर पायेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आस्तियों के अन्तरण के समय सरकार यह शर्तें निर्धारित करेगी कि स्थाई आस्तियों का क्या करना है, क्या उनका निपटान किया जा सकेगा, अगर निपटान किया जा सकेगा तो सरकार में इसके लिए किससे अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसलिए इस खण्ड में इस उपबन्ध के जुड़ने के बाद मैं श्री वसंत साठे जी से यह निवेदन करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री वसंत साठे : श्री उपेन्द्र जी ने जो अभी-अभी कहा है, उससे उद्देश्य की पूरी तरह प्राप्ति नहीं होती। वित्त मंत्री आपके साथ बैठे हैं। अगर वह संतुष्ट हैं कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी, तो मैं भी संतुष्ट हूं। बाद में, इस विधेयक के परिणामस्वरूप हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे ऐसा अहसास हो रहा है जैसे कि मैं स्वयं इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए एक तरह से मैं इस विधेयक से प्रसन्न हूं। यहां तक कि मतदान के समय भी मैंने हर बार 'हां' ही कही है। उपेन्द्र जी के लिए ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्य हैं।

वित्त मंत्री (प्रो मधु दण्डवते) : आप 'हां' इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कांग्रेस (आई) के प्रतिनिधि हैं।

श्री वसंत साठे : यह सत्य है। जैसे कि मधु जी हमेशा कहते हैं कि "वह बहुत प्रसन्न हैं," और वह अपनी बात इस 'तकिया कलाम' के साथ शुरू करते हैं, मैं भी यही कहता हूं कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह विधेयक उसी तरह पारित किया जा रहा है जैसे कि विभिन्न दलों के चुनाव घोषणा पत्र पारित किए जाते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ बात है?

प्रो० मधु दण्डवते : इस मुद्दे पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता।

श्री वसंत साठे : मेरे विचार में कम से कम इस खण्ड के आधार पर नहीं।

मुझे वाणिज्यिक राजस्व और आस्तियों के बारे में आशंका है कि इस नए निकाय से देश में एकाधिकार पैदा होगा, यदि आस्तियों के बारे में कोई ढील दी गई, तो बाद इनके लिए कठिनाई हो सकती है। वित्त मंत्री के कहने का आशय यह है कि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए संसाधनों हेतु उन्हें अपने संसाधन जुटाने चाहिए। क्योंकि उनके पास धन नहीं है। यदि कल इसी तरह वह निगमों से कहें कि "अपने संसाधन जुटाइये, मेरे पास धन नहीं है" तो क्या होगा। इससे निगम पूरी तरह से निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षेत्र तथा एकाधिकार क्षेत्र के अधीन हो जायेगा। इसलिए, मैं संशोधन संख्या 343 ले कर 346 तक प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी बरत रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम केवल संशोधन संख्या 343 से 345 पर विचार कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मैं यह कह रहा हूं कि श्री उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन मुझे स्वीकार होगा। मुझे आशा है कि आप जो हिदायतें देने जा रहे हैं उनमें उन सभी पहलुओं को लेंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है। मैं इस बारे में आपका आश्वासन चाहता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल एक मंत्री के आश्वासन से दो मंत्री खुश हो जाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : वित्त मंत्रालय की तरफ से भी मैं कहता हूं कि मैं खुश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11, पंक्ति 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :—

"निगम को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, अन्तरित हो जायेगी और ऐसी सभी सम्पत्तियों और आस्तियों का वही मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को दी गई पूंजी समझा जायेगा।" (421)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : वसंत साठे, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी० उपेन्द्र : मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमने संशोधन संख्या 391 स्वीकृत किया है, उसमें उनकी बात नहीं है। इसमें कहा गया है :

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस धारा के अधीन निर्धारित उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उचित समय उपलब्ध किया जाये केन्द्रीय सरकार को विज्ञापनों के बारे में प्रसार-समय की अधिकतम सीमा अवधारित करने की शक्ति होगी।"

हम इसे पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि वह क्या चाहते हैं। वह चाहते हैं कि संचित निधि में जमा होने वाला सारा राजस्व स्थानांतरित कर दिया जाये। हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : मैंने ऐसा नहीं कहा। अपनी बात मुझसे मत कहलवाइए। मैंने परि-सम्पत्तियों के बारे में कहा था। वाणिज्यिक राजस्व के लिए अगर विज्ञापनों और कार्यक्रमों के लिए परिसंपत्तियां उनके पास रहें तो मैं कहूंगा कि वे स्वत: ही सरकार के पास भी रहेंगी। मैंने इसे पेश किया था। आपका संशोधन तो केवल समय इत्यादि के प्रतिबन्ध के बारे में है। मैं वाणिज्यिक राजस्व पर एक सीमा तय करने के बारे में कह रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप जानते हैं, समय बहुमूल्य है।

श्री वसंत साठे : आप थोड़े से समय में काफी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज कहें कि आपकी यह योजना भी है कि वाणिज्यिक राजस्व विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाएंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा।

आडवाणी जी मैं यह कहना चाहता हूं और आप भी यह स्वीकार करेंगे कि जब हमने इसे कल रखने के लिए कहा था तो कटुता उत्पन्न हो गई थी। मेरे मित्र उपेन्द्र अनावश्यक ही मुझसे नाराज हो गये। अब, आप कहते हैं कि क्योंकि हमें यह आज मिला है इस लिए हम बहुत शांत भाव से बैठे हैं। आप हमारी अच्छी भावना देखिए। हालांकि हम आज अपना मध्याह्न भोजन नहीं कर सके, हम यहां पर बैठे हुए हैं। यह कार्य कल नहीं हो सका और आप जानते हैं कल हमें कार्य समिति की बैठक में जाना पड़ा और यह बैठक सुबह 4 बजे तक चली। इस प्रकार हमने गंभीरता-पूर्वक अपना कार्य किया है। आप गुस्सा मत होइए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : जी हां । मैं वापस लेता हूं ।

ये **उपाध्यक्ष महोदय :** क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 343, 344 और 345 सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 15, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड—16—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान आदि

उपाध्यक्ष महोदय : लोकनाथ चौधरी जी, क्या आप खण्ड 16 से सम्बन्धित अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री लोकनाथ चौधरी : नहीं । मैं पेश नहीं कर रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : रूपचन्द पाल जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मित्रसेन यादव जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : नहीं, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहीं हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी, हां । मैं अपना संशोधन रख रही हूं ।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यदि धन वाणिज्यिक विज्ञापनों से एकत्र किया जाता है तो अनुज्ञेय अधिकतम रकम विनियमों में विनिर्दिष्ट की जायेगी :

परन्तु यह और कि वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए अनुज्ञेय अधिकतम समय, समग्रता या विशेष हिस्सों में, विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।" (302)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर बोलेंगी ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो अपने संशोधन संख्या 302 पर बोलिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 303 पर भी।

उपाध्यक्ष महोदय : 303 की अपेक्षा 302 अधिक खतरनाक है।

श्रीमती मालनी भट्टाचार्य : महोदय, वास्तव में सरकार के संशोधन संख्या 394 और 395 में मेरे संशोधन का कुछ भाग शामिल हो गया है। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण खंड रह गया है जिसके बगैर इस पाबन्दी का कोई अर्थ नहीं है अर्थात मैंने कहा है :

"परन्तु यह और कि वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए अनुज्ञेय अधिकतम समय, समग्रत या विशेष हिस्सों में, विनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

यह भाग 'समग्रत: या विशेष हिस्सों में' सरकार के संशोधन में से छोड़ दिया गया है। मैं समझती हू कि यदि यह खंड नहीं होगा तो होगा यह कि वाणिज्यिक विज्ञापनों को अधिकतम समय 10 प्रतिशत की अनुमति होगी और इसमे से भी वे केवल 2.5 प्रतिशत लेंगे। लेकिन हम पहले ही उनका अत्यधिक प्रभाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है कि मुख्य समय पर उनका एकाधिकार है। इसी कारण जब तक विशेष हिस्से में उनके प्रवेश को रोका नही जाता है, इस खंड का कोई अर्थ नहीं होगा। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कुल समय का 10 प्रतिशत समय सारा ही समय हो सकता है।

श्री वसंत साठे : महोदय मैं पुन: इस बारे में कहना चाहूंगा और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा, हालांकि वह थके हुए लगते हैं। संभवत: वह इसके लिए भी तैयार नहीं हैं कि उन्हें समझाया जाए। मैं वाणिज्यिक राजस्व और विज्ञापन के बारे में कहना चाहूंगा। मैं अब भी मंत्री महोदय से इस बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूं। आज इस बारे में विश्व भर में क्या प्रवृति है ? आज क्या हो रहा है ? हमारे सीमित समय के अन्तर्गत भी सभी प्रायोजित कार्यक्रम बड़े विज्ञापकों के होते हैं। 'प्राइम टाइम' के दौरान अच्छे कार्यक्रमों के दौरान काफी समय तो वाणिज्यिक विज्ञापक ले लेते हैं। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि राजस्व के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे आप हमारे अधिक से अधिक कार्यक्रम वाणिज्यिक दबाव से प्रभावित पाएंगे। विशेषकर भारत में इसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि हमारे अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वे सम्पन्न नहीं है। आप नहीं चाहते कि इस देश में उपभोक्तावाद और सम्पन्नता को प्रोत्साहन मिले। आप इसे पसन्द करें या न करें, सभी वस्तुएं बुनियादीतौर पर सम्पन्न वर्ग के लिए उपभोक्ता वस्तुएं हैं। 'क्लैरेमिल' इत्यादि जैसी सुन्दर सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री कितनी लड़कियां खरीद सकती है ? आप साबुनों इत्यादि के विज्ञापन दे रहे हैं। यह तो वास्तव में विचारों को बदलना है। एक गांव की कोई लड़की या एक छोटा आदमी भी इन वस्तुओं के बारे में जानता है क्योंकि वे ऐसे कार्यक्रम रोजाना देखते हैं। एक लड़की अपनी मां को पहली बात यही कहती है : अगर मुझे गोरा और सुन्दर दिखना है तो मुझे क्लैरेसिल या कोई अन्य वस्तु दिला दीजिए।" सिर्फ इतना ही नहीं है। आप बालों, बच्चों का आहार, बनावटी वस्तुओं इत्यादि अन्य वस्तुओं के विज्ञापन दिखला रहे हैं। कुछ पदार्थ तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। पिछले दिनों हम एक प्रश्न सुन रहे थे। यह प्रश्न पान मसाले और हमारे स्वास्थ्य पर इसके खतरनाक प्रभाव के बारे में था। फिर भी, आप देखते है कि हर रोज अभिनेता और अभिनेत्रियां कहते रहते हैं कि विवाह और सभी अवसरों पर पान मसाला दिया जाएगा······(व्यवधान) क्या आप इन बातों के सामाजिक प्रभाव से वाकिफ हैं। इससे तो यह और अधिक लोकप्रिय हो जायगा। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने अभी कुछ संसदीय

[श्री वसन्त साठे]

नियंत्रण बनाए रखा है। अन्यथा क्या होगा ? हम लोगों के पैसे से इस संगठन को चला रहे हैं। यह लोगों द्वारा दिया गया धन है। अतः लोगों के प्रति उत्तरदायित्व भी है। आप कृषि दर्शन जैसे अनेक कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आप हमारी आबादी के एक बड़े भाग के लाभ हेतु इस कार्यक्रम को रखे हुए हैं। कल, वाणिज्यिक लोगों के दबाव में क्या होगा ? यह सब उन कार्यकारी सदस्यों और व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जिन्हें आप वहां रखेंगे। कृपया मुझे बताइए कि वे किसके प्रभाव में आएंगे ? यदि वे इन वाणिज्यिक कारणों से प्रभावित हो गए तो विज्ञापनों इत्यादि के और अधिक कार्यक्रम भी अत्यधिक खतरनाक होंगे। उदाहरण के तौर पर, हम कल संसद में इसकी आलोचना करना चाहते हैं। मैं ऐसी स्थिति नहीं चाहता कि इस विधेयक के पारित होने के बाद, अगले ही सत्र में—यदि आप सत्ता में हैं, ठीक है, परन्तु जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं—चाहे कोई भी सत्ता में आए हमें इस पर पुन: विचार करना होगा और कहेंगे : "नहीं, यह सारा राजस्व अभी भी सरकार के पास रहेगा।" सावधान रहिए। यही कारण है कि मैं यह कह रहा था कि आप सारा वाणिज्य राजस्व उन्हें दे सकते हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता। परन्तु कृपया, प्रो० दण्डवते इसकी सराहना करेंगे कि विज्ञापनों तथा कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाला वाणिज्य राजस्व सरकार के पास रहना चाहिए। कृपया इसे अपनी संचित निधि में मानिए। यदि ऐसा होता है तो यह प्रतिगामी कदम नहीं होगा यह एक स्वस्थ कदम होगा। कम से कम आप यह तो निश्चय कर पायेंगे कि इस वाणिज्यिक धनराशि से कैसे विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता था। मुझे अभी भी यही आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

आप सब सपोर्ट कर दीजिए, देखिए पास हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार में जो मुद्दा उठाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है यद्यपि मुझे यह निश्चय नहीं है कि यह संशोधन विशेष इस मुद्दे को कैसे निपटाएगा क्योंकि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि आप उपभोगवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ संविधान में उल्लिखित सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने की बात नहीं कर सकते। यदि इस बात पर विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने का खतरा केवल 'मीडिया' को स्वायत्तता देने के कारण ही पैदा हो रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेषतौर पर पिछले तीन वर्षों से क्या हो रहा है। नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यहां तक कि सरकार भी—यह सरकार या वह सरकार—इस दृष्टिकोण का शिकार हो सकती है, अमुक स्वायत्त संस्था इस दृष्टिकोण से निरापद हो सकती है। इस अवसर पर मैं नई बनाई जा रही प्रसार भारती की तहेदिल से सराहना करता हूं। जोशी समिति की रिपोर्ट जो आपके शासन काल के दौरान जब आपने यह समिति गठित की थी, पेश की गई थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके साथ यह हुआ है कि यदि आप टेलीविजन देखते तो लगता कि जोशी समिति की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया— नां ही सरकार ने, नां ही किसी और ने, नां ही आकाशवाणी और दूरदर्शन ने। और उस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि उपभोगवाद के खतरे इतने गम्भीर हैं, विशेषतौर पर एक विकासशील समाज के लिए, कि एक बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर वाणिज्यिक विज्ञापनो

पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया था और उस प्रतिबन्ध का उल्लेख बहुत सकारात्मक तरीके से किया गया था। यद्यपि समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि हम वाणिज्यिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के बारे में नहीं सोच सकते फिर भी साथ ही उन्होंने कुछ विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित कर दिये थे और यदि नई स्वायत्त संस्था प्रसार भारती जोशी समिति की सिफारिशों को अपनाती है तो मुझे विश्वास है कि बहुत सी कमियां जिनका उल्लेख किया गया है या जो मालिनी जी के संशोधन में है या जिनका उल्लेख श्री साठे ने किया है दूर हो जाएगी। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि 'मीडिया' किसके नियन्त्रण में है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन काफी समय तक एक स्वायत्त संस्था रही है और उन्होंने काफी हद तक इसका विरोध किया है। तदनन्तर जब टेलीविजन अस्तित्व में आया और अमरीकी माडल, जो पूरे टेलीविजन नेटवर्क को प्रभावित करता रहा है, इसने अपनी समस्यायें स्वयं पैदा कर ली हैं। जहां तक हमारा संबंध है, मैं यह देखना चाहता हूं कि जब हम 'मीडिया' को स्वायत्तता देने की बात करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, यह बात हम उन पर छोड़ देते हैं तथा इस संशोधन या उस संशोधन से इसकी काट छांट करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कुल मिलाकर जिस बात पर सहमत हो गये हैं उसका पालन किया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बात भी महत्वपूर्ण है...... ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : मैं मालिनी जी को इस संशोधन के पक्ष में बोलने का साहस दिखाने के लिए बधाई देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति हूं। मैंने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा ग्रहण की थी। जब आप उपभोगवाद के बारे में बात करते हैं तो मैं जानता हूं कि इसका क्या तात्पर्य है। मैंने इसे देखा है, फ्रांस, अमरीका तथा इंगलैंड की मनोवृत्तियां देखी हैं। मेरी पत्नि भी इंगलैंड में थी। हम दोनों ने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा ग्रहण की थी। हम समझते हैं कि यह क्या है, आपमें से अधिकांश यह नहीं समझते। टेलीविजन द्वारा हमें थोड़ा-थोड़ा करके जो कुछ दिया गया है और जिस तरह का उपभोगवाद हमारे यहां है और जिसकी व्याख्या हमारे टेलीविजन ने की है, वह निन्दाजनक है। यह पूर्णरूप से भारत के लोगों के विरुद्ध है, यह केवल गैर-भारतीय ही नहीं है बल्कि भारत-विरोधी है। जितनी शीघ्र हम इससे छुटकारा पाकर अपनी संस्कृति को आज के परिप्रेक्ष्य में ढालकर अपना लेंगे उतना ही बेहतर होगा।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं अपने माननीय दोस्त को बधाई देता हूं और इससे भी अधिक बधाई सम्पूर्ण सभा को इसकी आवश्यकता हेतु आवाज उठाने तथा महसूस करने हेतु देता हूं। इसलिए इस मामले पर मैं सभा में देर नहीं लगाना चाहता।

परन्तु मैं अपने माननीय दोस्त प्रो० दण्डवते से निवेदन करता हूं। श्रीमती दण्डवते एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी मैं प्रसंसा करता हूं। जो सामाजिक कार्य वह कर रही हैं उसके लिए मैं उन्हें दूसरी बार शुभकामनाएं देता हूं। मैंने उन्हें खुशमिजाज महिला कहा था। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन से वह मेरे साथ सहमत होंगी। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय दोस्त उस संशोधन का समर्थन करेंगे जिसका नोटिस श्री साठे ने दिया है। मैं चाहता हूं कि इस संशोधन की भावना का सभा स्वागत करे तथा इसे स्वीकार करे और बाद में, मैं चाहता हूं कि सरकार 'उस प्राधिकरण' का जो अस्तित्व में आने वाली है को यह देखने के लिए कि टेलीविजन वास्तव में भारतीय टेलीविजन हो तथा अमरीकी या अन्य विश्व की नकल न हो, यथोचित निर्देश या सलाह दें।

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : चूंकि हमारी सरकार एक उदार सरकार है और विवेक तथा तर्क के मामले में उदार है, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री, जिन्होंने जन संचार माध्यम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करने में काफी कष्ट उठाये हैं, इन विचारों पर निश्चित रूप से गौर करेंगे। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यद्यपि वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए कुल समय के 10% समय सीमा का प्रावधान है, फिलहाल केवल 2.5% समय का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु बात यह है कि दूरदर्शन प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण समय, यानि सर्वोत्तम समय का 20% या 30% समय वाणिज्यिक विज्ञापनों को दिया जा रहा है जो उन मूल्यों के साम्यानुरूप नहीं हैं जिनका हम समर्थन करते हैं। विशेषतौर पर प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद में एक बैठक में कहा था कि हम आकाशवाणी में विश्वास नहीं करते, हम धरतीवाणी में विश्वास करते हैं। यदि हम साबुन से पेप्पी कोला—मैं इन सब वस्तुओं के नाम नहीं गिनाना चाहता के उपभोगवाद को इस देश में बढ़ावा देते रहेंगे तो मैं नहीं जानता कि इससे युवा लोगों, बेरोजगार लोगों, लोग जिन्हें गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता, का मन कहां तक भ्रष्ट होगा।

अब हम कुछ चीजों को बढ़ावा देने जा रहे हैं जो इस देश में लोगों के लिए एक स्वप्न की तरह है। इस भावना के वशीभूत मैं अपील करता हूं कि वह विशेषतौर पर मालिनी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार करें ताकि कोई सीमा न रहे तथा वाणिज्यिक एकाधिकार घरानों और निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग किये जाने वाले सर्वोत्तम समय की सीमा अलग-अलग या कुल मिलाकर 5% से अधिक न हो। यदि यह संसाधनों का प्रश्न है तो इसे छोड़िये। यदि मैं एक रिक्शा चलाता हूं तो मुझे 10 या 20 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं मिलेंगे। परन्तु यदि मैं शराब बेचता हूं तो मैं 200 रुपये तक कमा सकता हूं। आप केवल इस बात के लिए ही कि शराब बेचने से मुझे अधिक पैसे मिलेंगे, मुझसे क्यों आशा करते है कि मैं शराब बेचूं। अत: नैतिकता और मूल्य के अनुरूप नहीं चल रहे हैं जिसके लिए हम कोशिश कर रहे है। मैं जानता हूं कि इस देश में हम उपभोगवाद को बढ़ावा नहीं देने जा रहे हैं। माननीय उपेन्द्र जी से फिर अपील करना पर्याप्त होगा। मैं उन्हें यह सुझाव देता हूं कि वह सहमत हो जाएं और सभा के विचार जाने और कुछ संशोधन लाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि माननीय मंत्री द्वारा सुझाए गये संशोधनों से भी यह प्रतीत होता है, कि जहां तक विज्ञापनों के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रसारण समय का सम्बन्ध है, समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि न्यूनतम समय सीमा निर्धारित की जाती है तो उसका प्रयोग केवल 'प्राइम टाइम' के संबंध में ही किया जाएगा मेरे कहने का अभिप्राय है कि केवल 'प्राइम टाइम' में से ही 10% समय का प्रयोग किया जायेगा।

प्रो० रंगा तथा सभा में सभी पक्षों ने कहा है कि जो प्रवृत्ति हमने वर्षों से देखी है, चाहे यह सरकार के अधीन रही है, सही दिशा में नहीं रही है। दूसरी ओर, कई घरों में भी यह माहौल को दूषित कर रही है। हमारे समुदाय के युवा वर्ग को यह अलग तरह का दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। यही कारण है कि हम यह महसूस करते हैं, जी हां, कि यहां तक कि स्वायत्तता के साथ भी जब सरकार एक समय सीमा प्रदान करने की सोच रही है तो यह ऐसी होनी चाहिए कि सरकार इस पर प्रभावपूर्ण तरीके से नियन्त्रण रख सके। समय का प्रभावपूर्ण ढंग से निर्धारण कीजिए। केवल अधिकतम समय से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री तथा सरकार से यह सिफारिश करता हूं कि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के संशोधन स्वीकार कर लिए जाएं।

श्री वसंत साठे के संशोधन के संबंध में, उनका कहना है कि जो कुछ पैसा आये वह सरकार को दे दिया जाये। इसके पीछे निहित भावना का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु इससे वाणिज्यिक विज्ञापन को नियन्त्रित करने में सहायता नहीं मिल पाएगी। तब, प्रसार भारती अधिक से अधिक धनराशि कमाएगी। यदि वे अधिक से अधिक विज्ञापनों को अनुमति देते हैं तथा अधिकाधिक धनराशि कमाते हैं, इससे सरकार को अधिकाधिक योगदान मिलेगा और यह सरकार को और अधिक खुश करने की कोशिश करेगा। और प्रो० मधु दण्डवते और अधिक खुश होंगे कि सरकार के पास अधिकाधिक पैसा आ रहा है। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तो बच जाऊंगा लेकिन देश को इससे नुकसान हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां। इसलिए, मुझे विश्वास है कि, इस सीमा तक, श्री साठे पाएंगे कि ये जिस उद्देश्य के लिए इसे लाये थे, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उनका संशोधन वास्तव में इस ओर उन्मुख नहीं है। इसलिए मैं, सरकार से अनुरोध करूंगा—और यह पूरे सदन की भी इच्छा है—कि इस संशोधन को कृपया स्वीकार करें।

आप चाहें तो इसमें उपयुक्त सुधार कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों संशोधनों की भावना वही है, जो प्रो० रंगा और मेरे दूसरे मित्रों ने यहां व्यक्त की है। यह सिर्फ उपभोक्तावाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय-स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ सकता है। धूम्रपान, शराब आदि ये सभी बातें उसमें शामिल हैं। (**व्यवधान**) मेरे, धूम्रपान करने वाले मित्र इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विशेषतौर पर सिगारों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मुझे कुछ राजनैतिक प्रभाव भी नजर आता है। इन विज्ञापनों के द्वारा, हमारी संस्कृति पर भी बहुत प्रतिकूल राजनैतिक असर पड़ रहा है। ये बातें होती हैं। भावना समान है। इसे किस प्रकार प्रभावी रूप से पाया जा सकता है। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का संशोधन है। कुछ हद तक, समय और खण्ड-वार इसे नियन्त्रित किया जा सकता है। किन्तु इसे प्रभावी रूप से कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है? इसलिए, मैं सोचता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को ध्यान में रखेंगे। तथा इसे और प्रभावी रूप से कैसे किया जा सकता है, उन्हें यह बताना चाहिए और इसे मान लेना चाहिए।

श्री इन्द्र जीत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने और हमने माना है, कि उपभोक्तावाद को अंधाधुंध बढ़ावा देने से काफी विनाश हुआ है और अभी भी हो रहा है। इसलिए, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा सुझाए गए संशोधन का मैं समर्थन करता हूं, किन्तु मंत्री जी के विचारार्थ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया है कि कुछ देशों में, एक विशेष समय के बाद कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जाता, और मुझे यह कल शाम ही पता चला—मैं सोचता हूं कि मेरी सूचना सही है—क्योंकि मुझे यह विश्वस्त सूत्रों से पता चला है—कि पश्चिम जर्मनी में रात्रि 8 बजे के बाद कोई भी विज्ञापन दिखाए जाने की अनुमति नहीं है। जो भी विज्ञापन होते हैं वे उस समय से पूर्व दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जन सेवा कार्यक्रमों, तथ्यों और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करने पर बल दिया है। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विज्ञापनों को नामंजूर करने या एक विशेष समय के पश्चात् विज्ञापनों पर रोक लगाने की संभावना पर विचार करें, ताकि मुख्य समय का सही रूप में जन-कल्याण के लिए उपयोग किया जा सके।

डा० तम्बि दुरै : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और श्री वसंत साठे द्वारा प्रस्तुत संशोधन की भावना की मैं भी सराहना करता हूं। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है और यह ध्यान रखना है कि दिखाए जा रहे विज्ञापन हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रहे। आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के समय पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। विज्ञापनों के समाप्त होने तक अधिकतर लोग दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं और टी०वी० नहीं देखते। जिस ढंग से विज्ञापन दिखाए जाते हैं उससे अधिकांश दर्शकों को झुंझलाहट होती है। 'निर्धारित समय 10 प्रतिशत है या 5 प्रतिशत, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर निर्धारित समय पांच प्रतिशत भी है तो भी मुख्य बात यह है कि किस प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाने चाहिए। यह हो सकता है कि दबाव के कारण, वे ज्यादा राशि का प्रस्ताव करें और इस कारण हम ज्यादा अच्छे विज्ञापनों की आशा नहीं रख सकते। इस तरह के मामलों में, विज्ञापन का स्तर प्रभावित हो सकता है। इसलिए, जब हम समय निर्धारित करते हैं तो यह मानदण्ड होना चाहिए कि विज्ञापन अच्छे स्तर का हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार करना चाहिए।

श्री नानी भट्टाचार्य : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। श्री पी०उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन में सुरक्षा के उपाय और सुझाव दिए गए हैं, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। पृष्ठ 11 पर यह दिया गया है :

"परन्तु इस धारा के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत फीस तथा अन्य सेवा प्रभार ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होंगे... ।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वृतान्त में न जाएं।

श्री नानी भट्टाचार्य : खण्ड 19(2) के अंतर्गत एक और सुरक्षा का उपाय दिया गया है। किन्तु ये सुरक्षा के उपाय बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बहुत कम प्रभावी होंगे। इसमें और अन्य कारक भी हैं। वास्तव में, मैं श्रीमती मालिनी के संशोधन को स्वीकारने के पक्ष में हूं।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, बी०बी०सी० में तीन चैनल हैं जिनमें से एक चैनल विज्ञापनों से पूरी तरह मुक्त है। बी०बी०सी०1 पर कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया जाता। किन्तु दूसरे चैनलों पर वे विज्ञापन दिखाए जाने की अनुमति है। अगर सभी केन्द्रों में हम एक से अधिक चैनल देने जा रहे हैं तो यह सोचा जा सकता है कि एक चैनल को विज्ञापनों से पूरी तरह मुक्त रखा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ लोग सिर्फ विज्ञापन का ही चैनल देखेंगे।

श्री पी०उपेन्द्र : महोदय, मैं प्रो० रंगा; श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य श्री होटा, श्री चटर्जी, श्री भोगेन्द्र झा तथा अन्य माननीय सदस्यों के बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के खतरों और सरकारी माध्यमों में इस पर नियंत्रण करने के जरूरत के बारे में व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। इस बात को स्वीकार भी किया गया है। इसीलिए, इसे पहले ही नियन्त्रित किया जा चुका है। आज भी, समय पर 10 प्रतिशत का प्रतिबन्ध है, जिसमें से सिर्फ 2.25 प्रतिशत अब उपयोग किया जा रहा है।

श्री वसंत साठे : यहां तक कि इसे भी हानि पहुंचाई जा रही है जो आप समझ सकते हैं। अगर 2.25 प्रतिशत के साथ भी यह हानि हो रही है, तो अगर 10 प्रतिशत हो तो क्या होगा ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सभी 2.25 प्रतिशत ने श्री बसंत साठे को बनाया है।

श्री पी० उपेन्द्र : इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि अधिकांश विज्ञापन चुनिंदा प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आप इस देश की जनसंख्या को ध्यान में रखें, तो शायद 95 प्रतिशत लोगों ने विज्ञापित वस्तुओं को नहीं देखा होता और जिन लोगों ने उन्हें देखा होता है, उनमें से भी 98 प्रतिशत उन्हें खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते। इस सीमा तक, यह पूरी तरह चुनिंदा प्रकृति के होते हैं। किन्तु इसीलिए हम इस पर प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत महसूस करते हैं। इसीलिए, हमने संशोधन प्रस्तुत किया है। विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त समय पर भी समय नियन्त्रण होना चाहिए।

जहां तक धनराशि का संबंध है, यह समय से संबंधित है, क्योंकि विज्ञापन की दरें अवधि अनुसार बदलती रहती हैं और एक बार आपने समय सीमा निश्चित कर दी, तो इसकी राशि भी स्वतः बढ़ जाएगी या घट जाएगी। नियमों और निर्देशों को बनाते समय, सरकार ने समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति अपने पास रखी है और समय सीमा निश्चित करते समय हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें से कितना मुख्य समय में होना चाहिए और कितना दूसरे समय में।

इसके साथ ही, हमें समझना चाहिए कि विज्ञापनदाताओं की ओर से संचार माध्यम की बहुत मांग है और यह और बढ़ेगी। श्री दासगुप्त ने कहा कि कुछ देशों में विज्ञापन के लिए एक बिल्कुल अलग चैनल है। यह यहां हो सकता है, हम नहीं जानते। इस संस्था की वित्तीय सहायता के लिए, जिसकी राशि गरीब जनता, भारत की जनता से मिलती है, हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहां क्या हो रहा है ? मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। जिन वस्तुओं का विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन की कीमत भी उत्पाद की कीमत में शामिल कर ली जाती है, और जो लोग इसे खरीदते हैं उन्हें विज्ञापन की कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या हम विज्ञापनों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दें। इस आय को छोड़ दें और भारत की जनता को इसे पूरा अदा करने दें। यह कुल प्राय 800 से 900 करोड़ रुपये है, जिसमें से 230 करोड़ रुपए विज्ञापन के जरिए आते हैं। मैं नहीं सोचता कि कोई भी यह कहेगा कि आप राजस्व को पूरी तरह त्याग दें और इस संचार माध्यम के लिए जनता से करों के द्वारा पैसा लें, विशेषकर जब आपने इसे पूर्णतया स्वायत्त, सरकार के नियंत्रण से मुक्त बनाया है। हमें इसको संतुलित करना है। इसीलिए, हमने यह प्रतिबंध लगाने की जरूरत महसूस की।

जहां तक दूसरी बातों का संबंध है, विधेयक में ही सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को रखना उचित नहीं है। एक संसदीय समिति है। यह अंतिम वाद-विवाद नहीं है। शायद, यह विधेयक का अंतिम रूप भी न हो। अनेक संशोधन और पेश हो सकते हैं। संसदीय समिति अनेक परिवर्तनों की सलाह दे सकती है। यह ब्यौरा संसदीय समिति को भेज दिया जाना चाहिए और हमें प्रस्तावित विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखनी चाहिए तथा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपने संशोधन के लिए जोर नहीं देती और मैं इसे वापस ले रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्या को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

प्रो० एन०जी०रंगा : नहीं .. (**व्यवधान**)

मैं मत-विभाजन के लिए जोर नहीं दे रहा हूं। ऐसा कहना तो अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है : "मेरे विचार से तो बहुमत सहमति के पक्ष में है।" जहां तक मेरा संबंध है मैं चाहता हूं कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित अन्त:स्थापित **किया जाये**—

"परन्तु यदि धन वाणिज्यिक विज्ञापनों से एकत्र किया जाता है तो अनुज्ञेय अधिकतम रकम विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएगी :

परन्तु यह और कि वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए अनुज्ञेय अधिकतम समय, समग्रत: या विशेष हिस्सों में, विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।" (302)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री वसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं—-

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 27 **के स्थान पर**

"(ii) विज्ञापनों और कार्यक्रमों से वाणिज्यिक राजस्व" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (346)

महोदय, खेद है, मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। मैं जानता हूं कि आडवाणी जी और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश विशिष्ट वर्ग की दलदल में न फंसा दिया जाए। मैं यह जानता हूं, किन्तु मैं यह बात कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं अत मैं कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित करने के लिए इस संशोधन पर जोर देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि श्री उपेन्द्र इस बात का बुरा नहीं मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वसंत साठे द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 27 **के स्थान पर** "(ii) विज्ञापनों और कार्यक्रमों से वाणिज्यिक राजस्व" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब, खंड 16 सभा के मतदान के लिए रखे जाने से पूर्व, मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों द्वारा सभा में व्यक्त किए गए विचारों का सरकार, निर्देश देते समय ध्यान रखेगी :

प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 17 में श्री के० एस० राव की ओर से एक संशोधन है । वह अनुपस्थित है ।

अब मैं खंड 17 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 18 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 19—निगम का बजट

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 19 में सरकारी संशोधन है । श्री पी० उपेन्द्र ।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 11-12 पर, खंड 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

निगम का वार्षिक वित्तीय विवरण

"19 (1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जिसमें—

(क) वह व्यय पृथक रूप से दिखाया जाएगा जिसको निगम के आंतरिक साधनों से पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) वे राशियां पृथक रूप से दिखाई जाएंगी जो अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार से अपेक्षित है,

(i) राजस्व व्यय को अन्य व्यय से, और

(ii) योजना-स्तर व्यय को योजना व्यय से, अलग दिखाया जाएगा ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार किया जाएगा, जो अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर भेजा जाएगा जैसा उस सरकार और निगम द्वारा तय पाया जाए ।" (401)

[श्री पी० उपेन्द्र]

मूल विधेयक में खंड 19 में यह उल्लेख है कि निगम प्रत्येक वर्ष सरकार को अपनी गतिविधियों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इस बात को, लोगों ने विशेषकर प्रसार-माध्यम विशेषज्ञों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि गतिविधियों के कार्यक्रम का अर्थ यह है कि उन्हें यह सूचित करना होगा कि वे किस प्रकार के कार्यक्रम रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित करेंगे और उन्होंने यह समझा कि यह सरकार की ओर से हस्तक्षेप होगा। खण्ड को अधिक सार्थक बनाने के लिए हमने कहा कि यह केवल बजट अनुमानों के संबंध में है। निगम सरकार को एक वित्तीय विवरण देगा जिसमें इसका उल्लेख होगा कि अनुमानित राजस्व कितना है और अपने व्यय और सरकार से किस प्रकार की राशि की अपेक्षा करते हैं। इससे संसद की मांग पूरी हो जाएगी। हम जनता के मन से इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पी० उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 401 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11-12 पर, खंड 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

निगम का वार्षिक वित्तीय विवरण

"19 (1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जिसमें—

(क) वह व्यय पृथक रूप से दिखाया जाएगा जिसको निगम के आंतरिक साधनों से पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) वे राशियां पृथक रूप से दिखाई जाएंगी जो अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित हैं,

(i) राजस्व व्यय को अन्य व्यय से, और

(ii) योजना-स्तर व्यय को योजना व्यय से, अलग दिखाया जाएगा।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार किया जाएगा जो अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर भेजा जाएगा जैसा उस सरकार और निगम द्वारा तय पाया जाए। (401)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मैं अब खंड 19, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अब, खंड 20 और 21 में कोई संशोधन नहीं है। मैं दोनों खंड 20 और 21 एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 और 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 20 और 21 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 22—निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

उपाध्यक्ष महोदय : गिरधारी लाल भार्गव जी, क्या आप खण्ड 22 के लिए अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी, नही ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एस० राव, उपस्थित नही है । पी० सी० थामस जी क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी० सी० थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 33 और 32,—

"ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे जिसमें" के स्थान पर "राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में ऐसे निदेश दे सकेगी जिनमें" प्रतिस्थापित किया जाये । (64)

पृष्ठ 12, पंक्ति 32,--

"या लोक व्यवस्था" का लोप किया जाए । (65)

पृष्ठ 12, पंक्ति 38,—

"यदि निगम ऐसी वांछा करें," का लोप किया जाए । (66)

पृष्ठ 12, पंक्ति 41,—

"प्रति" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए--

", ऐसा निदेश जारी किये जाने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर या यदि उस अवधि में संसद का कोई भी सदन सत्र मे नही है तो प्रत्येक सदन की बैठक के प्रथम दिन" (67)

उपाध्यक्ष महोदय : लोकनाथ चौधरी जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री लोकनाथ चौधरी : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति उपस्थित नहीं हैं । श्री कृष्ण कुमार उपस्थित नहीं हैं । श्री कुमारमंगलम अनुपस्थित हैं । श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र ।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ-12, पंक्ति-32, 'राज्य की सुरक्षा' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा" (402)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विशिष्ट खण्ड 22 का संबंध है, मैं मानता हूं कि मेरी तरफ से सतर्कता में कमी हुई है। मूल विधेयक में इस निगम को हटाने का अधिकार देने वाला कोई उपबन्ध नहीं था। बाद में एक संशोधन लाया गया, जिसके अनुसार अगर राष्ट्रपति का यह मत है कि बोर्ड इस अधिनियम के उद्देश्य की अनुपालना में विफल रहता है तो राष्ट्रपति को बोर्ड को हटाने का अधिकार होगा। मुझे इस उपबन्ध पर एतराज था और मैंने सरकार को इस बारे में अवगत कराया था कि कार्यपालिका को यह हटाने का अधिकार देना सही नहीं है। इस उपबन्ध में संशोधन किया गया और मंत्री महोदय द्वारा बाद में लाए गए संशोधन में कहा गया :

"22 (ख). (1) जहां बोर्ड धारा 22 के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अनुपालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या धारा 22क के अधीन अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है, वहां केन्द्रीय सरकार उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी और उस कार्रवाई के बारे में (जिसके अंतर्गत बोर्ड का अतिष्ठन भी है) जो बोर्ड के विरुद्ध की जा सकती है, किसी सिफारिश के लिए उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख सकेगी।"

यह संशोधन, बाद में पेश किया गया था और मैं इससे सहमत था। मुझे इससे आपत्ति नहीं थी। जब इस बारे में एक संयुक्त चर्चा हुई तो मेरे कुछ अन्य साथियों, अन्य पार्टियों का भिन्न मत था कि अगर चार्टर का उल्लंघन हो तो बोर्ड को हटाने का अधिकार सरकार अथवा किसी अन्य निकाय को दिया जाए।

मेरा मत यह है कि अगर यह शक्ति दी जानी है, तो यह निष्पक्ष छानबीन के अधीन होनी चाहिए। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में यह प्रावधान पहले से ही है कि यदि कभी भी अध्यक्ष अथवा बोर्ड का सदस्य अपने कर्त्तव्य-निष्पादन में लापरवाह पाया जाता है, तो उसे निलम्बित किया जा सकता है। केवल कदाचार के आधार पर, जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए निर्देश पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जिसका उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध करे, जांच की जाने पर यह रिपोर्ट दे दे कि यथास्थिति अध्यक्ष अथवा अन्य संचालकों (सदस्य) को ऐसे आधार पर हटाया जा सकता है।

अब, मैं इसे असाधारण मानता हूं क्योंकि अकेले सदस्य को केवल उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने के बाद ही हटाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय जांच के बाद यह रिपोर्ट दे, इसके बाद उसे हटाया जा सकता है। इस मामले में यह कहा गया है और इसे मंत्री महोदय अब संशोधन के रूप में पेश कर रहे हैं, मैं उद्धृत करता हूं :

"जहां बोर्ड धारा 22 के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अनुपालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या धारा 22क के अधीन अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है वहां केन्द्रीय सरकार उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी और उस कार्रवाई के बारे में (जिसके अंतर्गत बोर्ड का अतिष्ठन भी है) जो बोर्ड के विरुद्ध की जा सकती है, किसी सिफारिश के लिए उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख सकेगी।"

यह संशोधन फिलहाल इस स्वरूप में है। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है कि अकेले सदस्य के मामले में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह निजी कदाचार है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अनजाने में अपेक्षाकृत कम सतर्क रहा हूं। इस संबंध में सर्वसम्मति थी जिसमें सभी की यह राय थी। इसलिए, मैं इस पर इतना जोर नहीं दे रहा कि मत विभाजन द्वारा इसका निर्णय हो। लेकिन इस अन्तिम चरण में भी मैं सरकार से अपील करता हूं : कृपया यह देखें कि क्या यह संभव है कि संसद में बोर्ड को हटाने की सिफारिश करने वाले संकल्प करें साधारण बहुमत की बजाय दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। संभवतः तब, यह पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होगा। अगर सरकार इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर सरकार इस सुझाव पर विचार नहीं कर रही है तो भी मैंने अपनी बात कही है और इस स्थिति में विद्यमान असंगति की ओर ध्यान दिलाया है। मैं सभा की सहमति के साथ हूं।

श्री पी०सी० थामस : खण्ड 22 धारा(2) में कहा गया है कि जब सरकार द्वारा निदेश दिया जाता है, तो निगम उसका प्रसारण करेगा। इस सन्दर्भ में यह कहा गया है :

"···· यदि निगम ऐसी वांछा करे, इस तथ्य की भी घोषणा की जा सकेगी कि ऐसा प्रसारण ऐसे निदेश के अनुसरण में किया गया है।"

मेरे विचार से "यदि निगम ऐसी वांछा करे" हटा दिया जाए। मैं दूसरे संशोधन पर नहीं बोल रहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि प्रसार भारती बोर्ड को हटाने का प्रश्न जैसा कोई मामला जब संसद के सम्मुख आता है, तो क्या इससे निपटने के लिए संसद के पास विशेष उपबन्ध होगा। खण्ड-7 वास्तव में संविधान में न्यायाधीशों को हटाने संबंधी उपबन्ध के अनुरूप है। वास्तव में इसका अभिप्राय एक प्रमाणित सदाचार है और इस बारे में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार इस उच्चतम न्यायायिक संस्था को दे दिया गया है। यह अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य के निजी व्यवहार का मामला है। लेकिन खण्ड 22 और प्रस्तावित संशोधन, निजी सदाचार के बगैर, प्रसार भारती बोर्ड को दिए जाने वाले प्रस्तावित चार्टर और उनके कार्य के मापदंडों को कार्यान्वित करने में चूक होने पर की जाने वाली कार्यवाही करने के बारे में हैं।

पहले, जब विधेयक का प्रारूप बनाया गया और इसे तैयार किया गया था, तब इस बोर्ड, निगम और प्रसारण परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करने का विषय संसद से जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। अब, हम समझते है कि इस बारे में निर्णय लेने के लिए एक विशेष बहुमत का प्रावधान करके संसद को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब स्वाभाविक है कि मैं भी आडवाणी के कथन से सहमत था, उन्होंने संभवतः उस समय इस बात का प्रचार नहीं किया था। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं : क्योंकि उस समय सभी पार्टियों ने इस आधार पर कार्यवाही भी थी अर्थात् इसके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत होगी, इसे ऐसे ही रखा जाए। अन्यथा, हमें इस विषय पर पुनः विचार करना होगा। मैं इस स्थिति में, अनुरोध करता हूं कि आडवाणी जी इस पर जोर न दें। हम देखते हैं कि अगर यह लगा कि इसके कार्य करने हेतु बहुमत की आवश्यकता है और यदि संसद भी अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, तो निश्चित रूप से यह इस देश के लिए बहुत बुरा दिन होगा, लेकिन फिर भी, यदि बाद में हम यह पाते है कि संसद पर भी कुछ नियंत्रण आवश्यक है तो यह साधारण कानून है, यह संवैधानिक संशोधन नहीं है, हम इस कानून को कभी भी बदल सकते हैं। मैं अनुरोध करता हू कि जब सर्व-सम्मति हो गई है तो इसे स्वीकार किया जाए।

श्री इन्द्र जीत : क्या मैं एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूं जो इन दोनों स्थितियों के बीच का रास्ता होगा ? मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। हमने पहले ही एक संसदीय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह प्रावधान है कि यह प्रसार भारती संसदीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। मैं यह सुझाव देता हूं कि अगर प्रसार भारती के प्रति सरकार की कोई शिकायत है, तो वह इस बारे में संसदीय समिति को एक रिपोर्ट भेजे। फिर, संसदीय समिति इस मामले की जांच करे और सभा को अपनी सिफारिशें दे, उन पर सभा विचार करके एक निर्णय ले सकती है। दूसरे शब्दों में, संसदीय समिति पहले से ही है। आप इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे ?

3.00 म०प०

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने एक संशोधन दिया था कि इस विधेयक को संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। क्योंकि इस बात पर सहमति हो गयी थी, अतः मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि श्री आडवाणी जी ने अब एक प्रश्न उठाया है कि क्या हमें इस विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित करने के सुझाव को स्वीकार करना है। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लेना सरकार के लिए अच्छी बात होगी।

श्री वसंत साठे : मैं नहीं समझता कि जो सहमति हुई है उसमें परिवर्तन करने का अब समय है क्योंकि इससे इस पर दोबारा विचार करना होगा। यह कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है। यदि हम इसे इसके बराबर रखते हैं, तो अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी। मैं तो नहीं सोचता कि हमें इस समय इसे करना चाहिए। हमें अपने पर विश्वास करने दीजिए; हमें संसद सदस्यों पर विश्वास करने दीजिए कि हम स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय गलती नहीं करेंगे। अतः हमें श्री पी० उपेन्द्र द्वारा बताये गये संशोधन का समर्थन करना चाहिए। श्री आडवाणी को इस पर जोर नहीं देना चाहिए।

श्री पी० उपेन्द्र : यह उपबन्ध नहीं सही है, इस प्रकार की बातें करना अच्छी बात नहीं है। परन्तु विधेयक में हमने निगम को दो जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एक तो राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों को कार्यान्वित करना। दूसरे, संसद को आगे प्रेषित करने के लिए सरकार को सूचनायें भेजना। जब हमने ये दो जिम्मेदारियां इसे सौंपी हैं, तो असफलता की स्थिति में इसमें एक सुधारात्मक खण्ड भी होना चाहिए, इसी कारण इसमें, 'निरन्तर' शब्द जान-बूझकर प्रयोग किया गया है। यह कोई एक बार अथवा दो बार असफलता के लिए नहीं है परन्तु, अगर निरन्तर ऐसा ..। अगर एक ऐसा बोर्ड हो जो संसद की अवज्ञा करे और सूचना देने से मना करे तो संसद एक असहाय स्थिति में नहीं बैठ सकती और कह सकती कि हम कुछ नहीं कर सकते; इसी कारण यह उपबन्ध उसमें सहायक उपबन्ध होगा। आखिरकार संसद सचेत है। इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। हम प्रतिवेदन को केवल विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं; सरकार प्रतिवेदन को संसद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। अगर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो संसद कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। उन्हें इस बात के संकेत देने चाहिएं कि रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर संसद क्या करेगी। अतः हमने कहा था कि हम राष्ट्रपति जी से सिफारिश करेंगे। हमने इस बात की भी व्यवस्था की है कि कार्यवाही करने से पूर्व एक सूचना दी जायेगी, स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा और प्राकृतिक न्याय की प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। अतः इसमें मनमानी कार्यवाही का कोई डर नहीं

है। आप एक तरफी कार्यवाही करने के लिए सरकार और कार्यपालिका पर सन्देह कर सकते हैं, न कि संसद पर।

मैं श्री आडवाणी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत की संसद से ऊपर है और वे संसद की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं ? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। निगम के बोर्ड को अतिक्रमण करने की इस कार्यकारी शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में देना कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। यह शक्ति संसद के पास होनी चाहिए। यदि आप उस रिपोर्ट को संसदीय समिति के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जब रिपोर्ट आये तो इसे संसदीय समिति के माध्यम से भेजा जाए, इसके बाद इसे सभा में प्रस्तुत किया जाए। हम ऐसा कह सकते हैं। मैं श्री आडवाणी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सुझाव को स्वीकार करें। अतिक्रमण के बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं है जबकि हम इसे स्वायत्तता दे रहे हैं। परन्तु हम हमेशा के लिए एक कानून बना रहे हैं। नियम केवल इसके पालन करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि नियम तोड़ने वालों के लिए भी बनाया जाता है। अत: मैं समझता हूं कि इसे किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम संसद के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय का भी आदर करते हैं। ये अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

श्री इन्द्र जीत : सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे बाद में देखेंगे।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 12, पंक्ति 32 'राज्य की सुरक्षा' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा'। (402)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी०सी० थामस : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 64 से 67, सभा की अनुमति से, वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नये खण्ड—22क, 22ख और 22ग

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र द्वारा नये खण्ड 22क, 22ख, और 22ग अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन हैं।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 12 पर, पंक्ति 41 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित करें** :

केन्द्रीय सरकार को जानकारी प्राप्त करने की शक्ति।

22(क) केन्द्रीय सरकार निगम से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी वह (सरकार) आवश्यक समझे।

कतिपय विषयों पर बोर्ड के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में सिफारिशों की बाबत संसद को रिपोर्ट।

22.(ख)(1) जहां बोर्ड धारा 22 के अधीन जारी किए गये किन्हीं निदेशों के अनुपालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या धारा 22क के अधीन अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है, वहां केन्द्रीय सरकार उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी और किसी कार्रवाई के बारे में (जिसके अंतर्गत बोर्ड का अतिष्ठन भी है) जो बोर्ड के विरुद्ध की जा सकती है, किसी सिफारिश के लिए उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख सकेगी।

(2) संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा बोर्ड को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेंगे।

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति बोर्ड को इस हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देगा कि क्यों उसे अतिष्ठित कर दिया जाए और बोर्ड के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित् किए जाने की तारीख से उस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो राष्ट्रपति निदेश दें, प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिन की अवधि के अवसान पर, राष्ट्रपति नई नियुक्तियां करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगा और ऐसे किसी मामले में कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

परन्तु राष्ट्रपति अतिष्ठन की अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना की ओर इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई की पूर्ण रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

सदस्य के पद से संसद के किसी सदस्य का निर्रहित न होना।

22(ग) यह घोषित किया जाता है कि प्रसारण परिषद् के या धारा 12क के अधीन गठित समिति के सदस्य या पद उसके धारक को संसद् के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा। (403)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नये खण्ड 22क, 22ख और 22ग विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खण्ड 22क, 22ख और 22ग विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके परिणामस्वरूप दूसरे खण्डों आदि को नये क्रम दिये जायेंगे।

खण्ड 23—अध्यक्ष, शासकों, सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 23, श्री पी० उपेन्द्र द्वारा संशोधन संख्या 404 प्रस्तुत है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 42 में, "शासक" **के स्थान पर** "सदस्य" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (404)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24—सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० उपेन्द्र द्वारा खण्ड 24, में संशोधन संख्या 405 प्रस्तुत किया गया है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 49, "शासक" **के स्थान पर** "सदस्य" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (405)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25—निगम के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र द्वारा खण्ड 25 में संशोधन संख्या 406 प्रस्तुत किया गया है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ—13, पंक्ति 2 और 3 "शासक" **के स्थान पर** "सदस्य" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (406)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 26—शक्तियों का प्रत्यायोजन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र द्वारा खण्ड 26 में संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत किया गया है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ—3, पंक्ति 5 "शासक" **के स्थान पर** "सदस्य" **प्रतिस्थापित किया जाए**" (407)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27—वार्षिक प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 27, श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—उपस्थित नहीं। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर श्री पी० उपेन्द्र का एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित **अंत:स्थापित करें**—

"(2) प्रसारण परिषद प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देगी और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।" (408)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खण्ड 28—नियम बनाने की शक्ति

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 28, श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति— उपस्थित नहीं हैं। इस पर श्री पी० उपेन्द्र का एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 13, पंक्ति 21 और 22 में, "अध्यक्ष" और "पूर्णकालिक शासकों" के स्थान पर "पूर्णकालिक सदस्यों" प्रतिस्थापित किया जाये। (409)

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 में, "अंशकालिक शासकों" के स्थान पर "अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों" प्रतिस्थापित किया जाये। (410)

पृष्ठ 13, पंक्ति 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(ट) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर निगम और प्रसारण परिषद् धारा 27 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। (411)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29—विनियम बनाने की शक्ति

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 29 पर, श्री पी० उपेन्द्र का एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 9 में, "शासक" का जो दो स्थानों पर आते हैं, लोप किया जाए। (412)

(श्री पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 30 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न प्रश्न है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 31, श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति—उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 31, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड. 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड—1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 1, श्री पी० सी० थामस, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी० सी० थामस : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० उपेन्द्र का एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 6 में, "1989" **के स्थान पर** "1990" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (348)

(श्री० पी० उपेन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

श्री बसंत साठे : महोदय, श्री उपेन्द्र को हमारे लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह मध्याह्न भोजन तथा रात्रि भोजन दोनों की व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मेरे विचार में, यह अध्यक्षपीठ का निर्णय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा समझ सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मध्यान्ह भोजन और रात्रि भोजन अलग-अलग होना चाहिए ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूं।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : यह माना जाना चाहिए कि मध्यान्ह भोजन पहले ही दे दिया गया है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० उपेन्द्र का एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "चालीसवें" के स्थान पर "इकतालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (347)

(श्री पी० उपेन्द्र)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सरकार को नई बातें करने की आदत है—चाहे वे अच्छी अथवा बुरी हों। यह एक नई बात है जो यह इस विधेयक के साथ लाए हैं जोकि बहुत लम्बा-चौड़ा विधेयक है और इसमें बहुत से खंड हैं। लेकिन मैं केवल एक मुद्दे के बारे में सावधान करना चाहता हूं। आज कल हम स्वायत्तता के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। यह स्वायत्तता किससे और यह स्वायत्तता किस लिए है? हालांकि बहुत से सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं क्योंकि दूसरे तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वायत्तता के बारे में यह सब कुछ कहने का उद्देश्य, इस संसद के अधिकार और महत्व को कम करना अथवा घटाना है। आज क्या हो रहा है? जो भी हो, हमने क्या किया है और हम एक दूसरे को किस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं? एक सरकारी संस्था को एक एक अर्ध-सरकारी संस्था बनाने के लिए। स्वायत्तता के नाम पर हम यही कह रहे हैं। अधिकारियों का एक दल, विशेषज्ञों का एक दल,

[श्री ए० के० राय]

चाहे वे कितने भी महान क्यों न हों, वे इस संसदीय संस्था जैसे लोकतन्त्रवादी नहीं हो सकते। यह ऐसी बात है कि हमें याद रखनी चाहिए। अत: स्वायत्तता देते समय, क्या इसका अर्थ उन्हें अफसरशाही नियंत्रण से दलगत नियंत्रण से मुक्त करना है, जोकि इसके दुरुपयोग के प्रति एक बचाव है? यह एक बात है। लेकिन यदि हम मात्र इस विचारधारा को प्रोत्साहन देते हैं, तब कल वे कहेंगे, इस्पात उद्योग ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, इसे स्वायत्तता दी जाए और 8000 करोड़ रुपये की सभी परिसम्पत्तियां किसी और को दे दी जाएं। इसी प्रकार, यदि कोयला उद्योग ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, इसे स्वायत्तता दी जाये और 5000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां किसी व्यवसायी को सौंप दी जाएं। उसी अनुरूपता में, यदि शून्यकाल की वजह से संसद ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, तो हमें इस पर शासन करने के लिए इसे किसी स्वायत्त संस्था को सौंप देना चाहिए। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो मैं नहीं समझता यह कहां तक चलेगा। यह विचारधारा है। जब सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में अर्जुन सेन गुप्त की रिपोर्ट आई थी तो हमने इसका विरोध किया था।

एक आश्चर्यजनक बात आपको पता लगेगी कि बुद्धिमत्ता भी अलग-अलग हो जाती है जब एक व्यक्ति बायीं तरफ बैठता है तो दूसरी तरह की बातें करता है और दायीं तरफ बैठने पर दूसरी तरह की। अत: जब वही लोग दायीं तरफ बैठेंगे—तो वे सत्ता पक्ष में बैठेंगे तो वह एक बात कहेंगे और जब वे विपक्ष में आएंगे तो वे किसी और सुर में बोलेंगे। वे जब विपक्ष में बैठे थे तब तक शेर की तरह दहाड़ रहे थे अब सत्ता पक्ष में एक बिल्ली की तरह बिल्कुल शान्त बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : बिल्ली नहीं। हिन्दी में भीगी बिल्ली कहते हैं।

[अनुवाद]

मैं प्रो० मधु दण्डवते का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री ए०के० राय : मैं प्रो० दण्डवते को जानता हूं।

[हिन्दी]

हम तो उनको दण्डवत् करते है।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा फेबियन और मैं स्वर्गवासी श्री अशोक मेहता की परिभाषा के अनुसार उन्हें एक उत्कृष्ठ फेबियनवादी मानता हूं। लेकिन, यह एक अलग बात है परन्तु मेरा यह कहना है कि आप किधर जा रहे हैं? यह इलैक्ट्रोनिक मीडिया एक कम्पनी के रूप में आरम्भ हुआ था। इसका आरम्भ एक प्रसारण कम्पनी के रूप में हुआ, फिर यह एक सेवा बनी और फिर आल इंडिया रेडियो। क्या हम इसे एक बार फिर कम्पनी का रूप देने जा रहे हैं? इसी कारण कई बार हमें चिन्ता होती है। मैं यह चाहता हूं कि यह स्वायत्तता योजना के बेहतर विकास के लिए होनी चाहिए। प्रो० रंगा तथा हम में से हर एक यह महसूस करता है कि टैलिविजन तथा रेडियो पहले भारतीय बनेगा, भारत-विरोधी नहीं। इस स्वायत्तता की केवल एक ही दिशा होगी, वह यह कि यह हमारी प्रसारण प्रणाली को भारतीय रंग प्रदान करेगी और कुछ नहीं। लोग बी०बी०सी०

कहना तथा दूसरों की बात करते हैं। बी०बी०सी० के बारे में मेरी राय बहुत खराब है। उनका कहना है कि यह सब स्वतन्त्र संस्था है। बी०बी०सी० की सारी ताकत पश्चिमी तथा बहुराष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने में लगी हुई है यह भारत के हितों को विरुद्ध कार्य कर रही है। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मुझे बी०बी०सी० के कुछ प्रसारण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में होने वाले दंगों की आधी जिम्मेदारी बी०बी०सी० को जाती है। इस प्रकार का पश्चिमी संचार ढांचा हमारा आदर्श नहीं हो सकता वे हमेशा भारत-विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी तथा समाजवादविरोधी रहे हैं। हम दास नहीं बन सकते। हम उनको अपना आदर्श मान रहे हैं। मैं इसके विरुद्ध हूं। आपको यह गवर्नर का पद स्थापित करने का विचार कहां से मिला? यह विचार आपको बी०बी०सी० से मिला। यह द्विस्तरीय प्रणाली का विचार आपने कहां से ग्रहण किया। यह विचार भी आपने बी०बी०सी० से प्राप्त किया। सभी सुरक्षा उपाय कहां से ग्रहण किये। ये भी बी०बी०सी० से ग्रहण किये गये हैं। आप बी०बी०सी० की बातें करते हैं, बी०बी०सी० के सपने देखते हैं, बी०बी०सी० को सुनते हैं और आप यह कहते हैं कि आप अपनी प्रसारण प्रणाली को भारतीय बना रहे हैं। पहले आप स्वयं भारतीय बनिये। अपनी सरकार तथा अपने मंत्रियों को भारतीय बनाइये। तभी हम अपनी प्रसारण प्रणाली को भारतीय बनाने की आशा कर सकते हैं। इस सकारात्मक आलोचना के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मेरा इस सदन में ग्यारह वर्षों का अनुभव है और इन ग्यारह वर्षों में मेरे विचार में यह पहला दिन है कि अब संसद की कार्यवाही, शून्य काल के बिना, बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से चली तथा प्रश्नकाल भी काफी शान्त रहा। मेरे विचार में पांच सालों में पहली बार मैंने श्री उपेन्द्र को दोपहर का भोजन न करने के बावजूद हंसते देखा। मैं सरकार तथा उसके समर्थक दलों को बधाई देता हूं। अब हमारे लिए यह एक नई शुरूआत है कि जो भी मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं, सभी दल मिलकर उन पर एक निर्णय ले सकते हैं। इस दृष्टिकोण से, मेरे विचार में यह एक अच्छी शुरूआत है और हम इसे बनाये रखेंगे।

महोदय, आपके तथा इस संसद के माध्यम से मैं उस हद तक नहीं जाना चाहूंगा जहां तक श्री राम पहुंच गये थे, परन्तु मैं यह आशा करता हूं कि हम स्वायत्तता प्रदान करके किसी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहे हैं; जो हमारे लिये ही खतरनाक बन जाये। मुझे आशा है कि जो लोग बोर्ड के सदस्य बनेंगे, वे इस सदन के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और हमें कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे जब हमें अपने निर्णय पर पछताना पड़े। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के जिन भागों की उपेक्षा की गई है, उनको भी महत्व दिया जाये। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि जनप्रतिनिधि यह जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि चीन, बर्मा तथा बंगलादेश से घिरा हुआ है और जैसा कि मैंने अपने भाषण में जिक्र किया है कि वहां पर रेडियो तथा टेलीविजन का प्रसारण काफी कमजोर है तथा हमारी भावी पीढ़ियां बंगलादेश तथा दूसरे विदेशी रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों से प्रभावित हो रही हैं। इस तथ्य को सामने रखते हुए, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा जो इन संगठनों का कार्यभार संभालने वाले हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि टेलीविजन तथा रेडियो प्रसारण में जो वर्तमान दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन होगा तथा वे इस दिशा में उचित कदम उठायेंगे ताकि सारे देश को इसका लाभ मिल सके। आपका धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिन है विशेष रूप से जबकि आज सदन में सभी वर्गों ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया है। इससे सदन के सभी वर्गों में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं केवल इतनी आशा करता हूं कि यह वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है और यह घटनाओं से उत्पन्न हुई मजबूरी नहीं। महोदय, हम यह चाहते हैं कि प्रसार भारती विधेयक को ग्रहण किया जाये तथा इस पर विचार किया जाये और पहले जो कुछ हुआ जिससे सारी संस्था तथा सारी प्रणाली की विश्वसनीयता को धक्का लगा उससे लोगों में इसके लिए काफी मांग रही। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि इस संस्था की विश्वसनीयता को बहाल किया जाए।

महोदय, निस्संदेह आज हम विधान पारित करने जा रहे हैं उसके प्रभावों के संबंध में हमारे अपने विचार हैं और हमें बहुत ही सावधान रहना होगा तथा हम यह देखना चाहेंगे कि इस संगठन को चलाने के लिए कैसे लोगों का चयन किया जाता है। हमने एक चयन समिति के गठन का विचार दिया है जिसमें महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इस सस्था को चलाने के लिये उपयुक्त लोगों का चयन आवश्यक होगा। महोदय मैं श्री संतोष मोहन देव के विचार से सहमत हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जो हमारे लिए ही घातक सिद्ध हो और इसके लिये मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमने यह मांग की है कि इस प्रक्रिया में संसद को भी भाग लेना चाहिए और यदि आप यह सारा कार्य कुछ लोगों के निकाय में निहित कर देंगे तो वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। इससे यह एक भयानक रूप धारण कर लेगा। संसद सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है और सभी वर्गों के लोग इसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हम इस पर कुछ नियन्त्रण रखेंगे और मुझे यह भी आशा है कि संसद के सामने ऐसा कोई अवसर नहीं आयेगा जब उसे इस संस्था की कार्यप्रणाली में अधिक हस्तक्षेप करना पड़े क्योंकि इस संस्था का सृजन हमने इस उद्देश्य से नहीं किया।

दूसरे मैं सम्बन्धित लोगों विशेषकर सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें अब कुछ नियम निर्धारित करने होंगे क्योंकि अन्यथा इस संस्था पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े-बड़े और एकाधिकार प्राप्त व्यापारिक और औद्योगिक घरानों का आधिपत्य होने का खतरा बना रहेगा जिसके बारे में सदन के सभी पक्षों ने आशंका व्यक्त की है, कि वे इस महत्वपूर्ण संस्था पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे तथा इससे भी अधिक इस देश के सांस्कृतिक वातावरण को और अधिक दूषित कर देंगे। इसलिए, हमें इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कोई भी ऐसा अवसर न आए और कोई भी ऐसी सम्भावना न बनें जबकि बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी-बड़ी कम्पनियां इस संस्था को अपने नियन्त्रण में कर लें।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, मैं मंत्री महोदय को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि भारत एक विशाल देश है जहां पर विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तथा लोगों के विभिन्न आचार-विचार हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया जाये और राज्य सरकारों के विचार भी एकत्रित किये जायें, चाहे वहां पर किसी भी पार्टी का शासन हो, ताकि यह क्षेत्रीय परिषदें अच्छी प्रकार अपने कार्य का निर्वहन कर सकें, और भारत में जहां कि हम महसूस करते हैं कि अनेकता में एकता पाई जाती है, वहां हमारी संस्कृति तथा प्रकृति को इस महत्वपूर्ण माध्यम की कार्यप्रणाली में प्रतिबिम्बित किया जा सकता है।

महोदय, कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के संशोधन को स्वीकार करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सहयोग तथा कुनेरन का परिचय दिया और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में इस सदन के सभी पक्ष इसी भावना का परिचय देंगे।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनसे की हुई बातचीत के आधार पर, मैंने कल सदन को सुझाव दिया था और मेरे इस तरफ के साथी और उस तरफ के साथी, दोनों ने मेरा ही सम्मान करते हुए उस सुझाव को स्वीकार किया। यद्यपि, उनको मेरे सुझाव से सहमति नहीं थी। आपने एक प्रकार से जिस विश्वास के साथ मैंने सुझाव दिया था, उस विश्वास को अक्षरश: कायम रखा है, पूरा किया है। इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : कल आपने संदेह किया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने किया और इसलिए मैंने इसके लिए आपकी बातों को स्वीकार किया तथा मैं सरकार से और साथ ही अपने सहयोगियों से अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि स्वायत्तता देते हुए जिस प्रकार का विश्वास चाहिए, वैसा ही विश्वास हमारे दैनंदिन संबंधों में भी होना चाहिए। उस विश्वास के आधार पर ही लोकतन्त्र चलता है और संसद चलती है। लेकिन यह बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग संघर्ष कर रहे थे स्वराज्य के लिए, जानते हुए भी कि स्वराज्य प्राप्ति स्वयं में कोई स्वराज्य की गारन्टी नहीं है। स्वराज्य मिलने के बाद भी स्वराज्य के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से रेडियो, टीवी को स्वायत्त करने के बाद भी वह रेडियो, टीवी उत्तम स्वयमेव हो जायेंगे, यह मानने का भी कारण नहीं। केवल द्वार खुला है और द्वार खुलने के बाद उम्मीद की जाती है कि इन माध्यमों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, इनके कार्यक्रमों का स्तर बनेगा, स्तर ऊंचा उठेगा और इन माध्यमों से यह जो एक अपेक्षा विश्व भर में की जाती है कि वे मनोरंजन भी करेंगे, सूचना भी देंगे और प्रशिक्षण भी देंगे ये तीनों उद्देश्य इन माध्यमों के सामने रखे जाते हैं, इन तीनों की पूर्ति अच्छी तरह से होगी और योग्यता के साथ होगी—इस विश्वास के साथ हम आज यह विधेयक पास करने जा रहे हैं।

कर्मचारियों के बारे में हमने कुछ बातें यहां पर कही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस पहलू को ध्यान में रखें कि ये कर्मचारी स्वायत्त निगम बनने के बाद सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे और इसलिए सरकारी कर्मचारी रहते हुए बहुत सारी बातों की अपेक्षा वे करते रहे है, बहुत सारी सुविधायें उनको मिलती रही हैं और भविष्य में भी साधारणत: उनको मिलती रहेंगी, जैसे हाउसिंग फॉर-इन्सटैंस, पैंशन फॉर-इन्सटैंस, ऐसी बहुत सारी चीजें है, जो उनको स्वत: सरकारी कर्मचारी होने के नाते मिलती थीं और आज जब यह स्वायत्त निगम बन जाएगा, तो उनके मन में

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

यह आशंका है कि क्या हम इनमें वंचित तो नहीं हो जायेंगे ? मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जो चिन्तायें उनके मन में हैं, उन चिन्ताओं का योग्य निराकरण होना चाहिए और नया निगम जो बने, वह उनको इस मामले में आश्वस्त करे कि जहां कार्यक्रमों का स्तर बनेगा, जहां रेडियो, टीवी टु-एन्टरटेन, टु-एजुकेट और टु-इन्फॉर्म, यह जो त्रिगुण कर्तव्य हैं उसकी पूर्ति अच्छी तरह से करेगी। वैसे इन क्षेत्रों में काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी भी एक प्रकार से काम और कार्यक्षेत्र, उनकी संभावनायें भविष्य के बारे में, व्यक्तिगत रूप से उनके विकास की जो संभावनायें हैं, वे सब बढ़ जायेंगी, इसकी चिन्ता करें।

उपाध्यक्ष जी, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज का दिन या जब यह विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है, वह दिन हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। यह हिन्दुस्तान के संचार माध्यमों और संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधि हूं वह पार्टी दशाब्दियों और वर्षों से इस स्वायत्तता के लिए सतत संघर्ष करती रही है, किसी स्तर पर भी उसमें कोई हेजिटेशन नहीं आता है, जिसके आधार पर हमारी राय जैसे मित्र कह सकें कि कोई यहां पर होता है तो एक बात कहता है, कोई वहां जाता है तो दूसरी बात कहता है। मैं कम से कम बड़े विश्वासपूर्वक अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी कहीं पर भी रही हो, इस मामले में एक अविचल निष्ठा रही है, जिस निष्ठा की पूर्ति के लिए हम काम करते रहे हैं। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष और समाधान का विषय है कि यह प्रसार भारती विधेयक चाहे 1989 में पास नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं चाहता था 1990 में सही और सारे सदन के इस प्रकार के सहयोग से, इसमें जो-जो कमियां थी वह भी पूरी कर दी गई और जो सबसे बड़ी कमी पूरी की है, इस विधेयक को पास करते हुए, वह है इस संसदीय समिति के निर्माण द्वारा, ये जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई है उसके द्वारा हमने इस बात की गारण्टी दी है कि एक तरफ तो यह निगम असली मायनों में स्वायत्तता को और दूसरी तरफ यह निगम इस संसद के प्रति, जो हिन्दुस्तान की जनता की प्रतिनिधि है, उसके प्रति जवाबदेह हो। इन दोनों बातों का एक समिश्रण करके हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और उपेन्द्र जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां लाकर पास करवाया।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह एक ऐतिहासिक दिन है और अत्यधिक प्रसन्नता के इस माहौल में हमने यह दिखाया है कि जब कभी भी कोई कार्य राष्ट्रीय हित में होता है हमने उसे सभी वर्गों में समझौता और सहयोग की भावना से किया है। संसद के रूप में हम राष्ट्रीय आवश्यकतों के लिए एकजुट हो सकने में, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ सकने में और अपने मतभेदों को भुला सकने में सक्षम हैं। शायद इस विधेयक द्वारा हमने न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की संसद के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। मुझे एक विशेष संतुष्टि हुई है। इस विधेयक पर बोलना शुरू किया तो मेरे अनेक मित्रों को आपत्ति थी। मुझे वास्तव में खुशी है कि किसी भी प्रकार वे सभी बातें जो मैंने कही थी हमारी चर्चा के पश्चात् हुई हैं। संसद में कभी-कभी हम कटु शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मैं श्री उपेन्द्र को उस भावना के लिए बधाई देता हूं जिससे उन्होंने हमें आमन्त्रित किया था। वे हमारे साथ बैठे थे और विभिन्न सुझावों पर न केवल हमारे साथ बल्कि अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने चर्चा की थी।

मुझे विश्वास है कि यदि समझौते, सहयोग, वार्ता और चर्चा की समान भावना हमारे राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में भी प्रदर्शित की जा सके तो इससे भारी परिवर्तन लाया जा सकता है और देश में व्याप्त इतनी अधिक कटुता को दूर किया जा सकता है। जहां तक नये निगम का सम्बन्ध है इसे मैं अपनी शुभकामनायें देता हूं। कुछ दिन पहले उपेन्द्र जी मुझसे कह रहे थे, "बेहतर होगा कि एक बार यह विधेयक पारित हो जाये। मैं इसके बारे में बहुत सुन चुका हूं।..." उन्होंने आगे मुझसे जो कहा, वह मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें।

अब मुझे विश्वास हो गया है कि निगम में अच्छे लोगों का चयन किया जायेगा। इस देश में इस क्षेत्र में और इससे बाहर अनेक प्रसिद्ध लोग हैं। वे जानते हैं कि राष्ट्र को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और यह साबित करना उनके लिए एक परीक्षा और चुनौती होगी कि वे लोगों की भलाई के लिए, भारत के ग्रामीण लोगों के हित के लिए, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए, हमारी आबादी के 80 प्रतिशत लोगों के लिए जो निर्धन हैं, एक संस्था की स्थापना करेंगे। यदि ऐसा होता है तो मेरा विश्वास कीजिए कि हम न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि शेष विकासशील देशों के लिए और यहां तक कि विकसित देशों के लिए भी एक उदाहरण पेश करेंगे।

पहले अपने भाषण में मैं कह रहा था, "आप बी०बी०सी० का उदाहरण देना और उस पर विश्वास करना क्यों चाहते हैं? कहीं मैंने कहा था कि वास्तव में बार-बार बी०बी०सी० का हवाला देना विगत की दासोचित मानसिकता और उपनिवेशी मानसिकता प्रदर्शित कर रहा है। लोग ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतन्त्र हो चुके है और स्वामी बन गये हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग भाषा या किसी अन्य बात के गुलाम बने हुए है। आप बी०बी०सी० का गुलाम बनना क्यों चाहते हैं? वह "बीबी" कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप "बीबी-ए" "बीबी-बी" अथवा "बीबी-सी" के गुलाम नहीं हैं। **(व्यवधान)** आप किसी "बीबी" का गुलाम बनना नहीं चाहते है।

बहरहाल अब मैं देखता हूं कि हमने सेवा का एक नया आदर्श स्थापित किया है। जैसा कि कल मैंने कहा, मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी गलत कार्य हुए हैं वे ठीक कर दिये जायेंगे और वे स्वतन्त्रतापूर्वक अच्छे कार्यक्रमों को, वैसे कार्यक्रम जिससे इस देश के लोगों को सहायता मिलेगी, दिखाने का साहस जुटा पायेंगे।

इसी आशा के साथ मैं इस नये निगम के सभी सदस्यों को विशेषकर कर्मचारियों को अपनी शुभकामनायें देता हूं। पुनः मैं कहूंगा कि सभी कर्मचारियों को सम्मिलित कीजिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम विभाग और इन्जीनियरी विभाग दोनों में ही आपके पास बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें शामिल कीजिए, उनमें सहभागिता की भावना उत्पन्न कीजिए और फिर वे निसंदेह आपको अत्युत्तम परिणाम देंगे जो कि इस देश का गौरव होंगे और इस निगम को हमारे राष्ट्र का गौरव बनायेंगे।

पुनः एक बार मैं श्री पी० उपेन्द्र को बधाई देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, सचमुच में इस संसद के लिए यह एक तरह का ऐतिहासिक दिन है, दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए तो महत्वपूर्ण दिन है ही। यह शुभदिन इसलिए भी है कि जिस तरह की संसद का गठन 1989 में हमारे देश की जनता ने किया है, बहुत समय से चले

[श्री भोगेन्द्र झा]

आ रहे सत्ता-दल को विरोध पक्ष में भेज दिया है और अल्पमत की सरकार बनी, जिसको बार-बार हमारे मित्र कहते थे कि दो बैसाखियों के सहारे यह सरकार बनी है, लेकिन आज देखने में आया कि इन्हीं बैसाखियों ने कैसा महत्वपूर्ण काम किया है, सत्ता दल को और सबसे बड़े दल को एक साथ बिठाने का काम किया है। आज हम सबने मिलकर इस चीज को तय किया है। यह विधेयक इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस तरीके से जो हुआ। इसलिए हमारे देश के जन-गण के मत में जो विविधता है उसका यह प्रतीक बन कर संसद में आया है। यह उसका प्रतीक है जो हमने पारित किया और जैसे पारित किया। प्रसार भारती के लिए हम सभी आशा करेंगे कि यह प्रसार का काम भी करे और भारतीयपन भी न छोड़े। क्योंकि भारत की प्राचीनतम सभ्यता में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी समझ में, मेरी जानकारी में संसार में जब यह व्यवस्था आ जाएगी तो उसको भी सीखनी होगी। अनेकता में एकता का मामला है, अपने विश्वास पर अड़े रहकर दूसरों के विश्वास के लिए केवल कहना ही नहीं। उनको इज्जत भी देना, आदर देना, यह चीज हमारी परम्परा की मुख्य चीज है। इसका काम प्रसार भारती से होता रहेगा। इसी आशा से यह नाम अच्छा है। इस नाम को और आगे फैलाना है। मैं आशा करता हूं इस संसद में हम यह भी कर लेंगे। एअर इण्डिया जैसा वाहियात नाम त्याग कर ऐसा ही नाम "आकाश भारती" दे सकते हैं। इण्डियन एयर लाईन्स का भी नाम बदल सकते हैं। मैं समझता हूं कि उस मायने में यह नाम भी हमारे लिए शुभ नाम है। यह जो हमारे मित्र राय ने कहा है, वह खतरा जरूर है, लेकिन जो विधेयक आया है इसमें दोनों खतरों का समावेश किया है। एक खतरा जिसमें सरकार के लिए ही नहीं, सरकार के खास-खास मंत्रियों के लिए भी ऐसी बातें होती थी कि हमें शर्म आती थी, बुरा भी लगता था। स्वायत्तता के लिये हम लोग लड़ रहे थे आडवानी जी ने ठीक कहा कि स्वायत्तता से यह खतरा न हो जाए कि हमारे देश में भी पूंजीवादी समाज में जो साम्राज्यवादी जगत का ज्यादा प्रभाव है उसमें प्रसार भारती कहीं पूंजीवादी भारती न हो जाए, साम्राज्यवादी भारती न हो जाए। इसलिए संसद का नियन्त्रण रखा गया है। सिर्फ स्वायत्तता ही रखी गयी है, संसद का नियन्त्रण भी रखा गया है। जनतांत्रिक तत्व और स्वायत्तता दोनों को इसमें रखा गया है।

खास कर कर्मचारियों के लिए जो हम लोग मिल कर लड़ते थे, संसद में भी और संसद के बाहर भी, उस मामले में भी अच्छी शुरूआत हुई है। 311 का हथौड़ा हमारे माथे पर था, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। खुशी की बात है कि पूरे संसद में सभी दल एक साथ रहे और सरकार ने भी इसे कबूल कर लिया कि जो किया अच्छा हुआ, आगे के लिए अच्छा काम हुआ है। इसलिए देश के जितने श्रमजीवी हैं उनके लिए यह शुभ संकेत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को हमने अस्पष्ट रखा कि यह संविधान के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हमारा जनतांत्रिक, समाजवादी और असाम्प्रदायिक चरित्र जो संविधान में दिया गया है उसको पुष्ट करने में मैं आशा करता हूं कि नियमों को बनाने में उपेन्द्र जी खास ध्यान रखेंगे, सरकार भी ध्यान रखेगी और हम सभी ध्यान रखेंगे कि मजहबियत का मामला प्रसार भारती का अंग न बने।...

उपाध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र जी, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, बस खत्म कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐतिहासिक मायने में, सांस्कृतिक मामले में कृष्ण और राम से पहले चले जायें, शम्भु आदि, ये

सभी हमारे ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं। दुर्गा और काली वीरांगनायें हैं। मगर जब मजहबियत का मामला आता है...(व्यवधान) आकाशवाणी और दूरदर्शन में अंधविश्वास की बातें ज्यादा आती हैं जिससे ऐसा प्रचार होता है कि हमें नुकसान होता है और आगे भी हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर खत्म करने जा रहा हूं कि संसद में जो शुरूआत की है, इस परम्परा को आगे भी निभायेगें और सही काम पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस मामले में यह आगे के लिए शुभ संकेत है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, हमारे दल द्वारा प्रस्तुत किये गए महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार करने के लिए मैं सिर्फ श्री उपेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सभा में प्रस्तुत किये गए विधेयक पर निश्चितरूप से हमें आपत्ति है और श्री साठे जी ने अपने भाषण में उन्हें व्यक्त किया। इसलिए बाद में हमने संशोधन प्रस्तुत किये। श्री उपेन्द्र जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार थे और यह विधेयक जो आज पारित किया जा रहा है, रूपांतरण के पश्चात् एक नया विधेयक बन गया है। इन संशोधनों के कारण इसे हमारे द्वारा लाया गया विधेयक समझा जा सकता है। हमारे दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम क्रियात्मक स्वायत्तता के पक्ष में हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह विधेयक बिल्कुल उसके अनुरूप है। लेकिन यह विधेयक क्रियात्मक स्वायत्तता के बहुत करीब है। हमें इस बात से बहुत खुशी है। पुनः एक बार मैं श्री उपेन्द्र को हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लेने के कारण धन्यवाद देता हूं, जिससे कि यह विधेयक नया बन गया है। मुझे सिर्फ एक अनुरोध करना है। जैसा कि श्री साठे और अन्य नेताओं ने कहा, प्रसार भारती के कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे 80 प्रतिशत लोगों को जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री इन्द्र जीत : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे प्रसार माध्यम और विकासोन्मुख प्रजातन्त्र दोनों के लिए ही एक ऐतिहासिक दिन है। यह जो विधेयक पारित होने वाला है उस पर मैं अन्य लोगों के साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा क्योंकि यह एक महान त्याग है। मैं इसे एक महान त्याग कहता हूं। आपको जो अधिकार प्राप्त हैं उनका त्याग कर देना आसान नहीं है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक संसदीय समिति के प्रति प्रसार भारती के उत्तरदायित्व का प्रावधान इस विधेयक में है। लेकिन मैं आपको सचेत करना भी चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि प्रसार भारती को वास्तव में स्वायत्तशासी रूप में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी और इसके प्रतिदिन के कार्य में संसदीय समिति अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगी।

महोदय, मैं यह भी आशा करूंगा कि प्रसार भारती विधेयक पत्रकारिता और प्रसार माध्यम की उत्तम परम्परा को बनाये रखने की कोशिश करेगा और हम उस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां कि तथ्यों को सही ढंग से पेश किया जायेगा और टिप्पणियां भी निष्पक्ष होंगी। मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण कारक हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रसार भारती और इसकी कार्य प्रणाली के लिए हम सर्वोत्तम सामग्री पाने में सक्षम होंगे। इन सबके बावजूद मैं इस मुद्दे के एक पहलू पर अपनी निराशा और क्षोभ व्यक्त करना चाहूंगा। इस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और सजीवता को बहाल करने का वायदा किया था। इसलिए, मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और इसे संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए था। जिस तरीके

[श्री इन्द्र जीत]

से यह किया गया है उसे देखते हुए मैं यह कह रहा हूं। यह तदर्थ रूप से और लापरवाही से किया गया है। वास्तव में स्वयं मंत्री महोदय ने यह कहा कि विधेयक, स्वीकृत रूप में अन्तिम नहीं हो सकता। मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में जब कभी भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक लाया जाए तो उसे दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं सिर्फ एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि श्री उपेन्द्र, श्री साठे और विपक्ष के अन्य मित्रगण एकमत हो सके हैं। लेकिन मैं यह भी आशा करता हूं कि उन्होंने छोटे दलों की सहायता और सलाह भी ली होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े दल बहुत ही शक्तिशाली हैं। वे बहुमत में हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि विचारों और बुद्धिमत्ता पर भी बहुमत का ही एकाधिकार हो। मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि प्रसार भारती प्रसार माध्यम की उत्तम परम्परा के अनुसार और स्वायत्तता की उस भावना से कार्य करेगा जिसे इस विधेयक में दर्शाने की चेष्टा की गई है।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मैं श्री उपेन्द्र को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रसार भारती के लिए पूरे सदन को सहमत कर लिया है। इस प्रसार भारती विधेयक की एक अद्भुत बात यह है कि प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी निगम बनने जा रहा है। इसी के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देकर भारत की संसद इसकी गतिविधियों की सख्ती से छानबीन करने जा रही है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यह अच्छी बात है कि उसे स्वायत्तता मिल रही है तथा हमारे देश में भविष्य में भी ऐसा ही होगा, हमें यह आशा करनी चाहिए। कल, मैं आपको बधाई देना चाहता था। मैं आपके पूर्वाधिकारी प्रो० खादिलकर को याद कर रहा था जो आपके ही सदृश अत्यन्त सख्त तथा अनुशासनप्रिय थे। आपके कारण ही हमने इस विधेयक पर लगातार साढ़े चार घंटे तक चर्चा की और इसे निबटाया। अतएव, आप हमारी बधाई के पात्र हैं। कल आडवाणी जी, साठे जी को समझा रहे थे तथा दोनों ही पूर्व सूचना तथा प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। मैं यहां पर इस बात से कोई राजनैतिक लाभ उठाना नहीं चाहता तथा वे दोनों ही वर्तमान सूचना तथा प्रसारण मंत्री को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वे साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि एक नई प्रवृत्ति प्रारम्भ की जा सके। कोई भी दल किसी राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए कोई राजनैतिक लाभ उठाना नहीं चाहता। अतएव, हम किसी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता और समझौते के लिए प्रयत्न करते रहे है और करते रहेंगे। वास्तव में, जैसा कि प्रो० कुरियन द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है। संसदीय समिति सम्बन्धी हमारा संशोधन इस विधेयक की एक सराहनीय बात है। मैं आगे कुछ और कहना नहीं चाहता। प्रत्येक सदस्य अन्तराल की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि मध्याह्न-भोजन के लिए कोई अन्तराल नहीं हुआ है। खैर, यहां पर आलोचनात्मक सहयोग तथा रचनात्मक सहयोग दोनों साथ मिलकर विधेयक को सफल बनाते हैं। इसी कारण श्रीमती मालिनी तथा श्री रंगराजन के संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर केवल इतना ही कहूंगा कि प्रसार भारती निगम को चलाने में क्षेत्रीय परिषदों को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए तथा इसी के साथ-साथ कार्यक्रमों हेतु सलाहकार परिषद को भी मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि प्रसार भारती से भारत-विरोधी जैसे कार्यक्रम प्रसारित न हो सकें जैसा कि अन्य प्रसारण स्टेशनों में हो रहा है। अतः मैं आपको अपनी सभी शुभकामनाओं सहित एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आपने सभा का संचालन किया तथा इस प्रसार भारती विधेयक का कार्य इतनी सफलतापूर्वक पूरा किया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता कि यह एक अत्यन्त ऐतिहासिक दिवस है तथा यह कानून एक अत्यन्त उल्लेखनीय कानून है। परन्तु मैं यहां पर उस अधिक्रमण शक्ति का जिक्र करना चाहूंगा जो कार्यपालिका अथवा सरकार को नहीं दी गई है। यह मसला सभा के समक्ष रखा जायेगा तथा जब निगम सरकार के निदेशों की अवहेलना करेगा तब सभा ही उसके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सिफारिश करेगी। इस समय यह विचार व्यक्त किया जा रहा था कि संसद को दो-तिहाई बहुमत से उस संकल्प को अपना लेना चाहिए। मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं तथा उसे स्वीकार भी नहीं किया गया है। परन्तु सभा में विद्यमान स्थिति तथा बाहर जनता की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मेरे विचार से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वह यह है कि जब वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है तब सभा के समक्ष किसी प्रकार की भी कार्रवाई करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि संसद अविभाजित ही रहे तथा राजनैतिक दलों द्वारा कोई व्हिप जारी न किया जाये तथा सदस्य व्यक्तिगततौर पर स्थिति को ध्यान में रखकर कार्रवाई करें तथा कार्रवाई की सिफारिश करें। इसी प्रकार से सरकार को अपने बहुमत द्वारा संसद की शक्ति छीनने से रोका जा सकता है। सरकार तथा इस सदन में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों से मेरा यह अनुरोध है।

4.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : चार बजे सभा में मद सं० 26 तथा 27 पर विचार-विमर्श किया जाना था। परन्तु इस कार्य को जारी रखना है। अतः मद सं० 26 तथा 27 पर चर्चा को मैं स्थगित करता हूं। आधे-घंटे की चर्चा को भी मैं बाद में किसी और समय के लिए स्थगित करता हूं क्योंकि अन्य मामलों पर भी विचार किया जाना है।

डा० दत्ता सामन्त सुरै : जैसा कि हमारे सदस्यों ने कहा है, यह एक ऐतिहासिक दिवस है परन्तु इसलिए नहीं कि हम प्रसार भारती नामक भारत का प्रसारण निगम बना रहे हैं बल्कि इसलिए कि इस विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार हम सब तथा सभी राजनैतिक दल इकठ्ठा हुए हैं। यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका श्रेय न केवल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बल्कि लोक सभा में मौजूद सभी राजनैतिक दलों को जाता है। अधिकांश राजनैतिक दल प्रसार माध्यम को इस प्रकार का दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था। सौभाग्य से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा श्री उपेन्द्र को भी अपना वादा पूरा करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है तथा हम सभी ने उन्हें अपना सहयोग दिया है। मैं उपेन्द्र जी को बधाई देता हूं कि इतने अधिक दबाव के बावजूद भी उन्होंने इतने अधिक प्रयास किये हैं। कल वह काफी निराश हो गए थे। मैंने भी उस मुद्दे को उठाया था। परन्तु अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति के कारण आज हम इसी विधेयक पर और साढ़े चार घंटे के लिए चर्चा कर सके हैं। हम सभी ने उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया है जो हमने इससे पहले अपनाई थी। उसके कारण उन्होंने कुछेक संशोधनों को स्वीकार किया तथा कुछेक संशोधन भी प्रस्तुत किए जिनके बारे में हम इंकार नहीं कर सकते।

अपने वक्तव्य के दौरान भी मैंने कुछेक तथ्यों का उल्लेख किया था परन्तु उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। मैंने उन्हें बताया था कि मद्रास दूरदर्शन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसा कि श्री राय ने बताया था, जब कुछ दल इस तरफ बैठे हुए हैं, वे कुछ और बात सोच रहे हैं तथा जब

[डा० तम्बि दुरै]

वे दूसरी तरफ आते हैं, उनके विचार दूसरे हो जाते हैं। यही ठीक है। जब वे यहां पर बैठे हुए थे तब उन्होंने दूरदर्शन की कार्य पद्धति की आलोचना की थी। वे चाहते थे कि यह बिल्कुल निष्पक्ष हो तथा यही कारण है कि उन्होंने स्वायत्तता की वकालत की थी। परन्तु अब क्या हो रहा है ? मद्रास में उनके सहयोगी दल द्रविण मुनेत्र कषगम जिस तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहा था उसके लिए वह उसे कुछ नहीं कह पाये परन्तु उन्होंने उस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया है। मैं कोई राजनैतिक बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कई कवि मेलों का आयोजन किया है परन्तु उन्होंने उनका प्रयोग केवल द्रविण मुनेत्र कषगम दल के राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया था। उन्हें मुझे उत्तर देना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से व्यवहार किया है तथा वह इसका दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं।

मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रसार माध्यम को और अधिक स्वायत्तशासी बनाया जाए। यह बात सांस्कृतिक रूप से तथा अन्य कई तथ्यों के कारण महत्वपूर्ण है। अखंडता के नाम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें देखना है कि इस देश की जनता पर एक संस्कृति अथवा एक भाषा को ही जबर्दस्ती नहीं लादना चाहिए। हमें इस देश की सारी राष्ट्रीय भाषाओं तथा सारी संस्कृतियों का आदर करना है तथा उन्हें उचित महत्व देना है। हम निगम को सारी शक्ति नहीं दे रहे हैं। जैसा कि श्री राय ने कहा था, हम इसे किसी भी रूप में राष्ट्र से अलग नहीं कर रहे हैं। अभी भी चूंकि इतनी अधिक बातें हैं इसलिए सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। संसद सर्वोपरि निकाय है। सर्वोपरि निकाय का इस संगठन पर अभी भी अपना नियंत्रण है। इसीलिए हम संसदीय समितियां बनाते हैं। संसदीय समितियां अनावश्यक रूप से केवल प्रसार भारती के सम्बन्ध में ही कार्य नहीं कर रही हैं। निगम के सम्बन्ध में गठित संसदीय समिति रचनात्मक तथा अच्छे सुझाव देगी। मैं समझता हूं कि श्री उपेन्द्र इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तथा निगम को भी निदेश देंगे।

श्री के० एस० राव : महोदय, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, टेलीविजन अथवा आकाशवाणी की भूमिका के बारे में सभी एक मत हैं। मैं श्री उपेन्द्र को बधाई देता हूं कि उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधनों तथा ठीक सुझावों पर अपनी स्वीकृति दी है। यह एक अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में आगे भी सरकार द्वारा लाए गए सभी विधेयकों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया जाये।

प्रत्येक व्यक्ति इसे एक महत्वपूर्ण दिवस कहता है। मैं इसे महत्वपूर्ण दिन केवल तभी कहूंगा जब श्री उपेन्द्र हमें यह आश्वासन दें कि इसमें कोई काट-छांट नहीं की जाएगी, विशेषकर यदि सरकार की आलोचना की जा रही हो अथवा यदि जब जनता इसकी आलोचना करें तब सरकार अथवा श्री उपेन्द्र प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा जबर्दस्ती हम पर न थोपें। हर व्यक्ति स्वतंत्रता, लोकतंत्र, आत्म-सम्मान तथा स्वायत्तता पसन्द करता है। परन्तु जब हम सत्ता में आते हैं तब हम अतीत भूल जाते हैं। तत्पश्चात् हम हर कार्य को अपने हाथ में ले लेंगे तथा उन सभी बातों को अस्वीकार कर देंगे जिनकी हमने पहले मांग की थी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि केवल इस अधिनियम को लाने में ही नहीं अपितु इन मान्यताओं को कार्यान्वित करने में भी उन्हें इतना ही उत्साह दिखाना चाहिए। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में अनेक बार मैं संबद्ध अधिकारियों से मिला हूं। मैंने स्वायत्तता के बारे में अपना दृढ़ मत सभी जगह व्यक्त कर दिया है। परन्तु यदि उन अधिकारियों को स्वायत्तता दी जाएगी जो हमारे नैतिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। आपने केवल राजनैतिक शक्ति से स्वतन्त्रता दी है। परन्तु अयोग्य अधिकारियों को जो स्वतंत्रता दी गई है उसे रोका जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि समिति के सदस्यों की नियुक्ति, चाहे राष्ट्रपति करें अथवा अन्य कोई, के समय व्यक्ति की ईमानदारी, आत्म-सम्मान, व्यक्तिगत विचारधारा, आलोचना करने की क्षमता और नैतिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

दूसरा पहलू, यद्यपि इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है—आधारभूत संरचना पहले से ही मौजूद है और सैकड़ों करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है—यह सुनिश्चित करना है कि यह बात ग्रामीण क्षेत्रों में जो करोड़ों गरीब रह रहे हैं उन तक पहुंचायी जाए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पिछड़े लोगों के सामुदायिक केन्द्रों में मुफ्त टेलीविजन लगाने पर विचार किया जाए। **(व्यवधान)**

अन्त में, मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने और सभी दलों के समर्थन से इसे सर्वसम्मति द्वारा पारित कराने के लिए बधाई देता हूं।

श्री नानी भट्टाचार्य : महोदय, यह एक स्मरणीय दिन है। **(व्यवधान)** इस स्मरणीय दिन पर सभा को भी दो उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। **(व्यवधान)** जब प्रसार भारती को स्वायत्तशासी संस्था बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया तो इसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। **(व्यवधान)** यह पहला उदाहरण है। **(व्यवधान)**

सभा में दूसरा प्रशासनीय उदाहरण यह भी प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को पारित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनायी गयी है। हमने इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि लोकतांत्रिक ताकतों को आगे किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं श्री पी० उपेन्द्र, माननीय मंत्री, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और अन्य सदस्यों को यह विधेयक पारित करने के लिए बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक के पारित होने में घटनाओं के दबाव से नहीं जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा है बल्कि सहयोग की भावना से रचनात्मक समर्थन दिया है। हमने अपने घोषणापत्र और सिद्धान्तों का पालन किया है। हमने इन सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अन्ततः प्रसार भारती हमारे मानदंडों, जो कार्य संबंधी स्वायत्तता और संसद द्वारा पर्याप्त नियंत्रण रखने के संबंध में अपने घोषणापत्र के प्रावधानों में निर्धारित किए हैं, के अनुरूप साबित हुआ है। चूंकि प्रसार भारती की स्थापना की जा रही है इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार इस निगम को वास्तविक रूप से स्वायत्तता देगी तथा इसकी स्वायत्तता में परोक्ष रूप से भी रुकावट नहीं डालेगी। इस निगम के प्रत्येक पद के लिए योग्य व्यक्तियों को, जो परंपरावादी विगत में उनका कार्य अच्छा हो और विश्वसनीय हों, नियुक्त किया जाना चाहिए। इस निगम को सच्चे जनसेवक के रूप में कार्य करना

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

चाहिए। प्रचार माध्यम को शक्तिशाली साधन बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा भारत में आधुनिक, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने इन घंटों में सहयोग की भावना से चर्चा की है और इसे खुशी का दिन समझा गया है तथा भूतपूर्व और भूतपूर्व तथा वर्तमान, सूचना और प्रसारण मंत्री और दूसरों की जोरदार प्रशंसा की गयी है। यह खुशी का दिन होना ही चाहिए। परन्तु मैं जो नयी बात हुई है उस पर जोर देना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि संसद के इतिहास में पहली बार संसद के प्रति कार्यपालिका ने अपनी जवाबदेही को निभाया है। स्वायत्तता के संबंध में चर्चा करते समय हम संसद की इस सर्वोच्चता को बनाए रख सके। इस दृष्टि से भी यह संसद और लोक सभा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं केवल भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री महोदय को ही नहीं बल्कि समूची सभा और उन सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस तरह से विधेयक पारित होने पर निगरानी रखी थी।

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, एक तो यह कि विरोधी पक्ष के साथियों ने 42 वर्षों तक इस मीडिया का शोषण किया, अपने स्वार्थ और अपने हित में इसका दुरुपयोग किया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप हमारी ओर से मंत्री महोदय को बधाई दे सकते हैं परन्तु हमें भुखमरी से बचाइए .. **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : आज जो उन्होंने इस तरह की एकता का प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि पहली बार श्री साठे और उनके साथी अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी बात से नहीं मुकरे जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणापत्र में जो कहा गया था इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए, आज उस स्वप्न को हमने इस प्रसार भारती विधेयक के माध्यम से साकार करके दिखाया है और सरकार ने जिस साहस के साथ यह काम किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री कपिलदेव शास्त्री (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस नौ महीने के इतिहास में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज यह पहला दिन है जब बिना किसी लड़ाई-झगड़े के, बिना किसी निन्दा के प्रस्ताव पास हुआ है। अब तक प्रसार भारती बिल के लिए सब अंग्रेजी में बोलते रहे, मैं संस्कृत में एक श्लोक कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे सन्तु निरामया

सर्वे भद्राणी पश्यन्तु

मां कश्चिद् दुख भाव भवेत।

अर्थात संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सब निरोग हों, सब भलाइयां देखें, कोई बुराई न देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। यह प्रसार भारती बिल इस उद्देश्य को सामने रखकर चले यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के बारे में लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने इस विधेयक के बारे में चर्चा मध्याह्न भोजन के दौरान भी जारी रखी। मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों, राजनैतिक दलों, विशेषता आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विधेयक के संचालन में और यह निष्कर्ष निकालने में मेरी सहायता की। हमने व्यापक चर्चा को, जो वर्षों से सभा के अन्दर और बाहर चल रही थी, समाप्त कर दिया है।

हम इस सभा में इस ऐतिहासिक विधेयक पर पिछले सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम इसे सर्वसम्मति से पारित करने जा रहे हैं। प्रो० कुरियन ने कहा है : यह नया विधेयक है तथा यह उनका विधेयक है। यह विधेयक न उनका है और न मेरा, यह प्रत्येक व्यक्ति का विधेयक है। ऐसी सर्वसम्मति बहुत कम होती है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : माता-पिता हमेशा कहते हैं : हमारा बच्चा।

श्री पी० उपेन्द्र : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर इस सभा में हमारे बीच सर्वसम्मति हुई है तथा हम इस पर सहमत हुए हैं। महोदय, मुझे श्री साठे की यह बात सुनकर खुशी हुई है कि प्रमुख विपक्ष अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर, जो विचाराधीन हैं और भारत की जनता की दृष्टि से इतने ही महत्वपूर्ण हैं, सहयोग की यही भावना होगी।

दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य मुझे मुस्कराने की लगातार याद दिलाते रहे। परन्तु आज मैं सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में मुस्करा सकता हूं लेकिन मुझे अभी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मुस्कराना है क्योंकि अभी 52 विधेयक पारित होने के लिए लंबित पड़े हैं।

मैं छोटी पार्टियों से—जो महत्व की दृष्टि से नहीं बल्कि संख्या की दृष्टि छोटी हैं—क्षमा चाहता हूं कि मैं इस विधेयक की चर्चा के दौरान उन्हें विश्वास में न ले सका क्योंकि व्यावहारिक रूप से 22 दलों की, जो मौजूद हैं, सहमति जुटाना बड़ा कठिन है। परन्तु जो सुझाव दिये गये हैं उन पर हमने ध्यान दिया है और नियमों और विनियमनों को, जो छूट गये हैं, बनाते समय उनके सुझावों पर निश्चितरूप से विचार किया जायेगा तथा हम उनके सुझावों पर कार्यवाही करेंगे।

मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करना चाहता हूं तथा मैंने इसका कल भी उल्लेख किया था कि मैं उन सभी समितियों, जिन्होंने इस पहलू की जांच की और कीमती सुझाव दिये, तथा श्री आडवाणी समेत अपने पूर्व वक्ताओं और अन्य साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के पारित होने के लिए रास्ता बनाया।

श्री ए०के० राय ने बी०बी०सी० का उल्लेख किया है। सेठी जी ने भी बी०बी०सी० द्वारा नियंत्रण के सम्बन्ध में कहा है। हम न तो बी०बी०सी० के नियंत्रण में जाते हैं और न बीबीओं के।

उपाध्यक्ष महोदय : बीबीओं के बारे में हमें विश्वास नहीं है।

श्री पी० उपेन्द्र : बी०बी०सी० विश्व की स्वतंत्र प्रसारण व्यवस्थाओं में से एक है। अच्छे मॉडल का उल्लेख करना कोई गलत बात नहीं है परन्तु मैंने कल भी कहा था कि प्रबंध मंडल के गठन समेत यह हमारा अपना मॉडल है। हमने आम सहमति से अपनी इस व्यवस्था को विकसित किया है। यह यहां उपस्थित तथाकथित कुशाग्र बुद्धि वाले सदस्यों का विचार है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि इस विधेयक से सभी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं। प्रतिदिन जब आप समाचारपत्र पढ़ते हैं तो आपको हमेशा अलग-अलग शीर्षक नजर आते हैं। बुद्धि-जीवी और अन्य मीडिया विशेषज्ञ इसकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनकी आशाएं ऊंची हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि यह केवल हमारी शुरूआत है। यह अन्तिम स्थिति नहीं है। किसी भी बात का अन्त नहीं होता है। हम स्वायत्तशासी संगठन में पूर्णतः सुचारु व्यवस्था कर रहे हैं। हम इससे अनुभव प्राप्त करेंगे और देश के हित के लिए इस संगठन में सुधार करते रहेंगे। मैं आश्वासन देता हूं कि आम राय जुटाते समय इस विधेयक की आवश्यक बातें, मूल उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया गया है। केवल ब्यौरे में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। संसदीय नियंत्रण को सुश्चित करने के लिए इन प्रावधानों को जोड़ा गया है। जहां तक इस विधेयक के मूल उद्देश्य का सम्बन्ध है, उसकी हमने उपेक्षा नहीं की है।

महोदय, इस मुद्दे पर मैं और आलोचना का सामना करने को तैयार हूं, तथा मैं जानता हूं कि कोई भी सूचना और प्रसारण मंत्री आलोचना से बच नहीं सकता, विशेषतौर पर जब वह ऐसा एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हो। भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न राय हो सकती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस स्थिति को समझें, जिसमें आज हम यह विधेयक पारित कर रहे हैं। व्यक्तिगततौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के महत्वपूर्ण वादों में से एक को पूरा कर रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सदन के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है और मेरे मित्र श्री इंद्र जीत ने कागज का एक पुर्जा भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की ओर से यह एक महान त्याग है। किसी सत्ताधारी दल के लिये ऐसे महत्वपूर्ण मीडिया पर नियंत्रण खो देना वास्तव में एक त्याग है। यह वास्तव में उन सबका महान बलिदान है, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल हैं या जो बाद में सत्ता में वापस आने का स्वप्न देख रहे हैं। अतः दोनों ही बधाई के पात्र है।

श्री साठे ने उल्लेख किया था कि मैं अपने मंत्रालय का काफी भार छोड़ दूंगा और मेरे पास सिर्फ एक ही मत्वपूर्ण विभाग अर्थात् फिल्म और फिल्म स्टार सम्बन्धी विभाग ही रह जाएगा। मेरे मंत्रालय से अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य ले लिया जाएगा। परन्तु मुझे यहां उपस्थित उन सभी माननीय सदस्यों के समान दर्जा प्राप्त करने का तो संतोष होगा ही जो प्रतिदिन खड़े होकर शिकायत करते हैं कि मीडिया पर हमारे नामों का उल्लेख नहीं हुआ। हमारे भाषणों की सूचना नहीं दी गई। सम्भवतः फिर मैं भी आप में शामिल होकर कहूं कि मेरे भाषण का उल्लेख नहीं हुआ।

जहां तक इस विधेयक पर कार्यान्वयन का संबंध है, इसे दूसरे सदन से पारित हो जाने और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद, हमें इसकी वैधानिक और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लगभग छः महीने का समय चाहिये। इन औपचारिकताओं में प्रसार भारती के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करना, कर्मचारियों को वरणाधिकार देना उनकी पसन्द जानना और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना सम्मिलित हैं। यह बाह्य सीमा है। इसीलिए, मैं सिर्फ यही इंगित कर सकता हूं कि मूलतः सरकार ने इसे 1 जनवरी से शुरू करने का सोचा था, लेकिन इसे

पारित करने में विलम्ब होने के कारण—पहले हम इसे बजट सत्र में पारित करना चाहते थे, पर हम ऐसा नहीं कर सके---अब हमने 31 मार्च तक इस निगम को शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस निगम की सफलता अधिकतर कर्मचारियों या प्रबन्ध बोर्ड और संसद पर भी निर्भर करेगी। यह इन सब पर निर्भर है कि वे उक्त निगम को कैसे चलाते हैं। मैंने विशेषत: संसद और संसदीय समिति का नाम लिया है, क्योंकि इस निगम की स्वायत्तता इस बात पर निर्भर करेगी कि संसद इस निगम को कितनी स्वतन्त्रता देने को तैयार होगी।

इसलिए, मैं संसद और इसकी सफलता के लिए उत्तरदायी जन-संगठनों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा। मीडिया अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बधाई देने वाले मित्रों में मैं भी सम्मिलित होना चाहूंगा। अपने आठ या नौ महीने के इस अनुभव के दौरान मैंने यह पाया है कि वे प्रतिभाशाली हैं। अत्यन्त सक्षम हैं और यदि आप एक बार उन्हें कोई काम सौंप दे, तो वे निश्चय ही उसे पूरा करते हैं।

श्री बसंत साठे : मंत्री महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि निगम को कार्य शुरू करने में छः महीने लगेंगे............

श्री पी० उपेन्द्र : यह अधिकतम सीमा है।

श्री बसन्त साठे : यह अधिकतम सीमा है या निम्नतर, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ यही अनुरोध कर रहा हूं कि इन छः महीनों में—जो एक बहुत निर्णायक समय होगा—कृपया वे इसे सिद्ध करें। क्योंकि, अब आपका उत्तरदायित्व और बढ़ जाएगा। कल से ही, वे वास्तविक स्वायत्तता और स्वायत्तता की भावना से काम करना शुरू कर देंगे। अन्यथा, ये छः महीने आपके लिए आपदापूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि इन छः महीनों में जो कुछ भी होगा, उसका पूरा दोष आप पर आएगा। ऐसा मत करें। आप देखें कि उन्हें वास्तविक स्वायत्तता मिले।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं इस पर माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं परन्तु, वे भी मुझे आश्वासन दें कि शून्यकाल में प्रतिदिन वह यह मुद्दा नहीं उठाएंगे कि दूरदर्शन के बारे में क्या हुआ है।

श्री बसन्त साठे : महोदय, इस संगठन को निगम को सौंपते समय जैसे मैंने कल कहा था, हम चाहेंगे कि यहां से स्टाफ की पिछली सभी समस्याएं सुलझा ली जाएं और स्वायत्त निगम में भी कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें। क्योंकि, उन्हें सरकारी कर्मचारी होने के लाभ मिलते रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में, ये हित संकट में न पड़ें। उन लोगों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और अपनी योग्यता दिखाने का एक मौका है। यह सिद्ध करने का अवसर है कि एक स्वायत्त संस्थान में, एक स्वतंत्र वातावरण में, वे देश को बेहतर कार्यक्रम दे सकते हैं तथा प्रभावी और कारगर ढंग से काम कर सकते हैं।

महोदय, प्रसार भारती देश को दिया गया एक उपहार है। यह इस सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यह एक प्रकार की स्वतन्त्रता है। हम मुक्त-मीडिया में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यह हमारे लोकतान्त्रिक स्वरूप को मजबूत बनाएगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय मोर्चा इस बलिदान से देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं में योगदान कर रहा है और इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है।

[श्री वसंत साठे]

मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों को, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और यहां उन्होंने जो एकता दिखाई है और उनके मूल्यवान सुझावों के लिए तथा विशेषकर विपक्ष और हमारे समर्थक दलों को.........

एक माननीय सदस्य : आप कांग्रेस (आई) क्यों नहीं कहते ?

प्रो० मधु दण्डवते : इंटरनेशनल कांग्रेस।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं मंत्रालय में अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने में, संशोधनों के प्रारूपण में और सुझावों को छांटने में कड़ा परिश्रम किया है। विशेषतौर पर मैं, महिला सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जो वहां के लोगों और कर्मचारियों के हितों के प्रति सतर्क रही हैं। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुन: आपको और अन्य सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सौहार्द्रपूर्ण स्वर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक, संशोधित रूप में, सर्वसम्मति से पारित हुआ।

आप सब इतने समय तक बोले। अब मुझे बोलने दें। मैं सचेतकों को और माननीय सदस्यों को और नेताओं प्रसार भारती विधेयक पर सफलतापूर्वक और सुखद कार्यवाही को चलाने के लिए और पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री पी० उपेन्द्र : यदि आप सहमत हों, तो हम नियम 193 के अधीन चर्चा अगले हफ्ते शुरू करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कल ?

श्री पी० उपेन्द्र : कल शुक्रवार है; इसलिए अगले हफ्ते। हम इसे माननीय अध्यक्ष पर छोड़ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कुछ औपचारिक कार्य करेंगे। सभा पटल पर रखे गए पत्र।

4.32 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1990

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 जो 26 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 330 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1355/90]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री के०पी० उन्नीकृष्णन की ओर से मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सा०का०नि० 449 (अ), जो 18 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओं पत्तन (बर्थ संख्या 9 स्थित यांत्रिक अयस्क उठाई-दराई संयंत्र से अयस्क तथा छर्रों की लदाई तथा संबंधित मामले) विनियम, 1979 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(2) सा०का०नि० 633 (अ), जो 13 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास साधारण उप-विधियों में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1356/90]

भारतीय डाक घर अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री जनेश्वर मिश्र की ओर से मैं भारतीय डाक घर, अधिनियम, 1898 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) डाक बक्से (आठवां संशोधन) आदेश, 1990 जो जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 544 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) भारतीय डाक घर (सातवां संशोधन) नियम, 1990 जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 545 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1357/90]

राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) *कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—*

(क) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 1358/90]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 1359/90]

(ग) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 1360/90]

(घ) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 1361/90]

(ङ) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1362/90]

(च) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1363/90]

(छ) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1364/90]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1358/90 से 1364/90]

राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति का प्रतिवेदन भाग-4 (अध्याय 1 से 41)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से मैं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 उपधारा (3) के अन्तर्गत राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के वर्ष 1989 के प्रतिवेदन भाग—4 [(अध्याय 1 से41) तथा उपाबंध] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1365/90]

---

4 33 म०प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

4.33½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समित

दूसरा प्रतिवेदन

श्री बबनराव ढाकणे (बीड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

4.34 म० प०

मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में

श्री जे०पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, एल०जी० साहब ने अभी कहा है कि 30 दिन तक दिल्ली के स्कूल बन्द रहेंगे, मुझे इस बात पर बहुत सख्त ऐतराज है। क्या यह माना जाये कि दिल्ली में कोई सिविल वार हो रही है ? क्या यह माना जाये कि दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर और होम मिनिस्टर दिल्ली के अन्दर कानून लागू नहीं कर सकते या यह माना जाये कि दिल्ली के लड़के-लड़कियां या स्टूडेंट कहीं पर बम फेंक रहे हैं। क्या दिल्ली के अन्दर इतना डरावना हाल हो गया है कि यहां के स्कूलों को बन्द करना पड़ा, यह बहुत दुख की बात है। दूसरी तरफ आपके मंत्री यह कहते हैं कि लोगों को सड़कों पर आ करके लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरह से आपकी सरकार लोगों को लड़ाने के लिए भड़काना चाहती है और दूसरी तरफ आप लड़कियों और लड़कों की जिन्दगियों से खेल रहे हैं। आपने स्कूल बन्द करने के लिए कह दिया। मेरा निवेदन है कि लेफ्टीनेंट गवर्नर को हटाइए और इस आदेश को वापिस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इस विषय में दोगली नीति चल रही है। एक तरफ तो इनके श्री जे०के० जैन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ और दूसरी तरफ यहां पर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। यहां पर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। **(व्यवधान)**

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आदेश को वापिस लेगी। यह बड़ी गलत बात है, इस तरह से जनता को धोखा दिया जा रहा है। इस आदेश द्वारा आप दिल्ली में क्या दिखाना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में लिख कर दिया था इस विषय को जीरो आवर में उठाने के लिए, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई, मुझे आश्चर्य है कि श्री अग्रवाल को अनुमति दे दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 30 दिन के लिए दिल्ली के स्कूलों को बन्द करना बहुत गलत बात हुई है। यह एक तुगलकी आदेश निकाल दिया गया है। स्कूल के बच्चों ने क्या अपराध किया है कि उनके लिए 30 दिन के लिए स्कूल बन्द कर दिए गए हैं। मेरी जानकारी में हिन्दुस्तान के इतिहास में, खासकर दिल्ली के अन्दर आज तक कभी इस तरह से 30 दिन के लिए स्कूल बन्द नहीं किये गये हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं किए गये हैं। जब अंग्रेजों के शासनकाल में बन्द नहीं किये गये हैं तो फिर इस तरह के आदेश अब क्यों निकाले गये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली प्रशासन को मजबूर किया है कि वह इस तरह का आदेश निकाले।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 3 यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली में हैं, उनको भी बन्द करने के आदेश दिए गये थे, किन्तु तीनों वाइस चांसलर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट के इस आदेश के बारे में बात की और निर्णय लिया कि अब यूनिवर्सिटी खुलेंगी। अंग्रेजों के समय में भी यूनिवर्सिटीज की अटानमी और अथारटी को हमेशा रिकगनाइज किया गया। यूनिवर्सिटीज को बन्द करना या खोलना, इसका फैसला वाइस चांसलर करेंगे, न कि गवर्नमेंट करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इस तरह से 30 दिन के लिये स्कूल बन्द कर दिए जायें। यदि कहीं पर झगड़े आदि की गुंजाइश है तो यह ला एण्ड आर्डर की बात है, ला एण्ड आर्डर अथारिटीज इसको देखेंगी, लेकिन इस तरह से स्कूल और यूनिवर्सिटीज बन्द करना, 30 दिन के लिये बन्द करना ठीक नहीं है। इससे लगता है कि एक पैनिक के अन्दर गवर्नमेंट काम कर रही है इस पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिये स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को खोला जाना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र के अन्दर लोग विरोध प्रकट करते हैं और विरोध एक सीमा तक हो तो उसको फैलाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल्ली के अन्दर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो रही है। एक प्रशासनिक आदेश के जरिए सारे कालेजों और स्कूलों को यहां तक कि छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूल्स को, किंडर गार्डन्स को भी एक महीने के लिए बन्द करने के आदेश दिए गये हैं, दण्डवते जी यहां पर हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इससे पहले भी एक हफ्ते से स्कूल बन्द हैं। इस तरह के आदेश का प्रभाव दिल्ली से बाहर किस तरह का पड़ रहा है, क्योंकि यह देश की राजधानी है। यहां जो कुछ होता है, यहां की छोटी-सी घटना का असर भी देश के दूसरे भागों पर पड़ता है। आज इसका यह असर दूसरे प्रांतों में जा रहा है कि जैसे यहां बहुत खतरनाक स्थिति आंदोलन की हो, बहुत जबरदस्त हिंसा हो रही हो। (व्यवधान)

यह आपकी सरकार करवा रही है, यहां मैं कह रहा हूं, दिल्ली प्रशासन भी तो आपका ही है। (व्यवधान) आप समझने की कोशिश करिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। समझदारी के अभाव के कारण ही इस सरकार की यह स्थिति हो रही है, नहीं तो यह स्थिति नहीं होती, यह इसी का ज्वलंत उदाहरण है कि प्राइमरी स्कूलों और किंडर गार्डन स्कूलों को बन्द करने के आदेश दिए गए हैं। इसका प्रभाव दूसरे प्रांतों पर ठीक नहीं पड़ रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका असर इस सरकार पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो अपना ध्यान कम से कम इस तरफ रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवाब मैंने नहीं देना।

[अनुवाद]

यदि आप लीक से हटकर चलेंगे तो मुझे आपको बस रोकना होगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रान्तों में इस तरह का इंप्रेशन जा रहा है कि जैसे यहां पर बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे देश के दूसरे भागों में भी आंदोलन के बहुत ज्यादा बढ़ने

[श्री हरीश रावत]

के आसार पैदा हो गए हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर है। इसलिए जो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा और जय प्रकाश अग्रवाल जी ने कहा, मैं उससे सहमति जाहिर करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन को कहे, यदि स्कूल और कालेज बन्द करने हैं तो एक सप्ताह के लिए बन्द करे। एक महीने के लिए बन्द करके देश के अन्दर भय का वातावरण पैदा न करे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में स्कूल और कॉलिज बन्द होने के मामले में जिस ढंग से माननीय अग्रवाल साहब ने बात रखी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन लगाया, लांछन लगाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। अभी हम लोगों ने प्रसार भारती बिल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में पास करके छोड़ा है, उसके बाद तुरन्त कटुता पैदा करना, क्या ये अपनी पुरानी आदत न छोड़ने पर मजबूर हैं। मेरा निवेदन है कि इनकी स्थिति यह हो गई है कि रात में सोते समय भी सपने में अगर कुछ होता है तो इनको बी०जे०पी० नजर आती है। पता नहीं क्यों इनको बी०जे०पी० का फोबिया हो गया है। खासतौर से दिल्ली वालों को ज्यादा हो गया है। इनको बी०जे०पी० सपने में नजर आती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि स्कूल और कॉलेज बन्द हुए हैं, हम इसको पसन्द नहीं करते। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जैसी इन्होंने दोगली बात कही थी, उसको भी हम पसंद नहीं करेंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मेरी पार्टी सहमत है। उसको लागू करने के तरीके पर भले ही असहमत हो। लेकिन इसमें मेरा विरोध नहीं है, मेरी पार्टी का विरोध नहीं है। ये जो दोगली बात करते हैं, ये गलत बोलते हैं। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस तरह की बात न की जाये। **(व्यवधान)**

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला खाली दिल्ली का नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं। दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों को मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो लागू करने का तरीका है यह मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको भी स्थान मिलना चाहिए। उनको हर हालत में मिलना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि 27 परसेंट बैकवर्ड का हो गया और साढ़े बाईस परसेंट शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राईब्स का हो गया, कुल 50 परसेंट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरा कहना यह है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें सोच-विचार करने की जरूरत है कि जो इकोनामिकली बैकवर्ड हैं, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है उनको कैसे ऐडजस्ट किया जा सकता है। इसके साथ-साथ इस बात पर गहराई से विचार करके अगर कोई फैसला करते तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता था जिससे देश के सब लोगों की तसल्ली हो सकती थी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जरा शांत हो जाइये। यहां मण्डल कमीशन के ऊपर चर्चा रखी है वह आज करनी थी, मगर वह बाद में आ रही है। इसलिए आप इसमें न जाइये। इंसीडेंट के बारे में मत प्रकट करना है तो कीजिए।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि देश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो गई है। सारे मुल्क के अन्दर खराब हो गई है, केवल दिल्ली की बात नहीं है। 8-10 दिन से लोगों ने नेशनल हाई-वे सारे के सारे बन्द किए हुए

हैं। (व्यवधान) ट्रैफिक आ नहीं सकता, लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, सरकार नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है।...(व्यवधान)... आपसे ज्यादा हमदर्दी हमें बैकवर्ड के साथ है। हरियाणा में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, सबसे पहले हमने बैकवर्ड क्लास की मदद की। मैं उनका हिमायती हूं।(व्यवधान)

लेकिन देखने की बात यह है कि उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। रेडियो, टी०वी० और अखबारों में सारी बात नहीं आ रही है। आप यह देखिए कि देश में हालत क्या है और कितने लोगों का जीवन नष्ट हो चुका है।... (व्यवधान) सारी हाई-वे बन्द हो चुकी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वातावरण को ठीक किया जाए और जो गलतफहमी सारे मुल्क में फैल गई उस गलतफहमी को दूर करें।...(व्यवधान) पचास परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा और बाकी जो पचास परसेंट हैं उनको तसल्ली हो जाये और बैकवर्ड्स को भी मिलना चाहिए... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : महोदय, दिल्ली में आम जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। जब तक कि आधारभूत प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता तब तक यह सामान्य नहीं हो सकता। सड़कों को बन्द कर दिया गया है। विद्यार्थियों के कुछ वर्ग आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वे विद्यार्थी आते हैं जिनका मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सच में मतभेद है। दूसरी श्रेणी उन विद्यार्थियों की है जो किसी न किसी प्रकार समस्याएं पैदा करते हैं। तीसरी श्रेणी में समाज विरोधी तत्व आते हैं जो स्थिति का शोषण करना चाहते हैं...(व्यवधान) मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें कौन से राजनैतिक दल शामिल हैं। यह सब लोग जानते हैं ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अभी मल्होत्रा जी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को बन्द करने के लिए कुछ लोग गये और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना है। मैं इस बारे में बधाई देता हूं और आप भी जानते होंगे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आप छोड़ दीजिए, एमरजेंसी में मेरे जैसे आदमी को नौकरी से निकालकर मीसा में बन्द किया गया था। यह पहली बात नहीं है कि आटोनोमी पर हमला हो रहा है। ऐसा वातावरण बना है, यह तो उनका कल्चर है। जैसा सरकार कर रही है वह लिमिट में हो सकता है और आम राय से करना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के स्कूल और दूसरे टैक्नीकल इंस्टीट्यूशन एक महीने के लिए बन्द कर दिए गये हैं, इससे बहुत सदमा पहुंचा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आजादी के बाद एक महीने के लिए स्कूलों को बन्द कर दिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हजारों लोग मारे गये थे और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को आग लगाई थी, उस समय भी दिल्ली में एक महीने के लिए स्कूलों को बन्द नहीं किया। मेरा कहना यह है कि किस आदमी ने और किन लोगों ने सरकार को सलाह दी है जबकि दिल्ली प्रशासन उसके पक्ष में नहीं था कि एक महीने के लिए स्कूलों को बन्द किया जाये। तीन यूनिवर्सिटीज ने कहा कि यह ठीक नहीं है। इस तरह के कदमों से ऐसा लगता है कि हड़बड़ाहट में ऐसा किया गया। दिल्ली के हालात इतने खराब नहीं है। जहां तक

[श्री मदन लाल खुराना]

दिल्ली के हालात सुधारने का सवाल है तो मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि दिल्ली के स्टुडेंटस को बुलाकर बातचीत कर ली जाये और जहां गलतफहमी है उसको दूर किया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने तक बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा और उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा।··· **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : एक महीने तक लगातार स्कूल बन्द रखने से वास्तव में स्थिति बिगड़ने वाली बात पैदा होगी। मधु जी यहां विराजमान हैं मैं उनसे पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं कि सरकार राज्य सरकार और दिल्ली प्रशासन को आदेश दे कि तुरन्त स्कूल खोले जायें।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई दलों के कई सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले और साथ ही साथ किसी प्रकार की अराजकता पैदा न हो। इसलिए आपने जो सुझाव दिये हैं हम उसे कैबिनेट और प्रधान मंत्री के सामने रखेंगे। हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों का विचार है कि आपने जो उसके मुताबिक मांग की है हम लोगों ने इसको स्पष्ट कहा है कि मंडल आयोग को डाइल्यूट न करते हुए आर्थिक आधार पर भी विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

यह मंडल आयोग के कारण है। उनका मतभेद हो सकता है। यह सारा मामला मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली बात से ही हुआ है। आपने उसके बारे में जो सुझाव रखे हैं हम उस पर विचार करेंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : बीजू पटनायक को समझायें, हमें क्या समझा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम कैसे आपको समझा सकते हैं, हमारे में ताकत नहीं है आपको समझाने की **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

आप जवाब देना चाहते हैं या आप सुनना नहीं चाहते।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं यह बता रहा हूं कि इस सदन की पूरी जानकारी और सुझाव हमारे पास आते हैं जो कि यहां रखे जाते हैं, इस सार्वभौम सदन के सदस्य जो भी सुझाव यहां रखते हैं हम उस पर विचार करते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सवाल पर आगे चलकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ध्यानाकर्षण तो कल होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : हाल ही में, सरकार ने भारी मात्रा में रबर का आयात करने का निर्णय किया है। केरल राज्य में रबर के आयात ने दहशत पैदा कर दी है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह इससे संबंधित नहीं है···

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नीथाला : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमने ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस दिया है।

केरल में हजारों रबर-उत्पादकों को इस कारण नुकसान हो रहा है। रबर की कीमत 27 रुपये थी और अब, रबर के आयात के बाद, इसकी कीमत घट कर 18 रुपये रह गई है। इससे वहां के किसानों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे किसानों की क्षति को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। रबर के आयात को शीघ्र ही रोक दिया जाना चाहिए। केरल सरकार, रबर मार्केटिंग फैडरेशन और वे सब, जो इससे सम्बन्धित हैं, उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से निवेदन किया है कि वे रबर के आयात को रोक दें।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : पंजाब में प्रतिदिन 15 से 20 हत्यायें होती हैं। वहां आतंकवादी बच्चों को उठा रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं, उनके लिए फिरौती मांग रहे हैं और फिर उनकी हत्या कर रहे हैं। वे सार्वजनिक स्थानों पर भी बमों के धमाके कर रहे हैं। वहां विद्यालयों को कभी इस प्रकार बन्द नहीं किया गया है। हाल ही में, जब सिमरणजीत सिंह मान ने 11, 12 और 13 अगस्त के बीच पंजाब बन्द का आह्वान किया था और आतंकवादियों ने 14 और 15 तारीख के लिए बन्द का आह्वान किया था, मैं पंजाब गया था और मैंने अपने पूरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया था मैं पन्द्रह शिक्षण-संस्थाओं को चला रहा हूं। मेरी सभी शिक्षण-संस्थाओं को इन दिनों खुला रखा गया था। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को आतंकित करना बन्द करें, दिल्ली प्रशासन पर दबाव डालना छोड़ें, और कृपया शीघ्र निर्देश जारी करें कि विद्यालयों को खोला जाए।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री राजमंगल मिश्रा को 22 अगस्त को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्पेशल केअर यूनिट में डा० नटराजन ने भर्ती किया मगर 24 घण्टे के बाद उन्हें वहां से हटाकर नर्सिंग होम के कमरा नं० 7 में रखा गया और दो दिन बाद अर्थात् 25 अगस्त को डा० राकेश वर्मा ने रात को आकर उनसे कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है और पूछा आपको किसने भर्ती किया ? उन्होंने कहा कि डा० नटराजन ने भर्ती किया था तो इस पर डा० वर्मा ने बिना डा० नटराजन से पूछे श्री राज मंगल मिश्रा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। माननीय सदस्य रात को किस तरीके से अपने घर आये लेकिन आते ही उनकी तबीयत दुबारा खराब हो गयी। ये सब बातें उन्होंने मुझे स्वयं बतायी हैं कि जिस अमानवीय तरीके से और अशिष्ट ढंग से डा० राकेश वर्मा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच करायें और ऐसे अशिष्ट डाक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

[अनुवाद]

श्री ए०के० राय (धनबाद) : महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों को लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं ··

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : (मुक्तुपुजा) : महोदय, क्या मैं उपाध्यक्ष महोदय से एक निवेदन कर सकता हूं ? यह रबर संबंधी मुद्दा···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कृपया समझिए कि यह इतना अतिआवश्यक विषय नहीं है ··

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, वास्तव में, हमारे में से बहुतों ने, और जनता दल में मेरे कुछ मित्रों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कई नोटिस दिए हैं। मेरा निवेदन केवल यही है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और आप कृपया इस पर चर्चा करने में हमारी मदद करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आगामी तारीख के लिए स्थगित किया जाता है। अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

4.59 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के जिलों के लिए आबंटित धनराशि पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : महोदय, जवाहर रोजगार योजना में कई केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के जिलों, विशेषतया उधमपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने भिन्न रवैया अपना रखा है। सरकार ने राज्य और केन्द्रीय दोनों सेक्टरों के अन्तर्गत उन जिलों के लिए अधिक मात्रा में धनराशि आबंटित की है, जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल कम है, जबकि अधिक जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल वाले जिलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आबंटित की गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह धनराशि आबंटित करने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। राज्य में सन्तुलित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों वाले जिलों को, प्रत्येक जिले के खंड/पंचायत की संख्या के आधार पर धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

(दो) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने और पश्चिम उड़ीसा में शिक्षा के बहुमुखी विकास के लिए सम्बलपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की मांग

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : ब्रिटिश शासन के समय से उपेक्षित सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, कलाहंडी, बोलांगिर, फूलबनी जिले और ढेंकानल का एक हिस्सा शिक्षा की प्रगति

और अन्य कई मामलों में पिछड़ा रहा है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक स्रोत, जैसे उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वन सम्पदा, खनिज पदार्थ, और ऐसे जल स्रोत जिन्हें विद्युत उत्पादन के काम में नहीं लाया गया है, किसी क्षेत्र और इसके लोगों की तीव्र प्रगति के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं। ऐसा विश्वास किया गया था कि 1967 में सम्बलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, न केवल उच्च शिक्षा के विकास को बढ़ावा देगी, अपितु बेहतर परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम भी करेगी।

सम्बलपुर विश्वविद्यालय का स्तर अध्यापकों और छात्रों, खेल-कूद, अन्य गतिविधियों में बहुत ऊंचा था और इसने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। स्रोतों की कमी और लगातार उपेक्षित रहने के कारण, यह विश्वविद्यालय उड़ीसा सरकार के शिक्षा विभाग का महज एक उपांग बन कर रह गया है।

मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार हर राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करे। आगे मैं यह मांग करता हूं, जो पूरी तरह से औचित्यपूर्ण है, कि देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र, अर्थात् पश्चिमी उड़ीसा, के शिक्षा के सर्वांग विकास के लिए केन्द्रीय सरकार सम्बलपुर विश्वविद्यालय को भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दे।

(तीन) हजारीबाग जिले के रजरप्पा क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा वहां पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि भैरवी (भेड़ा नदी) एवं दामोदर नदी के संगम पर स्थित हजारीबाग जिला अन्तर्गत रजरप्पा का छिन्न-मस्तिका मंदिर छोटा नागपुर के वनांचल में एक पर्यटक स्थल है, जहां वर्ष भर पर्यटक एवं दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन दामोदर नदी एवं भैरवी नदी का जल विषाक्त एवं अत्यन्त ही गंदा हो गया है, जिसके कारण वायु एवं जल प्रदूषित हो गया है और पर्यटकों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जल एवं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण भैरवी नदी के तट पर स्थित रजरप्पा वाशरी प्रोजैक्ट (सी०सी०एल) है। वाशरी के स्लरी तालाब की दीवार कई बार टूट चुकी है, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिला है और यह प्रोजैक्ट रजरप्पा प्राकृतिक परिवेश, आह्लादित करने वाले वातावरण एवं प्राकृतिक सुषमा का हनन हो रहा है। इस क्षेत्र के वन पदाधिकारियों की कर्तव्यहीनता एवं निष्क्रियता यहां के श्रमिकों, मूल निवासियों एवं पर्यटकों को विषाक्त प्रदूषित वातावरण में रहने पर मजबूर कर रही है। इस प्रोजैक्ट की मशीनें भी प्रायः खराब रहती हैं और प्रदूषित जल भैरवी नदी में लगातार बहता रहता है। अनेक प्रकार से प्रबंधकों को बताये जाने पर, गंदे जल की निकासी हेतु एक नहर की योजना अभी तक विचाराधीन है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के तहत रजरप्पा क्षेत्र, विशेषकर छिन्न मस्तिका मंदिर के विषाक्त जल एवं वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्था की जाये और पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु सम्यक कार्यवाही की जाये।

(चार) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रेल सेवा के समग्र सुधार हेतु समुचित उपाय किए जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, बीरभूम जिले में, विशेषतया सैंनथिया क्षेत्र से अन्दल तक, बरास्ता सूरी, रेल सेवा बहुत खराब स्तर की है। जिला मुख्यालय इस पटरी से सीधा जुड़ा हुआ है। किन्तु, यह इकहरा रेलपथ है। कुछ पुरानी रेल गाड़ियां, जो इस पटरी से आती-जाती हैं, अन्दल से सैंनथिया या अजीमगंज स्टेशन तक वाष्प-इंजिन से चलती हैं। इस क्षेत्र में 'मयूराक्षी फास्ट पैसेन्जर' ही एक ऐसी शीघ्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है जो रामपुरहत से हावड़ा तक, बरास्ता सूरी, जाती है। यह रेल-गाड़ी भी वाष्प-इंजिन से चलती है। परिणामस्वरूप, भारी संख्या में यात्रियों को, विशेषतया दैनिक-यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण रेल पटरी बीरभूम में निर्माणाधीन 'बकरेश्वर थर्मल पावर परियोजना' से होकर गुजरती है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह 'मयूराक्षी फास्ट पैसेन्जर' गाड़ी में बिजली/डीजल का इंजन प्रयोग करके, अन्दल से सैंनथिया तक रेलपथ को दोहरा करके, अन्य पैसेन्जर गाड़ियों में और सूरी स्टेशन में सुधार करके तथा नई रेल-गाड़ियों को आरम्भ करके उस क्षेत्र में रेल-सेवा का सम्पूर्ण सुधार करने के लिए उचित कदम उठाए।

(पांच) बिहार के धनबाद जिले में "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" की मूनीडीह परियोजना के कामगारों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग

श्री ए०के० राय (धनबाद) : बिहार के धनबाद जिले में "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" की मूनीडीह परियोजना के कामगार 24 जुलाई, 1990 से हड़ताल और धरने पर थे। किसी समाधान पर पहुंचने के स्थान पर, स्थिति को हाथ से निकल जाने दिया गया, जिसका परिणाम 10 मई को हुई निन्दनीय पुलिस गोलीबारी में हुआ, जिसमें दो कर्मचारियों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। तैंतीस कर्मचारियों को लोगों में भारी उत्तेजना फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

मूनीडीह के कामगारों की मुख्य मांग यान्त्रिक खानों में पारी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की मांग थी, जिसके लिए एन०सी०डब्ल्यू० ए०-4 राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौते में व्यवस्था की गयी थी, किन्तु पिछले छः महीनों में इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में ऐसी चार यान्त्रिक खानें थीं, जिनमें से एक मूनीडीह में थी।

इसके अलावा भी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कामगारों को कई कठिनाइयां हैं जिनका सदन में हवाला दिया गया था, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। कोयले के सीधे उत्पादन में लगे कोयला-खान मानव-शक्ति विभाग में ये कामगार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कामगारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खानों में हवा के आने जाने का मार्ग नहीं है, जल का छिड़काव नहीं होता और यहां तक कि अच्छी कैंप-लैम्प्स भी नहीं हैं। इनमें से बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और अधिकांश दुर्घटनाओं में वे हताहत हो जाते हैं। इसके बावजूद उनके लिए क्वार्टरों और जल की व्यवस्था नही है। उन्हें न्यायोचित वेतन भी नहीं मिलता है।

मैं मूनीडीह में हुई गोलीबारी की न्यायिक जांच, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को क्षति-पूर्ति और कामगारों के कष्टों का निवारण करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति बिठाने की मांग करता हूं।

(छः) कोको उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : केरल राज्य में कोको उत्पादकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरम्भ में, कैडबरी इण्डिया लिमिटेड, जिसके पास कोको तैयार करने का एक प्रकार का विशेषाधिकार था, प्रति किलोग्राम गीले कोको के बीजों के लिए 15 रुपये से 16 रुपये तक देता था। बाद में, उत्पादन की मात्रा बढ़ने से कैडबरी लिमिटेड इस क्षेत्र से, इस विचार के साथ पीछे हट गया कि इस क्षेत्र में उपलब्ध कोको में अम्लता है, अतः यह अच्छी क्वालिटी के उत्पादों के उत्पादन में अनुपयुक्त है। यह उत्पादकों के लिए शर्म की बात थी। बाद में, कैम्को इस क्षेत्र में आया और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको खरीदनी शुरू कर दी। अम्लता से सम्बन्धित अपने पहले आरोप के बावजूद, कैडबरी ने एक मुकदमा दायर कर दिया। इस समय दरों को घटाकर 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। यद्यपि संसाधित उत्पादों, जैसे बोर्नवीटा और मिल्क चाकलेट इत्यादि की दरें 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई हैं, तथापि कोको की दर अभी तक वही है। कोको के उत्पादन की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे किसानों को अपने उत्पादों के लिए अधिकतम कीमत देने में मदद करने के लिए आवश्यक तथा शीघ्र कदम उठाएं।

(सात) उत्तरी बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : बिहार मुख्यतः कृषि आधारित राज्य है उत्तरी बिहार में अनाजों में विशेषतः मकई, धान एवं गेहूं विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फलों में आम, लीची, केला तथा अमरूद की उपज बड़े पैमाने पर होती है। यहां अनाज, सब्जी एवं फलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुकूल सुविधा एवं क्षमता उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले ऐसे उद्योग लगाने के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं। कृषि पदार्थों के लाभकारी मूल्य दिलाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरी बिहार में कृषि आधारित बड़े उद्योग की स्थापना की जाए तथा तत्सम्बन्धी लघु उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(आठ) अयोध्या को रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़े जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय अयोध्या देश की एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरी है। इसके विकास हेतु आवश्यक है कि देश के विभिन्न भागों को रेल मार्गों से इस पवित्र स्थल को सम्बद्ध किया जाए। दक्षिण भारत के तमाम तीर्थ स्थलों का अयोध्या नगरी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि अयोध्या में घाघरा नदी पर पुल बनाकर अयोध्या-इलाहाबाद रेलवे मार्ग से दक्षिणी भारत के सभी तीर्थ स्थलों को सम्बद्ध कर दिया जाए। इसके जुड़ जाने से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का सामाजिक, आर्थिक विकास हो जाएगा बल्कि इससे सम्पूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत से सीधा जुड़ जाएगा और रेलवे को भारी आर्थिक लाभ होगा।

[श्री मित्रसेन यादव]

चूंकि इस योजना की सदैव उपेक्षा होती रही है जिससे लोगों में उदासीनता, निराशा और असंतोष की भावना व्याप्त होती जा रही है। हमारी मांग है कि जनहित में अयोध्या और कटरा के बीच घाघरा नदी पर रेलवे पुल निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान की जाए तथा आने-जाने वाली सभी गाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और अन्य रेलवे गाड़ियों जैसे हावड़ा से लखनऊ तथा बम्बई से भी अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर इसे सम्बद्ध किया जाए।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आपने नियम 193 के अधीन मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा स्थगित कर दी है। किन्तु यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है और हम अतिशीघ्र, चाहे कल या सोमवार को, इस पर चर्चा करना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कल कर सकते हैं। मैं सोचता हूं, अब हमें कुछ आराम मिलना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

5.11 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 अगस्त, 1990/9 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक—श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीरा खाना, दिल्ली-110006

पी०एल०एस०—48/9/15/90 (एन०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।